लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

13 दिसम्बर, 1996 के लोक सभा
वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	5	विश्व व्यापार संगठन में	विश्व व्यापार संगठन के
(i)	19	235-224	235-242
32	नीचे से 14	(क) और (ग)	(क) और (ख)
66	नीचे से 3	(ग) और (च)	(ग) और (घ)
138	नीचे से 10	(घ)	(ङ)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 7, तीसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 17, शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1996/22 अग्रहायण, 1918 (शक)

विषय		कालम
सिंगापुर में विश्व व्यापार संगठन में मंत्रि-स्तरीय सम्मेलन में हुए समझौते के बारे में		1—6
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	321 से 340	6—25
अतारांकित प्रश्न संख्या	3115 से 3284	25—198
सभा पटल पर रखे गये पत्र		199—217
लोक लेखा समिति		
विवरण-**सभा पटल पर रखे गये**		217—218
राज्य सभा से संदेश		218
पंचायत-उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1996—**सभा पटल पर रखा गया**		219
सभा का कार्य		219—221
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
सिंगापुर में विश्व व्यापार संगठन का मंत्रि-स्तरीय सम्मेलन		
श्री पी. चिदम्बरम		222—224
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		235—224
झरिया और रानीगंज कोयला खानों में और उनके आस-पास आग लगने और भूमि धंसाव होने से उत्पन्न समस्याओं के बारे मे		
श्री बसुदेव आचार्य		235, 237—240
श्रीमती कान्ति सिंह		235—237, 241—242
श्री हाराधन राय		241
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1996-97		242
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे तथा तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव-स्वीकृत		243
नई कृषि नीति के बारे में संकल्प—**वापस लिया गया**		244—287
श्री रमेश चेन्नित्तला		244—247
श्री द्वारका नाथ दास		247—250
श्री कल्पनाथ राय		250—253, 255—256
श्री उधव बर्मन		256—259
प्रो. रासा सिंह रावत		259—262
श्री हन्नान मोल्लाह		263—268
श्री गंगा चरण राजपूत		268—272
श्री राम कृपाल यादव		272—275

विषय	कालम
श्री चतुरानन मिश्र	276—282
श्री अनिल बसु	283—286
अवैध आप्रवासियों के बारे में संकल्प	
श्री जगत वीर सिंह द्रोण	287
आधे घंटे की चर्चा	288—300
जनजातीय लोगों के लिए कल्याणकारी योजना	
श्री राजीव प्रताप रूडी	288—292
श्री संतोष कुमार गंगवार	292
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय	292—293
प्रो. रासा सिंह रावत	293—294
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	294—300

लोक सभा

शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 1996/22, अग्रहायण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

[अनुवाद]

सिंगापुर में विश्व व्यापार संगठन के मंत्रि-स्तरीय सम्मेलन में हुए समझौते के बारे में

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : सिंगापुर में कल क्या हुआ? भारत सरकार की देश में और देश से बाहर घोषित स्थिति से विपरीत बात हुई है। हमें यह आश्वासन दिया गया था कि श्रम स्तर, एम टी ए और आयातकों के संबंध में सरकार ने दृढ़ नीति अपनाई है कि वह संयुक्त राज्य और अन्य राष्ट्रों द्वारा डाले जा रहे दबाव के सम्क्ष कभी नहीं झुकेंगे। लेकिन आज ऐसी खबरें मिल रही है कि स्थिति एकदम विपरीत है। हमें गर्व है कि हमने सी टी बी टी पर कठोर दृष्टिकोण अपनाया है। हम देख रहे हैं कि हमने संप्रभुता, अर्थव्यवस्था और निर्यात की लागत पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने घुटने टेक दिये हैं।

इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। वित्त और उद्योग मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। इस मामले में सरकार की स्थिति क्या है? ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : दुनियां में अब केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोल-बाला रह जाएगा। अतः इस मामले पर चर्चा जरूरी है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, इस पर बहस जरूर हो जाए लेकिन आज वहां पर हस्ताक्षर होने हैं। भारत सरकार के साथ हम लोगों की बातचीत हुई है। एक फोरम ऑफ पार्लियामेंटरियंस ऑन इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी, इसको यहां पर एक नहीं अनेक बैठकें हुई। प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हुई। ये दोनों मंत्री यहां पर बैठे हैं, उद्योग मंत्री जी से हम लोगों की बातचीत हुई थी और उसमें वित्त मंत्री जी भी मौजूद थे। कामर्स मिनिस्टर, जो आज सिंगापुर में हस्ताक्षर करने के लिए बैठे हैं वह भी वहां थे। हमें यह बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि ऐसी किसी भी शर्त के आधार पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे और बहुत साफ कहा गया था। अगर आप आज का अखबार देखें तो आपको इसका सबूत भी मिलेगा, क्योंकि तेजेन्द्र खन्ना वहां से कह रहे हैं हम दिल्ली से फिर बात कर चुके हैं। उनसे हिन्दुस्तान के अखबार वालों ने पूछा कि क्या यह आप लोगों ने एकाएक यहां पर बदल दिया। अध्यक्ष जी, 1989 की पुनरावृत्ति हो रही है! ...**(व्यवधान)** पुंटा देल एस्ते में 1987 में यही हुआ था, 1987 में जब हिन्दुस्तान की तरफ से वहां बातें हो रही थीं।

अध्यक्ष जी, वहां अभी एक घंटे में हस्ताक्षर होंगे। अगर सरकार कुछ देश की इज्जत को बचाना चाहती है, देश के भविष्य को बचाना चाहती है, देश को सीधे विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में नहीं देना चाहती है, यह मामला प्रश्न-काल समाप्त होने तक भी इंतजार करने वाला नहीं है क्योंकि देश का भविष्य खतरे में है। ...**(व्यवधान)** 1989 में और उसके पहले 1987 में ये सारी बातें हो चुकी हैं और यह इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें आज वक्तव्य देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री रूप चन्द पाल : सारा राष्ट्र इस संबंध में चिन्तित है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम लोग यह अनुभव कर चुके हैं कि इसे कबूल करने की कोई जरूरत नहीं है। ...**(व्यवधान)** देश को मार्टगेज करने के लिए आपको किसने कहा है। ...**(व्यवधान)** पहले जब कहा गया था कि दस्तखत नहीं होंगे तो अब क्यों हो रहे हैं, मंत्री जी इसका जवाब दें। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। वित्त मंत्री जी यहां पर हैं। उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : यह भारत सरकार की कही गई पूरी तरह से विपरीत स्थिति है। ...**(व्यवधान)** वाणिज्य सचिव ने सिंगापुर में जो कुछ कहा है वह यहां पर कही गई बात से बिलकुल भिन्न है। ...**(व्यवधान)** यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सरकार ने विदेशी कम्पनियों के सामने आत्म सर्मपण कर दिया है। ...**(व्यवधान)** सरकार ने देश का स्वाभिमान समाप्त कर दिया है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सरकार को या तो इस बात से इन्कार करना चाहिए या इसकी पुष्टि करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : आप प्रश्न काल समाप्त कीजिए और मंत्री महोदय को जवाब देने के लिए कहिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल : क्या वर्तमान सरकार पिछली सरकार की नीति जारी रखेगी? अब वित्त मंत्री जी यहां पर हैं। उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : वित्त मंत्री जी बताएं कि वास्तविक स्थिति क्या है? ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस पर अभी चर्चा होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दे रहे हैं; उन्हें बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। यह एक बिलकुल ही विपरीत स्थिति है जैसा कि पहले ही यहां पर कहा गया है। सचिव ने सिंगापुर जाकर वास्तविकता के विपरीत और कुछ कहा है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें मंत्री जी की बात सुननी चाहिए।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या यह सब मंत्री महोदय की मर्जी से हुआ है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं और आप उन्हें उत्तर नहीं देने दे रहे हैं तो वह क्या कर सकते हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, शिष्टमण्डल को स्पष्ट रूप से बताया गया था कि श्रम से संबंधित मुद्दों तथा निवेश के संबंध में बहुपक्षीय प्रस्तावित प्रक्रिया पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट और मजबूत है। शिष्टमण्डल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री ने किया था। सम्मेलन में वाणिज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्यों के संबंध में समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को जब वक्तव्य की प्रति पढ़ने को मिलेगी तो इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे कि भारत ने वही रूख अपनाया था जिस पर यहां चर्चा हुई थी या जो दोनों सदनों को या संसद सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से या समूहों में बताया गया था। वाणिज्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्यों के पाठ से यह बात स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी कि हमने मजबूत और स्पष्ट रूख अखतियार किया।

पुनः ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। बहुत से देश जो यहां और हरारे में हुए सम्मेलनों में इस स्थिति पर कायम रहे-जब आप पिछली सरकार में रहते हुए आपने इसका समर्थन किया था—उन्होंने अपनी स्थिति बदल दी। इस बात पर गौर किया जाना था। उदाहरण के लिए समाचार पत्रों में छपी खबरों में भी उस पत्र का हवाला दिया गया है जो मलेशिया के मंत्री ने वाणिज्य मंत्री को लिखा था और अब स्थिति बदल गई है।

अतः, शिष्टमण्डल के नेता और शिष्टमण्डल सम्मेलनों के साथ समितियों में सशक्त वक्तव्य दिए हैं। सिंगापुर में मंत्रियों की बैठक के भाषण का अंतिम पाठ अभी तक मुझे प्राप्त नहीं है। मैंने कल का पाठ नहीं देखा है। मैं नहीं समझता हूं कि पाठ आ गया है। वाणिज्य मंत्री के शीघ्र ही लौट आने की उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि वाणिज्य मंत्री भारत की स्थिति पर पूर्ण वक्तव्य देंगे और यह भी बताएंगे कि यह स्थिति कैसे उत्पन हुई और सिंगापुर में क्या घोषणा की गई है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस मामले पर वाणिज्य मंत्री के वक्तव्य की प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि केवल वही बता सकते हैं कि क्या हुआ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने इसका संकेत दे दिया है क्योंकि अन्य लोगों को उनके इरादों पर संदेह है। यह इस बात का परिचायक है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें श्री संतोष मोहन देव की बात सुननी चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : माननीय वित्त मंत्री की बात सुनने के बाद वाणिज्य मंत्री का रूख उचित लगता है। एक बार इस पर हस्ताार करने के बाद वक्तव्य देना उससे फिर जाना है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमें पहले उनकी बात सुननी चाहिए। मैं जानबूझ कर इसकी अनुमति दे रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जानकारी है।

श्री संतोष मोहन देव : मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री या सरकार को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल का मामला नहीं है। यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। क्या आप इसका महत्व समझ

रहे हैं। मैं जानबूझ कर इसकी अनुमति दे रहा हूं क्योंकि मुझे इस मामले की जानकारी है और मैंने इसमें पहल की है। कृपया उनकी बात में व्यवधान न डाले।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : कृपया देश को बचाइए।

श्री संतोष मोहन देव : श्री चिदम्बरम ने स्थिति को ठीक ही स्पष्ट किया है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या स्थिति बदल गई है या नहीं। हमें मध्याह्न भोजन से पहले या बाद में आश्वासन मिलना चाहिए। वर्तमान संचार प्रणाली के हिसाब से सिंगापुर दूर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आजकल कोई भी जगह दूर नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : सभा आज के लिए स्थगित होने से पहले कुछ बात होनी चाहिए अन्यथा इतने लोगों से इतने सारे आश्वासन मिलने के बाद इस पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद इससे अनेक कठिनाइयां हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि हम सरकार को जानकारी प्राप्त करने का समय दे सकते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें यह संदेश भेजा जाना चाहिए कि हमें अपनी स्थिति से हटना नहीं चाहिए। यह संदेश भेजा जाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : सभा आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाए।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वे आश्वासन को तौड़ें। इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : हम सभा आधे घण्टे के लिए स्थगित कर सकते हैं। उन्हें संदेश भेजकर आना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

श्री रूप चन्द पाल : सरकार का निर्णय क्या है? वह इस सभा को बता सकती है। इस सभा से यह संदेश जाना चाहिए कि यह सभा अमेरिकन लॉबी के सामने आत्मसर्मपण करने के लिए तैयार नहीं है जिससे आर्थिक संप्रभुता प्रभावित होगी। इस सभा से सरकार, अन्यत्र और सिंगापुर को यह संदेश भेजा जाना चाहिए ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें उन्हें आधे घण्टे का समय देना चाहिए और उन्हें आधे घण्टे में यह काम करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जब सिग्नेचर करके आएंगे तो मामला 'फेट एकम्पली' हो चुका होगा और तब आप कहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता। यह इंडिया की अस्मिता का सवाल है। इसलिए आप हाउस एडजर्न करके इस पर चर्चा करवाइए।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल : हमें सभा आधे घण्टे के लिए स्थगित करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आधा घण्टा पर्याप्त नहीं होगा।

श्री रूप चन्द पाल : इस सभा से यह संदेश जाना चाहिए कि हम इस स्थिति का समर्थन नहीं करते हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि स्थिति बदल चुकी है और बदल रही है। सरकार के पास फिलहाल उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मैं सभा की भावनाओं से सहमत हूं। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। संसद का सत्र चल रहा है। यदि भारत को उस पर हस्ताक्षर करना है तो भारत को इस पर हस्ताक्षर करने से पहले संसद को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए।

मैं सभा दो बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। सरकार को इस दौरान स्थिति का पता लगाना चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

चाय का उत्पादन

***321. श्री भगवान शंकर रावत :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान चाय उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ख) नौवीं योजनावधि में चाय उत्पादन संबंधी क्या अनुमान लगाया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) आठवीं योजना में चाय के उत्पादन के वर्ष-वार लक्ष्य

तथा वास्तविक उपलब्धियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(मिलियन किग्रा.)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1992-93	765	736.00
1993-94	730	768.05
1994-95	770	743.33
1995-96	780	762.35
1996-97	790	-

(ख) नौवीं योजना के अंतिम वर्ष (2001-2002) के लिए चाय के लिए 1000 मिलियन किग्रा. उत्पादन के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना।

हथकरघा बुनकरों के लिए योजनाएं

***322. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :**

श्री दिनशा पटेल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में हथकरघा बुनकरों के उत्थान हेतु प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा इसके लिए विभिन्न राज्यों को उपलब्ध करायी गई राशि के समुचित उपयोग के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त कर लेने के बावजूद राज्य सरकारों द्वारा उक्त राशि को हथकरघा बुनकरों से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए जारी करने में किये जा रहे अत्यधिक विलंब की सरकार को जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या मार्गदर्शी निर्देश दिए गए; और

(ङ) हथकरघा बुनकरों की दयनीय हालत में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए कार्यान्वित सभी योजनाओं और इनके लिए उपलब्ध कराई गई राशि के समुचित उपयोग के संबंध में कोई विशेष अध्ययन नहीं कराया है। तथापि हथकरघा विकास केन्द्रों और उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में एक अध्ययन करवाया गया है।

(ग) राज्य सरकारो द्वारा राशि का जारी करना विभिन्न कार्यप्रणाली का अनुपालन करने और वर्तमान योजनाओं की प्रगति पर निर्भर करता है। इसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने के बाद राज्य सरकारों को यह राशि जारी करने में कुछ समय लग जाता है।

(घ) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे कार्यान्वित अभिकरणों/लाभार्थियों को केन्द्रीय अनुदान की राशि समय से जारी कर दें।

(ङ) सरकार हथकरघा क्षेत्र के विकास और बुनकरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से निवेश सहयोग, विपणन, कार्यकुशलता उन्नत करने और हथकरघा बुनकरों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए अवस्थापना विकास हेतु अपेक्षित सहायता दी जा रही है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रूग्ण मिलों के बारे में रिपोर्ट

*** 323. श्री राम नाईक :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 120 रूग्ण मिलों में से प्रत्येक की अर्थक्षमता के बारे में रिपोर्ट देने को कहा था;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त हुई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है तथा इनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन रूग्ण मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें अर्थक्षम बताया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). एन टी सी मिलों के लिए आधुनिकीकरण पैकेज का अध्ययन करने तथा उसकी सिफारिश करने का कार्य जून, 1993 में वस्त्र अनुसंधान संघों को सौंपा गया था। वस्त्र अनुसंधान संघों ने अपनी रिपोर्ट में लगभग 2005 करोड़ रु. के परिव्यय से 79 मिलों के आधुनिकीकरण की सिफारिश की है जिसमें 36 मिलों को 18 अर्थक्षम एककों में शामिल करके उनका पुनर्निर्माण करना निहित है। इस रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने मई, 1995 में एन टी.सी के लिए एक पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया है। रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत एक समग्र कंपनी का तथा न कि किसी एक विशिष्ट मिल का मामला बी आई एफ आर को भेजा जाता है। लगातार घाटे होने तथा निवल पूंजी में कमी होने के कारण 9 सहायक निगमों में से 8 के मामले बी आई एफ आर को भेजे गए थे तथा उसने उन्हें रूग्ण घोषित कर दिया। इसलिए पुनर्वासन पैकेज बी आई एफ आर के समक्ष उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

निधि कंपनियां

***324. श्री एन.एस.वी. चित्थन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अब तक निधि कंपनियों (गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों) की स्थापना हेतु कितने प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) सरकार के पास राज्य-वार अभी ऐसे कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इन कंपनियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी मामले का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इस प्रकार की कंपनियों को स्वीकृति प्रदान किए जाने संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के अंतर्गत, 1963 से अब तक 192 कंपनियों को निधि कम्पनियां घोषित किया गया है।

(ख) 30.11.1996 तक की स्थिति के अनुसार इक्यानवे आवेदन पत्र लम्बित थे। इन लम्बित आवेदनों की राज्यवार स्थिति इस प्रकार है :-

क्र.सं.	राज्य का नाम	लम्बित आवेदनों की संख्या
1.	तमिलनाडु	72
2.	उत्तर प्रदेश	8
3.	आन्ध्र प्रदेश	2
4.	केरल	2
5.	कर्नाटक	2
6.	पश्चिम बंगाल	1
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	2
8.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	2
	कुल	91

(ग) निधि कंपनियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा किए जाने तक लम्बित आवेदनों पर निर्णय को आस्थगित रखा गया है।

(घ) और (ङ). उपलब्ध सूचना के अनुसार, चेन्नई नगर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता तथा इनामी चिट और धन परिचालन योजना (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के उपबन्धों के अन्तर्गत जी एन एस निधि लि. सहित अनेक कम्पनियों/फर्मों के प्रबन्ध से संबंधित कई व्यक्तियों तथा लाभ निधि कंपनियों के नाम की तीन कंपनियों (जो कंपनी अधिनियम की धारा 620 के अंतर्गत निधि के रूप में घोषित नहीं है) के विरूद्ध मामले दर्ज किए हैं।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत ग्यारह निधि कंपनियों के हाल के निरीक्षण से कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों तथा कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 4 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 773 (अ) द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637क के अन्तर्गत जारी निर्देशों के कतिपय उल्लंघनों का पता चला है। इन कंपनियों के विरूद्ध कानून के अंतर्गत तथा अधिदिष्ट उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

(च) निधि कम्पनियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा पूरी हो जाने के बाद ही इस मामले पर विचार किया जाएगा।

निर्यात को बढ़ावा देने हेतु पी.एच.डी.सी.सी.आई. के सुझाव

***325. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्यातकों को सरकार द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल (पी.एच.डी.सी.सी.आई) से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त अवधि के दौरान निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी हां। वाणिज्य मंत्रालय को हाल ही में भेजी गई एक टिप्पणी में पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल (पी.एच.डी.सी.सी. आई) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यातकों को ऋण सुविधाएं देने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। इनमें शुद्ध बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप निर्यात ऋण के लक्ष्य को संशोधित करना, निर्यात ऋण के लिए ब्याज-दरों में कमी, 90 दिनों से 180 दिनों तक के ब्याज दर की फिर पुनरीक्षा, अतिदेय बिलों पर ब्याज दरों की पुनरीक्षा, निर्यात-क्षेत्र को रुप देने के तरीकों की पुनरीक्षा तथा निर्यात ऋण से संबंधित प्रक्रिया संबंधी पहलू शामिल है।

(ग) से (ङ). निर्यात संवर्धन वाणिज्य मंत्रालय का एक सतत क्रियाकलाप है और यह उद्योग, व्यापार एवं अन्य निर्यात संवर्धन संस्थाओं की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। निर्यात के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीति एवं संवर्धनात्मक योजनाओं के लिए उपाय किए जाते हैं, जिनमें निर्यात एवं आयात नीति प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कुशलता एवं प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाना, गुणवत्ता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करना तथा निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रयास करना शामिल है।

जहां तक निर्यात ऋण का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने को कहा जाता है कि निर्यातकों की ऋण संबंधी आवश्यकताएं पूर्णतया एवं तत्काल पूरी

की जाएं। निर्यातक 180 दिनों तक 13 प्रतिशत तक और 180 दिनों से 270 दिनों तक की अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से रुपया पैकिंग ऋण ले सकते हैं। वर्ष 1996-97 के उत्तरार्द्ध के लिए मुद्रा नीति में पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर ब्याज दर को और युक्तिसंगत बनाया गया है। पोतलदानोत्तर रुपया ऋण लदान की तारीख से 90 दिनों तक 13 प्रतिशत पर और 90 दिनों से छः महीने तक की अवधि के लिए 15 प्रतिशत पर उपलब्ध है। निर्यात क्षेत्र को ऋण का सहज प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश जारी किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो कि :

(1) वित्त के अभाव में कोई लाभप्रद निर्यात आदेश प्रभावित न हो;

(2) ऋण सीमाओं की समय पर और समुचित मंजूरी के मामले में निर्यातक-ऋणकर्ताओं को शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाए।

(3) पूर्ण ब्यौरे सहित प्राप्त आवेदनों पर नई/बढाई गई सीमाओं/सीमाओं के नवीकरण की मंजूरी निर्धारित अवधि के भीतर की जाए तथा निर्यात ऋण प्रस्तावों की अस्वीकृति के मामले अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए मुख्य कार्यपालकों की जानकारी में लाए जाएं।

(4) शुद्ध बैंक ऋण के 12 प्रतिशत (वर्ष 1996-97 के उत्तरार्द्ध के लिए मुद्रा नीति के अन्तर्गत 10 प्रतिशत से बढ़ाया गया) का निर्यात ऋण लक्ष्य दिनांक 31 मार्च, 1997 तक प्राप्त कर लिया जाए।

[हिन्दी]

खादी और पोलिएस्टर पर छूट

***326. श्री नन्द कुमार साय : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी और पोलिएस्टर के विक्रय मूल्यों में दी जाने वाली छूट प्रणाली समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विपणन विकास सहायता संबंधी कोई नई प्रणाली आरंभ करने का विचार है जिसके अंतर्गत खादी निर्माताओं को लाभ प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इससे खादी के मूल्यों और मांग पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) ने 1994 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में उन्हें खादी की बिक्री पर कुछ छूट देने के अलावा विज्ञापन, नये डिजाइनों के लिए परामर्श सेवाओं जैसे प्रयोजनों के लिए सरकारी अनुदान का प्रयोग करने की छूट देकर खादी उत्पादों की बिक्री में सुधार करने के उद्देश्य से खादी के लिए छूट योजना के स्थान पर बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना आरंभ करने सहित कई सिफारिशें की हैं। तथापि, सरकार ने एच.पी. सी. की इस सिफारिश पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

अग्रिम लाइसेंस योजना की पुनरीक्षा

***327. श्री शरत पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अग्रिम लाइसेंस योजना की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त पुनरीक्षा कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). जी, हां। शुल्क मुक्त स्कीम की जिसके अधीन अग्रिम लाइसेंस जारी किये जाते हैं, दीर्घकालिक नीति तैयार करने की प्रक्रिया के अंग के रूप में पुनरीक्षा की जानी है जो 1.4.1997 से प्रभावी होगी क्योंकि वर्तमान निर्यात-आयात नीति 1992-97, 31 मार्च, 1997 को समाप्त हो जायेगी। यह पुनरीक्षा, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार और उद्योग तथा शीर्षस्थ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुझावों को ध्यान में रखते हुये की जायेगी तथा 31 मार्च, 1997 को पूरा हो जायेगी।

[हिन्दी]

जापानी शहर की स्थापना

***328. श्री रामेश्वर पाटीदार :**

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में औद्योगिक "माडल टाउन" स्थापित करने हेतु सहायता के लिए जापान से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अनिवासी भारतीयों से भी इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) भारत सरकार ने अधिकाधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उच्च कोटि

की बुनियादी सुविधाओं वाले एक आदर्श औद्योगिक नगर की स्थापना के लिए जापान से सहायता मांगी थी।

(ख) *जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे.आई.सी.ए.)* को भारत में एक आदर्श औद्योगिक नगर की स्थापना के लिए विस्तृत संभाव्यता अध्ययन करने का काम सौंपा गया था। हरियाणा राज्य में गुड़गांव सबसे उपयुक्त स्थल पाया गया था। आदर्श औद्योगिक नगर की स्थापना करने के प्रस्ताव पर हरियाणा सरकार और जापानी कंपनियों के संघ के बीच विचार-विमर्श हो रहे हैं।

(ग) और (घ). जी, हां। इन प्रस्तावों के विवरण इस प्रकार हैं:-

1. टाटा, सूचना औद्योगिक पार्क निवेश प्रा.लि., सिंगापुर और कर्नाटक सरकार की इक्विटी भागीदारी से बंगलूर में एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की जा रही है।
2. मैसर्स यूनीटैक लि., नई दिल्ली को मैसर्स फर्स्ट कैपिटल प्रोपर्टी वेंचर प्रा.लि., सिंगापुर जो सिंगापुर की पांच कंपनियों का एक संघ है, को विदेशी ईक्विटी भागीदारी से गुड़गांव में एक प्रौद्योगिकी पार्क विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना हेतु विदेशी सहयोग की मंजूरी प्रदान की गई है।
3. मैसर्स मौड्यूलर इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., कलकत्ता ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए मैसर्स लेकलैंड प्रोजेक्ट्स लि. यू.के. से विदेशी ईक्विटी लेने का एक प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर

***329. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके तथा राज्य व्यापार निगम के बीच गत तीन वर्षों के दौरान किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने मूल्य का व्यापार किया गया;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम परिवर्तनशील व्यापार परिस्थिति में परिकल्पित दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा शुरू किए गए विविधीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वाणिज्य मंत्रालय तथा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापनों में निर्धारित लक्ष्यों के तथा एस टी सी द्वारा किए गए कार्य निष्पादन के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	समझौता ज्ञापन के लक्ष्य	प्राप्त कार्य निष्पादन
1993-94	1325	1117
1994-95	1132	1861*
1995-96	1302	1685*

* माध्यमीकृत आयातों सहित

(ग) से (ङ). विगत में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से अनेक मदों का आयात और निर्यात किया जाता था, जिसे गैर-माध्यमीकृत के फलस्वरूप, कारपोरेशन ने अपनी व्यापार-नीतियां इस प्रकार पुनर्निर्मित की हैं कि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उदारीकृत अर्थव्यवस्था तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण के अनुरूप हों। एम टी सी अपने परिवर्तित व्यापार परिप्रेक्ष्य में व्यापार कार्यकलपों के अपने विविधीकरण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित तरीके से गैर-माध्यमीकृत व्यापार को विकसित करने में अपेक्षाकृत अधिक जोर दे रहा है :—

- सीधे खरीदना और बेचना;
- संयुक्त उद्यमों तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से निजी आपूर्ति के विकास करना;
- एम टी सी के अपने ब्रांड नाम से खाद्य तेलों को बेचना;
- विदेशों में विपणन तंत्र तथा भंडारण को सुदृढ़ करना;
- देश में पत्तन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना;
- सोने का आयात तथा स्वर्ण आभूषणों को निर्यात करने की सुविचारित योजना।

गैर-माध्यमीकृत व्यापार में वृद्धि करने के लिए एस टी सी द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप एस टी सी के कुल कारोबार में नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार निरंतर वृद्धि होती रही है :-

(करोड़ रुपए में)

	निर्यात	आयात	घरेलू	जोड
1993-94	363	68	80	511
1994-95	429	42	90	561
1995-96	548	143	78	769

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को लाइसेंसमुक्त करना

***330. श्री आर. साम्बासिवा राव :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनोरंजन वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं यथा टेलीविजन तथा वी.सी.आर. इत्यादि को लाइसेंसमुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंसमुक्त की जाने वाली वस्तुओं के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वस्तुओं को लाइसेंसमुक्त करने से औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत आने वाली अन्य वस्तुओं को भी लाईसमुक्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). जी, हां। मनोरंजन से संबंधित इलैक्ट्रोनिक उद्योग की सभी मदें लाइसेंस मुक्त कर दी गई हैं।

(ग) किसी उद्योग को लाइसेंसमुक्त करने का अर्थ है कि उद्यमी निवेश तथा प्रौद्योगिकी संबंधी निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होता है जोकि औद्योगिक विकास को और आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। तथापि, चूंकि औद्योगिक विकास अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र की मांग तथा पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है इसलिये, किसी क्षेत्र को लाइसेंसमुक्त करने के प्रभाव का पता किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए उसकी तैयारी में लगे समय को ध्यान में रखकर ही लगाया जा सकता है।

(घ) और (ङ). उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करने की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

उत्पादन लागत

***331. श्री नीतीश कुमार :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवंबर, 1996 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "प्रोडक्शन कॉस्ट आर नाट लो इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता के बावजूद उत्पादकता तथा आम उत्पादन की लागत ज्यादा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जर्मनी जैसे देशों की तुलना में भारत में कच्चे माल तथा अन्य वस्तुओं की लागत 130 प्रतिशत अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उत्पादन लागत को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ). विभिन्न उत्पादों और उद्योगों पर औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा किये गये अध्ययनों के अनुसार यह सदैव सत्य नहीं है। यहां तक कि संबंधित रिपोर्ट इस तथ्य को स्वीकार करती है कि भारत में कुछ उद्योगों में कम लागत पायी गयी है।

लघु उद्योग एककों हेतु योजना

***332. कुमारी उमा भारती :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लघु औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्मित वस्तुओं के विपणन के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना में विद्यमान एवं नये तथा कारपोरेट हस्तियों वाली लघु औद्योगिक इकाइयों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान है। कारपोरेट हस्तियां भी, जो लघु उद्योग इकाइयों को आधारभूत संरचना संबंधी, सहायक सेवायें आदि मुहैया कराती हैं, सहायता के लिये पात्र है। स्वीकृत ऋण राशि आवश्यकता के आधार पर होती है लेकिन सामान्यतया 10 लाख रु. प्रति ऋणी से कम नहीं होती है। ऋण की अदायगी एक वर्ष के ऋण-स्थगन काल सहित 3 से 8 वर्ष तक होती है। ब्याज की दर मुख्य ऋण दर के ऊपर 4 प्रतिशत तक विस्तृत समूह में निर्धारित की जाती है। प्रवर्तक का अशंदान प्रस्तावित परिव्यय का कम से कम 10 प्रतिशत होता है। ऋण के लिये प्रतिभूति विद्यमान निर्धारित परिसम्पत्ति, अन्य समर्थक प्रतिभूति तथा ऋण से ग्रहीत परिसम्पत्तियों पर आधारित होती है।

राज्यों में ग्रामीण उद्योग

***333. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने देश में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए कोई परियोजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख). भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि वह सिडबी की संमिश्र ऋणयोजना (सी एल एस), एकल खिड़की योजना (एस डब्ल्यू एस) और राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना (एन ई एफ) के अंतर्गत ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योग/अति-लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को उनकी सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी और बीज पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (आर आई पी), व्यष्टि ऋण योजना (एम सी एस), महिला विकास निधि (एम वी एन) योजना और ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आर ई डी पी) नामक चालू विशेष योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। उपर्युक्त चार विशेष योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

(1) ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (आर आई पी) का उद्देश्य औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण उद्यमियों का पता लगाकर और उन्हें प्रेरित करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले अर्थक्षम उद्यमों को बढ़ावा देना है। आर आई पी का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का बेहतर वाणिज्यिक उपयोग करना है। इस समय, यह योजना ग्रामीण गरीबों की बहुलता वाले 11 राज्यों में चल रही है।

(2) व्यष्टि ऋण योजना (एम सी एस) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व्यक्तियों की ऋण संबंधी वास्तविक आवश्यकताओं के वित्तपोषण में प्रत्यक्ष अंतराल को पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत, प्रति उधारकर्ता अधिकतम 10,000/- रुपए तक की सहायता रियायती दर पर प्रदान की जाती है। नवम्बर 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार, 16 राज्यों में एम सी एस के अंतर्गत 57 स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को कुल 636 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई।

(3) महिला विकास निधि (एम वी एन) का उद्देश्य आधारभूत सुविधाओं के सृजन को आसान बनाकर महिलाओं, विशेषरूप से ग्रामीण गरीबों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से शक्ति सम्पन्न बनाना है। नवम्बर, 1996 के अंत की स्थिति के अनुसार, 23 राज्यों में 104 गैर-सरकारी संगठनों को कुल 417 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

(4) ग्रामीण उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम (आर ई डी पी) का उद्देश्य विभिन्न लक्ष्य समूहों को उद्यमवृत्ति में प्रशिक्षित करना है ताकि वे स्व्यं अपना उद्यम स्थापित करने के लिए पर्याप्त जानकारी, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। 30 नवम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार, देश के विभिन्न क्षेत्रों में 269 कार्यक्रम चलाए गए।

[अनुवाद]

भारतीय/विदेशी बैंकों का कार्यनिष्पादन

***334. श्री मृत्युंजय नायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्यरत विदेशी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की अलग-अलग तथा राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) भारतीय तथा विदेशी बैंकों में घरेलू जमा तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा की गई राशि कितनी-कितनी है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के रवैये में परिवर्तन लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारत में परिचालन कर रहे विदेशी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अलग-अलग बैंक शाखाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय और विदेशी बैंकों की बकाया घरेलू और अनिवासी भारतीय (एनआइआई) जमाराशियां नीचे दी गई हैं :-

दिनांक 29.3.96 की स्थिति के अनुसार बकाया

(रु. करोड़ में)

	कुल जमाराशियां	घरेलू जमाराशियां	अनिवासी भारतीय जमाराशियां
भारतीय बैंक	403405	360361	43044
विदेशी बैंक	30414	14615	15799

(ग) प्रतिस्पर्धा, आधुनिकीकरण और व्यवहारगत सुधार से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया जाना है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के शाखाओं की राज्य-वार स्थिति

	मार्च 1996 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक आज की ता. में
	1	2
1. अंडमान एवं निकोबार	30	-
2. आंध्र प्रदेश	3466	3

	1	2
3. अरुणाचल प्रदेश	49	-
4. असम	821	1
5. बिहार	3042	-
6. चंडीगढ़	128	-
7. दादर व नगर हवेली	7	-
8. दमन और दीव	12	-
9. दिल्ली	1115	27
10. गोवा	258	1
11. गुजरात	3037	1
12. हरियाणा	1051	-
13. हिमाचल प्रदेश	628	1
14. जम्मू और कश्मीर	251	1
15. कर्नाटक	2894	6
16. केरल	1764	7
17. लक्षद्वीप	8	-
18. मध्य प्रदेश	2816	-
19. महाराष्ट्र	4727	56
20. मणिपुर	56	-
21. मेघालय	127	-
22. मिजोरम	26	-
23. नागालैंड	62	-
24. उड़ीसा	1330	-
25. पांडिचेरी	60	-
26. पंजाब	2051	3
27. राजस्थान	1891	-
28. सिक्किम	42	-
29. तमिलनाडु	3380	14
30. त्रिपुरा	91	-
31. उत्तर प्रदेश	5397	2
32. पश्चिम बंगाल	3340	2
जोड़	43958	167

[हिन्दी]

निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना

***335. डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विभागों द्वारा निर्यातकों के मामलों को निपटाने में विलम्ब के कारण निर्यात में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, नहीं। वास्तव में भारत का निर्यात 1994-95 में 26.33 बिलियन अमरीकी डालर था जो 1995-96 में बढ़कर 31.83 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1996 के दौरान 16.14 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया गया है, जो 9.9 प्रतिशत वृद्धि का सूचक है, क्योंकि अप्रैल-सितम्बर, 1995 को इसी अवधि के दौरान 14.68 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात किया गया था।

तथापि, चालू वर्ष में वृद्धि दर में कमी देखी गई है। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1996 के दौरन निर्यात में 9.9 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह निर्यात 26.4 प्रतिशत था। वृद्धि दर में कमी, विभिन्न विभागों में निर्यातकों के मामलों को निपटाने में विलम्ब के कारण नहीं हुई। मुख्यतः यह कमी 1996 में विश्व व्यापार में भारी कमी होने, जिसमें पण्य-वस्तु के निर्यात में पिछले वर्ष 8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में इस वर्ष की प्रथम छमाही में अनुमानित 5 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण गिरावट आई तथा बैंकों द्वारा ब्याज की अधिक दर लेने, निर्यात ऋण की अनुपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं संबंधी बाधाओं के कारण भी वृद्धि दर में कमी आई।

(ग) और (घ). नीति के उदारीकरण के अनुरूप, निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसे निर्यात संवर्धन परिषदों, व्यापार और उद्योग तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से निष्पादित किया जाता है। इस संबंध में किए गए प्रमुख उपायों में, निर्यातकों के विशिष्ट वर्गों को निर्यात और आयात के पारेषणों के ग्रीन चेनल क्लीयरेंस का प्रावधान, इलैक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज शुरू करना, जिसमें कम्प्यूटर आधारित संचालनों के माध्यम से विभिन्न निकासियों के कार्य को गति प्रदान करने और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निर्यातकों से संबंधित विभिन्न अभिकरणों के मध्य नेट

वर्किंग और निर्बाध सूचना के आदान-प्रदान तथा आयात और निर्यात पर लाइसेंसिंग संबंधी अपेक्षाओं एवं अन्य विवेकाधीन नियंत्रणों मे कमी करने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

एस.टी.सी. द्वारा किया गया सरणीकृत तथा असरणीकृत निर्यात

***336. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) द्वारा सरणीकृत तथा असरणीकृत श्रेणी के अन्तर्गत किन-किन मुख्य वस्तुओं का तथा कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ख) क्या एस.टी.सी. के कार्य निष्पादन संबंधी उद्देश्यों में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के सम्बन्ध में एस टी सी द्वारा किए गए मद-वार गैर-माध्यमीकृत निर्यातों को दर्शाया गया है।

(ख) से (घ). निर्यातों के उदारीकरण/भूमंडलीकरण होने से एस टी सी ने अपनी निर्यात-नीति इस प्रकार से पुनर्निर्मित की है कि वह सरकार की उदारीकृत आर्थिक नीतियों और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार-वातावरण के अनुरूप हो जिसमें गैर-माध्यमीकृत निर्यातों पर बल दिया गया है। गैर-माध्यमीकृत व्यापार को विकसित करने के एस टी सी के प्रयासों के फलस्वरूप इसका विदेशी मुद्रा आय का स्तर वर्ष 1992-93 के 46 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 1995-96 में 212 करोड़ रु. के स्तर तक पहुंच गया है।

विवरण

एस टी सी :1993-94 से 1995-96 के दौरान निर्यात

मूल्य : करोड़ रु. में
मात्रा : कोष्ठक में 000 मी.टन*

मदें	1993-94 वास्तविक	1994-95 वास्तविक	1995-96 वास्तविक
1	2	3	4
गैर-माध्यमीकृत**			
एरण्ड तेल/बीज	-	9.79	29.62
जूट का सामान	2.37	9.80	16.17
चावल	2.60	18.72 (22)	129.12 (148)
तम्बाकू	9.14	1.94 (0.5)	3.04
कॉफी	14.01	23.80 (3)	29.53
मसाले	2.23	1.75	1.02
चाय	17.23	5.58 (0.7)	5.24
निष्कर्षण	68.25	40.40	82.10
खाद्यान्न (गेहूं)	0.15	16.07 (34)	19.35
अन्य	9.32	3.41	4.40
प्राकृतिक रबड़	10.35	-	-
काजू	33.36	46.97	35.13
चीनी	43.91	30.46 (35)	17.34
मदिरा	4.94	-	-
शीरा	-	-	-
खेल-कूद सामान	4.80	6.05	5.42
वस्त्र/आरएमजी/क्वायर	9.86	14.63	21.71
उपभोक्ता उत्पाद	8.52	12.32	6.59
इंजी/निर्मा. सामग्री	23.79	32.51	54.80
रसायन एवं औषधि	40.37	39.70	33.44
मांस एवं समुद्री उत्पाद	2.49	1.05	1.56
ताजे एवं प्रसंस्कृत खाद्य	11.44	6.82	6.49
चर्म सामग्री	44.08	39.83	40.72
ब्रासवेयर	-	2.19	0.52
उप-योग (गैर-माध्यमीकृत)	363.21	363.79	543.31
ऑफ शोर	--	65.30	5.09
प्रति व्यापार	434.67	376.53	201.00
कुल निर्यात	797.88	805.62	749.40

* जहां कहीं संभव हुआ है, आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, वहां मात्रा दर्शाई गई है।

** एस टी सी कोई माध्यमीकृत निर्यात वस्तुओं का रख-रखाव नहीं करती।

कंपनियों की विलय संबंधी संहिता

***337. श्री पिनाकी मिश्र :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनियों और फर्मों के अधिग्रहण और विलय के संबंध में हाल ही में एक नई संहिता तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इनके कारोबार का विनियमन करने वाली पूर्व संहिता में क्या क्या मुख्य त्रुटियां थीं और नई संहिता के माध्यम से इस प्रणाली में किए गए प्रमुख संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियमन, 1994 की संवीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, जो भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति हैं, की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। समिति का उद्देश्य विनियमों को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें अपेक्षाकृत अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी एवं सुस्पष्ट बनाने तथा साथ ही निवेशकों और अभिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित सभी पार्टियों के हितों की भी सुरक्षा करने की दृष्टि से विद्यमान विनिमयों में संशोधनों का सुझाव देना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वायत्तता

***338. श्री मोहन रावले :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शीर्ष निकाय-सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) ने केन्द्र सरकार को इसके उद्यमों को स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि ये उद्यम द्रुत गति से बदल रहे विश्व परिदृश्य से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). सरकारी उद्यमों के स्थायी सम्मेलन, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी, ने विभिन्न सुझाव दिए हैं, जिनमें सरकारी उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों को पूर्ण स्वायत्तता तथा निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना भी शामिल है। अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान करने सहित सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार हेतु विभिन्न उपाय करना एक सतत् प्रक्रिया है, और सरकार समय-समय पर सरकारी उद्यमों के प्रबंधन को वित्तीय, कार्मिक तथा प्रचालन संबंधी मामलों में अधिकाधिक शक्तियां प्रदान करती रहा है।

आयात नीति के कारण रबड़ और नारियल के उत्पादन पर प्रभाव

***339. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उदारीकृत आयात नीति का विशेषरूप से केरल में रबड़ और नारियल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार उदारीकृत आयात नीति संबंधी निर्णय की समीक्षा करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार रबड़ उत्पादों तथा मूल्य वर्धित नारियल उत्पादों को उदारीकृत आयात नीति के क्षेत्राधिकार से मुक्त करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे ऐसी आशंका उत्पन्न होती हो।

(ख) से (घ). फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, निर्यात एवं आयात नीति की पुनरीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और लोकहित में जब भी आवश्यक हो, इसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

मसालों का समर्थन मूल्य

***340. श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अधिकांश मसालों के मूल्यों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मसालों के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान मसालों के मूल्यों में परिवर्तन का मिला-जुला रूख रहा है। मसालों के थोक मूल्य सूचकांक

(डब्ल्यू पी आई) में परिवर्तन को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र नीचे दिया गया है :-

मसालों का वार्षिक औसत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई)

(1981-82=100)

मद	1993	1994	1995	1996*
काली मिर्च	243.4	465.1	538.8	552.5
सूखी मिर्च	174.1	216.2	355.9	424.7
हल्दी	599.6	458.7	426.3	623.5
अदरक	371.1	500.3	741.5	615.9
इलायची	1599.7	1007.2	789.1	838.8
जीरा	707.9	393.2	399.3	550.3
लहसुन	560.7	965.8	509.4	374.2
मसाले	474.5	419.4	422.9	501.5

* महीनों (जन-अक्तू, 1996) का औसत और अनंतिम

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मसालों के उपजकर्त्ताओं को लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मसालों को बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत रखा है। इस योजना के अन्तर्गत, मूल्यों के अलाभकारी स्तर तक गिर जाने पर, राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर किसी निश्चित मूल्य पर किसी विशिष्ट मात्रा के लिए किसी निश्चित अवधि तक, किसी विशिष्टि वस्तु के लिए बाजारी कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय नोडल एजेंसी अर्थात् राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ और राज्य द्वारा नामित एजेंसियां सामान्य तौर पर समान अनुपात में खरीदारी करती हैं और यदि कोई नुकसान हुआ तो, उसमें भी समान अनुपात में हिस्सेदार बनती हैं।

मंत्रियों पर खर्च

3115. **श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के कार्यालय एवं आवास पर लगे टेलीफोन के कालों तथा उनके कार्यालय एवं आवास को सुसज्जित करने में हुए खर्च के संबंध में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन अधिकतम सीमाओं के अतिक्रमण के मामलों में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). कार्यात्मक और संचालन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मंत्रियों के लिए उनके कार्यालय एवं आवास पर लगे टेलीफोन कालों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

मंत्री के कार्यालय तथा आवास पर कार्यालय भाग को सुसज्जित करने के लिए 45,000/- रुपये खर्च की सीमा निर्धारित की गयी है। इसके अतिरिक्त, मंत्रियों के आवास संबंधी नियमावली 1962 के अनुसार निःशुल्क उपलब्ध कराए गए फर्नीचर और बिजली के उपकरणों की कीमत मंत्री के मामले में 38,500 रुपये और उप मंत्री के मामले में 22,500 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त निर्धारित सीमा के अतिरिक्त उन्हें मुहैया कराए गए फर्नीचर का किराया सम्बन्धित मंत्री से वसूल किया जाता है।

(घ) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

दूरसंचार क्षेत्र

3116. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने दूरसंचार क्षेत्र में और उदारीकरण करने के लिए द्विपक्षीय मार्ग अपनाने के बावजूद पेटैंट फ्रंट पर वायदों को पूरा न करने की जांच करने के लिये एक पैनल स्थापित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान निकाय से अनुरोध करके व्यापार संबंधी मुद्दों को लेकर भारत पर एक बार फिर दबाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से यह आश्वासन देने का आग्रह किया है कि दूरसंचार के मामले में अब तक जो उदारीकरण हुआ है उससे उलट नहीं होगा; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी इक्विटी भागीदारी आमंत्रित करने की एन जी बी टी की पेशकश में सुधार करने के अलावा नियामक मामलों से संबंधित अन्य प्रतिबद्धताएं कौन सी हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के विवाद-निपटान के शासी नियम व क्रियाविधि संबंधी समझौते (डी.एस.यू.) की धारा 4 के प्रावधानों तथा 2 जुलाई, 1996 को हुए बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार से सम्बद्ध पहलुओं संबंधी करार की धारा 64 के अनुसरण में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने भेषज और कृषि-रसायन उत्पादों के लिए पेटेंट संरक्षण और उस औपचारिक व्यवस्था जो ऐसे उत्पादों के लिए पेटेंट हेतु आवेदन-पत्र भरने की अनुमति देती है और जो ऐसे उत्पादों में अनन्य विपणन अधिकारों की स्वीकृति की अनुमति देती है में भारत की कथित अनुपस्थिति के संबंध में भारत के साथ विचार-विमर्श किया है। यह विचार-विमर्श 27 जुलाई, 1996 को किया गया।

डी.एस.यू. में यह व्यवस्था है कि यदि परामर्श के लिए अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के 60 दिन के भीतर परामर्श द्वारा निपटान नहीं हो सके तो शिकायतकर्त्ता पर आरोप की जांच के लिए पेनल गठित करने के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. के विवाद-निपटान नियम (डी.एस.बी.) से अनुरोध कर सकता है। इन प्रावधानों के अनुसार 7 नवम्बर, 1996 को यू.एस.ए. ने इस विवाद की जांच के लिए पेनल गठित करने का अनुरोध किया है। अपनी 20 नवम्बर, 1996 को हुई बैठक में डी.एस.बी. ने इस अनुरोध पर विचार करने के उपरान्त एक पेनल गठित करने का निर्णय लिया।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत सहित बहुत से देशों से मांग की है कि वे जेनेवा में विश्व-व्यापार संगठन की वार्ताओं में, जिनके 15 फरवरी 1997 तक पूरा हो जाने की संभावना है, अपनी एन.जी.बी.टो. की पेशकशों में सुधार करें।

(घ) भारत ने एन जी बी टी में नियायक नियन्त्रक मुद्दों पर कोई वचनबद्धता नहीं की है।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा पर यूरिया की तस्करी

3117. श्री चिन्तामन वांगा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-नेपाल सीमा पर बड़े पैमाने पर हो रही यूरिया की तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) उक्त में लिप्त तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). अभिग्रहण संबंधी आंकड़ों और आसूचना रिपोर्टों से भारत-नेपाल सीमा पर यूरिया की बड़ी मात्रा में तस्करी किए जाने का पता नहीं चलता है। तथापि, भारत-नेपाल सीमा पर यूरिया की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क हैं। यूरिया की तस्करी में किसी अधिकारी को शामिल नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

प्रमुख आयातक देश

3118. श्री मुखतार अनीस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान भारतीय वस्तुओं का रिकार्ड बनाने वाले 10 प्रमुख आयातक देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन देशों का 1995-96 के दौरान भारत को निर्यात करने वाले देशों की सूची में क्या स्थान है; और

(ग) 1996-97 के दौरान उपर्युक्त दो तरह के देशों में उन देशों के साथ जिनके साथ भारत का भुगतान संतुलन अच्छा है, निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). स्थिति संलग्न विवरण में बताई गई है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान भारत के साथ अनुकूल व्यापार संतुलन रखने वाले देशों सहित सभी देशों के परम्परागत और गैर-परम्परागत तथा मूल्यवर्द्धित निर्यातों के संवर्धन पर बल दिया गया है। सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं : विचार-विमर्शों के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में सुधार करना तथा द्विपक्षीय वाणिज्यिक संधियों का संवर्धन करना; निर्यातों के गुणवत्ता संबंधी सुधार पर विशेष बल देना, नीतियों और क्रियाविधियों का यथापेक्षित सरलीकरण, निर्यात संवर्धन प्रयासों में राज्यों को शामिल करना तथा निर्यातों के लिए ब्रांड छवि में सुधार करने हेतु भारत ब्रांड इक्विटी शुरू करना। निर्यात संवर्धन एक सतत क्रियाकलाप है तथा व्यापार, उद्योग और अन्य निर्यात संवर्धन संगठनों के साथ विचार-विमर्श करके इसमें सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान भारतीय माल के चोटी के 10 आयातक देश		1995-96 के दौरान भारत को वस्तुओं के निर्यातकों की सूची में इन देशों की स्थिति
	सं.	सं.
संयुक्त राज्य अमरीका	1	1
जापान	2	3
यू.के.	3	5
जर्मनी	4	2
हांगकांग	5	19
संयुक्त अरब अमीरात	6	7
बेल्जियम	7	6
रूस	8	13
बंगलादेश	9	29
इटली	10	9

मतदाता सूचियों का संशोधन

3119. श्री संतोष मोहन देव :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग का विचार पंजाब तथा असम को छोड़कर समस्त देश के लिए मतदाता सूचियों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक बैठक की है;

(ग) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बैठक में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई है; और

(घ) पंजाब, असम तथा कश्मीर में मतदाता सूचियों में संशोधन करने के आदेश न देने के क्या कारण हैं तथा प्रक्रिया के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (घ). निर्वाचन आयोग ने, अर्हता की तारीख के रूप में 1-1-1997 के प्रति निर्देश से, पंजाब और असम की बाबत निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करवाने के पहले ही आदेश दे दिए हैं। आयोग ने अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण या अन्यथा का अभी तक विनिश्चय नहीं किया है।

(ख) और (ग). आयोग ने, 3 दिसंबर, 1996 को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। पंजाब और असम को छोड़कर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का मुद्दा बैठक में विचार-विमर्श किए जाने के लिए तय किए गए मुद्दों में से एक था। तथापि, बैठक स्थगित कर दी गई थी और अभी तक कोई नई तारीख नियत नहीं की गई है।

लघु उद्योगों द्वारा निर्यात संबंधी नीति

3120. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में निर्यात में संगठित क्षेत्र की तुलना में लघु उद्योग का हिस्सा कितना है;

(ख) देश में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और संपत्ति सृजित करने में इसका कितना योगदान है; और

(ग) लघु उद्योगों के विकास के लिए क्या दीर्घकातिक नीति तैयार की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) महोदय, डी जी सी आई एण्ड एल द्वारा संकलित व्यापार आंकड़ों में लघु क्षेत्र द्वारा किए गए निर्यात के आंकड़े अलग से नहीं दर्शाए जाते हैं। तथापि, लघु उद्योग विकास आयुक्त के कार्यालय ने सूचित किया है कि वर्ष 1994-95 में हुए 82674.11 करोड़ रुपए के कुल निर्यात में से लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 29068.15 करोड़ रुपए का था जो लगभग 35.15 प्रतिशत है।

(ख) लघु उद्योग विकास आयुक्त के कार्यालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1995-96 में 27.24 लाख लघु उद्योग इकाईयां थीं जिनमें 152.61 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। इन इकाईयों द्वारा देश में अर्जित की गयी पूंजी के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) लघु उद्योग विकास आयुक्त का कार्यालय, लघु उद्योग के विकास और वृद्धि के लिए दीर्घकालिक कार्य-नीति का निर्माण करने के लिए एक नोडल एर्जेसी है। इस कार्य-नीति में शामिल हैं-लघु उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, वित्तीय रियायतें मुहैया कराना, अनन्य रूप से विनिर्माण हेतु वस्तुओं का आरक्षण (इस समय इनकी संख्या 836 है) और इस क्षेत्र द्वारा विनिर्मित उत्पादों की कीमत और खरीद प्राथमिकता जैसे मौजूदा उपायों को जारी रखते हुए नए उपाय करना जैसे पर्याप्त ऋण की व्यवस्था तथा इसकी सुपुर्दगी की गुणवत्ता को सुधारना, एकीकृत बुनियादी सुविधा विकास योजना के जरिए बुनियादी सुविधाओं की सहायता देना, आधुनिकीकरण और गुणवत्ता उन्नयन के लिए अधिक प्रौद्योगिकी सहायता देना, उद्यमिता विकास संस्थानों का विस्तार और स्वयंसेवी अभिकरणों को शामिल करना, पी एम आर वाई योजनाओं के जरिए स्वरोजगार के रूप में विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना और लघु क्षेत्र की सूचना और डाटा बेस को बढ़ाना।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को चाय का निर्यात

3121. श्री जय प्रकाश (हरदोई) **:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को चाय का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1996-97 के दौरान चाय की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). भारतीय चाय का निर्यात पाकिस्तान को पहले से ही किया जा रहा है। 1996-97 के छः महीनों में सितम्बर, 1996 के अन्त तक पाकिस्तान को 90 मैट्रिक टन चाय के निर्यात का अनुमान है। उस देश को भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

चाय उत्पादन संबंधी कार्यबल

3122. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय की संभावित घरेलू खपत तथा निर्यात के लिए उपलब्ध अतिरिक्त मात्रा को मद्देनजर रखते हुए 2010 ईस्वी तक के लिए चाय उत्पादन संबंधी कोई कार्यबल गठित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति

3123. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वार्षिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) को जारी रखने के संबंध में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया अध्ययन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में पूर्णतः सशंकित है तथा "और ज्यादा उदारीकरण के प्रति इसके असंगत होने" की बात करता है;

(घ) क्या मंत्रालय ने किसी स्तर पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में विकास के दो प्रमुख गतिशील पहलुओं, प्रौद्योगिकी क्षमता तथा निर्यात संवर्धन कर इसके प्रभाव के परिणामों की जांच कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रति सरकार की नीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे आधार-ढांचा और निर्यात की क्षमता वाले उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अधिकाधिक प्रवाह को प्रोत्साहित करने की है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भविष्य में हासिल किए जाने हेतु 10 बिलियन डालर के वार्षिक अन्तःप्रवाह का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन में विदेशी निवेश और विदेशी प्रौद्योगिकी (विदेशी सहयोग) से संबंधित मौजूदा नीति की प्रशंसा करते हुए यह कहा गया है कि उदारीकरण की नीति ही विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के अन्तःप्रवाहों की एकमात्र निर्धारक नहीं है और यह भी कि नीतिगत माहौल महत्वपूर्ण होने के बावजूद एकमात्र कारक नहीं है; इसकी अनुपूर्ति विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में अधिक व्यापक आर्थिक माहौल के जरिए की जानी चाहिए। उक्त अध्ययन में इसी संदर्भ में उदारीकरण के उपायों की सार्थकता का उल्लेख किया गया है।

(घ) और (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि नमूना अवधि की सीमाओं के भीतर, विकास के दो प्रमुख गतिशील पहलुओं, अर्थात् प्रौद्योगिकीय क्षमता और निर्यात संवर्धन पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रभाव संबंधी अध्ययन के परिणाम ऐसे दृष्टिकोण को पूरी तरह स्पष्ट समर्थन नहीं करते। इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि प्रौद्योगिकी अंतरण प्रौद्योगिकीय क्षमता का केवल एक घटक है तथा यह अपने आप में प्रौद्योगिकीय प्रगति की गति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सम सामयिक विश्व में विकासशील राष्ट्र की प्रौद्योगिकीय क्षमता का निर्माण बाह्य स्रोतों से प्रौद्योगिकी-आयात, देशीय प्रौद्योगिकी-प्रयासों की मिली-जुली प्रक्रिया तथा इन दोनों के बीच संबंध से होता है। प्रौद्योगिकी आयात देशीय प्रौद्योगिकी प्रयासों को प्रेरित या प्रतिस्थापित कर सकता है। भारतीय उद्योग का प्रौद्योगिकीय घटनाक्रम लागत संबंधी ला॰ . और प्रौद्योगिकी-आयात हेतु अबाधित स्वतंत्रता से प्रभावित होगा। अध्ययन में इस बात का जिक्र किया गया है कि विदेशी सहयोग की फर्मों द्वारा निर्यातों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव संभवतः विशाल और बढ़ते भारतीय बाजार की आकर्षणीयता के कारण दिखाई नहीं देता।

इण्डिया टोबैको कम्पनी लिमिटेड

3124. श्री महबूब जहेदी :
श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यूनाईटेड किंगडम स्थित "बैट" कम्पनी द्वारा आई.टी.सी. के अधिग्रहण के संबंध में किसी पहल को रोकने हेतु वित्तीय संस्थाओं को निर्देश देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य तथा ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ग). आई टी सी लि. के अधिकांश शेयर भारतीय शेयरधारकों (वित्तीय संस्थाओं सहित) के पास हैं। कम्पनी के भविष्य से संबंधित कोई निर्णय अनिवार्य रूप से कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप शेयरधारकों, भारतीय और विदेशी, द्वारा ही लिया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आवास

3125. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विभाग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास को साझे के तौर पर उपयोग करने हेतु कोई दिशा निर्देश तैयार/जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक ये उक्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस संबंध में सरकारी उद्यम विभाग को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है और इस प्रकार इस संबंध में कोई मार्ग-निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फटे पुराने नोट

3126. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फटे पुराने नोटों को बदलने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या देश में काफी संख्या में फटे-पुराने नोट प्रचलन में हैं;

(ग) क्या इन नोटों को बाजार से वापस लौटाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) द्वारा स्थायी निदेशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं को, फटे-पुराने नोटों, की कुछ श्रेणियों सहित खराब करेंसी नोटों के विनिमय के लिए न केवल अपने उपभोक्ताओं, बल्कि अन्यों को भी मुफ्त सुविधाएं देने के लिए अधिकृत किया गया है। जब भी भा.रि. बैंक को शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी जांच की जाती है।

(ख) से (घ). क्षमता सम्बन्धी बाध्यताओं के कारण, देश में नोट प्रिंटिंग प्रेसें, भा.रि. बैंक द्वारा नए नोटों की लगातार बढ़ती हुई आवश्यकता को पूर्णतः पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। यह अन्तराल प्रचालित नोटों को पुनः परिचालन में लाकर पूरा किया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप परिचालन में लगे नोटों की गुणवत्ता में गिरावट आती जा रही है। ऐसे नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालयों द्वारा सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में रखे गए 4000 से भी अधिक करेंसी तिजोरियों तथा सरकारी विभागों और जनता के जरिए चरणबद्ध रूप से वापिस लिया जा रहा है। प्रतिवर्ष औसतन 4000 मिलियन अदद खराब नोट वापस लेकर परिचालन से बाहर किए जाते हैं।

[हिन्दी]

विधायकों को आयकर में छूट

3127. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के विधायकों को वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान आयकर में छूट देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार से दो बार अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसके ब्यौरे भाग (ख) के उत्तर में नीचे दिए गए हैं।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार का प्रथम अनुरोध मध्य प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को कुल 600/-रु. प्रति माह की सीमा तक प्राप्त दूरभाष भत्ते को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड(17) के उप-खण्ड (III) के अन्तर्गत छूट देने के बारे में था। केन्द्रीय सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में कि कुल 600/-रु. प्रति माह की सीमा तक दूरभाष भत्ते को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खण्ड (17) के उप-खंड (III) के अन्तर्गत छूट दी जाएगी, अधिसूचना जारी कर दी गई है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेज दिया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार का दूसरा अनुरोध आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (17) के उपखण्ड (II) में उचित संशोधन करके मध्य प्रदेश सरकार विधान मण्डल के सदस्यों को प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को पूर्ण रूप से छूट देने के बारे में था। जहां तक इस अनुरोध का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि विभिन्न नीतिगत उपायों और कानून में संशोधनों के संबंध में सरकार द्वारा प्रति वर्ष बजट प्रक्रिया के एक भाग के रूप में विचार किया जाता है तथा सरकार के निर्णयों को बजट दस्तावेजों में दर्शाया जाता है। इस स्तर पर कोई टिप्पणी करना सम्भव नहीं होगा।

[अनुवाद]

बंगलादेश के साथ व्यापार समझौता

3128. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश के साथ व्यापार शुरू करने के लिए समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो वस्तुओं के व्यापार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). भारत और बंगलादेश के बीच वर्तमान व्यापार करार पर 4 अक्तूबर, 1980 को हस्ताक्षर हुए थे जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार और संवर्धन करना था। यह करार शुरू में तीन वर्ष की अवधि के लिए था और इसे 8.10.83 से निरन्तर तीन-तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। इस करार को आखिरी बार 4 अक्तूबर, 1995 से तीन वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। यह करार दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को

शासित करता है और इसमें द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित सभी क्षेत्रों में भारत और बंगलादेश के बीच सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था है। इस करार की मुख्य-मुख्य बातें निम्नालिखित हैं :-

1. द्विपक्षीय व्यापार मुक्त परिवर्तनीय मुद्राओं में किया जायेगा,
2. दोनों देश एक दूसरे को परम मित्र राष्ट्र (एम एफ एन) का दर्जा देंगे, और
3. दोनों सरकारें द्विपक्षीय व्यापार के लिए अपने जल मार्गों, रेलमार्गों और सड़कों का इस्तेमाल करने और एक देश से दूसरे देश में दो स्थानों के बीच सामान के पारगमन की अनुमति देंगे।

दोनों देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का व्यापार होता है जिसका ब्यौरा डी जी सी आई एण्ड एस के मासिक प्रकाशन "भारतीय विदेश व्यापार के आकड़े" में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

कृषि क्षेत्र को ऋण

3129. श्री भक्त चरण दास :

श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 1996 के "बिजनेश स्टैंडर्ड" में "इंक्रीज लेडिंग टू फार्म सेक्टर बैंक्स टोल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण इसके लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अत्यंत कम दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान कृषि क्षेत्र को कितनी धनराशि उपलब्ध कराये जाने का विचार है तथा इसके लिए क्या आकलन किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को उधार दें। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की लक्ष्य की तुलना में पिछले 3 वर्षों को उपलब्धि निम्नलिखित है :

वर्ष	निवल बैंक ऋण की तुलना में कृषि अग्रिमों का प्रतिशत (लक्ष्य 18 प्रतिशत)
1993-94	15.05
1994-95	13.91
1995-96	14.29

(ङ) [illegible]वीं पंचवर्षीय योजना पर योजना आयोग के कार्यकारी समूह द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, 1996-97 के दौरान 34,890 करोड़ रुपए की अनुमानित ऋण अपेक्षा है। जैसाकि नाबार्ड ने अनुमान लगाया है, चालू वर्ष के दौरान सम्भावित संवितरण 28800 करोड़ रुपए होगा।

मधुमक्खी पालन

3130. श्री टी. गोविन्दन : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार केरल में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन कालोनियों में शहद के उत्पादन, प्रशिक्षण संवर्धन तथा इससे जुड़े कार्यों संबंधी योजना को कार्यान्वित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग की सीमा के तहत केरल राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को मधुमक्खी पालन उद्योग हेतु मंजूर की गई निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(1)	न्यूनतम राशि	- 20.12 लाख रुपये
(2)	पूंजी व्यय ऋण	- 34.20 लाख रुपये
(3)	कार्यशील पूंजी ऋण	- 27.08 लाख रुपये
(4)	प्रवर्तकों से इक्विटी राशि	- 9.03 लाख रुपये

भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन

3131. श्री विजय पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भारत में निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). मार्च, 1993 में भारत ने एकल, बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दर प्रणाली की ओर अग्रसर हुआ। विनिमय दर में दिन प्रति दिन हुए उतार-चढ़ाव अब

बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं, ऐसे उतार-चढ़ाव आर्थिक मूलाधारों और अल्प-कालिक सट्टेबाजी दोनों को प्रतिबिम्बित करते हैं।

तथापि, 1991-92 में, रुपए में अवमूल्यन हुआ। 1991-92 में अवमूल्यन के बाद, भारत में विदेशी निवेश के प्रवाह में असाधारण वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने इक्विटी की भागीदारी, लाभांश-प्रत्यावर्तन, यूरो इक्विटी और विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश के मानदंडों में छूट दी है।

निवल विदेशी निवेश (एन एफ आई) 1990-91 (पी) के दौरान 68 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 1995-96 (त्व.अ.) के दौरान 4077 मिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। अवमूल्यन वर्ष अर्थात 1991-92 में निवल विदेश निवेश (एन एफ आई) 154 मिलियन अमरीकी डालर का था।

(पी) = प्रारंभिक आंकडे।

(त्व.अ.) = त्वरित अनुमान।

डब्ल्यू.डब्ल्यू.ई.पी.सी. के उपनियम

3132. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वूल एंड वूलेन एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल" (डब्ल्यू.डब्ल्यू.ई.पी.सी.) के उपनियम उनके मंत्रालय के अन्तर्गत इसी प्रकार के अन्य निर्यात संवर्धन परिषद के उपनियमों से भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य परिषदों के उपनियमों के समान ही डब्ल्यू.डब्ल्यू.ई.पी.सी. के उपनियमों को बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (ग). निर्यात संवर्धन परिषदों के उपनियम प्रत्येक से अनेक महत्वपूर्ण मामलों में भिन्न हैं। ऊन तथा ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद के उपनियम अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों के उपनियमों से अलग इसके कार्यकलापों की प्रवृति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।

परिषद सरकार की स्वीकृति से किसी भी समय अपने उपनियमों में संशोधन कर सकती है, यदि ऐसा करने के लिए इसके सदस्य इच्छा व्यक्त करें।

जाली खाते

3133. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **वित्त मंत्री** आयात भुगतान में बैंक धांधली के बारे में 19 जुलाई, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 152 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी बैंकों में जाली खातों के माध्यम से भारतीय विदेशी मुद्रा निकालने में संलिप्त व्यक्तियों/फर्मों/बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार का इस संबंध में व्यक्तियों, फर्मों और भारतीय बैंकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जाली आयात कागजातों के विरूद्ध बम्बई में कतिपय बैंकों के माध्यम से चैनलबद्ध तरीके से निधियों के सन्देहास्पद उपक्षेपण के मामले में जांच जारी है। व्यक्तियों, फर्मों, बैंकों सहित सभी संलिप्तों के विरूद्ध कानून के अन्तर्गत अनुज्ञेय कार्रवाई की जाएगी।

वस्त्र नगर

3134. श्री बी. धर्म भिक्षम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में किसी वस्त्र नगर की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में अन्य पिछड़े वर्ग के रिक्त पद

3135. श्री ओ.पी. जिन्दल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 दिसम्बर, 1996 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में अन्य पिछड़े वर्गों के कितने लोगों के नियुक्त किया गया है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित कोटे को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के बैंकों में, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, सीधी भर्ती में आरक्षण को 8 सितम्बर, 1993 से शुरू किया गया था। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.1995 तक अन्य पिछड़े वर्गों के 1466 व्यक्तियों को 19 राष्ट्रीयकृत बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न संवर्गों में भर्ती किया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भर्ती के लिए संशोधित रोस्टर बनाने के लिए अनुदेश दिए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 8 सितम्बर 1993 के बाद भरी गई सभी रिक्तियों के लिए विशिष्ट नामावली [illegible] पिछड़े [illegible] से भरा जाना, शामिल है।

संयुक्त उद्यमों में विदेशी इक्विटी सीमा में छूट

3136. **श्री तारीक अनवर :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त उद्यमों में विदेशी इक्विटी की उच्च सीमा में छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). यथा निर्धारित विदेशी निवेश नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है ताकि देश में विशेषकर अवसंरचनात्मक क्षेत्र सहित वरीयता/प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे और गतिशील बनाया जा सके।

कपड़े का निर्यात

3137. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण की प्रक्रिया देश के कपड़ा क्षेत्र में नहीं पहुंची है जो अभी भी विभिन्न नियंत्रणों के अधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कपड़े के निर्यात को प्रभावित करने वाले सभी प्रतिबंधों को दूर करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी, नहीं। वस्त्र क्षेत्र को उदारीकरण प्रक्रिया से पर्याप्त लाभ हुआ है।

(ख) तथा (ग). सूती यार्न के अतिरिक्त, सरकार वस्त्रों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। सूती यार्न के मामले में, निर्यातों के लिए एक मात्रात्मक उच्चतम सीमा प्रत्येक वर्ष संबद्ध कारकों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जैसे कि अपरिष्कृत कपास के संबंध में उत्पादन तथा घरेलू मांग, विकेन्द्रीयकृत हथकरघा क्षेत्र के लिए यार्न की आवश्यकता आदि।

तथापि, डब्ल्यू टी ओ के वस्त्रों तथा क्लोदिंग पर करार के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय संघ, नार्वे तथा कनाडा भारत सहित अनेक देशों से वस्त्र तथा क्लोदिंग पदों के निर्यातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध (कोटा) व्यवस्थित करते हैं।

[हिन्दी]

कोयला डिपो से कोयले की चोरी

3138. **प्रो. रीता वर्मा :**
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल स्टेशनों तथा बी.सी.सी.एल. के कोयला डिपुओं से कोयले की भारी मात्रा में चोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोयले की चोरी के सबंध में पुलिस स्टेशनों में कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बी.सी.सी.एल. को कोयले की चोरी से कितनी क्षति हुई है;

(घ) क्या कोयले की चोरी बी.सी.सी.एल. के अधिकारियों तथा सी.आई.एस.एफ. के जवानों की मिलीभगत से होती है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों तथा जवानों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(च) सरकार द्वारा इस चोरी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) भारत कोकिंग कोल लि. में रेलवे साइडिंगों तथा कोयला डिपों से कोयले की चोरी की घटनाएं हुई हैं।

(ख) पुलिस थाने में दर्ज की गई चोरी के मामलों की संख्या संबंधी ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	पुलिस थाने में दर्ज चोरी के मामलों की सं.
1993-94	94
1994-95	49
1995-96	107

(ग) चोरी किए गए कोयले की वास्तविक मात्रा तथा तद्नुरूप भा.को.को.लि. द्वारा उठाई गई हानि का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चोरी गुप्त रूप से होती है। किन्तु पकड़े गए मामलों की संख्या के आधार पर पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वसूल किए गए कोयले की कीमत नीचे दर्शाई गई है :-

वर्ष	वसूल किए गए कोयले की कीमत (लाख रु. में)
1993-94	34.98
1994-95	6.52
1995-96	11.66

(घ) कोयले की चोरी संबंधी इन मामलों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों तथा भा.को.को.लि. अधिकारियों के बीच मिलीभगत को निर्दिष्ट करने वाला कोई भी मामला रिकार्ड में नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(च) चोरी/कोयले की चोरी की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदम निम्नलिखित हैं :-

1. कोयले के स्टाकों के चारों ओर चार-दीवारी का निर्माण/उत्थापन।

2. कोलियरियों तक जाने वाली मुख्य सड़कों पर चेक-पोस्टों की स्थापना।

3. निरीक्षण टावरों की स्थापना तथा कोल स्टाकिंग क्षेत्रों के चारों ओर प्रकाश की व्यवस्था करना।

4. आसूचना को एकत्र करना।

5. स्थानीय पुलिस तथा कोलियरी के सुरक्षा कार्मिकों के साथ आकस्मिक निरीक्षण।

6. कोलियरी सुरक्षा कार्मिकों द्वारा 24 घंटे गश्त लगाया जाना।

7. जोखिमों को दूर करने हेतु एक योजना तैयार करने हेतु जिला प्रशासन के साथ बैठक करना।

8. स्थानीय पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई. आर.) दर्ज करना।

[अनुवाद]

वैश्य बैंक लिमिटेड में अनियमितताएं

3139. श्री आई.डी. स्वामी :

श्री रामसागर :

क्या **वित्त मंत्री** वैश्य बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली में अनियमितताओं के बारे में 12 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 405 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय में यह कहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में निर्धारित किए गए नियमों से हट कर कार्यवाही करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने मांग पत्रों इत्यादि की जेराक्स जाली कापी पर चेक बुक जारी किए तथा जिन्होंने हस्ताक्षर को बगैर जांच किए जाली हस्ताक्षर पर चेकों को मंजूर किया?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि किसी भी पदाधिकारी के लिए यह अनुचित होगा कि वह उसे प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक का उपयोग करे।

(ख) वैश्य बैंक लिमिटेड की कनाट प्लेस, करोल बाग और चांदनी चौक शाखाओं के मामले, धोखाधड़ी या लापरवाही के मामले हैं, न कि प्रत्यायोजित प्राधिकारों से अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के मामले। कनाट प्लेस शाखा में लेनदेन में अन्तर्ग्रस्त तीन अधिकारियों को लापरवाही से चैक जारी करने के लिए संचयी प्रभाव से प्रत्येक को एक वेतन वृद्धि रोक कर दंड दिया गया है। करोल बाग शाखा में लेनदेन में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों को लापरवाही से 17 चैक जारी करने तथा प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने और लापरवाही से चैक बुक जारी करने के लिए भी 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए गये हैं। चांदनी चौक शाखा के मामले में आन्तरिक जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है तथा बैंक द्वारा विभागीय कार्यवाई की जा रही है।

"नाबार्ड" द्वारा किसानों को बैंक ऋण

3140. श्री उत्तम सिंह पवार :

श्री जी. वेंकट स्वामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा चलाए जा रहे विशेष ऋण खाते के अंतर्गत किसानों को ऋणों की स्वीकृति हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गये हैं; और

(ख) देश में राज्यवार विशेषरूप से महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में इस योजना के अंतर्गत कितने किसानों को ऋण दिया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) कमान क्षेत्रों की जोतों पर कार्य करने वाले उन किसानों को, जो संस्थागत ऋण नहीं पाते, कमान क्षेत्र विकास प्राधिकारी (सीएडीए)/भूमि विकास निगम (एलसीडी) द्वारा उनके कृषि विकास कार्यों को हाथ में लेने का अधिकार देने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने एक विशेष ऋण खाता (एसएलए) रखा हुआ है। ऐसे अनिर्वाच्य किसानों के लिए, आकलित व्यय की सीमा तक धनराशियां एसएलए के लिए निश्चित की गई हैं और 37.5 प्रतिशत की सीमा तक सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा और 37.5 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा विशेष जमा के रूप में योगदान दिया जाता है और शेष 25 प्रतिशत नाबार्ड द्वारा अपने संसाधनों में से दिया जाता है।

इस एसएलए को मध्यम दर्जे और दीर्घावधि ऋणों के रूप में देने के लिए वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता के जरिए सीएडीए/एलडीसी को दिया जाता है जिसे वे उन किसानों को भूमि पर विकास कार्य करने के लिए होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए खर्च कर सकें जिन्हें संस्थागत स्रोतों से ऋण नहीं मिल पाता। एसलए से ऋण लेने की वर्तमान दर 9 प्रतिशत वार्षिक है। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा सीएडीए/एलसीडी को दिए गए ऋण की वापसी करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपरिवर्तनीय गारंटी देनी अपेक्षित होती है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"नाबार्ड" की ब्याज दरें

3141. श्री सनत मेहता : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाबार्ड" ने 1996-97 के बजट के बाद [illegible] आवधिक ऋण के लिए राज्य स्तर के सहकारी बैंकों को दिये गये [illegible] पर ब्याज की दर बढ़ाई है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी वृद्धि का राज्य के सहकारी बैंकों पर अनुमानतः कितना भार पड़ने को संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहकारी बैंकों को दिए गए अल्पकालीन मौसमी कृषि परिचालनों (एसटीएसएओ) ऋण सीमाओं पर ब्याज दर 3 प्रतिशत वार्षिक से 6.5 प्रतिशत वार्षिक के बीच निर्धारित की जाती थी जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी) के पास (एस टी एस ए ओ) बकाया ऋणों की तुलना में राज्य सहकारी बैंकों (एस सी बी) को नाबार्ड से प्राप्त उधारों की प्रतिशतता पर निर्भर करता है। इन दरों में 1 जुलाई, 1996 से निम्न प्रकार संशोधन किया गया है :-

पी ए सी बकाया (एस टी एस ए ओ) ऋणों की तुलना में नाबार्ड से प्राप्त एस सी बी के उधारों की प्रतिशतता	ब्याज की दर (प्रतिशत वार्षिक)
35 से कम	5.0
35 और उससे अधिक परन्तु 40 से कम	5.5
40 और उससे अधिक परन्तु 45 से कम	6.0
45 और उससे अधिक परन्तु 50 से कम	6.5
50 और उससे अधिक परन्तु 55 से कम	7.0
55 और उससे अधिक	7.5

वाणिज्यक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भूमि विकास बैंकों को मध्यावधि और दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज को दर में 1.8.1995 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता सहकारी बैंकों के कुल संसाधनों का मात्र एक भाग है। उपरोक्तानुसार पुनर्वित्त सहायता की दर में बढ़ोत्तरी के कारण, निधियों की लागत में भी कुछ बढ़ोत्तरी हो सकती है और इसलिए अर्थक्षम उधार दरों में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है, तथापि सम्भवतः बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सहकारी ऋण संस्थानों द्वारा अंतिम हिताधिकारी से लिया जाने वाला ब्याज दर उन्हें उचित रूप से क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करता है।

पशुधन उत्पाद का निर्यात

3142. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुधन उत्पादों के निर्यात में संवर्धन की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किये गए हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुधन उत्पादों के निर्यात का कार्यनिष्पादन क्या रहा है; और

(घ) नौंवी योजना हेतु क्या अनुमान लगाया गया है?

वाणिज्य मंत्री के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, हां। विभिन्न प्रकार के पशुधन-उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपायों में ये शामिल हैं :-

1. नए बाजारों का पता लगाना;
2. प्रोसेसिंग सुविधाओं का निरीक्षण करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए विदेश से शिष्टमण्डलों को आमंत्रित करना;
3. अंडे के उत्पादों का आयात करने वाले देशों की सूची में भारत का नाम शामिल करने के लिए ई यू से अनुरोध करना;
4. निर्यात (गुणवत्ता, नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत कच्चे मांस (चिडल/फ्रोजन) का निर्यात करने के लिए मानकों को अधिसूचित करना;
5. यह सुनिश्चित करने के लिए मांस प्रसंस्करण सुविधाओं का आवधिक निरीक्षण करना कि ऐसी सुविधाएं निर्यात (गुणवत्ता, नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत निर्धारित किए गए गुणवत्ता संबंधी मानदण्डों के अनुरूप हों;
6. बाजार विकास, ब्रांड प्रचार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग का विकास, सरकारी क्षेत्र में मांस प्रोसेसिंग सुविधाओं का उन्नयन, बूचरखानों का आधुनिकीकरण, आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;
7. संवर्धनात्मक अभियान, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(ग) और (घ). आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान पशुधन उत्पादों के निर्यात निम्नानुसार रहे :-

मूल्य : करोड़ रुपए में

1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (अप्रैल-सितम्बर, 96)
368.89	464.14	539.96	779.88	379.56

नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पशुधन उत्पादों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

औद्योगिक गैस उद्योग में निवेश

3143. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक गैस उद्योग में अत्यधिक निवेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नाम-वार भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा किए गए निवेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये निवेश कब किया गया था प्रत्येक कंपनी द्वारा औद्योगिक गैस उद्योग में डॉलर तथा रुपये में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन सभी स्वदेशी और विदेशी औद्योगिक गैस इकाइयों की उत्पादन क्षमता क्या है; और

(ङ) इन कंपनियों द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ङ). औद्योगिक गैस उद्योग में आक्सीजन, कार्बनडाईआक्साइड, विघटित एसीटिलीन, नाइट्रस आक्साइड, नाइट्रोजन तथा आर्गन शामिल हैं। यह उद्योग अनिवार्य लाइसेंसीकरण से मुक्त हैं। इकाइयों को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर करने होते हैं जिनमें क्षमता, प्रस्तावित निवेश आदि देने होते हैं। इस क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये निवेश संबंधी विवरण इस प्रकार हैं :-

वर्ष	दायर किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन			
	इकाइयों की संख्या	क्षमता		निवेश (रु. करोड़ में)
		गैस, कार्बन डाई आक्साइड, को छोड़कर (लाख घन मीटर में)	कार्बन डाई आक्साइड (टन में)	
1994	33	1943	10940	381
1995	41	1253	10500	191
1996 (अगस्त तक)	17	8609	40000	282

इन प्रस्तावों में से कुछेक के विवरण अर्थात् कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम व देश तथा डालर व रुपयों के रूप में इक्विटी भागीदारी संबंधी विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूजलैटर के पूरक के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती है।

देश में औद्योगिक गैसों का उत्पादन मुख्य रूप से घरेलू बाजार के लिए होता है। इन कंपनियों की विदेशी मुद्रा संबंधी आय की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है।

करों की अवैध वसूली

3144. श्री रामसागर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1996 के "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" के "इल्लीगल टैक्स कलैशन इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए स्कैंडलः चिन्नैया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) लिप्त अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कराधान कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत ही कर वसूले जाते हैं। कर वसूलने वाली एजेन्सियों के निर्णयों की पुष्टि नहीं होना वसूली को गैर कानूनी नहीं बनाता न ही इससे कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई का आधार बनता है।

(घ) कर प्रशासन का आधुनिकीकरण एवं सुधार लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लिया गया।

गुजरात में सहकारी बैंकों को घाटा

3145. श्री एन.जे. राठवा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में अनेक सहकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान और 1996 में आज तक उनमें से प्रत्येक बैंक को कितना घाटा हुआ है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा कितना प्रशासनिक व्यय किया गया है; और

(घ) इस हानि को रोकने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के विभिन्न बैंकों में कर्मचारियों की कमी

3146. श्री अशोक प्रधान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषतः खुर्जा क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की विभिन्न शाखाओं में कर्मचारियों

की अत्यधिक कमी है जिससे बैंक के ग्राहकों को अत्यंत कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो बैंक की शाखाओं का ब्यौरा क्या है जहां कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है;

(ग) ये पद कब से रिक्त हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जब्त की गई तस्करी की वस्तुओं का मूल्य

3147. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मुम्बई तथा दिल्ली के विमानपत्तनों पर जब्त की गई तस्करी की वस्तुओं का वर्ष-वार मूल्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन मामलों में शामिल एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मतदाता पहचान पत्र

3148. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री मोहन रावले :
श्री जय प्रकाश (हरदोई) **:**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चुनाव प्रयोजनार्थ बने मतदाता पहचान पत्रों को अन्य प्रयोजनार्थ भी प्रयोग में लाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने निर्वाचन आयोग के माध्यम से राज्य सरकारों को कहा है कि वे मतदाताओं को 31 मार्च, 1997 से पहले पहचान पत्र जारी कर दें?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

[अनुवाद]

स्वरोजगार योजना का वित्त पोषण

3149. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में स्वरोजगार योजनाओं के वित्त पोषण में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का क्या योगदान रहा;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान इन बैंकों ने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण और शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार हेतु वित्त पोषण व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान प्रमुख स्व-रोजगार योजनाओं अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (एसयूएमई) और प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत वित्त पोषण के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन विवरण में दिया गया हैं।

(ग) स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए हिदायतें जारी की गई हैं कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए), जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) और जिला शहरी विकास एजेंसी (डीयूडीए)/ शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) जैसे प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा संस्तुत आवेदनों का निपटान यथाशीघ्र कर दिया जाता है और साथ ही बैंकों एवं प्रायोजक एजेंसियों को मंजूरी पूर्व और संवितरण पूर्व औपचारिकताएं पूरी करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।
2. इन स्व-रोजगार योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की प्रत्येक राज्य में राज्य और जिला स्तरों पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एस एल बी सी) और जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) की बैठकों में समीक्षा की जाती है।
3. पी एम आर वाई और आई आर डी पी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति को निगरानी करने के लिए उप गवर्नर के समग्र प्रभार के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में एक निगरानी कक्ष का गठन भी किया गया है; और
4. सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं को

कार्यान्वित करने वाले प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी करने और जहां कहीं आवश्यक हो, वहां उपचारात्मक सुझाव देने के लिए, केन्द्रीय स्तर पर उच्च शक्ति प्राप्त समितियों का गठन भी किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1993-94, 1994-95 और 1995-96 तथा चालू वित्तीय वर्ष (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (एस यू एम ई) और प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) नामक विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन को दर्शाने वाला विवरण

(संख्या लाख में)

	वर्ष	लक्ष्य	*वास्तविक उपलब्धि
समन्वित ग्रामीण	1993-94	25.69	25.38
विकास कार्यक्रम	1994-95	21.15	21.12
(आईआरडीपी)	1995-96	उ.न.	15.02
	1996-97	उ.न.	3.09
	(30 सितम्बर, 1996 तक)		

	वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत	संवितरित
शहरी व्यष्टि उद्यम	1993-94	1.23	1.83	1.49
योजना (एसयूएमई)	1994-95	1.20	1.44	1.18
	1995-96	1.17	1.18	0.93
	1996-97	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	(30 सितम्बर 1996 तक)			

	वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत	संवितरित
प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई)	1994 (अक्तूबर 1993 से मार्च 1994)	0.42	0.32	0.21
	1994-95	2.20	1.94	1.11
	1995-96	3.21	2.94	1.63
	1996-97	2.93	0.62	0.25
	(30 अक्तूबर, 1996 तक)			

उ.न. उपलब्ध नहीं

* आई आर डी पी के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के अंतर्गत उल्लिखित संख्या परिवारों की संख्या की द्योतक है।

बाल मजदूर

3150. **श्री एल. रमना :**

श्री अय्यन्ना पटरुधु :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन उद्योगों में, जिनका सामान अमरीका को निर्यात किया जाता है कार्यरत बच्चों और मजदूर के रूप में न लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बाल मजदूर निरीक्षक नियुक्त करने से संबंधित अमरीकी कानून पर आपत्ति दर्ज करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). यद्यपि, भारत सरकार को प्रस्तावित यू एस कानून के बारे में कोई निश्चित सूचना नहीं है, लेकिन वह ऐसे किसी भी राज्य क्षेत्रातीत कानूनों का विरोध करेगा जिससे कि बाल-श्रम की अग्रस्तता सुनिश्चित करने के लिए भारत में बाल-श्रम निरीक्षकों को तैनात करने का अधिकार मिल जाता हो।

[हिन्दी]

विदेशी निवेशक

3151. **श्री सत्यदेव सिंह :**

श्री अमर पाल सिंह :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 नवम्बर, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "हालत यही रही तो विदेशी निवेशक वापस चले जायेंगे" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विदेश निवेशकों की संख्या बढ़ाने के लिए अपनी नीति की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (घ). जी, हां। सरकार विदेशी निवेश के लिए विशेषकर यदि वह विदेशी निवेश आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंध व्यवस्थाओं को लाने और देश में निर्मित उत्पादों के लिए नये बाजार बनाने की दशा में हों, उपर्युक्त निवेश-परक माहौल बनाने हेतु उचित उपाय कर रही है।

जुलाई, 1996 से अक्तूबर, 1996 तक की अवधि में 17026.77 करोड़ रु. के बराबर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदित किया गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में अनुमोदित 4689.34 करोड़ रु. को

तुलना में $3^1/_2$ गुना अधिक है। 1996 में उसी अवधि में वास्तविक प्रवाह बढ़कर 2402.05 करोड़ रु. हो गया है जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में यह 2189.18 करोड़ रुपया था।

उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए यह सिद्ध होता है कि विदेशी निवेशकों के विश्वास में पर्याप्त वृद्धि हुई है और अब वे भारत को निवेश के लिए उचित स्थान की दृष्टि से देखते हैं। अतः उनके वापस चले जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

अफ्रीका को घटिया किस्म की वस्तुओं का निर्यात

3152. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 नवम्बर, 1996 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" के "इंडियन्स सेंड वस्ट गुड्स टू अफ्रीका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या युगांडा के व्यापार समुदाय के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भारत का दौरा किया है और उसने भारतीय व्यापारियों द्वारा युगांडा को निर्यात की गई वस्तुओं की घटिया किस्म के संबंध में आलोचना की;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने नई दिल्ली में हुई बैठक में लगाए गए आरोपों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अफ्रीका को भेजे जाने वाले वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (च). सरकार ने दिनांक 19 नवम्बर, 1996 को "दि टाइम्स ऑफ इंडिया के "इंडियन्स सेंड वस्ट गुड्स टू अफ्रीका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को नोट किया है। यद्यपि भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली ने युगान्डा से एक व्यापारी शिष्टमण्डल को आमंत्रित किया है, तथापि युगान्डा के आयातकों द्वारा निर्यातकों के खिलाफ घटिया गुणवत्ता वाला सामान निर्यात किए जाने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। तथापि, भारतीय निर्यातकों द्वारा विदेशों को गुणवत्ता सामान का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

- निर्यात (गुणवत्ता, नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत अधिसूचित वस्तुओं के लिए गुणवत्ता मानकों का निर्धारण करना;
- गुणवत्ता प्रमाणन कार्य को पूरा करने के लिए कतिपय गैर-सरकारी निरीक्षण अभिकरणों को मान्यता देना;
- पैकेजिंग समेत गुणवत्ता बनाए रखने की पद्धति के बारे में विनिर्माताओं और निर्यातकों को शिक्षित करने के लिए सेमीनारों और कार्यशालाओं का आयोजन;
- भारतीय उद्योग के गुणवत्ता सामान को प्रदर्शित करने के लिए विदेशों में प्रदर्शनियों का आयोजन;

  भारतीय उद्योग (सीआईआई) में पहले ही स्थापित सकल गुणवत्ता प्रबंधन प्रभाग द्वारा आई एस ओ 3000 सीरीज के तहत पंजीकृत विनिर्माण प्रक्रिया में गुणवत्ता संबंधी प्रणाली विकसित होने पर अपने सदस्यों को सहायता देने का प्रावधान।

भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3153. प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (कर्मचारी) विनियमन, 1948 के विनियम 26 के उप-विनियम (3) के अनुसार, जिस कर्मचारी ने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने की लिखित सूचना देने के बाद स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो सकता है। इसके अलावा, उपर्युक्त उप-विनियम (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियमन, 1990 द्वारा नियंत्रित कोई भी कर्मचारी 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने के बाद किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने की लिखित सूचना देने के बाद स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो सकता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एच.ई.सी. के माध्यम से खरीद

3154. श्री राम टहल चौधरी :
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोयला कंपनियों के लिए एच. ई.सी. से खरीदे गए यंत्रों का ब्यौरा क्या है तथा उनका अलग-अलग मूल्य कितना है;

(ख) क्या एच.ई.सी. द्वारा निर्मित यंत्रों को सीधे एच.ई.सी. से खरीदने की बजाय निजी क्षेत्र की पार्टियों से खरीदा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि एच.ई.सी. द्वारा निर्मित यंत्रों को कोयला कंपनियां ही खरीदें, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा शावेल तथा पुर्जों के लिए एच.ई.सी. को आर्डर दिए गए। एच.ई.सी. को दिए गए आर्डरों की कीमत नीचे दर्शाई गई है :-

(लाख रुपए में)

कम्पनी	1993-94	1994-95	1995-96
को.इं.लि.	3831.85	4912.24	2554.45

(ख) और (ग). एच.ई.सी. द्वारा निर्मित उपकरण अन्य कम्पनियों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों ही द्वारा भी बनाए जाते हैं। आर्डर खुली निविदाओं के आधार पर दिए जाते हैं।

कोयले के नए भण्डार

3155. डा. रामचन्द्र डोम : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल विशेषकर बीरभूम जिले में कोयले के भडार के नए क्षेत्रों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में पश्चिम बंगाल में कोयले के और अधिक नए भंडारों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) तथा (ख). भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा कोयले के क्षेत्रीय अन्वेषण किए जाने के समय निम्न नए कोयला भंडारों को विनिर्दिष्ट किया गया है :— वीरभूम कोलफील्ड्स के दीवानगंज-हरियासिवा-पचमी-जेलकाया-गरिया क्षेत्र, रानीगंज कोलफील्ड के बीरभूम जिला तथा डोमरा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिला। 1.1.1996 की स्थिति के अनुसर बीरभूम तथा रानीगंज कोल्फील्ड्स के इन क्षेत्रों में कोयले के भंडार क्रमशः 3180.23 मि.टन तथा 937.77 मि.टन आकलित किए गए हैं।

(ग) जी.एस.आई. द्वारा पश्चिम बंगाल के विस्टपुर-दांडेश्वर क्षेत्र, बर्दवान जिला तथा दामोदर-पार क्षेत्र तथा बांसपेता लिमजिद क्षेत्र, रानीगंज कोलफील्ड के बांकुरा जिला के कोयले के क्षेत्रीय अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है। निम्नलिखित क्षेत्र में क्षेत्रीय अन्वेषण/स्काउट ड्रिलिंग संबंधी कार्य शुरू किए जाने के लिए जी.एस.आई. के पास एक कार्यक्रम है : प. बंगाल के बुरूलिआ, बर्दवान जिले के बारूल-बागदिहा क्षेत्र, रानीगंज कोलफील्ड्स और बालुरघाट-पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी दिनाजपुर क्षेत्र।

व्यापार मेला

3156. श्री कचरु भाऊ राउत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्राधिकरण (आई.टी.एफ.) व्यापार मेले में राज्यों के सभी मंडपों को अपनी वस्तुओं के प्रदर्शन तथा बिक्री की अनुमति है;

(ख) क्या महाराष्ट्र मंडप को इस सुविधा से वंचित रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को अपनी वस्तओं के प्रदर्शन तथा बिक्री के संबध में अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). मेले की अवधि के दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य सरकारों के मण्डपों में मदों के प्रदर्शन और बिक्री की पहले से ही अनुमति है। आई.टी.पी.ओ. ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। तथापि, इन मण्डपों में की गई बिक्रियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के नियमों और विनियमों के अधीन हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"भेल" द्वारा निर्यात

3157. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान "भेल" द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और इससे कितना लाभ हुआ; और

(ग) "भेल" के कार्यनिष्पादन को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) गत तीन वर्षों में चालू वर्ष की प्रथम छमाही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) का निर्यात-निष्पादन निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपये में)

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (सितम्बर तक*)
माने गए	605	668	727	270
वास्तविक	240	141	115	27
योग	845	809	842	297

* गैर लेखा-परीक्षित (अनंतिम)

(ख) उपर्युक्त अवधि में भेल द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा तथा प्राप्त लाभ निम्नानुसार है

(करोड़ रुपयें में)

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (सितम्बर तक*)
विदेशी मुद्रा अर्जन (माने गए निर्यात को छोड़कर)	254.56	151.21	123.54	30.00
कर पूर्व लाभ	317.30	365.10	582.30	120.56

*गैर लेखा-परीक्षित (अनंतिम)

(ग) भेल 1971-72 से लाभ कमा रहा है और 1996-97 से, बिना किसी व्यवधान के सरकार को लाभांश का भुगतान कर रहा है। इसने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रदर्शन किया है तथा अपने समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार द्वारा, परिवर्तित हो रहे व्यावसायिक परिवेश में लचीलापन दर्शाया है।

भेल के प्रमुख कार्यनिष्पादन संसूचक निम्नानुसार हैं :-

	1994-95 (करोड़ रुपये)	1995-96 (करोड़ रुपये)	1994-95 (पर वृद्धि	1996-97 (सितम्बर, 96 तक*) करोड़ रु.	1995-96 (पर वृद्धि (सितम्बर, 1996 तक*)
कारोबार	4094	4833.5	18.1%	2041.00	15.0%
कर पूर्व लाभ	365	582.3	59.5%	120.56	49.0%
कर पश्चात लाभ	141	350.2	148.5%	68.72	41.0%

* गैर लेखा-परीक्षित (अनंतिम)

बिजली के अपने कारोबार के मूल क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित रख्र रहने के अलावा, भेल अनेक उभरते हुए बाजार क्षेत्रों में कारोबार की संभावनाओं पर सक्रियता से कार्रवाई कर रहा है और बिजली तथा गैर-बिजली सैक्टरों, दोनों हो में अधिक कारोबार प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय कर रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक डेट इंटरचेंज परियोजना

3158. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार आयातकों तथा निर्यातकों हेतु इलेक्ट्रॉनिक डेट इंटरचेंज (एफ.डी.आई.) परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इलेक्ट्रॉनिक डाक्यूमेंट प्रोसेसिंग शुरू किए जाने से सौदे करने में कम समय लगेगा तथा इसके अलावा लेन-देन लागत में भी कमी आयेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के कार्यान्वयन हेतु सरकार ने तीन मुख्य प्रदर्शनियां आयोजित की थीं;

(च) यदि हां, तो वे तीन मुख्य प्रदर्शनियां कौन-कौन से तथा उन्हें कब और कहां आयोजित की गई थी; और

(छ) सरकार को इन प्रदर्शनियों का क्या लाभ हुआ था तथा प्रत्येक प्रदर्शनी पर कितनी राशि खर्च हुई थी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय जो भारत में ईडीआई के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है, इस परियोजना का सभी सरकारी विनियमनकारी एवं सुविधाप्रदत्त अभिकरणों, यथा सीमाशुल्क, विदेश व्यापार महानिदेशालय, बैंक, पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इत्यादि के साथ समन्वय कर रहा है। (यद्यपि स्वयं क्रियान्वित नहीं कर रहा है।)

वाणिज्य मंत्रालय इन सभी अभिकरणों को एशिया क्षेत्र में ईडीआई के क्रियान्वयन के लिए यू.एन/एशिया ईडीआईएफएसीटी बोर्ड, क्षेत्रीय यू एन आर्म के परामर्श से आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहा है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय के ईडीआई के संवर्धन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (फिओ) को यह जिम्मेवारी सौंपी गयी है कि वे आयातकों एवं निर्यातकों में ईडीआई के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यशाला और सेमीनारों का आयोजन करें। इस मंत्रालय ने भारतीय इलैक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेन्ज परिषद् का गठन किया है जो सभी प्रमुख सरकारी विभागों और व्यापार एवं उद्योग के प्रमुखों का शीर्षस्थ निकाय है और यह ईडीआई के लिए नीति निर्देशक सिद्धान्तों के निर्माण के लिए

उत्तरदायी है। अन्य कार्यस्तरीय समितियां इस परियोजना के प्रचालन के लिए कार्यरत हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इलैक्ट्रानिक प्रलेखन प्रक्रिया की शुरूआत एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वाणिज्यिक अथवा प्रशासनिक लेन-देन का इलैक्ट्रानिक स्थानान्तरण है जिसमें व्यापक रूप से सहमत मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। वस्तुतः यह एक ऐसी व्यापार प्रणाली है जिसमें कागज का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रणाली से प्रशासनिक खर्च कम होते हैं, कागजों का कम इस्तेमाल होता है और डाक बिल कम आता है। इससे फालतू और अथवा दोहरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है जिससे शारीरिक प्रक्रिया-लागत में कमी आती है और इसके अतिरिक्त यह स्टॉक में रुकी धनराशि को भी कम करता है।

(ङ) जी, हां।

(च) इस मंत्रालय ने 27 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 1996 तक नई दिल्ली में तीन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय ईडीआई समारोहों का आयोजन किया। ये समारोह हैं :-

1. 13वीं एशिया एडिफैक्ट बोर्ड मीटिंग
2. चौथा यूएन/एस्कैप नैटवर्क ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन
3. ईडीकोम"96 (ईडीआई पर एशिया प्रशान्त सम्मेलन एवं प्रदर्शनी)

(छ) इन समारोहों का आयोजन करने के लाभ निम्नलिखित हैं :-

- ईडीआई में हुए विश्वव्यापी विकास का भारत में प्रदर्शित करना।
- इससे सम्भावित ईडीआई कार्यकर्त्ताओं/प्रयोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न हुई।
- इन बैठकों के दौरान, भारतीय संगठनों को अपनी परियोजनाओं के बारे में विश्वभर से आमंत्रित ईडीआई विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।
- चूंकि इन बैठकों में लगभग 200 विदेशी भागीदारों ने भाग लिया, इसलिए उनके प्रवास के जरिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी।

  व्यय संबंधी विवरण-पत्र संकलित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारियों का मांग पत्र

3159. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ ने हाल ही में सरकार को अपना एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या प्रमुख मांगें रखी गयी हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संगठन और अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक अधिकारी संगठन ने एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एन आर बी आई) के गठन, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की अनुमति देने वाले मार्गनिर्देशों को वापस लिये जाने और 1993से वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों/अधिकारियों और भारतीय बैंक संघ (आई बी ए) के बीच हुए विभिन्न समझौतों और करारों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों पर लागू करने की मांग की गई है।

जहां तक सभी आर आर बी का विलय करके एन आर बी आई के गठन का संबंध है, विलय सहित विभिन्न विकल्पों पर सरकार द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अलग-अलग मामलों के आधार (स्टैंड-अलोन बेसिस) पर पुनर्गठित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

गैर-सरकारी स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की स्थापना के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इनसे ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में ऋण वितरण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने की अपेक्षा की जाती है।

जहां तक वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों/अधिकारियों और आई बी ए के बीच हुए छठे द्विपक्षीय समझौते को आरआरबी के कर्मचारियों पर भी लागू करने का संबंध है, इस मामले को कुछेक आर आर बी कर्मचारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया था। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने कोई राहत मंजूर नहीं की और इसके विपरीत यह टिप्पणी की कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत वे राहतों की मांग कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की जांच करने तथा उसमें यथोपेक्षित और व्यवहार्य परिवर्तन के लिए तीन सदस्यीय एक समिति नियुक्त की गई है।

राज्य व्यापार निगम के कार्य

3160. श्री अमर पाल सिंह : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार हेतु निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उदारीकृत आर्थिक नीति के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को उन क्षेत्रों में पदार्पण करना उचित है जहां क्षेत्र राष्ट्रीय हित को पूरा करने में सक्षम हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्तमान नीति में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (च). अनेक मदों के आयात और निर्यात, जिनका पहले सरणीयन एसटीसी के जरिए किया जाता था, का सरणीयन समाप्त करने के परिणामस्वरूप, सरकार इसकी पूर्व स्थिति में इस ढंग से बहाली की जरूरत की समीक्षा करती रही है जो उदारीकृत अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धी वातावरण के अनुरूप हो। प्रचलित उदारीकृत पर्यावरण में अपने कारोबार और लाभप्रदता का विस्तार करने के प्रयास में अपने व्यापारिक कार्य-कलापों की पूर्वस्थिति में बहाली की प्रक्रिया के रूप में एसटीसी ने अपनी पुनर्संरचना की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है जिसमें शामिल हैं-अपने सांझेदारों की बाजार शक्ति तक निरन्तर पंहुच प्राप्त करने के लिए भारतीय सांझेदारों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना और वचनबद्धता आधार पर सुनिश्चित आपूर्ति आधार का निर्णय करना।

इलायची का उत्पादन

3161. श्री के.एच. मुनियप्पा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान देश में और विशेषकर कर्नाटक एवं केरल में इलायची का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) देश में इलायची उत्पादन को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). जी, हां। पिछले 3 (तीन)वर्षों के दौरान छोटी इलायची के उत्पादन का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :-

उत्पादन (एम.टी.)

वर्ष	कुल (सम्पूर्ण भारत)	कर्नाटक	केरल
1993-94	6600	1510	4430
1994-95	7000	1580	4720
1995-96(अन.)	7900	1745	5380

(ग) इलायची के उत्पादन/उत्पादकता में सुधार करने के लिए सरकार/मसाला बोर्ड द्वारा अनेक विकासपरक योजनाओं को लागू किया जा रहा है; वे हैं :-

(1) गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन और आपूर्ति;

(2) पुराने, रूग्ण बागानों के पुनर्रोपण के लिए सहायता प्रदान करना;

(3) सिंचाई/भूमि विकास कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान करना; और

(4) ज्यादा उपज वाली इलायची की किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान क्रियाकलाप।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में रिक्त पद

3162. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :
श्री विजय पटेल :
श्री मुख्तार अनीस :
श्री राम नाईक :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1996 को उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है;

(ख) न्यायालय-वार 1 अप्रैल, 1996 को उक्त न्यायालय में कितनी रिक्तियां हैं जो अभी तक भरी नहीं गई हैं;

(ग) न्यायालय-वार अप्रैल-सितंबर, 1996 के दौरान स्वीकृत अतिरिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(घ) न्यायालय-वार उक्त अविध के दौरान न्यायाधीशों की कितनी नियुक्तियां की गई हैं;

(ङ) उक्त न्यायालयों में कार्यरत मौजूदा न्यायाधीशों में से कितने न्यायाधीश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के हैं; और

(च) देश में न्यायाधीशों की इन रिक्तियों को न्यायालय-वार भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (घ). उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1 अप्रैल, 1996 को, स्वीकृत पदों और रिक्त पदों तथा अप्रैल-सितंबर, 1996 के दौरान स्वीकृत किए गए अतिरिक्त पदों की संख्या और नियुक्त्यिों की संख्या को दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संबंध में जाति या व्यक्तियों के वर्ग के आधार पर कोई आरक्षण न होने के कारण जाति या वर्ग आदि के संबंध में अलग से जानकारी नहीं रखी जाती है।

(च) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विद्यमान रिक्त पदों को भरने के लिए संबद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया चल रही है।

विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या	रिक्त पद	अप्रैल-सितंबर, 1996 के दौरान स्वीकृत किए गए अतिरिक्त पद	अप्रैल-सितंबर, 1996 के दौरान की गई नई नियुक्तियां
1.	इलाहाबाद	71	2	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	38	2	2	4
3.	मुंबई	54	11	5	9
4.	कलकत्ता	48	7	-	-
5.	दिल्ली	31	2	-	2
6.	गोवाहाटी	18	1	-	-
7.	गुजरात	32	4	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	8	-	-	-
9.	जम्मू और कश्मीर	11	-	-	-
10.	कर्नाटक	34	1	-	-
11.	केरल	26	3	2	2
12.	मध्य प्रदेश	34	6	-	-
13.	मद्रास	29	4	-	-
14.	उड़ीसा	15	2	-	-
15.	पटना	37	8	-	5
16.	पंजाब-हरियाणा	37	3	-	2
17.	राजस्थान	26	2	6	8
18.	सिक्किम	3	1	-	-
	जोड़	550	59	15	32
II.	उच्चतम न्यायालय	26	1	-	-

कोल इण्डिया द्वारा अर्जित लाभ

3163. श्री नवल किशोर राय :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड सहित सभी कोयला उत्पादक औद्योगिक एककों द्वारा लाभ अर्जित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कोल इंडिया लि. की प्रत्येक स[illegible]क कम्पनी द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) क्या [illegible].आई.एल द्वारा चालू वर्ष के दौरान भी लाभ अर्जित करने की [illegible]भावना है;

(घ) यदि हां, तो सहायक कम्पनीवार कितना लाभ अर्जित होने का अनुमान है;

(ङ) मार्च, 1996 तक कोयला उद्योग में कुल कितना निवेश किया गया; और

(च) कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किए जाने के समय कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि.की सहायक कंपनी कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के सीधे नियंत्रणाधीन नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (स.को.

कं.लि.) द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि (-) की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :-

(सी.पी.आर.ए. के बाद)
(करोड़ रुपए में)

	1993-94	1994-95 (एम.ओ.यू के बाद)	1995-96
ई.को.लि.	-70.40	-108.47	154.67
भा.को.को.लि.	21.56	154.63	102.26
से.को.लि.	62.06	-118.96	-1.43
ना.को.लि.	225.23	190.00	179.47
वे.को.लि.	31.59	71.57	98.59
सा.ई.को.लि.	139.84	91.78	76.96
म.को.लि.	21.27	68.01	24.75
के.खा.आ.डि.सं.लि.	2.64	2.77	3.37
ना.ई.को.	33.47	-13.14	-27.20
जोड को.ई.लि.	400.32	29.73	611.44
सि.को.कं.लि.	16.26	24.99	-190.80

(ग) और (घ). 1996-97 के चालू वित्तीय वर्ष के लिए कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों से संबंधित लाभ अथवा हानि की स्थिति, कंपनियों के लेखों की लेखा परीक्षा के बाद ही पता लगेगी तथा उन्हें कोल इंडिया लि. की वार्षिक आम बैठक, जिसे सितम्बर, 1996 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है, में अंगीकृत किए जाएंगे।

(ङ) 31.3.96 की स्थिति के अनुसार कोयला उद्योग में किए गए कुल पूंजी निवेश 19,400.47 करोड़ रुपए की राशि का है।

(च) मार्च, 1993 तक राष्ट्रीयकरण के समय कोयला उद्योग में सरकार द्वारा किया गया कुल पूंजी निवेश 252.06 करोड़ रुपए की राशि का था।

शराब के लिए लाइसेंस

3164. श्री मनहरण लाल पांडेय : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक आई.एम.एफ.एल. (भारत में निर्मित विदेशी शराब) को कितन लाइसेंस जारी किये गये हैं तथा उनकी क्षमता सहित उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक लाइसेंसशुदा एककों ने लाइसेंस में निर्धारित क्षमता से कहीं ज्यादा शराब बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार अपनी लाइसेंस में निर्धारित क्षमता से ज्यादा शराब बनाने वाले एककों को दण्डित करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

उद्योग मंत्री (मुरासोली मारान) : (क) आई.एम.एफ.एल. सहित पेय अल्कोहल की नई क्षमता के सृजन के लिये सितम्बर, 1994 से कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया है। प्रारम्भ में आशय पत्र तीन वर्षों के लिये वैद्य होते हैं जिसके दौरान आशय पत्रों में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने पर औद्योगिक लाइसेन्स में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है। औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 1991 से आज तक स्वीकृत किये गये औद्योगिक लाइसेन्स का एक विवरण संलग्न है। ये सभी औद्योगिक लाइसेन्स आशय पत्र के परिवर्तन पर जारी किये गये हैं जो कि सितम्बर, 1994 से पूर्व स्वीकृत किये गये थे।

(ख) से (घ). औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में इस अधिनियम के उल्लंघन तथा सज्ञान अपराध के लिये दण्ड का प्रावधान है। सीरा माध्यम से भारत में निर्मित विदेशी शराब के विनिर्माण के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में रसायन तथा पैट्रो विभाग गैर सीरा माध्यम से भारत में निर्मित विदेशी शराब के विनिर्माण के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उद्योगों के सभी पहलुओं पर प्रबोधन करते हैं। यह, पेय अल्कोहल के सम्बन्ध में अपने लागू नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्रबोधन तथा नियंत्रण के अतिरिक्त हैं।

विवरण

1991 1996 (नवम्बर तक) के दौरान आई.एम.एफ.एल. का उत्पादन करने के लिए (भारत में निर्मित विदेशी शराब) प्रदान किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	स्थान	क्षमता	आशय पत्र संख्या तथा तारीख	सी.आई.एल संख्या तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
	जगजीत इण्डस्ट्रीज लि.	कपूरथला, पंजाब	20000 कि.लीटर (विस्तार के बाद)	347/89 25.5.89	79/92 28.8.92

1	2	3	4	5	6
2.	सुपर स्टार डिस्टलरीज एण्ड फूड लि.	त्रिचूर केरल	7500000 लीटर	344/89 25.5.89	22/94 24.2.94
3.	साउथ सीज डिस्टलरीज ब्रेवरीज प्रा.लि.,	थाणे महाराष्ट्र	10000 कि.ली.	4/92 6.1.92	47/94 18.8.94
4.	दि रामपुर डिस्टलरीज कैमिकल कम्पनी लि.	रामपुर उत्तर प्रदेश	460 कि.ली.	346/89 25.5.89	40/94 10.5.94
5.	जगजीत इडस्ट्रीज लि.	बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश	5000 कि.ली.	873/89 10.11.89	77/94 15.7.94
6.	सीग्राम मैन्यु प्रा.लि.	मेरठ उत्तर प्रदेश	5000 कि.ली.	350/93 7.10.93	124/94 15.12.94
7.	ग्रोवर विनियार्ड्स प्रा.लि.	बंगलौर कर्नाटक	750 कि.ली.	434/92 8.9.92	12/95 23.1.95
8.	अमर अल्काहोली प्रा.लि.	बान्द्रा महाराष्ट्र	5000 कि.ली.	63/92 28.1.02	28/96 15.4.96
9.	ओसियनिक डिस्टलरीज प्रा.लि.	नासिक महाराष्ट्र	5000 कि.ली.	284/92 5.6.92	39/96 5.6.96
10.	क्लेन मोरगन एण्ड कं.लि.	बेहरोर राजस्थान	5000 कि.ली.	501/92 29.10.92	81/90 13.11.96

[अनुवाद]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

3165. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष (31 अक्टूबर, 1996 तक) के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को कितना ऋण दिया गया; और

(ख) इस प्रकार अग्रिम ऋण दिए जाने के क्या मापदण्ड हैं तथा इसकी शर्तें क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बी.आई.एफ.आर. द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द किया जाना

3166. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों, जिन्हें बन्द किए जाने का प्रस्ताव था, के संबंध में बी.आई.एफ.आर. की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को संगठन के कर्मचारियों तथा जनता से इनके कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि उसने 30.11.1996 तक 8 केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सी पी एस यू) और 15 राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के परिसमापन के संबंध में, संबंधित उच्च न्यायालयों से सिफारिश कीहै। रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 20(2) के उपबंधों के अनुसार, उच्च न्यायालय, बाइफर की सलाह के आधार पर रूग्ण औद्योगिक कंपनी के परिसमापन का आदेश देगा और कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार, रूग्ण औद्योगिक कंपनी के समापन की कार्यवाही कर सकता है और करा सकता है।

(ग) और (घ). जब कभी ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से संबंधित सीपीएसयू द्वारा कार्यवाई की जानी होती है।

वनीला की खेती

3167. श्री पी.सी. थामस : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वनीला की खेती के विकास को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वनीला के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए किसानों को कोई सहायता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक वर्ष वनीला का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ). वनीला के उत्पादन/उत्पादकता, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार करने के लिए मसाला बोर्ड द्वारा लागू की जा रही कुछ योजनाएं हैं :—

(1) कृषि लागत का 50 प्रतिशत खर्च वहन करके उपजकर्त्ताओं के खेतों में नया रोपण करने के लिए 5000/- रु. प्रति हैक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(2) प्रति पौधे 1/- रु. की रियायती दर से वनीला की टिश्शू कल्चर का उत्पादन और आपूर्ति।

(3) इलायची उपजाए जाने वाले क्षेत्रों में वनीला के प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी जानकारी देना।

(4) मसाला बोर्ड के भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई) द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रोद्योगिकी विभाग की वित्तीय सहायता से दो परियोजनाओं को लागू करना।

ये परियोजनाएं हैं :-

(i) बेरोजगार युवाओं के मार्फत टिश्शू कल्चर पौधों का उपयोग करके वनीला का विकास

(ii) टिश्शू कल्चर वनीला प्रोडक्ट प्लान-इस परियोजना के अंतर्गत तराशी गई कलमों (टहनियों) की तुलना में वनीला टिश्शू कल्चर का उपयोग करने की संभावना का प्रदर्शन किया जाएगा।

(5) आई.सी.आर.आई. द्वारा वनीला की फलियों के लिए ऐसे क्यूरिंग तरीके का विकास और निष्पादन जो कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो।

(6) आई.सी.आर.आई. द्वारा वनीला के इनवाइटो मल्टीप्लोकेशन हेतु एक प्रोटोकोल का विकास। इन प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक प्रयोगशालाओं में स्थानान्तरण कर दिया गया है।

(ङ) मसाला बोर्ड के कार्यक्रम के अंतर्गत जिन क्षेत्रों का रोपण किया गया और जो सर्वोत्कृष्ट उत्पादों के प्रयास के अंतर्गत है उनमें वाणिज्यिक उत्पादन अभी होना है। चालू उपज उन कुछ उत्पादकों से है जिन्होंने बहुत पहले उत्पादन शुरू कर दिया था।

वर्ष 1995-96 के दौरान अनुमानित उत्पादन करीब एक मी.टन था।

जापानी निवेश

3168. प्रो. पी.जे. कुरियन :

डा. सी. सिल्वेरा :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान भारत में जापानी निवेश स्थिर रहा या उसमें कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत में और अधिक जापानी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (घ). जी, नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुमोदित जापानी विदेश प्रत्यक्ष निवेश का ब्यौरा इस प्रकार से हैं :-

वर्ष	राशि (रु. करोड़ में)
1992	610.23
1993	257.43
1994	400.90
1995	1514.26
1996 (सितम्बर तक)	803.50

सरकार द्वारा निवेश नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है ताकि इसे अधिकाधिक प्रतिस्पर्धात्मक और निवेशकानुकूल बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदन प्रक्रिया को और तेज करने और पारदर्शी बनाने हेतु हाल ही में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनगर्ठन किया है। इसके अतिरिक्त, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का और अधिक अंतप्रर्वाह आकर्षित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का गठन किया है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

3169. **श्री हरिन पाठक : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित/निर्देशित औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन इकाईयों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन सहकारी और निजी इकाइयों की संख्या कितनी है जिन्हें राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने उक्त अवधि के दौरान सहायता उपलब्ध कराई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). पिछले 3 वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त एककों की संख्या के ब्यौरे तथा उनके द्वारा उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

	1993-94		1994-95		1995-96	
	सीधे सहायता प्राप्त	राज्य बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त	सीधे सहायता प्राप्त	राज्य बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त	सीधे सहायता प्राप्त	राज्य बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त
संस्थाएं	2	479	19	481	21	478
सहकारी	-	69	-	68	-	65
वैयक्तिक	-	5045	-	5071	-	5071

उत्पादन (करोड़ रुपये में) रोजगार (लाख व्यक्ति)

	1993-94	1994-95	1995-96	1993-94	1994-95	1995-96
खादी	32.19	35.74	49.75	0.57	0.52	0.53
ग्रामोद्योग	89.39	96.74	107.85	0.44	0.42	0.47
कुल	121.58	132.48	157.60	1.01	0.94	1.00

विदेशी आर्थिक सहयोग कोष

3170. **श्री के.पी. सिंह देव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मई, 1995 में विभिन्न राज्य सरकारों से जापान सरकार द्वारा विदेशी आर्थिक सहयोग कोष ऋण प्राप्त करने हेतु उचित परियोजना संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार अब तक विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण, जल आपूर्ति, सड़क तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाएं ही मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न राज्यों के परियोजना प्रस्ताव संलग्न विवरण-I में सूचीबद्ध है।

(ग) जी हां। इन क्षेत्रों अर्थात् पर्यावरण, जलापूर्ति, सड़कें और स्वास्थ्य के अलावा विद्युत, कपड़ा, सिंचाई आदि के लिए भी परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे।

(घ) इस मंत्रालय ने जापान सरकार को 28 राज्य परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे जो संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। जापान ने संलग्न विवरण-III में दी गई राज्य परियोजनाओं के लिए 1996-97 ओ.ई.सी.एफ. ऋण पैकेज के तहत सहायता देने की वचनबद्धता की है।

विवरण-I

ओ.ई.सी.एफ. 1996-97 ऋण पैकेज के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों से प्राप्त राज्य प्रस्तावों की राज्य-वार सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. वंशधारा परियोजना (चरण-II)।
2. नैशनल इन्स्टीट्यूट फॉर दि मैन्टली हैन्डिकैप्ड, सिकंदराबाद के मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को सहायता।

असम

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजना।
4. श्रीरामपुर से जागीरोड तक एन.एच.-31-सी, एन.एच-31 और एन.एच-37 को चार लेनों का बनाना।
5. कुमारगांव, गोलाघाट, टीटाबोर, मोरियानी, सिमालुगुड़ी, जोयपुर, तिनसुखिया, सड़क (धोदर अली) (राज्य राजमार्ग) की दोहरी लेने बनाने के साथ-साथ उन पर स्थायी पुलों का निर्माण।
6. गुवाहाटी, अमीनगांव, हाजो, बारपेटा, उत्तरी सलपारा सड़क (राज्य राजमार्ग) के स्थायी पुलों के निर्माण के साथ-साथ दोहरी लेनों का निर्माण।
7. गुवाहाटी, चंद्रपुर, मोरिगांव, नागांव सड़क (राज्य राजमार्ग) की दोहरी लेनें बनाने के साथ-साथ उनके आर.सी.सी. पुलों का निर्माण।

बिहार

8. देहरी-ऑन-सोन-अकबरपुर-रोहतास पिपरडिह यदुनाथपुर-जरडाग सड़क को चौड़ा तथा मजबूत बनाना।
9. मीटा-औरंगाबाद-डाल्टनगंज सड़क को चौड़ा तथा मजबूत बनाना।
10. रांची, घाघरा-नेत्रघाट सड़क को चौड़ा तथा मजबूत बनाना।
11. आरा-ससाराम सड़क को चौड़ा तथा मजबूत बनाना।
12. सीवन-मैरवा-गुकथनी सड़क को चौड़ा तथा मजबूत बनाना।
13. डुमंका-भागलपुर सड़क को चौड़ा तथा मजबूत बनाना।
14. मुजफ्फरपुर-दरभंगा-मधुबनी-जयनगर सड़क को चौड़ा तथा मजबूत बनाना।
15. कोडर्मा-गिरिडीह-डुमरी सड़क को चौड़ा तथा मजबूत बनाना।
16. मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी सड़क को चौड़ा तथा मजबूत बनाना।
17. गया शहर के लिए जलापूर्ति, मलनिर्यास और ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्ध हेतु समन्वित परियोजना।
18. रांची शहर के लिए जलापूर्ति, मलनिर्यास और ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध हेतु समन्वित परियोजना।
19. पटना शहर के लिए जलापूर्ति, मल-निर्यास, और ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध हेतु समन्वित परियोजना।

दिल्ली

20. लक्षित जनसंख्या (अनु.जा./अनु. जनजाति/पिछड़े वर्ग/अल्प-संख्यक) के आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास हेतु सहायता, दिल्ली इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी।

हरियाणा

21. पश्चिमी यमुना नहर एच.ई. परियोजना (चरण-II)

हिमाचल प्रदेश

22. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजना।
23. भूमि-जल विकास परियोजना।

जम्मू और कश्मीर

24. जांस्कर के बौद्ध क्षेत्रों को लेह जिले से जोड़ने के लिए निमो-पदम सड़क का निर्माण।

कर्नाटक

25. कर्नाटक वानिकी परियोजना।
26. कावेरी नदी बेसिन के लिए पर्यावरणिक सुधार।
27. सरपादी एच.ई.पी. (90 मै.वा.)
28. रायचूर तापविद्युत केन्द्र यूनिट 5 और 6।
29. वरही भूमिगत विद्युत केन्द्र, चरण-II यूनिट 3 और 4

केरल

30. केरल जलापूर्ति परियोजना।
31. भारतीय कॉयर उद्योग का आधुनिकीकरण, केरल।
32. समन्वित औद्योगिक आधार ढांचा विकास परियोजना।

मध्य प्रदेश

33. माही सिंचाई परियोजना (बड़ी)।
34. सिंध परियोजना (चरण-II)।
35. राजघाट नहर बड़ी सिंचाई परियोजना।
36. महान सिंचाई परियोजना (गुलाब सागर)।
37. महिला विकास कार्यक्रम-सॉयल टु सिल्क दृष्टिकोण।

महाराष्ट्र

38. 36 कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण।
39. अली यावर जंग नैशनल इन्स्टीट्यूट फॉर दि हीयरिंग हैन्डिकैप्ड, मुम्बाई के बहरे विकलांग व्यक्तियों को सहायता।

मणिपुर

40. कोशकीट पालन उद्योग का विकास।

मेघालय

41. उमियाम का अनुसंधान और प्रबंध, चरण-I और II

मिजोरम

42. टुइरियाल एच.ई. परियोजना।

43. टुइवाइ हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना 210 मै.वा.।

44. जलापूर्ति, मलनिर्यास, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध, जल-गुणवत्ता की मानीटरिंग और जन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए समन्वित परियोजना।

उड़ीसा

45. चिल्का झील का विकास।

46. उड़ीसा पारेषण उप-योजनाएं।

47. पानीकोइले और राजामुण्डा सड़क को मजबूत तथा चौड़ा बनाना।

48. खेरडा-रायगढ़ सड़क को मजबूत तथा चौड़ा बनाना।

49. खुरदा-नयागढ़ दसपाला सड़क को मजबूत तथा चौड़ा बनाना।

50. कटक-चंडाओली सड़क को मजबूत तथा चौड़ा बनाना।

51. गोपालपुर पोर्ट से पोर्ट दीघा तक सड़क का निर्माण।

52. पुरी-भुवनेश्वर सड़क को मजबूत तथा चौड़ा बनाना।

53. ताल्चर, मेरामुंडाली, अंगुल, धेनकनाल और भुबन शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना।

54. रेंगाली सिंचाई परियोजना (भाग)-बायी मुख्य नहर (30 कि. मी. से 142 कि.मी.)

55. आर डी 42 कि.मी. से परे जयपोर मुख्य नहर हेतु सहायता।

56. मलकानगिरी जिले में जनजातीय विकास।

57. सुंदरगढ़ जिले में जनजातीय विकास।

58. नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर रीहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, ओलाटपुर, कटक के विकलांग व्यक्तियों को सहायता।

पंजाब

59. पंजाब वानिकी परियोजना।

60. जी.एन.डी.टी.पी. की सहबद्ध पारेषण योजनाएं चरण-II

राजस्थान

61. अब तक न जोड़े गए सभी पंचायती मुख्यालयों को बी.टी. सड़कों से जोड़ना और पंचायती मुख्यालयों तक की मौजूदा बजरी की सड़कों को बी.टी. सड़कों में रूपांतरित करना।

62. 1000 से अधिक की जनसंख्या (1981 जनगणना) वाले सभी गांवों को बी.टी सड़कों से जोड़ना।

63. छौली मध्यम सिंचाई परियोजना।

64. बेथली मध्यम सिंचाई परियोजना, राजस्थान।

65. राजस्थान के रेगिस्तानी त्रिकोण में पर्यटन संबंधी आधार ढांचे का विकास।

तमिलनाडु

66. तमिलनाडु वानिकी परियोजना।

67. मद्रास के तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण-नियंत्रण संबंधी परियोजना।

68. होंगेनक्कल जलापूर्ति परियोजना।

69. लघु सिंचाई पुनःसुधार टैंक विकास।

70. मद्रास में सरकारी संग्रहालय में बौद्ध केन्द्र।

71. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रों को स्थापित करना/मजबूत बनाना।

उत्तर प्रदेश

72. पारेषण और रूपांतरण निर्माण कार्य।

73. अन्पारा "सी" तापीय विद्युत परियोजना।

74. लकवार व्यासी बहुउद्देशीय परियोजना।

75. मनेरी भली एच.ई. परियोजना।

76. ऋषिगंगा लघु एच.ई. योजना, चमोली।

77. आसीगंगा लघु एच.ई. परियोजना चरण-I और II उत्तरकाशी।

78. बसूली लघु एच.ई. योजना, उत्तरकाशी।

79. नौशेरा लघु एच.ई. योजना, सहारनपुर।

80. उत्तरी भारत में चिकित्सीय स्वास्थ्य देखरेख के स्तर को उन्नयन हेतु चरण-I का सुदृढीकरण और चरण-II शुरू करना एस.जी.पी.जी.आई।

81. बस टर्मिनल प्राधिकरण हेतु सहायता।

82. राज्य परिवहन अनुसंधान और योगा संस्थान, लखनऊ हेतु सहायता।

83. हलद्वानी तक बाई-पास का निर्माण।

84. आगरा गंदी बस्ती सुधार परियोजना।

85. वाराणसी समन्वित गंदी बस्ती विकास परियोजना।

86. नोएडा में इलैक्ट्रिक सिटी।

87. आगरा, बरेली, गोरखपुर तथा मेरठ में जलापूर्ति और सफाई सुविधाओं में वृद्धि करना।

88. कृत्रिम रीचार्ज और जल संसाधन विकास (मिर्जापुर और सोनभद्र)।

89. नैशनल इन्स्टीट्यूट फौर दि बिजुअली हैन्डिकैण्ड, देहरादून के नेत्र रोगियों को सहायता।

पश्चिम बंगाल

90. पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

91. कल्याणी में स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।

92. राज्य में व्यापक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल।

93. कलकत्ता शहर में परिवहन-आधारढांचा विकास परियोजना।

94. तटीय क्षेत्र विकास परियोजना।

95. नैशनल इन्स्टीट्यूट फॉर दि ऑरथौपैडिकली हैन्डिकैप्ड, कलकत्ता के विकलांगों को सहायता।

विवरण-II

ओ ई सी एफ 1996-97 ऋण पैकेजों के अन्तर्गत सहायता हेतु जापान सरकार को प्रस्तुत किए गए राज्य प्रस्तावों की सूची

1. गुरू नानक देव तापीय संयंत्र की सहबद्ध पारेषण योजनाएं, चरण III, पंजाब।

2. उमियाम के लिए पुनःसुधार और आधुनिकीकरण योजना, चरण I और II विद्युत केन्द्र, मेघालय।

3. टुइरियाल एच ई परियोजना (60 मै.वा.), मिजोरम।

4. पश्चिम बंगाल को पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

5. उत्तर प्रदेश में पारेषण और रूपांतरण कार्य (132 कि.वा. और अधिक)।

6. उड़ीसा को पारेषण उप-योजनाएं।

7. सरपादी बैरज हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना, कर्नाटक

8. अन्पारा "सी" तापीय विद्युत परियोजना (2x500 मै.वा.)

9. कर्नाटक के पूर्वी मैदानों के लिए वानिकी और पर्यावरण परियोजना।

10. तमिलनाडु के लिए व्यापक वानिकी परियोजना।

11. पंजाब सामाजिक वानिकी परियोजना।

12. उड़ीसा में पानीकोइली-क्योंझर-जोडा-राजमुंडा सड़क को चौड़ा तथा मजबूत बनाना।

13. भुवनेश्वर-पुरी सड़क, उड़ीसा को चार लेनों का बनाना।

14. जांस्कर के बौद्ध क्षेत्रों को लेह जिले से जोड़ने के लिए निम्मो-पदम सड़क का निर्माण।

15. पटना शहर के लिए जलापूर्ति, मलनिर्यास और ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध हेतु समन्वित परियोजना।

16. रांची शहर के लिए जलापूर्ति, मलनिर्यास और ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध हेतु समन्वित परियोजना।

17. केरल जलापूर्ति परियोजना।

18. उड़ीसा में ताल्चर, मेरामुण्डाली, अंगुल, धेनकनाल और भुबन शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय जलापूर्ति प्रणाली की संस्थापना।

19. परिवहन आधार ढांचा विकास परियोजना, कलकत्ता।

20. रेंगाली सिंचाई परियोजना, उड़ीसा।

21. राजघाट नहर बड़ी सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश।

22. भूमिजल विकास परियोजना, हि.प्र.

23. वंशधारा परियोजना चरण II, आ.प्र.

24. उत्तरी भारत में चिकित्सीय स्वास्थ्य देख-रेख के स्तर के उन्नयन हेतु चरण-I का सुदृढ़ीकरण और चरण-II का आरंभ, एस जी पी जी आई।

25. महिला विकास कार्यक्रम-"सायॅल टु सिल्क" दृष्टिकोण, म. प्र.।

26. मणिपुर में कोशकीट पालन उद्योग का विकास।

27. समन्वित औद्योगिक आधार ढांचा विकास, केरल।

28. राजस्थान के रेगिस्तानी त्रिकोण में पर्यटन आधार ढांचे का विकास।

विवरण-III

ओ ई सी एफ 1996-97 ऋण पैकेज के अन्तर्गत सहायता हेतु जापान सरकार द्वारा वचनबद्ध की गई राज्य परियोजनाओं की सूची

	परियोजना का नाम	ऋण राशि (मिलियन येन)
1.	पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना	8497
2.	उमियाम जल विद्युत केन्द्र पुनःसुधार परियोजना	1700
3.	टुइरियाल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक विद्युत केन्द्र परियोजना	11695
4.	कलकत्ता परिवहन आधार ढांचा विकास परियोजना	10679
5.	पूर्वी कर्नाटक वनरोपण परियोजना	15968
6.	तमिलनाडु वनरोपण परियोजना	13324
7.	केरल जलापूर्ति परियोजना	11997
8.	राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	13222

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु सीमा

3171. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सेवा-निवृत्ति की 58 वर्ष की आयु को वरिष्ठ नागरिक माना गया है जबकि कराधान प्रयोजनार्थ यह आयु 60 वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वरिष्ठ नागरिकों हेतु आवश्यक आयु की सीमा को कम करते हुए 50 वर्ष करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्ती मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) 65 वर्ष और इससे अधिक की आयु वाले ऐसे निवासी व्यष्टि, जिनकी सकल कुल आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88-ख के अन्तर्गत रिबेट के हकदार हैं।

(ख) और (ग). धारा 88-ख के प्रयोजनार्थ, आयु सीमा को कम करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वस्त्र उद्योग को धनराशि

3172. श्री जी. वेंकट स्वामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को परिधान और वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों से तकनीकी विकास तथा विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए 2200 करोड़ रुपये की कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) सरकार को परिधान तथा वस्त्र उद्योग के प्रतिनिधियों से इसकी प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए 2000 करोड़ रु. की निधियों के लिए कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

बैंकों के अशोध्य ऋण संबंधी समिति

3173. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार बैंक के अशोध्य ऋणों की जांच करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अशोध्य ऋणों की जांच-पड़ताल करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समिति द्वारा सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के वार्षिक वित्तीय निरीक्षणों के अध्यधीन होते हैं। इन निरीक्षणों के दौरान अधिकारीगण उन कारणों पर भी ध्यान देते हैं जिनके कारण अग्रिम अनिष्पादित आस्तियों में बदलते हैं तथा इन अनिष्पादित आस्तियों के स्तर को कम करने के लिए बैंक क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा, इस मामले में कर्मचारियों के उत्तरदायित्व को भी देखा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रशासनिक तंत्र में परिवर्तन

3174. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को "नाबार्ड" के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बैंकों के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी) सांविधिक संगठन है जो सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के विभिन्न नीतिगत मार्गनिर्देशों के अध्यधीन अपने स्वयं के निदेशक मंडल के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। उन्हें नाबार्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है और सांविधिक निरीक्षण भी करता है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ इंदौर के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति

3175. श्री राधा मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 से आज तक स्टेट बैंक आफ इंदौर के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार दिया गया;

(ख) क्या इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा धोखाधड़ी के आरोप में अधिकारियों से पूछताछ की गई थी;

(ग) क्या उक्त अधिकारियों को सेवा विस्तार दिए जाने के पूर्व सतर्कता संबंधी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को मुआवजा

3176. श्री हंसराज अहीर : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया पश्चिमी कोलफील्ड इकाई द्वारा उन व्यक्तियों को जिनकी भूमि खनन हेतु अधिग्रहीत की गई थी मुआवजे की राशि की गैर अदायगी तथा उन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में भारतीय कोल इंडिया लिमिटेड की नीति क्या है;

(ग) पश्चिमी कोलफील्ड इकाई के ऐसे कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) प्रभावित लोगों को कब तक मुआवजे की राशि तथा नौकरी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (घ). इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना

3177. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के मूल उद्देश्य क्या हैं;

(ख) यह योजना अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में किस हद तक सफल रही है;

(ग) इस योजना के लागू होने के बाद कितना काला धन प्रकट किया गया है;

(घ) क्या सरकार का स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय और विदेशी, दोनों ही तरह के लेखा-बाह्य धन को अर्थ-व्यवस्था की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर विभिन्न स्वैच्छिक/माफी योजनाओं की घोषणा करती रही है। इन योजनाओं को विभिन्न स्तरों पर सफलता मिली है और इनके उत्पादकता से जुड़े उपयोग के अलावा, इस प्रक्रिया में अतिरिक्त करों की वसूली भी हुई है।

(घ) और (ङ). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

3178. श्री नारायण अठावले : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने वर्ष 1996-97 के दौरान, बैंक संघ द्वारा 1,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता से दो बिलियन रोजगार के अवसर सृजित करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में स्थापित मानदंडों के अनुकूल खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 1996-97 के दौरान शुरू की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अधीन (1) जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम, (2) 125 ब्लाक विकास कार्यक्रम, (3) राष्ट्रीय चमड़ा, हस्त निर्मित कागज, मधुमक्खी पालन और पॉटरी कार्यक्रम और (4) विशेष परियाजनाएं शामिल की गयी हैं। जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम के लिए पिछड़े जिलों को चुना गया है, जबकि ब्लाक विकास कार्यक्रम के लिए संशोधित लोक जिला प्रणाली (आर पी डी एस) ब्लाकों को चुना गया है। ये कार्यक्रम प्रति जिला/ब्लाक क्रमशः 10,000 और 1,000 रोजगारों का सृजन करेंगे। विशेष परियोजनाओं के लिए ग्रामोद्योगों के प्रमुख वर्गों अर्थात (1) खनिज आधारित उद्योग (2) वन्य आधारित उद्योग (3) कृषि आधारित खाद्य उद्योग (4) पालीमर और रसायन आधारित उद्योग (5) इंजीनियरिंग और गैर-परंपरागत ऊर्जा और (6) कपड़ा उद्योग पर बल दिया जायेगा।

(ग) विभिन्न योजनाओं के अधीन राज्यवार निधियों की आवश्यकता की मात्रा प्रत्येक राज्य में कार्यान्वित की गई परियोजनाओं की संख्या तथा आकार पर निर्भर करती है और इसलिए निधियों का आवंटन हर राज्य के लिए अलग-अलग होगा।

(घ) विभिन्न राज्यों में केवीआई योजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा राज्य केवीआई बोर्डों और कार्यान्वयनकारी एजेंसियों के साथ वार्षिक बजट पर चर्चा के समय की जाती है।

(ङ) केवीआईसी उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यकलापों के जरिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में शामिल योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। हर वर्ष, ग्रामीण क्षेत्रों में 20, लाख रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंग के रूप में इन योजनाओं द्वारा अतिरिक्त व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है।

सीमेंट संयंत्र

3179. श्री अनंत कुमार : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की स्थिति तक राज्य-वार सीमेंट के कितने बड़े, मध्यम तथा लघु संयंत्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इनमें से प्रत्येक संयंत्र में अलग-अलग सीमेंट की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ; और

(ग) इन संयंत्रों में संयंत्र-वार कुल कितने लोग नौकरी कर रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) देश में 124 बड़े सीमेंट संयंत्र और लगभग 300 अति लघु सीमेंट संयंत्र हैं। बड़े सीमेंट संयंत्रों का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अति लघु सीमेंट संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा केन्द्रीय रूप में नहीं रखा जा रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष की अप्रैल से अक्तूबर तक की अवधि के दौरान बड़े सीमेंट संयंत्रों द्वारा किए गए सीमेंट के उत्पादन की मात्रा संलग्न विवरण-II में दर्शायी गयी है। यद्यपि अति लघु सीमेंट संयंत्रों के संयंत्रवार ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं, फिर भी चालू वर्ष में इन संयंत्रों का अनुमानित उत्पादन लक्ष्य 6 मिलियन टन से अधिक है।

(ग) इन सीमेंट संयंत्रों में कार्यरत एकक-वार कर्मचारियों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं।

विवरण-I

सीमेंट संयंत्रों की राज्यवार संख्या

राज्य	सीमेंट संयंत्रों की संख्या
दिल्ली	1
हरियाणा	2
पंजाब	1
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू और कश्मीर	1
राजस्थान	15
उत्तर प्रदेश	5
बिहार	7
उड़ीसा	3
पश्चिम बंगाल	2
असम	1
मेघालय	1
तमिलनाडु	8
आन्ध्र प्रदेश	19
कर्नाटक	9
केरल	1
महाराष्ट्र	8
गुजरात	13
मध्य प्रदेश	23
योग	124

विवरण-II

राज्य/संयंत्र	सीमेंट का उत्पादन (लाख टन)			
	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (अप्रैल-अक्तू.तक)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
पंजाब				
1. गुजरात अम्बुजा				
2. यूएन रोपड़ (जी)	0.00	0.00	5.43	6.79
पंजाब का योग	0.00	0.00	5.43	6.79

1		2	3	4	5
दिल्ली					
1.	दिल्ली (जी)	3.54	1.92	1.86	0.71
	दिल्ली का योग	3.54	1.92	1.86	0.71
हरियाणा					
1.	भूपेन्द्र	4.19	4.89	4.77	2.63
2.	चर्खी-दादरी	1.15	0.87	0.75	0.32
	हरियाणा का योग	5.34	5.76	5.52	2.96
हिमाचल प्रदेश					
1.	गागल-1	8.60	8.72	6.75	3.49
2.	गागल-2	0.00	2.56	8.69	6.10
3.	राजबन	1.68	1.75	1.68	0.86
4.	गुजरात अम्बुजा यूएन (हि.प्र.)	0.00	0.00	1.64	2.42
	हिमाचल प्रदेश का योग	10.28	13.03	18.76	12.88
जम्मू और कश्मीर					
1.	जम्मू और कश्मीर लि.	0.58	0.78	0.70	0.27
	जम्मू और कश्मीर का योग	0.58	0.78	0.70	0.27
राजस्थान					
1.	लखेरी	3.42	3.56	3.48	1.96
2.	बिरला सीमेंट	5.00	5.26	6.14	3.18
3.	चित्तौड़ सीमेंट	8.21	8.61	9.43	5.04
4.	मंगलम् सीमेंट	3.86	3.68	4.04	2.23
5.	नीर श्री सीमेंट	0.58	5.66	5.79	4.44
6.	आदित्य सीमेंट	0.00	0.00	4.15	4.94
7.	निम्बाहेरी जे के सीमेंट	6.42	7.50	6.54	3.91
8.	जे के न्यू यूनिट	9.87	10.09	10.59	5.95
9.	जे के मंगरोल	0.00	0.00	0.00	0.40
10.	लक्ष्मी सीमेंट यूनिट 1	5.57	5.62	5.75	2.69
11.	लक्ष्मी सीमेंट यूनिट-2	3.03	0.00	2.78	3.06
12.	जे के उदयपुर उद्योग लि.	0.00	7.57	7.81	4.08
13.	श्री सीमेंट	8.76	9.27	8.62	5.18
14.	जयपुर उद्योग लि.	उत्पादन नहीं			
15.	श्रीराम सीमेंट्स	2.52	2.66	2.61	1.49
	राजस्थान का योग	57.24	69.49	77.74	48.55

1		2	3	4	5
उत्तर प्रदेश					
1.	डायमंड सीमेंट झांसी (जो)	7.23	6.81	5.86	2.97
2.	चुर्क	0.81	0.16	0.00	0.01
3.	दल्ला	0.92	0.65	0.44	0.03
4.	चुनार (जो)	8.13	5.98	5.28	1.92
5.	के सी सी	क्लीनकेरीसेशन यूनिट			
	उत्तर प्रदेश का योग	17.09	13.59	11.59	4.93
योग-उत्तरी क्षेत्र		94.07	104.58	121.59	77.08
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार					
1.	चैबासा	5.30	5.67	5.68	2.89
2.	सिन्दरी	2.65	2.87	3.03	1.78
3.	खलारी	0.70	0.23	0.00	0.13
4.	कल्याणपुर	2.33	3.46	5.93	3.47
5.	सोन घाटी	उत्पादन नहीं			
6.	रोहतास इंडिस्ट्रीज लि.	उत्पादन नहीं			
7.	टिस्को (जी) बिहार	0.00	3.09	7.34	5.39
	बिहार का योग	10.98	15.32	21.99	13.65
उड़ीसा					
1.	ओ सी एल इंडिया लि.	7.00	7.12	7.42	4.02
2.	इडकोल सीमेंट लि.	3.49	3.42	4.19	2.52
3.	एल एण्ड टी झारसुगुडा (जी)	1.36	3.93	5.34	2.91
	उड़ीसा का योग	11.85	14.46	16.95	9.45
पश्चिम बंगाल					
1.	दुर्गापुर (जी)	3.79	4.61	4.71	2.46
2.	दामोदर सीमेंट और स्लैग (जी)	0.64	0.58	0.35	0.02
	पश्चिम बंगाल का योग	4.43	5.18	5.07	2.48
असम					
1.	बीकाजन	1.48	1.54	1.56	0.92
	असम का योग	1.48	1.54	1.56	0.92

1	2	3	4	5
मेघालय				
1. मऊमलुह चेरा	1.12	1.43	1.21	0.62
मेघालय का योग	1.12	1.43	1.21	0.62
योग-पूर्वी क्षेत्र	29.86	37.94	46.77	27.12
दक्षिणी क्षेत्र				
तमिलनाडु				
1. मडुक्काराय	7.17	7.87	8.29	4.69
2. शंकरनगर	10.28	10.60	10.60	5.69
3. संकरीदुर्ग	5.25	6.04	6.05	3.32
4. अलंगुलम	2.69	2.72	2.42	1.41
5. अरीयालुर	4.32	3.77	4.29	2.51
6. रामास्वामीराजा नगर	6.20	7.27	8.20	4.68
7. चेत्तीनाड सीमेंट	7.15	8.46	9.15	5.17
8. डालमिया सीमेंट	7.45	8.22	8.53	4.89
तमिलनाडु का योग	50.51	54.95	57.54	32.35
आन्ध्र प्रदेश				
1. मन्चेरियल	3.10	2.88	3.42	1.84
2. केसोरम सीमेंट	7.31	7.63	7.82	4.29
3. ओरियन्ट सीमेंट यूनिट-1 और 2	9.42	9.57	10.27	6.24
4. जौरी सीमेंट	4.85	5.37	5.62	3.28
5. आदिलाबाद	2.92	2.01	1.92	1.15
6. येरागुन्टला	2.96	2.50	2.35	1.29
7. तन्दूर	6.43	4.79	4.23	2.95
8. विजयवाडा (जी)	उत्पादन नहीं			
9. विजाग (जी)	0.14	0.12	1.89	1.49
10. नाडिकुडे-दुर्गा सीमेंट	0.00	0.65	4.25	3.00
11. चिलमकूर वर्क	7.39	7.07	9.21	5.46
12. जयन्तीपुरम	8.24	7.85	10.09	5.92
13. किस्टना	उत्पादन नहीं			
14. के सी पी लि.	3.75	4.33	4.75	2.54
15. पनयाम सीमेंट	4.03	4.83	5.00	2.84
16. रासी सीमेंट फेज-1	12.95	14.61	16.47	10.13
17. रासी सीमेंट फेज-2	0.00	0.00	0.00	0.00
18. प्रियदर्शनी	6.56	7.03	7.10	4.41
19. श्री विष्णु सीमेंट	6.06	6.67	6.04	4.49
आन्ध्र प्रदेश का योग	86.11	87.93	100.44	61.33

1		2	3	4	5
कर्नाटक					
1.	वाडी फेज-1	6.15	7.54	6.62	6.39
2.	वाडी फेज-2	10.75	12.26	11.47	3.35
3.	वासवाडाटा	6.35	6.97	6.72	3.62
4.	राजश्री सीमेंट मालखेड	16.12	16.80	18.35	9.74
5.	मैसूर सीमेंट	4.56	5.32	5.49	3.17
6.	कुकुंटा	1.49	1.54	1.34	0.62
7.	शाहबाद	4.01	3.63	3.32	1.45
8.	कनोरिया इंड. लि.	3.27	3.10	2.48	1.50
9.	विसवेसवार्या	उत्पादन नहीं			
	कर्नाटक का योग	52.70	57.16	55.79	29.82
केरल					
1.	मालाबार सीमेंट	3.84	3.84	3.65	1.29
	केरल का योग	3.84	3.84	3.65	1.29
	योग -दक्षिणी क्षेत्र	193.16	203.87	217.43	124.79
पश्चिमी क्षेत्र					
महाराष्ट्र					
1.	चंदा	5.75	6.14	6.03	3.47
2.	मानिकगढ़ यूनिट-1	11.15	10.34	8.99	3.10
3.	मानिकगढ़ यूनिट-2 (जी)	0.00	0.02	1.08	4.03
4.	राजश्री होटगी (जी)	0.00	0.00	4.05	6.90
5.	रत्नागिरि (जी)	2.27	2.46	2.94	1.60
6.	सेवरी (जी)	उत्पादन नहीं			
7.	एन एंड टी आवरपुर फेज-1	22.17	23.82	24.72	14.39
8.	एल एंड टी आवरपुर फेज-2	0.00	0.00	0.00	0.00
	महाराष्ट्र का योग	41.34	42.78	47.79	33.49
गुजरात					
1.	जाफराबाद	क्लीनकेरीसेशन यूनिट			
2.	मगदल्ला (जी)	4.04	4.28	4.99	2.08
3.	सिक्का	0.80	0.81	0.86	0.67
4.	सिक्का न्यू यूनिट	7.57	6.99	8.90	4.38
5.	अहमदाबाद (जी)	0.37	0.38	0.40	0.00
6.	पोरबन्दर	1.65	1.38	1.68	0.91
7.	एल एंड टी गुजरात	0.00	0.00	0.00	3.76

1		2	3	4	5
8.	सौराष्ट्र सीमेंट	7.02	7.98	8.06	4.69
9.	अम्बुजा	7.82	7.84	8.79	3.93
10.	गुजमबुजा सीमेंट	7.75	11.20	12.36	5.87
11.	गुजरात सिदी सीमेंट	6.73	7.37	9.43	4.59
12.	द्वारका	उत्पादन नहीं			
13.	सेभालिया	उत्पादन नहीं			
	गुजरात का योग	43.75	48.24	55.48	30.89
मध्य प्रदेश					
1.	जामुल	11.97	11.71	11.06	7.02
2.	क्यामोर	8.16	7.98	10.03	7.22
3.	क्यामोर-मेहगांव	क्लीनकरिसेशन यूनिट			
4.	बिरला विकास	7.92	7.09	7.65	4.87
5.	सतना सीमेंट	7.96	7.92	7.60	4.31
6.	सेंचुरी सीमेंट	9.18	10.14	8.93	5.74
7.	मेहार सीमेंट यूनिट-1	9.02	9.23	8.94	4.21
8.	मेहार सीमेंट यूनिट-2	0.00	0.00	0.61	4.52
9.	विक्रम सीमेंट यूनिट-1	14.73	15.83	13.69	7.38
10.	विक्रम सीमेंट यूनिट-2	0.00	0.00	0.00	0.50
11.	विक्रम सुपर सीमेंट	8.47	9.62	8.67	4.35
12.	ग्रासिम सीमेंट रायपुर	0.00	0.06	6.21	5.92
13.	डायमंड सीमेंट यूनिट-1	5.88	3.15	3.17	1.81
14.	डायमंड सीमेंट यूनिट-2	0.04	3.51	4.03	1.87
15.	अकलतारा	2.01	1.36	0.52	0.23
16.	मनधार	1.11	0.49	0.65	0.23
17.	नीमच	3.32	3.11	2.71	1.44
18.	रेमंड लि. सीमेंट डिवीजन	12.93	16.17	16.39	9.62
19.	एल एंड टो हिर्मी	0.00	1.36	8.14	7.11
20.	जेपी रेवा	23.04	24.56	23.10	13.65
21.	जेपी वेला सीमेंट	0.00	0.00	0.00	0.05
22.	मोदी सीमेंट	12.04	10.31	10.08	5.77
23.	टिस्को (रायपुर) म.प्र.	0.89	2.55	3.43	2.28
	मध्य प्रदेश का योग	138.67	146.15	155.70	100.12
	योग-पश्चिमी क्षेत्र	223.76	237.16	258.97	164.51
	कुल योग	540.85	583.54	644.76	393.50

भारत यूरोपीय संघ वार्ता

3180. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूरोपीय संघ (ई.सी.) से कोई वार्ता करने का है;

(ख) क्या ई.सी. ने भारत के साथ वार्ता की इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो भारत-यूरोपीय संघ (ई.सी.) वार्ता के लिए कार्य सूची में किन-किन मुद्दों को शामिल किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). भारत-यूरोपीय कमीशन वार्ताएं व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंध भारत-ई.सी. कार्यदल की अगली बैठक के अवसर पर 16 और 17 दिसम्बर, 96 को ब्रुशेल्स में होने वाली हैं। इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार, वाणिज्यिक और आर्थिक हित के मामलों पर चर्चा की जानी है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में उद्योगों का बंद होना

3181. श्री गंगा राम कोली : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का उत्तर प्रदेश में बड़ी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का कितने उद्योग बंद करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का इसके परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. को बंद करने की सिफारिश की है और इस मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को सौंप दिया गया है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

कपास सलाहकार बोर्ड

3182. श्री काशीराम राणा : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास का उत्पादन करने वाले राज्यों द्वारा किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु निर्यात के लिए कपास का और अधिक कोटा जारी करने की मांग की गयी है;

(ख) क्या इस संबंध में आपूर्ति तथा मांग की समीक्षा करने हेतु कपास सलाहकार बोर्ड की बैठक नवम्बर, 1996 में हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) समय-समय पर राज्यों से कपास के निर्यात के लिए कोटा जारी करने के अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं।

सरकार ने 1996-97 के कपास वर्ष में निर्यात के लिए 6.15 लाख गांठ का कोटा पहले से ही जारी कर दिया है। कोटों को जारी सम्बन्धित कारकों को देखने के बाद, जिसमें कपास उत्पादन, घरेलू मांग तथा अधिशेष कपास की उपलब्धता का मूल्यांकन शामिल हैं, जारी किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

3183. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में खादी ग्रामोद्योग आयोग की इकाईयों को और अधिक सहायता उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग का केरल में और परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ग). केरल और अन्य राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को परियोजनाओं की गुणों के आधार पर और अधिक सहायता प्रदान की जायेगी। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

सिगरेट कम्पनियों द्वारा "फेरा" का उल्लंघन

3184. श्री छीतु भाई गामीत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) का उल्लंघन करने के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं आय-कर आदि के अपवंचन में कथित तौर पर लिप्त सिगरेट कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सिगरेट कम्पनियों के संबंध में जांच के शीघ्र निपटान हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या ये जांच कार्य कारण बताओ नोटिस तथा अन्य अनुवर्ती कार्यवाही के बाद किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कपड़ा मिलों को बंद किया जाना

3185. डा. असीम बाला : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक राज्य-वार कितने कपड़ा मिल बंद पड़े हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार बंद पड़े कपड़ा मिलों के प्रबंधन को अपने अधिकार में लेने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) दिनांक 31.10.96 तक की स्थिति के अनुसार किसी भी सूती/मानव निर्मित फाइबर मिल को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत बंद नहीं किया गया था। 146 सूती/मानव निर्मित वस्त्र मिलों को तालाबंदी, हड़तालों तथा वित्तीय कठिनाईयों आदि के कारण अन्यथा बंद किया गया था तथा 38 सूती/मानव निर्मित फाइबर मिलों को परिसमापन के अंतर्गत बंद किया गया था। बंद की गई मिलों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :-

आंध्र प्रदेश	10
असम	1
बिहार	2
गुजरात	57
हरियाणा	5
कर्नाटक	10
केरल	2
मध्य प्रदेश	9
महाराष्ट्र	19
उड़ीसा	1
राजस्थान	6
तमिलनाडु	40
उत्तर प्रदेश	14
प. बंगाल	6
मणिपुर	1
दमन तथा दीव	1
कुल	184

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नकली दावेदारों द्वारा बैंक से धोखाधड़ी

3186. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 नवम्बर, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" के "फर्म चीटेड आफ रूपीज ट्वेन्टी लाख वाई इम्पोस्टर" शीर्षक के अंतर्गत समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नकली दावेदारों ने एक जाली बैंक खाते में 30 लाख रुपये जमा किए तथा उसमें 20 लाख रुपये निकाल लिए;

(ग) यदि हां, तो उक्त धोखाधड़ी किस प्रकार की गई; और

(घ) बैंक के अपराधी कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर ने सूचित किया है कि मैसर्स एस के एन इंडस्ट्रीज लि. में कंपनी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत श्री संदीप डबास ने, जिनका स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर की दिल्ली शाखा में चालू खाता है, 10-10 लाख रु. के तीन बैंकर्स चेक तीन विभिन्न पार्टियों के नाम जारी करने के अनुरोध पत्र के साथ इस शाखा से संपर्क किया। बैंक ने मैसर्स एस के एन इंडस्ट्रीज लि. के ऋण खाते से नामे डालकर तीन बैंकर्स चेक जारी कर दिया जिसमें से एक बैंकर चेक बाद में रद्द हो गया तथा राशि को मैसर्स एस के एन इंडस्ट्रीज लि. के खाते में जमा कर दिया गया। धोखाधड़ी का पता उस समय प्रकाश आया जब कंपनी के प्रबंध निदेशक ने यह आरोप लगाया कि श्री संदीप डबास द्वारा दिए गए अनुरोध पत्र जाली थे। यह भी कहा गया था कि श्री डबास ने केनरा बैंक की साउथ एक्स्टेंशन शाखा में मैसर्स इराम ग्रुप इंटरनेशनल प्रा. लि. के नाम से जाली दस्तावेज पेश करके जाली खाता खोला था और भारतीय स्टेट बैंक नजफगढ़ में श्री संदीप डबास ने स्वयं अपने स्वामित्व के तहत, जहां से दो बैंकर्स चेक की राशि हड़पी गई थी, मैसर्स मार्केटिंग सिंडिकेट के नाम से चालू खाता खोला था।

यह सूचित किया गया है कि स्थानीय पुलिस के पास प्राथमिक सूचना (एफ आई आर) दर्ज करा दी गई है तथा कर्मचारियों की गलती का पता लगाने के लिए बैंक ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

व्यापार मेले में लघु उद्योगों की भागीदारी

3187. डा. सी. सिल्वेरा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में दिल्ली में एक व्यापार मेले का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र के सरल विकास हेतु क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 1996 का विषय था लघु उद्योग। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी) ने लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्मित उत्पादों का और संबद्ध प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया था। प्रदर्शित उत्पादों में शामिल थे—कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मदें, उपकरण एवं टिकाऊ उपभोक्ता सामान, स्वचालित संघटक, साईकिल एवं साईकिल के हिस्से पुर्जे, इलैक्ट्रानिक्स, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, सिले-सिलाए वस्त्र एवं खेल-कूद का सामान इत्यादि। लघु क्षेत्र की 504 कम्पनियों ने इस मेले में भाग लिया।

(ग) सरकार ने लघु क्षेत्र के विकास के लिए प्रोत्साहन के रूप में विभिन्न सुविधाएं प्रदान की हैं। ये सुविधाएं हैं :- उत्पादन शुल्क में रियायतें, बैंकों द्वारा प्राथमिकता ऋण, अनुसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए सिड्बी की रिफाइनैन्स योजनाओं के अन्तर्गत दीर्घ कालिक ऋण की सुविधा, रियायती ब्याज दर पर 2.00 लाख रुपए तक कार्यशील पूंजीगत ऋण, लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र में अनन्य रूप से विनिर्माण हेतु 836 मदों का आरक्षण, तकनीकी एवं सूचना सहायता सेवाएं, प्रौद्योगिकी सुधार सहायता, एन एस आई सी द्वारा विपणन एवं उच्च क्रय सुविधाएं, एन एस आई सी द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एकल स्थल पंजीकरण योजना, सरकारी खरीद कार्यक्रमों में मूल्य एवं क्रय संबंधी प्राथमिकता, प्रशिक्षण क्षमताओं के विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं की सहायता, आई एस ओ-9000 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता, लघु क्षेत्र के लिए सिड्बी की नेशनल इक्विटी फंड स्कीम और सिड्बी की प्रौद्योगिकी विकास एवं आधुनिकीकरण फंड स्कीम इत्यादि।

केन्द्रीय राज-सहायता

3188. श्री मुख्तार अनीस : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद-वार वर्ष 1996-97 के लिए प्रत्यक्ष केन्द्रीय राज-सहायता की अनुमानित राशि क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मद-वार वास्तविक राज-सहायता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त राज-सहायता में कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). यह स्थिति अगले वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में प्रतिबिंबित होगी।

विवरण

1993-94 से तीन वर्षों में प्रत्यक्ष राज-सहायता पर व्यय और 1996-97 में तत्संबंधी अनुमान नीचे सारणी में विस्तार से दिए गए हैं :-

(करोड़ रुपए)

	1993-94	1994-95	1995-96 संशोधित अनुमान	1996-97 बजट अनुमान
खाद्य राज-सहायता	5537	5100	5500	5884
उर्वरकों संबंधी राज-सहायता देशी (यूरिया) उर्वरक	3800	4075	4300	4500
आयातित (यूरिया) उर्वरक	762	1166	1935	1648
किसानों को रियायत देते हुए नियंत्रण मुक्त उर्वरकों की बिक्री	517	531	500	2224
निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	665	658	315	460
रेलवे को राज-सहायता	405	423	418	469
मिल में बने हुए और हथकरघा वस्त्रों संबंधी राज-सहायता	206	169	148	140
किसानों को ऋण राहत	500	341	-	-
ब्याज और अन्य राज-सहायता	472	[illegible]	610	995
जोड	12864	12982	13726	16320

इजरायल द्वारा निवेश

3189. श्रीमती मीरा कुमार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इजरायल द्वारा भारत में बुनियादी, मझौलें तथा उपभोक्ता उद्योग क्षेत्र में तथा कृषि क्षेत्र में अब तक कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ख) किन-किन राज्यों में ये उद्योग स्थापित हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) 1.8.91 से 30.9.96 तक इजरायल द्वारा किये गये निवेश का क्षेत्र-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक तथा उपभोक्ता उद्योग एवं भारत में कृषि पर किये गये निवेश शामिल हैं।

(ख) 1.8.91 से 30.9.96 तक इजरायल द्वारा किये गये निवेश के राज्य वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

1.8.91 से 30.9.96 तक की अवधि के दौरान इजरायल के लिये अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा तकनीकी सहयोग के क्षेत्रवार ब्यौरे

क्र.सं.	उद्योग का नाम	जोड़ कुल योग कुल	तकनीकी	वित्त	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमोदित राशि	अनुमोदित कुल कुल राशि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	विद्युत उपकरण					
	विद्युत उपकरण	5	5	0	0.00	0.00
	कम्प्यूटर सोफ्टवेयर उद्योग	1	1	0	0.00	0.00
	योग	6	6	0	0.00	0.00
2.	दूरसंचार					
	दूरसंचार	2	2	0	0.00	0.00
	रेडियो पेजिंग	1	0	1	4.90	0.11
	सेल्यूलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा	1	0	1	4100.00	98.49
	योग	4	2	2	4104.90	98.60
3.	औद्योगिक मशीनरी	6	3	3	1.41	0.03
4.	कृषि मशीनरी	1	1	0	0.00	0.00
5.	विविध मैकेनिकल तथा इंजी.	4	1	3	1.64	0.04
6.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	5	4	1	5.24	0.15
7.	औषध तथा भेषज	1	1	0	0.00	0.00
8.	वस्त्र (रंगे, प्रिंटिड सहित)	1	1	0	0.00	0.00
9.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खाद्य उत्पाद	11	6	5	1.82	0.04
	योग	11	6	5	1.82	0.04
10.	गिलास (कांच)	1	1	0	0.00	0.00
11.	परामर्शी सेवाएं (डिजाइन तथा इंजी. सेवाए)	2	1	1	0.07	0.00
	योग	2	1	1	0.07	0.00

1	2	3	4	5	6	7
12.	सेवा क्षेत्र गैर-वित्तीय सेवाएं	2	0	2	2.88	0.07
	योग	2	0	2	2.88	0.07
13.	ट्रेडिंग कम्पनी	2	0	2	1.05	0.03
14.	विविध उद्योग					
	बागवानी	12	2	10	14.76	0.35
	कृषि	7	5	2	1.42	0.03
	पुष्पखेती	31	11	20	23.29	0.56
	अन्य (विविध उद्योग)	9	8	1	3.51	0.00
	योग	59	26	33	42.98	1.03
	योग	105	53	52	4162.98	

विवरण-II

अगस्त, 1991 से सितम्बर, 1996 की अवधि के लिये सभी खण्डों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदित मामलों की राज्य-वार रिपोर्ट

राज्य	अगस्त, 91 - सितम्बर, 96	
	संख्या	निवेश (करोड़ रु. में)
दिल्ली	3	4100.12
महाराष्ट्र	7	15.61
कर्नाटक	8	13.61
आन्ध्र प्रदेश	6	10.02
अन्य (बताया नहीं गया)	5	7.37
तमिलनाडु	9	7.31
उत्तर प्रदेश	4	2.35
पंजाब	4	2.18
राजस्थान	1	2.10
गुजरात	1	1.20
हरियाणा	4	1.11
	52	4162.98

[हिन्दी]

सूती वस्त्र उद्योग

3190. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ते कृत्रिम और फिलामेंट यार्न का सूती वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग को इस संकट से उबारने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में रुपये के मूल्य में वृद्धि

3191. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं को तुलना में रुपये के मूल्य में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). रुपए को विनिमय दर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक अमरीकी डालर की तुलना में सामान्यतया स्थिर रही। जबकि मार्च, 1996 और नवम्बर,

1996 के बीच पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 11.5 प्रतिशत और डी.एम. की तुलना में 1.5 प्रतिशत तक रुपए में कमी आई, इसी अवधि के दौरान येन की तुलना में इसमें 2.2 प्रतिशत का सुधार हुआ। अन्य प्रमुख मुद्राओं के साथ-साथ रुपए की घट-बढ़ इन मुद्राओं की तुलना में डालर की घट-बढ़ को प्रदर्शित करती है। प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए की विनिमय दर संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

रुपए की विनिमय दरें-मासिक औसत

***(एफ.ई.डी.ए.आई. सूचक दरें)**

(रुपया प्रति विदेशी मुद्रा)

महीना/वर्ष	अमरीकी डालर	पौंड स्टर्लिंग	ड्यूश मार्क	जापानी येन@
1996				
मार्च	34.3936	62.5512	23.2919	32.4960
	(6.51)	(7.08)	(7.29)	(6.57)
अप्रैल	34.2391	51.8774	22.7440	31.8897
	(0.45)	(1.30)	(2.41)	(1.97)
मई	35.0105	52.9799	22.8341	32.8993
	(-2.20)	(-2.08)	(-0.39)	(-3.13)
जून	34.9803	53.9448	22.9014	32.1315
	(0.009)	(-1.79)	(-0.29)	(2.39)
जुलाई	35.5050	55.1533	23.5763	32.5274
	(-1.48)	(-2.19)	(-2.86)	(-1.22)
अगस्त	35.6955	55.3299	24.1431	33.1196
	(-0.53)	(-0.32)	(-2.35)	(-1.78)
सितम्बर	35.7284	55.7217	23.7672	32.5756
	(-0.09)	(-0.70)	(1.58)	(1.66)
अक्तूबर	35.64.04	56.4717	23.3366	31.7402
	(0.25)	(-1.33)	(1.85)	(2.63)
नवम्बर	35.7353	59.3710	23.6376	31.8032
	(-0.27)	(-4.88)	(-1.27)	(-0.20)

* एफ.ई.डी.ए.आई.- भारत विदेशी विनिमय डीलर्स एसोसिएशन कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले महीने की प्रतिशतता वृद्धि/ह्रास(-) को सूचित करते हैं।

@ रुपया प्रति 100 येन।

खुले मुहानों वाली परियोजनाएं

3192. श्री हाराधन राय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत खुले मुहानों वाली परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा यह कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बंद/छोड़ी गई खुले मुहानों वाली परियोजनाओं के नाम तथा स्थान का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओ में कितना कोयला पड़ा हुआ है;

(घ) इन खुले मुहानों वाली परियोजनाओं को बंद करने के क्या कारण हैं और क्या सरकार को इन खुले मुहानों वाली परियोजनाओं को पुनः आरंभ करने का विचार हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत ओपनकास्ट परियोजनाओं के नाम तथा उनसे संबंधित स्थल नीचे दर्शाये गए हैं :-

क्र.सं.	ओपनकास्ट परियोजना का नाम	स्थल
1	2	3
1.	खोटाडीह	बर्द्धवान, जिला पश्चिम बंगाल
2.	शंकरपुर	-वही-
3.	जामबाद	-वही-
4.	अर्द्धग्राम	बंकुरा जिला पश्चिम बंगाल
5.	केन्दा वेस्ट	बर्द्धवान जिला पश्चिम बंगाल
6.	चोरा	-वही-
7.	बंसरा	-वही-
8.	तरसिया	-वही-
9.	सोनेपुर बाजारी	-वही-
10.	संग्रामगढ़	-वही-
11.	गोरंगडीह	-वही-
12.	बोयेमेहारी	-वही-
13.	मोहनपुर	-वही-
14.	निरसा	धनबाद-जिला-बिहार
15.	बरमुरी	-वही-
16.	राजपुरा	-वही-

1	2	3
17.	खुदिया	धनबाद-जिला-बिहार
18.	राजमहल	गोड्डा जिला बिहार
19.	सिमलोंग	-वही-
20.	गिरीजा	देवगढ़ जिला बिहार
21.	चित्रा (फेस-1)	-वही-

(ख) से (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान बंद पड़ी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की ओपनकास्ट परियांजना संबंधी खानों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

	ओ.का. परियोजना का नाम	स्थल
1993-94	धंडाडीह	बर्द्धवान जिला पश्चिम बंगाल
	दबोर	-वही-
	गंगाराम चक	बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल
	पलासथली	दुमका जिला बिहार
1994-95	शून्य	शून्य
1995-96	डामिलया	बर्द्धवान जिला पश्चिम बंगाल

यह खानें मुख्यतः खनन योग्य भंडारों के समापन के कारण बंद की गई हैं, अतः कोई खदान योग्य भण्डार इन खानों में नहीं छोड़े गए हैं।

(ङ) से (च). इस प्रश्न के भाग (घ) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

रूस को चाय का निर्यात

3193. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारतीय चाय का आयात बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई द्विपक्षीय वार्ता की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

कोयले का आयात

3194. श्री ओ.पी. जिन्दल : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमरीका से ऊर्जा क्षम कोयले का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अमरीका तथा अन्य देशों से कोयले के आयात हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) सरकार का विचार किस मूल्य पर कोयले का आयात करने का है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). वर्तमान आयात तथा निर्यात नीति के अंतर्गत, कोयले का स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। आयात, यदि कोई हो, तो उन्हें अपने वाणिज्यिक अनुमानों का इस्तेमाल करते हुए तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता की मांग को पूरा करने हेतु कोयले का आयात किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

कोयला खानों के मुहानों से कोयले की चोरी

3195. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/कोल इंडिया लि. प्रत्येक कोयला खानों के मुहाने में उपलब्ध कोयले की मात्रा की नियमित जांच करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कोयला खान के मुहाने पर कोल इंडिया लि. द्वारा की गई जांचों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक कोयला खान के मुहाने में कितने कोयले की कमी का पता चला है; और

(घ) कोयला खानों के मुहानों से कोयले की चोरी में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सरकार द्वारा किस कार्यवाही पर विचार किया गया है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). को.इं.लि., प्रत्येक सहायक कंपनी की हर खान के संबंध में वार्षिक रूप से पिटहैड स्टाक के मापन संबंधी कार्य का संचालन करती है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., भारत कोकिंग कोल लि., सेंट्रल कोलफील्ड्स लि., वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.में, जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान पिटहैड में बुक स्टाक के संबंध में स्टाक अनुज्ञेय मापन त्रुटियों से अधिक है, हुई कमियों का विवरण संग्लन है। उपरोक्त अवधि के दौरान नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., महानदी कोलफील्ड्स लि. तथा नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में स्टाक मापन में हुई कोई कमी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) जब भी पिटहैड से कोयले की चोरी होने का पता चलता है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) के माध्यम से, इसके संबंध में संबद्ध राज्य प्राधिकरण को सूचित कर दिया जाता है।

विवरण

कम्पनी	कार्यरत खानों की कुल सं.	वर्ष	खानों की संख्या जिनमें कमी रिपोर्ट की गई	कमी की प्रमात्रा (मिलियन (टन में)
ई.को.लि.	127	1993-94	31	0.66
		1994-95	38	0.32
		1995-96	12	0.05
भा.को.	93	1993-94	5	0.99
को.लि.		1994-95	20	2.81
		1995-96	3	0.28
से.को.लि.	74	1993-94	2	0.10
		1994-95	38	6.42
		1995-96	4	0.09
ने.को.लि.	88	1993-94	1	0.003
		1994-95	-	-
		1995-96	-	-
सा.ई.को.लि.	91	1993-94	1	0.08
		1994-95	-	-
		1995-96	-	-

इंडियन बैंक को घाटा

3196. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**
श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री पी.आर. दासमुंशी :
श्रीमती मीरा कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन बैंक द्वारा भारी हानि होने के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच पड़ताल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है तथा छापे मारे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे तथा जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ तथा हानि को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उन्होंने इंडियन बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को शामिल करते हुए 7 मामले दर्ज किए हैं। एक मामले में क्षेत्रीय जांच कार्य पूरा हो गया है और कानूनी संवीक्षा के लिए मामला लंबित है। शेष मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूछताछ/जांच के अधीन हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह भी कहा है कि इन सभी मामलों में हाल ही में जांच कार्य प्रारंभ किया गया है और इसमें पिछले कई वर्षों के लेनदेन, वृहत दस्तावेजों की संवीक्षा और विदेशों से पूछताछ शामिल है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह भी कहा है कि एक मामले में सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ अभियुक्तों के आवासीय/कार्यालय परिसरों की तलाशी भी ली गई है और कुछ दस्तावेज/सामान बरामद किए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह कहा जा सकता है कि अंतर्ग्रस्त व्यक्ति के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी।

कर्नाटक में मोटर वाहन संयंत्र

3197. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में विशेष प्रयोजन वाला मोटर वाहन संयंत्र स्थापित करने का है तथा तत्संबंधी स्थिति क्या है;

(ख) उक्त प्रस्तावित संयंत्र सार्वजनिक, निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किए जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संयंत्र की रोजगार सृजन क्षमता कितनी होगी?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं। तथापि, .कार की महत्वपूर्ण भूमिका होने से आटोमोबाइल क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खुला है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण

3198. **श्री आर. साम्बासिवा राव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधाओं का लाभ मिल सकता है तथा इस प्रकार के ऋण की सीमा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश के विशेषकर गुंटूर जिले में गत छः महीने के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में बैंक ऋण दिए जाने में विलंब किए जाने के बारे में जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ङ) आंध्र प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को बैंक ऋण दिए जाने के बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में विदेशी कानूनी फर्म

3199. श्री कृष्ण लाल शर्मा :

श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान समय में विदेशी कानूनी कम्पनियों का देश में प्रवेश प्रतिबंधित है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या प्रतिबंध के बावजूद देश में विदेशी कानूनी फर्म कार्य कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन कारणों से इनका कार्य देश में चल रहा है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि तीन विदेशी फर्म, अर्थात् मैसर्स चादबोर्न एण्ड पार्क एसोसिएट्स, मैसर्स व्हाइट एण्ड केस और मैसर्स अशुरस्ट मैरीज क्रिस्प को संचार माध्यम के रूप में कार्य करने अर्थात् भारत में अपने प्रधान कार्यालय और पक्षकारों के बीच पत्राचार करने के लिए अनुमोदन पत्र की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए मुम्बई और नई दिल्ली में अपने संपर्क कार्यालय खोलने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा अनुज्ञा दी गई है। उन्हें भारत में विधि व्यवसाय करने की अनुज्ञा नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3200. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

श्रीमती शीला गौतम :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मार्च, 1996 तक कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या कितनी है तथा इन इकाइयों में कितना निवेश किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन उपक्रमों द्वारा औसतन कितने मूल्य का वार्षिक निर्यात किया गया है;

(ग) इन उपक्रमों हेतु औसतन कितने मूल्य के वार्षिक निर्यात का लक्ष्य निर्धारित है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन उपक्रमों में से किसी को निजी क्षेत्र को सौंपने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) 31.3.1995 को अवधि तक की लेखा परीक्षित जानकारी उपलब्ध है, जिसके अनुसार देश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 245 उद्यम थे, जिनमें 1,72,438 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94, तथा 1994-95 के दौरान वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की कुल राशि क्रमशः 10,338.20 करोड़ रु. 11,972.45 करोड़ रु. तथा 13,345.45 करोड़ रुपए थी।

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निवेश का कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ). श्रमिकों सहित हितधारकों पर प्रभाव डाले बिना जब भी उचित होगा भली-भांति विचार-विमर्श करने के पश्चात् निजी क्षेत्र की सहभागिता पर गुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

बैंकों के नान-परफार्मिंग एसेट्स खातों में जमाराशियां

3201. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों के नान परफार्मिंग एसेट्स खातों में बैंकवार जमाराशियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन एनपीए खातों की संख्या कितनी है जिनमें उक्त अवधि के दौरान, बैंकवार और वर्षवार वसूलो की गई थी;

(ग) क्या ऐसी कुल राशियों में से कितनी राशि क्रमशः बैंकवार व वर्षवार प्राथमिकता वाले कार्यक्रम के लिएं किये गये आबंटन से वसूल नहीं की जा रही है;

(घ) एपीए में दर्शाई गई राशि वसूल करने के लिए की गई कानूनी और अन्य कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन राशियों का ब्यौरा क्या है जो विभिन्न न्यायालयों द्वारा किए गए आन्तरिक स्थगत आदेशों के कारण वसूल नहीं की जा सकी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके डाटा-बेस से बैंकों के अनुपयोज्य आस्ति खातों में जमा राशि तथा उन अनुपयोज्य आस्ति खातों की संख्या, जिनमें वसूलियां की गई हैं, के संबंध में सूचना नहीं मिलती है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के अनुपयोज्य आस्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गये हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनपयोजय आस्तियों की वसूलियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की बैंक वार-वार बकाया राशियां संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

(घ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों के संबंध में न्याय-निर्णयन तथा उनकी वसूली के लिए मुम्बई में अपीलीय अधिकरण सहित अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर और चेन्नई में ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ से अनुरोध किया है कि वे अपने सदस्य बैंकों को ऋण वसूली के अधिकाधिक मामले लोक अदालतों/न्यायालयों में लाने और उचित समझौतों के जरिए उन्हें निपटाने के लिए प्रोत्साहित करें।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना निगरानी प्रणाली से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती है।

विवरण-I

अनुपयोज्य आस्तियों की स्थिति

(राशि करोड़ में)

बैंक का नाम	1993-94 राशि	1993-94 कुल अग्रिम तुलना में प्रनिशत	1994-95 राशि	1994-95 कुल अग्रिम तुलना में प्रतिशत	1995-96 राशि	1995-96 कुल अग्रिम तुलना प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय स्टेट बैंक	11604.80	24.36	10926.15	19.90	10553.53	15.96
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	365.92	18.19	400.25	17.21	337.95	12.45
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	565.00	21.90	554.23	15.75	644.23.	15.59
स्टेट बैंक आफ इंद्वौर	232.65	21.41	199.01	15.28	218.84	14.20
स्टेट बैंक आफ मैसूर	332.47	21.46	284.48	14.44	328.93	14.54
स्टेट बैंक आफ पटियाला	305.38	13.09	330.98	11.42	399.71	11.49
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट	231.44	18.92	107.70	12.22	206.49	10.64
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	339.29	13.57	377.88	11.10	430.23	11.74
स्टेट बैंक समूह का योग	13976.95	22.94	13270.68	18.50	13119.90	15.28
इलाहाबाद बैंक	1025.03	24.74	1235.11	26.88	1255.00	23.98
आन्ध्रा बैंक	520.78	23.35	377.65	14.30	332.20	11.61
बैंक आफ बड़ौदा	2630.16	18.77	2689.68	16.58	2840.08	16.16
बैंक आफ इंडिया	3772.00	29.96	2961.00	20.66	2434.00	14.49
बैंक आफ महाराष्ट्र	847.67	36.23	734.59	25.71	694.26	21.87
केनरा बैंक	1653.00	18.22	1523.00	12.93	1533.47	11.11

1	2	3	4	5	6	7
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2443.00	35.29	2154.78	24.98	2036.00	20.91
कारपोरेशन बैंक	259.01	16.41	260.01	11.69	251.83	9.67
देना बैंक	564.00	22.51	557.08	17.34	508.00	13.43
इंडियन बैंक	2040.51	26.79	2102.41	24.09	3140.90	34.15
इंडियन ओवरसीज बैंक	2175.18	37.75	2001.41	28.85	1823.00	20.38
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	210.95	8.00	221.94	6.14	271.25	5.68
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	637.28	31.63	619.32	22.53	725.29	22.56
पंजाब नैशनल बैंक	2179.03	21.41	2033.00	17.01	2518.00	18.74
सिंडिकेट बैंक	1409.60	29.40	1452.97	27.48	1311.75	20.97
यूको बैंक	1961.81	34.61	1745.60	29.40	1840.00	24.54
यूनियन बैंक आफ इंडिया	693.49	12.87	695.95	9.41	900.63	9.93
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1509.00	15.95	1309.68	36.90	1503.00	38.04
विजया बैंक	532.88	26.96	439.40	17.47	545.38	20.36
राष्ट्रीय बैंक का योग	27064.38	25.84	25114.50	19.98	26464.04	18.22
सरकारी क्षेत्र के बैंक का योग	41041.33	24.78	38385.18	19.45	39583.94	17.12

विवरण-II

अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली-सरकारी क्षेत्र के बैंक

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक का नाम	1993-94 वसूली	1994-95 वसूली	1995-96 वसूली
1	2	3	4
भारतीय स्टेट बैंक	321.54	604.70	427.93
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	139.96	136.18	142.36
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	84.97	118.59	100.94
स्टेट बैंक आफ इंदौर	13.36	12.86	17.55
स्टेट बैंक आफ मैसूर	13.18	31.73	28.25
स्टेट बैंक आफ पटियाला	13.48	25.69	16.92
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	26.98	23.70	35.01
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	63.60	36.95	97.90
एसबीआई समूह का योग	677.07	990.40	861.86
इलाहाबाद बैंक	92.30	51.00	102.00
आन्ध्रा बैंक	76.00	111.00	36.00
बैंक आफ बड़ौदा	95.01	350.73	345.96
बैंक आफ इंडिया	301.00	325.00	354.00

1	2	3	4
बैंक आफ महाराष्ट्र	115.52	96.00	83.15
केनरा बैंक	204.00	255.00	238.00
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	296.00	550.00	541.00
कारपोरेशन बैंक	30.63	19.41	96.98
देना बैंक	65.91	192.00	65.80
इंडियन बैंक	205.00	283.00	283.00
इंडियन ओवरसीज बैंक	122.52	167.13	179.85
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	56.00	51.70	69.13
पंजाब एंड सिंध बैंक	41.55	101.74	56.08
पंजाब नैशनल बैंक	214.20	222.90	300.00
सिंडिकेट बैंक	189.35	147.65	188.37
यूको बैंक	141.14	157.64	95.44
यूनियन बैंक आफ इंडिया	128.00	159.00	161.00
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	74.00	142.00	102.00
विजया बैंक	86.00	69.00	27.00
राष्ट्रीयकृत बैंकों का योग	2534.13	3271.90	3258.76
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योग	3211.20	4262.30	4120.62

विवरण-III

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (बकाया)

(रु. करोड़ में)

बैंक का नाम	मार्च, 1994 शेष	मार्च, 1995 शेष	मार्च, 1996 शेष
1	2	3	4
भारतीय स्टेट बैंक	13403.99	15643.91	17018.00
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	706.89	773.73	970.27
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	974.60	1283.11	1601.58
स्टेट बैंक आफ इंदौर	398.80	529.29	621.92
स्टेट बैंक आफ मैसूर	548.32	679.70	804.44
स्टेट बैंक आफ पटियाला	903.00	1027.00	1204.00
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	481.27	584.04	752.52
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	793.15	1142.11	1194.57
इलाहाबाद बैंक	1615.50	1574.80	1596.00
आन्ध्रा बैंक	787.47	856.53	961.32
बैंक आफ बड़ौदा	4029.42	4060.80	5257.54
बैंक आफ इंडिया	2952.00	3433.76	3987.62

1	2	3	4
बैंक आफ महाराष्ट्र	891.00	1082.78	1244.53
केनरा बैंक	3289.54	4005.23	4802.96
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2730.66	3067.74	3470.60
कारपोरेशन बैंक	542.00	695.00	862.00
देना बैंक	912.00	1171.62	1389.25
इंडियन बैंक	2239.00	2530.00	2795.00
इंडियन ओवरसीज बैंक	1466.30	1805.58	2191.99
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1125.32	1445.00	1821.56
पंजाब नेशनल बैंक	4300.00	4571.39	4869.00
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	835.01	1056.18	1266.10
सिंडिकेट बैंक	1385.00	1579.00	1745.00
यूनियन बैंक आफ इंडिया	2063.54	2682.89	3157.86
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1305.00	1456.00	1524.00
यूको बैंक	1380.72	1396.35	1468.89
विजया बैंक	710.42	860.98	994.85

[अनुवाद]

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का कार्य-निष्पादन

3202. श्री मोहन रावले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के असन्तोषजनक कार्य-निष्पादन की जानकारी है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के अधिकारी बैंक का कार्य-निष्पादन सुधारने के लिए प्रबंधकों के उदासीन रवैये के विरूद्ध अपना आन्दोलन चला रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के परिचालन लाभ में 1994-95 के दौरान 49.18 करोड़ रुपए से 1995-96 के दौरान 210.89 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। बैंक की शुद्ध हानि में गिरावट आई और यह 1994-95 के दौरान 84.24 करोड़ रुपए से 1995-96 के दौरान 73.53 करोड़ रुपए हो गई। ये आंकड़े सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के कार्यनिष्पादन में सुधार दर्शाते हैं।

(ग) और (घ). सेंट्रल बैंक इंडिया ने सूचित किया है कि बैंक के एक संगठन का एक कर्मचारी वर्ग आन्दोलन कर रहा है जिसमें उसने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में आते हैं और वित्तीय विवक्षा के मामले हैं। संगठन के जिम्मेवार अधिकारियों के साथ बैंक द्वारा विचार-विमर्श के कई दौर और औपचारिक बातचीत भी की गई है ताकि आन्दोलन को समाप्त किया जा सके।

सोने की जब्ती

3203. श्री एन.एस.वी. चित्यन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में अवैध सोना जब्त किया गया है तथा इसका कुल मूल्य कितना है;

(ख) सोने की तस्करी करने के संबंध में कितने व्यक्ति दोषी पाये गये हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब्त किए गए अवैध सोने का वितरण किस प्रकार किया जाता है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (लगभग) 3009.00 लाख रुपये मूल्य का 599 कि.ग्रा. निषिद्ध सोना अभिगृहीत किया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सोने की तस्करी में 229 व्यक्ति ग्रस्त पाए गए।

(ग) अभिगृहीत निषिद्ध सोने को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वितरित नहीं किया जाता है और इसे सीमा शुल्क द्वारा दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, और चेन्नई में स्थित अपनी खुदरा दुकानों के जरिए बेचा जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली से निर्यात का बढ़ाया जाना

3204. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से निर्यात को बढ़ाने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैयां) : (क) से (ग). केन्द्र सरकार अपनी निर्यात नीति सम्पूर्ण देश के लिए बनाती है। यह नीति बनाते समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित प्रत्येक क्षेत्र के निर्यात उत्पादन की संभावनाओं, निर्देशों और अवस्थापना संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

[अनुवाद]

मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना

3205. श्री शरत पटनायक : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नए मुक्त व्यापार क्षेत्रों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) भारतीय संदर्भ में "मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफ.टी.जेड) और निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई.पी.जेड) समानार्थक नाम हैं। कोषों की उपलब्धता और वर्तमान निर्यात संसाधन क्षेत्रों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता को देखते हुए देश में नए क्षेत्रों की स्थापना करने का केन्द्र सरकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु अब निर्यात संसाधन क्षेत्रों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा या संयुक्त/निजी क्षेत्रों में की जा सकती है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बकाया ऋण

3206. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान 30 नवम्बर, 1996 तक प्रत्येक राज्य पर केन्द्रीय ऋण की कितनी राशि बकाया थी;

(ख) केन्द्र ने वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों को कितनी अतिरिक्त ऋण राशि जारी की है और वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यवार कितने ऋण की वसूली किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) राज्यों द्वारा 1996-97 के दौरान केन्द्र को ब्याज सहित कुल कितनी राशि लौटाई जानी है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिए गए ऋणों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग). विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

	राज्य	बकाया ऋण		(करोड़ रुपए में)
		31.3.1995 तक	31.3.1996 तक	30.11.1996 तक
	1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8225.08	9560.69	10278.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	164.63	195.91	218.17
3.	असम	3282.71	3518.88	3661.66
4.	बिहार	7732.11	8551.39	9286.43
5.	गोवा	717.54	756.70	797.29
6.	गुजरात	7611.15	8635.85	9406.33
7.	हरियाणा	2516.51	3228.83	3471.73
8.	हिमाचल प्रदेश	1226.76	1371.34	1634.25
9.	जम्मू और कश्मीर	2465.39	2541.92	2722.69
10.	कर्नाटक	5328.13	5941.03	6535.15
11.	केरल	3666.73	4178.54	4473.33
12.	मध्य प्रदेश	5117.66	5664.38	6179.33
13.	महाराष्ट्र	11984.63	13413.63	15467.30
14.	मणिपुर	166.84	178.30	193.23
15.	मेघालय	203.30	216.63	227.35
16.	मिजोरम	104.77	126.30	139.85
17.	नागालैंड	212.31	227.24	238.17
18.	उड़ीसा	3700.06	4204.75	4507.87
19.	पंजाब	9212.57	9610.91	10455.25
20.	राजस्थान	5276.37	6101.01	6665.96
21.	सिक्किम	106.04	116.09	129.28
22.	तमिलनाडु	6704.68	7441.11	8238.88
23.	त्रिपुरा	301.51	317.61	337.21
24.	उत्तर प्रदेश	16693.55	18831.22	20682.80
25.	पश्चिम बंगाल	9408.61	11102.73	12536.89
	जोड़	112129.64	126035.99	138484.45

विवरण-II

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	1995-96 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को जारी किए गए ऋण	1996-97 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी किए जाने वाले प्रस्तावित ऋण	1996-97 के दौरान राज्य सरकारों द्वारा वित्त मंत्रालय को चुकाए गए ब्याज सहित ऋणों की कुल राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1469.72	1652.81	1423.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	41.53	50.54	30.87
3.	असम	407.71	486.68	691.55
4.	बिहार	1156.73	1757.52	1328.23
5.	गोवा	60.74	73.82	86.53
6.	गुजरात	1299.98	1281.10	1375.59
7.	हरियाणा	502.86	753.52	598.04
8.	हिमाचल प्रदेश	178.98	299.72	212.54
9.	जम्मू और कश्मीर	245.90	389.78	412.81
10.	कर्नाटक	799.97	1067.58	930.30
11.	केरल	651.05	767.87	649.27
12.	मध्य प्रदेश	800.32	981.71	887.51
13.	महाराष्ट्र	1886.01	2331.55	2143.81
14.	मणिपुर	27.69	37.23	27.19
15.	मेघालय	23.80	40.64	35.55
16.	मिजोरम	26.76	32.32	19.72
17.	नागालैंड	25.00	31.00	35.88
18.	उड़ीसा	661.91	841.22	643.38
19.	पंजाब	785.61	1598.83	1587.46
20.	राजस्थान	1040.56	1194.66	928.11
21.	सिक्किम	17.50	21.53	18.89
22.	तमिलनाडु	981.17	1559.50	1174.89
23.	त्रिपुरा	31.78	55.16	51.88
24.	उत्तर प्रदेश	2786:05	3390.70	2927.49
25.	पश्चिम बंगाल	2013.12	2663.31	1728.37
	जोड़	17922.45	23360.30	19949.16

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात

3207. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा किन-किन मुख्य वस्तुओं का कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का आयात्त किया गया तथा इनकी बिक्री के आंकड़े क्या हैं;

(ख) विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है तथा उनके साथ किए गए अनुबन्ध की शर्तें क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान एस.टी.सी. के आयात और आयात बिक्री का मद-वार विवरण संलग्न है।

(ख) एस.टी.सी. सामान्यतः परिचित आपूर्तिकर्त्ताओं से सीमित पूछताछ करके और/ या विश्वव्यापी निविदाओं के जरिए माल का आयात करती है। एस.टी.सी. द्वारा गुणवत्ता, सुपुर्दगी समय, पैकिंग तथा भुगतान शर्तों आदि के संदर्भ में जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ठेकों की विस्तृत शर्तों को अन्तिम रूप दिया जाता है। जिन विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ एस.टी.सी. ठेका प्रबंध करती है, उनके नाम वाणिज्यिक रूप से वर्गीकृत समझे जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर के बाद एस.टी.सी. का लाभ निम्नांकित है :-

	(करोड़ रु.में)
1993-94	23
1994-95	22
1995-96	22

विवरण

एस.टी.सी. : 1993-94 से 1994-95 के दौरान आयात

मूल्य : करोड़ रुपयों में
मात्रा : कोष्ठक में हजार मी. टन*

मदें	1993-94 वास्तविक		1994-95 वास्तविक		1995-96 वास्तविक	
	सीआईएफ मूल्य	बिक्री मूल्य	सीआईएफ मूल्य	बिक्री मूल्य	सीआईएफ मूल्य	बिक्री मूल्य
खाद्य तेल	151.18	168.71	188.43	328.29	493.40	482.84 (194)
खाद्य तेल (केयर/एड)		-	-	-	-	20.2 (7)
अखबारी कागज	25.92	36.48	-	6.59	-	-
फैटी एसिड	0.49	0.69	0.01	0.01	0.11	0.35
चीनी (सरकारी खाता)		-	585.51	594.34 (471)	66.00	66.42 (42)
उर्वरक (सरकारी खाता)	-	-	-	-	232.82	233.10 (309)
रसायन और औषधियां	2.85	9.66	0.40	0.41	0.55	0.55
सामान्य आयात	13.34	13.34	3.15	3.25	40.06	40.89
कृषि वस्तुएं	13.36	9.94	9.98	11.25 (12)	6.18	5.08
भाखड़ा के लिए आयात	-	-	20.81	20.81	6.33	6.33
अन्य	0.65	0.23	0.02	0.39	1.77	1.42
कुल आयात	207.79	239.05	808.31	965.34	847.22	857.19

* जहां संभव/उपलब्ध थी, वहां मात्रा दर्शायी गयी है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

3208. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश के कितने लघु किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नलकूप लगाने के लिए ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस ऋण के वितरण में होने वाली कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि नलकूप लगाने के लिए सामान्यतया बड़ी जोत वाले किसानों द्वारा ऋण लिया जाता है, जबकि लघु कृषक सामान्यतया निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत भूमि में किए गए छिद्रों पर पम्पसेट लगाने के लिए ऋण लेते हैं। लेकिन नाबार्ड के पास मांगे गए तरीके के अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). आंकड़ा एकत्र किया जा रहा है और यथा-उपलब्ध आंकड़ा सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कोयले की आपूर्ति

3209. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

श्री शिवराज सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की प्रमुख कोयला कम्पनियों में खपत केन्द्रों तक कोयले की आपूर्ति हेतु परिवहन सुविधाओं का अभाव है जिससे कोयला खानों के निकट भारी मात्रा में कोयला एकत्र हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग). कोयला कंपनियां खपत स्थलों तक कोयले का परिवहन नहीं करती हैं। कोयले का परिवहन खपत केन्द्र तक रेलवे द्वारा अथवा उपभोक्ता द्वारा स्वयं अपने ग्रहीत परिवहन के साधनों (मैरी गो-राउण्ड व्यवस्था, बैल्ट, रोप) अथवा सड़क इत्यादि द्वारा किया जाता है। रेलवे के अतिरिक्त, ये सभी साधन ग्रहीत अथवा निजी स्वामित्व के होते हैं। कोयला कंपनियां उपभोक्ताओं को, कोलियरी स्थल पर प्रेषण के एक विशिष्ट स्थान पर कोयला देती है। अपनी सुविधा तथा उपलब्ध परिवहन व्यवस्था के अनुसार खपत स्थल तक परिवहन की व्यवस्था करना उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है।

यह एक तथ्य है कि कुछ कोयला उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन तथा परिवहन क्षमता के बीच सही तालमेल न होने के कारण कोयला कंपनियों को सारे उत्पादित कोयले को प्रेषित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किन्तु, कोयला मंत्रालय तथा कोयला कंपनियां रेलवे के साथ सामंजस्य स्थापित करके रेल द्वारा प्रेषणों में सुधार किए जाने हेतु कदम उठा रही है। कोयला कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले की निकासी हेतु संरचनात्मक ढांचे को आधुनिकीकृत करने तथा उसमें सुधार किए जाने हेतु भी निरंतर रूप से कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कपूर पर केन्द्रीय उत्पाद कर

3210. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल :

श्री संदीपान थोरात :

श्री नामदेव दिवाथे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपूर का इसकी वैज्ञानिक महत्ता के अलावा सारे देश में पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कितनी मांग है, कपूर का अधिष्ठापित उत्पादन कितना है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इसका कितना आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार को उद्योग से इस पर से केन्द्रीय उत्पादन कर को हटाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। इस मंत्रालय द्वारा कपूर की मांग के संबंध में ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। इस समय, कपूर उद्योग की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष लगभग 10,000 टन की है और इसका वार्षिक उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 7,000 टन है। गत तीन वर्षों के दौरान कपूर (प्राकृतिक कपूर और सिंथेटिक कपूर) के आयातों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

प्राकृतिक कपूर	मात्रा (मीट्रिक टन)
1993-94	–
1994-95	41.0
1995-96	218.6

सिंथैटिक कपूर	मात्रा (मीट्रिक टन)
1993-94	949.9
1994-95	203.0
1995-96	620.9

(ग) और (घ). सरकार को कपूर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को हटाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों की वर्ष 1997-98 के बजट प्रस्तावों पर विचार करते समय जांच की जाएगी।

निर्यात वृद्धि

3211. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से राज्यों द्वारा अपने निर्यातकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं। डी.जी.सी.आई.एण्ड एस. के आंकड़ों के अनुसार, डालर के रूप में देश के निर्यात में 1993-94 के दौरान 20 प्रतिशत, 1994-95 के दौरान 18.4 प्रतिशत और 1995-96 के दौरान 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों की सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं। वर्ष 1994-95 में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी. योजना) की शुरूआत की गई है। योजना के अनुसार केन्द्रीय अनुदान के रूप में राज्य सरकारों को निर्यातोन्मुख उत्पादन के लिए संरचना संबंधी सुविधाओं का निर्माण करने के लिए पूंजीगत खर्च का 75 प्रतिशत जो कि 10 करोड़ रु. तक सीमित है, दिया जाता है। अभी तक विभिन्न राज्यों के 18 प्रस्तावों को स्वीकृत किया जा चुका है और 73.26 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

वर्ष 1996-97 के दौरान सरकार ने क्रुसियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम (सी.बी.आई.) की शुरूआत की जिसमें निर्यात उत्पादन और परिवहन में अवस्थापना संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए पूंजीगत निवेश को संतुलित करने का प्रावधान है। राज्य सरकारों के प्रस्तावों सहित इस योजना के अंतर्गत अभिज्ञात प्रस्तावों का वित्त पोषण सरकार द्वारा इस उद्देश्य से निश्चित किए गए अलग से एक विशेष कोष से किया जाना है। वर्ष 1996-97 के बजट में 25 करोड़ रु. का अलग से प्रावधान रखा गया है।

जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में चुनाव संहिता का उल्लंघन

3212. श्री पिनाकी मिश्र : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा चुनाव आयोग को जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में हुए हाल के विधान सभा चुनावों के दौरान हुए चुनाव संहिता के उल्लंघन विशेषतः हिंसा, उग्रवादी गतिविधियों तथा तोड़-फोड़ के संबंध में शिकायतों के कई मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चुनाव आयोग ने उक्त राज्यों में किसी उम्मीदवार के निधन के कारण भी चुनाव स्थगित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चुनावों में इन गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी अंतर्विष्ट है, संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) उत्तर प्रदेश में 385 सिकारपुर (अनु. जाति) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन , निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की मृत्यु के कारण प्रत्यादिष्ट हुआ था।

(ङ) निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और उसने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करवाने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं।

विवरण

कश्मीर और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए हाल ही में हुए निर्वाचन के दौरान विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा आदर्श आचार संहिता का अतिक्रमण किए जाने के संबंध में रिपोर्ट किए गए मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	शिकायतों का नाम	संक्षिप्त विषय	की गई कार्रवाई	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
		जम्मू-कश्मीर		
1.	श्री मोहन सिंह चौहान प्रदेश सचिव, प्रदेश भाजपा, जम्मू-कश्मीर जम्मू	फारूक अब्दुल्लाह की नैशनल कांफ्रेंस का पक्ष लेते हुए बयान जारी करने के संबंध में सरकारी कर्मचारियों के एक संगठन के विरुद्ध अभिकथन।	वास्तविक रिपोर्ट के लिए मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया गया था।	रिपोर्ट के समाधानप्रद होने पर, आयोग ने मामले में आगे कार्रवाई न करने का विनिश्चय किया।
2.	श्री सुमीत भल्ला	जम्मू-कश्मीर को पिछली तारीख में ओलेइओ पाइन रेसिन आवंटित करने के लिए सरकार के विरुद्ध अभिकथन	यथोक्त	यथोक्त
3.	प्रो. सैफ-उद् दीन सैज, प्रवक्ता, जम्मू कश्मीर नैशनल कांफ्रेस	प्रचार अभियान के प्रयोजनों के लिए सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करने के लिए, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री मोहम्मद मकबूल डार के विरुद्ध अभिकथन।	यथोक्त	जम्मू-कश्मीर सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् आयोग ने यह वांछा की थी कि राज्य मंत्री श्री मोहम्मद मकबूल डार को जम्मू-कश्मीर से वापस लौटना चाहिए और वे वापस लौटे।
	श्री वैद्य विणु दत्त	कश्मीर के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री के विरुद्ध अभिकथन।	वास्तविक रिपोर्ट के लिए, मंत्रिमंडल सचिवालय को निर्दिष्ट किया गया।	रिपोर्ट समाधानप्रद होने पर आयोग ने इस मामले में आगे कार्रवाई न करने का विनिश्चय किया।
5.	श्री ए. रशीद	जम्मू प्रांत के लिए पृथक पर्यटन निदेशालय सृजित करने और प्रशासनिक व्यवस्थापनों की मंजूरी तथा अनेक पदों के अभिनियोजक/स्थानांतरण के संबंध में जम्मू कश्मीर सरकार के विरुद्ध अभिकथन।	वास्तविक रिपोर्ट के लिए शिकायत, जम्मू-कश्मीर सरकार को निर्दिष्ट की गई थी।	दो अनुस्मारकों के बावजूद भी रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।
		उत्तर प्रदेश		
1.	श्री एम. वेंकहिया नायडू, महासचिव टी.एन.सी.	प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के विरुद्ध निर्वाचन प्रयोजनों के लिए सभा आयोजित करने के संबंध में सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग का अभिकथन	वास्तविक रिपोर्ट के लिए राज्य सरकार को निदिष्ट किया गया।	रिपोर्ट के समाधानप्रद होने पर आयोग ने मामला बंद करने का विनिश्चय किया।
2.	श्री हरीश रावत, उपाध्यक्ष, आई एन सी	राज्यपाल श्री रोमेश भंडारी के विरुद्ध केन्द्रीय संचार मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा के साथ निर्वाचन प्रयोजनों के लिए सभा आयोजित करने का अभिकथन।	यथोक्त	यथोक्त

1	2	3	4	5
3.	श्री जगदीश प्रसाद माथुर	सूचना और प्रसारण मंत्री श्री सी.एम. इब्राहीम के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से सांप्रदायिक अपील करने के संबंध में अभिकथन।	वास्तविक रिपोर्ट के लिए राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया गया।	रिपोर्ट के समाधानप्रद होने पर आयोग ने मामला बंद करने का विनिश्चय किया।
4.	श्री जे.सी. जैतली, भा.ज.पा.	योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने के प्रति अभिकथन।	वार्षिक योजना स्थगत करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव को निर्दिष्ट किया गया।	अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई।
5.	श्री यशवन्त सिन्हा भा.ज.पा.	उत्तर प्रदेश की निर्वाचन सभाओं में निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में घोषणा करने पर प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा के विरुद्ध अभिकथन। (1) आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण और इसके लिए संविधान का संशोधन किया जाएगा। (2) देश में सिंचाई प्रणाली में सुधार करने के लिए 9 करोड़ रुपए का आबंटन। (3) उत्तर प्रदेश में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना।	वास्तविक रिपोर्ट के लिए मंत्रिमंडल सचिव और दूरदर्शन को निर्दिष्ट किया।	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और आयोग ने शिकायतों का अनुसरण न करने का विनिश्चय किया है।
6.	श्री यशवन्त सिन्हा, भा.ज.पा.	मछली शहर और जौनपुर की निर्वाचन सभाओं में प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए सेवाओं में 30 प्रतिशत के आरक्षण की घोषणा किए जाने के विरुद्ध अभिकथन।	वास्तविक रिपोर्ट के लिए मंत्रिमंडल सचिव को निर्दिष्ट किया गया।	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और आयोग ने शिकायतों का अनुसरण न करने का विनिश्चय किया है।
	श्री ओमबीर सिंह	प्रधानमंत्री द्वारा 26-9-1996 को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और मेरठ जिले के जिलाधिकारी को उर्वरकों और ट्रैक्टरों पर साहत्यिकी वितरित करने के निदेश। कलेक्टर को मालेपुर चीनी मिल के लिए निधि आबंटित करने के निदेश भी दिए गए थे।	वास्तविक रिपोर्ट के लिए मुख्य सचिव/मुख्य निर्वाचन आफिसर को अग्रेषित।	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
8.	श्री जितेन्द्र प्रसाद, संसद सदस्य, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश समिति कांग्रेस (आई)	उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और भा.ज.पा. के नेता श्री कल्याण सिंह द्वारा 26-6-96 को हिलसी की सभा में अपने बल के कार्यकर्त्ताओं से हथियार उठाने का आग्रह करने के विरुद्ध अभिकथन।	वास्तविक रिपोर्ट के लिए उ.प्र. के मुख्य सचिव को निर्दिष्ट किया गया।	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
9.	श्री राम प्रसाद चौधरी बहुजन समाज पार्टी	राज्यपाल श्री रोमेश भंडारी के विरुद्ध नवीन मंडी का उद्घाटन करने का अभिकथन।	वास्तविक रिपोर्ट के लिए मुख्य सचिव/मुख्य निर्वाचन आफिसर को अग्रेषित किया गया।	रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
10.	श्री किरत सिंह	हाइड्स एण्ड स्किन (चमड़ा) को 2 प्रतिशत मंडी फीस से छूट देकर 20 करोड़ रुपए की रियायत प्रदान करना।	यथोक्त	यथोक्त

भारतीय चाय निर्यातकों को कजाकिस्तान द्वारा भुगतान न किया जाना

3213. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कजाकिस्तान सरकार भारतीय चाय निर्यातकों को कुल 7.8 मिलियन डालर (27.30 करोड़ रुपए) का भुगतान किए जाने संबंधी अपनी पूर्ण गारंटी के आश्वासन को पूरा नहीं कर पाई है;

(ख) क्या भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ई.सी.जी.सी.) ने मध्य एशियाई गणतंत्र राष्ट्रों के लिए भारतीय निर्यातकों को कोई सुरक्षा संबंधी आश्वासन देने से मना कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बिना और विलम्ब किए उक्त भुगतान सुनिश्चित करने तथा कजाकिस्तान सरकार द्वारा चाय निर्यातकों को दी गई गारंटी के आश्वासन को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) भारतीय चाय निर्यातकों ने कजाकिस्तान को 8.258 मिलियन यू.एस. डालर मूल्य की चाय का निर्यात किया। 3.12 मिलियन यू. एस. डालर की राशि पहले ही प्राप्त की जा चुकी है और 5.138 मिलियन यू.एस. डालर की राशि और उसका ब्याज भारतीय कम्पनियों को अभी मिलना है। इस मामले को अनेक बार कजाक अधिकारियों के साथ उठाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बकाया राशि का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा।

(ख) भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ई.सी.जी.सी.) भारतीय निर्यातकों को कजाकिस्तान के लिए ऋण गारंटी प्रदान करता रहा है। उन्होंने उक्त देश में अपना प्रचालन समाप्त नहीं किया है। चूंकि इस देश को "प्रतिबंधित संरक्षण" के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए गारंटी संरक्षण के मामलों पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) बकाया के भुगतान से संबंधित मामले को हमारे राजनयिक चैनलों के माध्यम से कजाक सरकार के साथ समय-समय पर उठाया गया है। वाणिज्य मंत्री ने अक्टूबर, 1996 में अल्माटी के दौरे के दौरान इस मामले को कजास्तिान के उप प्रधानमंत्री के साथ उठाया। भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने हाल ही के दौरे के दौरान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से बकाया का निपटारा करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

सी.आई.एल. द्वारा भूमि की खरीद

3214. प्रो. रीता वर्मा : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों द्वारा कुल खरीदी गई भूमि में से सहायक कंपनीवार कितनी भूमि उनके वास्तविक कब्जे में नहीं हैं;

(ख) भूमि पर कब्जा लेने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी भूमि की खरीद के बदले संबद्ध लोगों को रोजगार तथा प्रतिपूर्ति पहले ही दी जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो सहायक कंपनीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) अधिग्रहीत भूमि, जिनका कब्जा वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका है, का कंपनीवार विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

सहायक कंपनी का नाम	भूमि की प्रमात्रा जिनका वास्तविक कब्जा नहीं प्राप्त है
ई.को.लि.	शून्य
भा.को.को.लि.	64.44
से.को.लि.	29,187.160
ना.को.लि.	1,656.000
वे.को.लि.	2,870.000
सा.ई.को.लि.	शून्य
म.को.लि.	12,745,939
कुल को.ई.लि.	46,523.639

(ख) भूमि का कब्जा प्राप्त करने में विलंब निम्नलिखित कारणों से हुआ है :—

स्वामित्व संबंधी झगड़ों, भू-स्वामियों के आपसी झगड़े, भू-स्वामियों द्वारा मुआवजे की अदायगी को स्वीकार करने से इन्कार किए जाने तथा अधिक मुआवजे की मांग करते हुए भूमि का हस्तान्तरण, रोजगार आदि।

(ग) भा.को.को.लि. संबंधी 64.44 हैक्टेयर की भूमि को छोड़कर ऐसी भूमि के लिए जो कि उत्तर के भाग (क) में निर्दिष्ट है, किसी मुआवजे की नकद राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा अभी तक भूमि के अधिग्रहण के लिए कोई रोजगार देने की पेशकश नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

गैस की खोज

3215. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमको कारपोरेशन को बिहार तथा पश्चिम बंगाल में मिथेन गैस की खोज के लिए अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति कब दी गई तथा इसकी शर्तें क्या थीं;

(ग) क्या अमको कारपोरेशन ने इस परियोजनाओं को बीच में ही छोड़ दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). सितम्बर, 1994 में, बिहार में स्थित दो ब्लाकों में कोयला बैड मीथेन गैस के अन्वेषण हेतु मैसर्स अमोको इंडिया पेट्रोलियम कंपनी (अमोको) को सरकार द्वारा अनुमोदन दे दिया गया था। अन्य बातों के अतिरिक्त, अनुमोदन की शर्तें निम्नलिखित थीं:-

(i) मैसर्स अमोको को कोयला खानों में हुई क्षति हेतु मध्यस्थता प्रक्रिया सहित शर्तें तथा व्यवस्थाएं निश्चित करते हुए कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(ii) को.इं.लि. तथा अमोको के बीच होने वाली वाणिज्यिक व्यवस्था में निम्नलिखित हेतु व्यवस्था होनी चाहिए :—

- प्रभावी कानूनों के अनुसार अमोको द्वारा सरकार को सांविधिक शुल्कों तथा करों का भुगतान किया जाना।
- मैसर्स अमोको द्वारा को.इं.लि. को "हस्ताक्षर बोनस" के रूप में 1.63 करोड़ रु. की निर्धारित राशि का भुगतान किया जाना।
- मैसर्स अमोको द्वारा मीथेन गैस के वैल हैड बिक्री मूल्य के 12.5 प्रतिशत की रायल्टी का भुगतान किया जाना। इनमें से, 10 प्रतिशत का राज्य सरकार को रायल्टी के रूप में तथा 2.5 प्रतिशत का उत्पादन बोनस के रूप में को.इं.लि. को भुगतान किया जाएगा।

(iii) को.इं.लि. के ऊपर किसी भी प्रकार की वित्तीय देयता नहीं होगी। किन्तु बाद में को.इं.लि. भारतीय तथा विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में इसके विकास हेतु अपनी इच्छा प्रदर्शित कर सकती है।

(iv) वर्तमान भारतीय कानूनों के अनुसार, अमोको, बिना मंत्रालय अथवा को.इं.लि. के हस्तक्षेप के, स्वयं गैस का विपणन का आवंटन करेगा।

(v) कोयला बैड मीथेन का अन्वेषण तथा खनन किए जाने हेतु उपकरणों के आयात पर उसी दर पर रियायती शुल्क लगाए जाने पर विचार हो रहा है, जो दर भारत में आने वाली तेल कंपनियों पर लागू होती हैं।

(vi) यह अनुमोदन जारी किए जाने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध है।

(ग) तथा (घ). जी, हां। कंपनी द्वारा परियोजना को इस आधार पर वापस ले लिया गया है कि यह परियोजना विश्व में उनकी अन्य कोयला बैड मीथेन परियोजनाओं के समान गति नहीं बनाए रख सकी है।

नमक उपकर

3216. श्री सनत मेहता : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उनके मंत्रालय ने नमक का उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यों से नमक उपकर के रूप में कितनी राशि एकत्र की; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस उपकर की राशि का नमक श्रमिकों के कल्याण पर और प्रत्येक राज्य में नमक उद्योग संबंधी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाता है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न नमक उत्पादक राज्यों से प्रति वर्ष एकत्रित नमक उपकर इस प्रकार है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

राज्य	93-94	94-95	95-96
गुजरात	183.46	180.13	196.37
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश	27.52	27.48	28.15
राजस्थान	7.85	13.37	14.66
महाराष्ट्र	7.07	5.16	6.25
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा	1.10	1.35	0.91
कुल	227.00	227.49	246.34

(ख) विभिन्न नमक उत्पादक राज्यों से वसूला गया उपकर का एक भाग नमक कर्मचारियों के कल्याण और "नियम संहिता" के अनुसार, जिसमें मजदूरों तथा उद्योगों के लाभ की योजनाओं के लिए खर्च की मंजूरी के बारे में दिशा निर्देश और कार्य पद्धति दी गई है, उद्योग को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए खर्च किया जाता है। इन योजनाओं को स्वीकृति संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय नमक परामर्शदायी बोर्ड द्वारा दी जाती है। पिछले तीन वर्षों में नमक उत्पादक राज्यों के उद्योगों और श्रमिकों की लाभ योजनाओं के लिए उपकर से जारी की गई राशि नमक उत्पादक के लिए संपर्क मार्गों की स्थापना करने, सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करने, नमक उत्पादन के लिए आराम गृहों का निर्माण, नमक उत्पादन कार्य में लगे मजदूरों के लिए पेय जल सुविधाएं मुहैया करने, स्वास्थ्य केंद्र तथा चक्षु शिविरों का आयोजन करने, नमक उत्पादन करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था, नमकीन पानी की आपूर्ति के लिए नहरों का निर्माण और नमक उद्योग के विकास से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने आदि में प्रयुक्त होती है।

कोल इंडिया लिमिटेड संबंधी परियोजनाएं

3217. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान कोल इंडिया लि. ने कितनी कोयला खनन परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) इन परियोजनाओं हेतु कुल कितनी राशि का निवेश अपेक्षित है;

(ग) क्या अपेक्षित राशि कोल इंडिया लि. के पास उपलब्ध है;

(घ) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं हेतु धनराशि जुटाने के लिए कोल इंडिया लि. ने किन-किन स्रोतों की खोज की है; और

(ङ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा निवेश की 1655.17 करोड़ रु. की राशि से 28 कोयला खनन परियोजनाओं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रु. है, को शुरू किया गया।

(ग) और (घ). 18 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। शेष 24 परियोजनाओं में से 4 परियाजनाओं का वित्त-पोषण आपूर्तिकर्त्ताओं के क्रेडिट से जुड़ा हुआ है तथा दो परियोजनाएं इंटरनेशनल बैंक फार रीकस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आई.बी.आर.डी.) के ऋण, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है, से जुड़ी हुई हैं। शेष 26 परियोजनाओं हेतु 821.12 करोड़ रु. की पूंजीगत परिव्यय की आवश्यकता है तथा इसे को.इं.लि. के आंतरिक संसाधनों से वित्तीय व्यवस्था द्वारा पूरा किया जा सकता है।

(ङ) कार्यान्वयनाधीन 24 परियोजनाओं में से 22 परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूर्ण होने संबंधी कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है, जबकि दो परियोजनाओं का क्रियान्वयन धीमी गति से हो रहा है, जिनका कारण उपर्युक्त उत्तर के पैरा (ग और घ) में निर्दिष्ट हैं।

इलायची का उत्पादन और निर्यात

3218. श्री पी.सी. थामस :

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितनी इलायची का निर्यात किया गया है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान निर्यात में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इलायची उद्योग की कठिनाइयों पर काबू पाने एवं इसके निर्यात को बढ़ाने हेतु कोई विशेष योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान इलायची के न्यूनतम मूल्य का निर्धारण करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए इलायची (छोटी) के निर्यातों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु. में)
1993-94	387	1454.83
1994-95	257	762.61
1995-96(अ)	500	1239.55

(स्रोत : डी.जी.सी.आई.एण्ड एस. कलकत्ता/मसाला बोर्ड)

(ख) इलायची के निर्यात में गिरावट आने के कुछ कारण नीचे दिए गए हैं :—

(1) ग्वाटेमाला इलायची की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय इलायची का गैर-प्रतिस्पर्धी मूल्य;

(2) ग्वाटेमाला में विशाल उत्पादन और घरेलू बाजार का अभाव;

(3) मध्य पूर्वी बाजारों में ग्वाटेमाला की कम मूल्य वाली इलायची के प्रति क्रय रूख में परिवर्तन।

(ग) और (घ). इलायची का उत्पादन/उत्पादकता और इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, वे हैं: (1) गुणवत्ता रोपण सामग्री का उत्पादन और आपूर्ति; (2) पुराने, रोग ग्रस्त पौधों के पुनर्रोपण के लिए सहायता; (3) सिंचाई और भूमि विकास के लिए इमदाद; (4) पौध संरक्षण उपकरणों की खरीद के लिए सहायता; (5) इलायची पर से निर्यात उपकर समाप्त करना; और (6) व्यापार मेलों में भाग लेकर, विदेशों में शिष्टमंडल भेजकर और इनफलाइट प्रमोशन द्वारा घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इलायची को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(च) इस समय प्रचलित कीमतों को देखते हुए छोटी इलायची के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना जरूरी नहीं है।

[हिन्दी]

सीमा व्यापार समझौता

3219. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चीन, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) इस संबंध में इन देशों की सरकारों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौतों और बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन मदों का आयात-निर्यात किया गया और विगत समय में इन देशों के साथ व्यापार के लिए किन मार्गों का इस्तेमाल किया गया; और

(घ) इन देशों के साथ व्यापार विस्तार के लिए किन नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). भारत और चीन के बीच औपचारिक व्यापार सन् 1978 में हुआ। औपचारिक व्यापार संबंध व्यापार करार पर 15.8.84 को हस्ताक्षर होने के साथ ही स्थापित हुए। भारत और चीन के बीच सीमावर्ती व्यापार क्रमशः 7.9.93 और 13.12.91 को करारों पर हस्ताक्षर होने के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शिप्किला दर्रा और लिपुलेख दर्रा से होता है।

म्यांमार के साथ व्यापार करार पर 27.5.1970 को हस्ताक्षर हुए थे जबकि सीमा व्यापार करार 21.1.94 को सम्पन्न हुआ। इस व्यापार करार में मणिपुर में मोरेह और मिजोरम में चम्पाई के जरिए व्यापार करने की व्यवस्था है।

भारत और बांग्लादेश ने 4.10.80 को एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए, जिसे 3.10.98 तक बढ़ा दिया गया है।

पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार करार नहीं है।

भारत से चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान को अनेक सामानों का निर्यात और आयात किया जाता है जिसका ब्यौरा डी.जी.सी.आई. एण्ड एस. द्वारा प्रकाशित मासिक प्रकाशन "भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी" में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारत सरकार चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण व्यापार संबंध बनाए हुए है। शिष्टमंडल और संयुक्त व्यापार परिषदें दौरों का आदान-प्रदान करते हुए व्यापार वार्ताएं करती हैं। इन देशों की विशेष जरूरतों को भारत द्वारा पूरा किया जाता है यथा पाकिस्तान द्वारा चीनी की जरूरत पूरी की जाती है। साप्ता के तहत सार्क देशों को टैरिफ रियायतों का लाभ मिलता है।

(घ) चीन को होने वाले निर्यातों के प्रमुख क्षेत्र हैं-सोयामील, भेषज सामग्री, स्वचालित वाहनों के हिस्से पुर्जे।

म्यांमार को होने वाले निर्यातों के प्रमुख क्षेत्र हैं-ऑटोमोबाइल सहित इंजीनियरिंग सामान, भवन निर्माण सामग्री, मसाले सहित कृषि उत्पाद।

बांग्लादेश और पाकिस्तान को होने वाले निर्यातों के प्रमुख क्षेत्र हैं- चावल, मसाले, पान के पत्ते और सुपारी, चीनी इत्यादि।

[अनुवाद]

कल्याण उपकर राशि का आवंटन

3220. श्री हाराधन राय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोल इंडिया लि. की विभिन्न सहायक कंपनियों को दी जाने वाली उपकर की राशि आवंटन को बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। तत्कालीन कोयला खान श्रम कल्याण द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी क्रियाकलापों के निष्पादन का दायित्व अब कोयला कंपनियों का है, जो अपने संसाधनों के माध्यम से उक्त क्रियाकलापों का वित्त-पोषण करते हैं।

रुपये की संचित धनराशि

3221. श्री जी. वेंकट स्वामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के उप प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान अपने खातों में रुपये की संचित धनराशि को भारत में विनिवेश करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा धनराशि का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाएगा;

(ग) क्या उन्होंने भारतीय बैंकों तथा अन्य व्यवसायी संगठनों को रूस में अपनी शाखाएं खोलने के लिए आमंत्रित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारत और रूस के बीच सिद्धांत रूप में यह सहमति है कि भारत द्वारा रूस को दिए जाने वाले रुपया वापसी अदायगी निधियों के एक भाग का भारत में संयुक्त उद्यमों में रूसी निवेश के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तथापि, इस संबंध में एक नीतिगत ढांचे को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। वित्त मंत्रालय में 29 अक्तूबर, 1996 को हुए विचार-विमर्श में रूसी उप प्रधान मंत्री मि. ओगेल देवीडोव ने इस क्षेत्र में शीघ्र प्रगति के सम्बन्ध में रूस की रूचि प्रकट की। इस बात पर सहमति थी कि भारत रूस संयुक्त आयोग की अगली बैठक में दोनों पक्षों के बीच इस सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श आयोजित किया जाएगा।

(ग) और (घ). रूसी उप प्रधान मंत्री ने रूस में भारतीय बैंकों की शाखाएं स्थापित करने पर जोर दिया ताकि द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। समझा जाता है कि कुछ भारतीय बैंक रूस में शाखाएं आरम्भ करने की सम्भावनाओं की जांच कर रहे हैं।

फलों, सब्जियों तथा फूलों का निर्यात

3222. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) ने चालू वर्ष के दौरान फलों, सब्जियों तथा फूलों के निर्यात में 20 से 30 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए कोई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान निर्यात में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल हुई;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान कुल कितना निर्यात किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान उसी अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए; और

(ङ) इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एक वस्तु बोर्ड है, एपीडा अधिनियम, 1985 की सूची में सम्मिलित कृषि-आधारित उत्पादों के विकास तथा निर्यात संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। एपीडा ने 1996-97 के लिए वार्षिक योजना तैयार की है जिसमें फलों, सब्जियों तथा पुष्पोत्पादों (फूलों सहित) के संबंध में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 20 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि दर की परिकल्पना की गई है। वर्ष 1996-97 के लिए इन उत्पादों के लिए निर्धारित किए गए निर्यात लक्ष्य 1995-96 के दौरान प्राप्त किए गए 1082.88 करोड़ रु. के निर्यात निष्पादन की तुलना में 1294 करोड़ रु. है। यह वृद्धि दर मुख्य रूप से इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि ये अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्पाद हैं और उनके निर्यात की काफी अधिक संभावनाएं हैं।

(ग) और (घ). वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान निर्यात किए गए फलों, सब्जियों तथा पुष्पोत्पादों का मूल्य निम्नानुसार है :—

		1994-95	1995-96
			(करोड़ रु. में)
(1)	ताजे फल	184.54	229.96
(2)	ताजी सब्जियां	248.93	301.19
(3)	प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियां	348.21	491.59
(4)	पुष्पोत्पाद	30.83	60.14
		812.51	1082.88

फलों, सब्जियों तथा पुष्पोत्पादों के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान निर्यात के लिए निर्धारित किए गए निर्यात लक्ष्य निम्नानुसार हैं :—

		(करोड़ रु. में)
(1)	फल और सब्जियां	650
(2)	प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियां	569
(3)	पुष्पोत्पाद	75

(ङ) फलों, सब्जियों तथा पुष्पोत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) निर्यातकों/उपजकर्ताओं/उत्पादकों/सहकारिता संगठनों को अवस्थापनापरक सुविधाओं जैसे-विशेषीकृत परिवहन एककों की खरीद, प्री-कूलिंग/शीत भंडारण सुविधाओं की स्थापना आदि के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(2) ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्मों, राइपनिंग/क्यूरिंग चैम्बर्स तथा गुणवत्ता परीक्षण उपकरण की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों की व्यवस्था करना;

(3) उन्नत पैकेजिंग तथा गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी देना;

(4) क्लीयरेंस के लिए प्रतीक्षारत निर्यात खेपों के लिए चलते-फिरते शीत भंडारों की स्थापना करना;

(5) नई दिल्ली हवाई पत्तन पर खराब होने वाले उत्पादों के लिए समुचित कार्गो रख-रखाव सुविधाओं की स्थापना करना;

(6) संवर्धनात्मक अभियानों, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना;

(7) उत्पादकता तथा उत्पादन में सुधार करने के लिए पुष्पोत्पादन संबंधी यू.एन.डी.पी. परियोजना को कार्यान्वित करना;

(8) चुनिंदा पुष्पोत्पादन, बागान उत्पाद तथा ताजी सब्जियों के लिए हवाई भाड़ा सहायता अनुदान को मंजूरी प्रदान करना।

भारतीय स्टेट बैंक कानपुर में जमा पर्चियों की कमी

3223. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश विशेषकर कानपुर में भारतीय स्टेट बैंक की दैनिक आय योजना को जमा पर्चियां की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या जमाकर्ताओं को बिना रसीद प्राप्त किए ही धनराशि जमा करानी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो ये पर्चियां वहां कब से उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) इन पर्चियों की कमी के कारण बैंक को अनुमानतः कितना घाटा हुआ है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि जनता जमाराशि योजना (जनता डिपाजिट स्कीम) के संबंध में जमा पर्चियां उत्तर प्रदेश में विशेषतया कानपुर में उनकी शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। भविष्य में भी ऐसी पर्चियों को उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करना

3224. श्री भक्त चरण दास : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य के विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण की कुल कितनी धनराशि वितरित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे ऋणों का बैंकों में जमा राशि की तुलना में अनुपात क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से उपलब्ध गत तीन वर्षों के दौरान मार्च के अन्त की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के बकाया ऋण और तदनुरूपी जमाराशियों की तुलना में ऐसे ऋण की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	ग्रामीण शाखाओं की बकाया बैंक ऋण (करोड़ रुपए)	तदनुरूपी जमाराशियों की तुलना में ग्रामीण शाखाओं के बकाया बैंक ऋण की प्रतिशतता
मार्च, 1994	889.89	73.31
मार्च, 1995	1018.71	63.96
मार्च, 1996	1135.10	59.93

कोलमैन एण्ड कम्पनी को बैंकिंग लाइसेंस

3225. श्री तारीक अनवर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी को टाइम्स बैंक स्थापित करने के लिए बैंकिंग लाइसेंस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकिंग लाइसेंस देने का निर्णय हमारी बैंकिंग प्रणाली के नियमों तथा विनियमों के अनुसार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो गैर-सरकारी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना करने के लिए लाइसेंस मंजूर करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है, बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी को बैंक की स्थापना करने के लिए लाइसेंस जारी किया है। यह लाइसेंस गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंसों की मंजूरी से संबंधित मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी से प्राप्त आवेदन की जांच करने के बाद जारी किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कॉफी आदि का निर्यात

3226. श्री अनंत कुमार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मुख्य रूप से किन देशों को कॉफी, इलायची, मिर्च एवं तम्बाकू का निर्यात किया गया;

(ख) इससे वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) विश्व में उपरोक्त वस्तुओं के निर्यात में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है;

(घ) देश में इन वस्तुओं के प्रमुख रूप से उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ङ) इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने हेतु नए बाजारों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख). विभिन्न पण्यों के निर्यात का देश-वार विस्तृत विवरण वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी.जी. सी.आई. एण्ड एस.), कलकत्ता द्वारा जारी किए गए मुद्रित मासिक प्रकाश "भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े" में उपलब्ध हैं और उसकी प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। तथापि, पिछले तीन

वर्षों के दौरान इन पण्यों का कुल निर्यात और अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार हैं :

(मात्रा मी. टन में; मूल्य : करोड़ रु. में)

मद	1993-94		1994-95		1995-96	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कॉफी	136690	586.99	137395	1096.33	170581	1524.00
इलायची (छोटी)	387	14.55	257	7.63	500	12.40
इलायची (बड़ी)	1797	12.57	1293	8.13	1784	12.35
मिर्च	30776	72.14	20096	57.12	56073	194.14
तम्बाकू	104676	461.19	53732	254.75	71430	365.81

(ग) विश्व निर्यात में भारत का प्रतिशत के रूप में हिस्सा लगभग निम्नानुसार है :—

कॉफी	—	4.00% (1995-96)
मिर्च	—	93.46%
छोटी इलायची	—	3.33%
बड़ी इलायची	—	59.76%
तम्बाकू	—	3.3% (वर्ष 1994 के विश्व व्यापार के निर्यात आंकड़े के अनुसार)

(घ) देश में विभिन्न मदों के मुख्य उत्पादक राज्य निम्नानुसार हैं :—

कॉफी	—	कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु
तम्बाकू (वीएफसी)	—	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
इलायची (छोटी)	—	तमिनलाडु, कर्नाटक, केरल
इलायची (बड़ी)	—	सिक्किम, पश्चिम बंगाल
मिर्च	—	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान।

(ङ) विश्व में कॉफी, इलायची, मिर्च और तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिए नए बाजार का पता लगाने हेतु उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :—

कॉफी :

(1) निर्यातकों के सक्रिय सहयोग से विदेश में चुनिन्दा खाद्य मेलों/प्रदर्शनियों में नियमित भागीदारी।

(2) वर्ल्ड कॉफी एण्ड टी, कॉफी एण्ड इण्टरनेशनल, एफ. ओ. लाइट इत्यादि जैसी चुनिन्दा विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में भारतीय कॉफी की अद्वितीय विशेषताओं के बारे में विज्ञापन देना।

(3) भारतीय कॉफी के बारे में विशेष रूप से तैयार किए गए बहुरंगे फोल्डर और अन्य साहित्य का प्रचालन।

(4) भारतीय कॉफी के उपहार पैकेट तैयार करना और उसकी आपूर्ति।

इलायची और मिर्च :

विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी इत्यादि।

तम्बाकू :

(1) व्यापार और उद्योग से निर्यात आवश्यकताएं प्राप्त करने के बाद तम्बाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश में एफ.सी.वी. तम्बाकू फसल के आकार की योजना बनाता है।

(2) रूस को आंध्र प्रदेश से तम्बाकू निर्यात की अनुमति ऋण पुनर्भुगतान मार्ग" के अंतर्गत दी जाती है। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि "ऋण पुनर्भुगतान" के तहत रूस को प्रति वर्ष 30,000 टन की दर से तम्बाकू निर्यात बढ़ाया जाए।

(3) आंध्र प्रदेश से तम्बाकू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तम्बाकू बोर्ड विभिन्न देशों को व्यापार प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित करता है।

(4) अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी।

(5) अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में विज्ञापन।

आयकर विभाग का वार्षिक सम्मेलन

3227. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्तों एवं महानिदेशकों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन के कुछ उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी, हां। मुख्य आयकर आयुक्तों और आयकर महानिदेशकों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन 13-14 नवम्बर, 1996 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ग) से (ङ). ऐसे सम्मेलन को आयोजित करने के उद्देश्य वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती महीनों के दौरान विभाग के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना और न केवल कार्य-योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बल्कि इन लक्ष्यों को पार करने के लिए भी अपनायी जाने वाली कार्य-नीति पर विचार करना है। ऐसा सम्मेलन देश के शीर्ष पर प्रशासकों के लिए अनुभव का आदान-प्रदान करने वाले एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।

उक्त सम्मेलन में निम्नलिखित विशिष्ट विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था :—

(1) वसूली की समीक्षा करना;

(2) कम्प्यूटरीकरण कार्य की समीक्षा करना, जिसमें स्थाई खाता संख्या के आवंटन और चालानों की प्रोसेसिंग पर विशेष बल दिया गया है;

(3) बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि करना;

(4) कर-आधार का विस्तार करना;

(5) विधायी संशोधनों के लिए सुझाव देना;

(6) सीमित संवीक्षा योजना की पुनरीक्षा करना; और

(7) दीर्घकालिक प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताएं।

सम्मेलन आयोजित किए जाने के उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था। सम्मेलन में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों और दिए गए सुझावों को भविष्य में कार्यवाही हेतु नोट कर लिया गया था।

हीरों के निर्यात में कमी

3228. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरों के निर्यात में काफी कमी आई है;

(ख) क्या हीरा उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में समस्याओं का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) हीरों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए किन संभावनाओं का पता लगाया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान हीरों के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। अप्रैल-अक्टूबर, 1995 की तुलना में वर्ष 1996 की उसी अवधि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में निर्यात होने के बावजूद हाल ही में डालर के रूप में मूल्य प्राप्ति में नाम मात्र की कमी आई है जिसका कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कम कीमतें होना रहा है। हीरों का निर्यात मूल्य तथा मात्रा के रूप में निम्नानुसार है :—

(मूल्य अमरीकी डालर/मिलि.)

(मात्रा लाख कैरेट में)

मद	1993-94	1994-95	1995-96
हीरे	3574.50	3937.00	4577.54
	139.90	158.07	192.24
	अप्रैल-अक्टूबर 96 (अनंतिम)		अप्रैल-अक्टूबर 95
	2547.10		2633.05
	109.76		106.91

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस 1993-94, 1994-95, 1995-96 के लिए निर्यात

जी जे ई पी सी : निर्यात अप्रैल-अक्टूबर 96 के लिए 1993-94 से कैरेटवार निर्यात

(घ) और (ङ). रत्न और आभूषण के निर्यातकों ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि लदान-पश्चात् ऋण की ब्याज-दरों तथा आयात दस्तावेज बैंकों के माध्यम से भेजने की व्यवस्था से इनकी लागतों में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप विश्व बाजार में उनकी प्रतियोगिता पर प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र में विश्व बाजार में इस समय मांग की मंदी तथा कम कीमतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में लदान-पश्चात् ऋण की ब्याज-दरों में कमी की है और प्राधिकृत डीलरों को यह अनुमति भी दे दी है कि वे 25,000 अमरीकी डालर मूल्य तक अथवा इसके बराबर मूल्य के आयात-दस्तावेज कुछेक आवश्यकताओं को पूरा करने पर विदेशी विक्रेताओं से सीधे ही प्राप्त कर सकते हैं।

सूती धागे का उत्पादन

3229. डा. असीम बाला : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती धागे के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सूती धागे का कितना उत्पादन किया गया?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती यार्न के उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	सूती यार्न मिलियन कि.ग्रा. में
1993-94	1622
1994-95	1586
1995-96 (अनन्तिम)	1736

उत्तर प्रदेश में खनिज तथा धातु व्यापार निगम की परियोजनाएं

3230. श्री भगवान संकर रावत : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एम.एम.टी.सी.) ने उत्तर प्रदेश में कुछ परियोजनाएं शुरू करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा रोजगार सृजन क्षमता कितनी है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कॉफी बोर्ड

3231. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी पूलिंग प्रणाली को समाप्त करने के लिए कॉफी बोर्ड ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने कर्मचारियों ने उक्त योजना को विकल्प के रूप में चुना है;

(ग) क्या सरकार का अनुसंधान कार्य शुरू करने और कॉफी के विकास के लिए पाठ्यक्रम चलाने हेतु कॉफी बोर्ड को एक अनुसंधान संस्थान के रूप में बदलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) कॉफी बोर्ड में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना वर्ष 1994 के दौरान शुरू की गई थी। सितम्बर, 1996 से पूलिंग करने की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

(ख) कुल 1494 कर्मचारियों ने मौजूदा योजना के लिए विकल्प दिया है तथा 1322 कर्मचारियों को रिलीव कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात

3232. श्री एन.एस.वी. चित्यन :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री काशीराम राणा :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल कितने मूल्य के सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात किया गया और पिछले तीन वर्षों की तुलना में यह कितना अधिक या कम है;

(ख) क्या हाल ही में सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का सिले सिलाए वस्त्रों को निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1996 तक तथा पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि के दौरान किए गए सिले सिलाए परिधानों के निर्यात का कुल मूल्य निम्न अनुसार रहा है :—

अवधि (अप्रैल-अक्तूबर)	मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में
1993-94	1813.68
1994-95	2264.28
1995-96	2243.51
1996-97	2553.73

(ख) जी नहीं,

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिधानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल का आयात करने का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबंध करना, ऋण की बनी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973

3233. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे के साथ-साथ इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). फेरा में महत्वपूर्ण परिवर्तन विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 29) के तहत किए गए थे। "फेरा" की समीक्षा कार्य वर्ष 1992 में कार्यबल की स्थापना द्वारा प्रारंभ किया गया था। यदि कोई और परिवर्तन अपेक्षित होंगे तो उनके संबंध में भी यथा समय विचार किया जाएगा।

लाभांश पर दोहरा कराधान

3234. श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लाभांश पर दोहरा कराधान को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). सरकार द्वारा प्रति वर्ष बजटीय प्रक्रिया के एक भाग के रूप में विभिन्न नीतिगत उपायों के संबंध में विचार किया जाता है और नए निर्णयों को बजट दस्तावेजों में दर्शाया जाता है।

भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार प्रतिबंधों में उदारीकरण

3235. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री तारीक अनवर :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बांग्लादेश में व्यापार प्रतिबंधों को उदार बनाने पर सहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे के साथ-साथ वे प्रमुख मदें और क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनमें व्यापार प्रतिबंधों को उदार बनाया गया है;

(ग) क्या इन प्रतिबंधों का हटाया जाना दोनों देशों के लिये सहायक हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह कहां तक सहायक होंगे?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ). भारत और बांग्लादेश दोनों ही सार्क अधिमानी व्यापार प्रबंध (साप्टा) के सदस्य हैं। साप्टा के पहले दौर के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच उनके निर्यात हित की मदों के बारे में टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान किया गया है। भारत ने बांग्लादेश सहित सार्क सदस्य देशों को 106 टैरिफ लाइनों पर रियायतें दी हैं और ये 7.12.1995 से प्रचालन में आ गई हैं। व्यापार को और बढ़ाने के उद्देश्य से साप्टा के दूसरे दौर के अन्तर्गत और टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

3236. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और विकास-दर में सुधार लाने के लिए (एक) मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने तथा (दो) सुगम ऋण सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कोई दोहरी कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में अब तक कितनी सफलता मिली है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की अभिवृद्धि के लिए मूल्य स्थिरता तथा यथेष्ठ ऋण उपलब्धता के दोहरे उद्देश्यों को हासिल करने के उद्देश्य से 1996-97 में 15.5-16.0 प्रतिशत की मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि (एम. 3) के लिए प्रयास करना है। इस दृष्टिकोण से भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी प्रारक्षित अनुपात (सी.आर.आर.) में चरणबद्ध कमी करने तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्यात वित्त के लिए उच्चतर लक्ष्य (निवल बैंक ऋण का 12 प्रतिशत) निर्धारित करने सहित बड़ी संख्या में उपाय किए हैं।

इन मौद्रिक उपायों के परिणामस्वरूप मौद्रिक वृद्धि वृहत तौर पर लक्ष्यानुसार है, मुद्रास्फीति 6.7 प्रतिशत (23 नवम्बर, 1996 की स्थिति अनुसार) पर है तथा ब्याज दरों में कुछ सीमा तक कमी आई है।

मतदाता-सूची में मतदाताओं के नाम

3237. श्री मुख्तार अनीस : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 तथा 1996 में लोक सभा चुनावों के लिए राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार मतदाता सूचियों में मतदाताओं की कितनी संख्या थी;

(ख) उन राज्यों के बारे में ब्यौरा क्या है जहां 1991-96 की अवधि के दौरान मतदाता सूचियों की समीक्षा की है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि अथवा इसमें कमी पाई गई है;

(घ) उन राज्यों के बारे में ब्यौरा क्या है जहां 1 जनवरी, 1997 से मतदाता सूचियों की सघन समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) इस प्रकार की सघन समीक्षा के क्या कारण हैं;

(च) क्या मतदाता सूचियों की समीक्षा का काम देश के सभी राज्यों में किया जाएगा; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ग). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की बाबत मतदाताओं की संख्या में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता भी इसमें उपदर्शित है।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ), (च) और (छ). आयोग ने अर्हता की तारीख के रूप में 1.7.1997 के प्रतिनिर्देश से असम में निर्वाचन नामावली के गहन पुनरीक्षण और पंजाब में संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाने के पहले ही आदेश दे दिए हैं। आयोग ने अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.1997 के प्रतिनिर्देश से, अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की बाबत निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण या अन्यथा के लिए अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया है।

(ङ) गहन पुनरीक्षण निर्वाचक नामावलियों को अद्यतन करने के लिए किया जाता है।

विवरण-I

राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पुनरीक्षण वर्ष	निर्वाचक-मंडल			वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
		पुरुष	स्त्री	योग	
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1991	21387877	21230096	42617973	
	1996	24735268	24766006	49501274	16.15 प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश	1991	279371	239944	519315	
	1996	288673	255767	544440	4.84 प्रतिशत
असम	1991	6472042	5401910	11873952	
	1996	6670161	5917498	12587659	6.01 प्रतिशत
बिहार	1991	26944010	23509637	50453647	
	1996	31012536	27425781	58438317	15.83 प्रतिशत
गोवा	1991	381949	372370	754319	
	1996	437202	431891	869093	15.22 प्रतिशत
गुजरात	1991	12809607	12072901	24882508	
	1996	14666698	13962396	28529094	14.66 प्रतिशत
हरियाणा	1991	5242284	4483613	9725897	
	1996	6005913	5146943	11152856	14.67 प्रतिशत
हिमाचल प्रदेश	1991	1556827	1519355	3076182	
	1996	1776034	1760483	3536517	14.96 प्रतिशत
जम्मू और कश्मीर	1991*	2255565	1961932	4217497	
	1996	2378717	2076992	4455709	5.65 प्रतिशत
कर्नाटक	1991	14728176	14111120	28839296	
	1996	16147681	15662388	31810069	10.30 प्रतिशत
केरल	1991	9715824	9942152	19657976	
	1996	10042379	10631488	20673867	5.17 प्रतिशत
मध्य प्रदेश	1991	19453952	18254769	37708721	
	1996	22711323	21215929	43927252	16.49 प्रतिशत

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	1991	25408904	23222289	48631193	
	1996	28669222	26585192	55254414	13.62 प्रतिशत
मणिपुर	1991	615430	616719	1232149	
	1996	641232	649758	1290990	4.78 प्रतिशत
मेघालय	1991	472892	469621	942513	
	1996	550148	542605	1092753	15.94 प्रतिशत
मिजोरम	1991	208996	205416	414412	
	1996	203746	204348	408094	(-) 1.52 प्रतिशत
नागालैंड	1991	449625	365211	814836	
	1996	457901	416617	874518	7.32 प्रतिशत
उड़ीसा	1991	10610277	9194287	19804564	
	1996	11764783	10654335	22419118	13.20 प्रतिशत
पंजाब	1991	7130111	6039686	13169797	
	1996	7634481	6855344	14489825	10.02 प्रतिशत
राजस्थान	1991	14054039	12459463	26513502	
	1996	16036429	14351928	30388357	14.61 प्रतिशत
सिक्किम	1991	105028	96676	201704	
	1996	119757	109403	229160	13.61 प्रतिशत
तमिलनाडु	1991	20213453	19704324	39917777	
	1996	21397687	21090335	42488022	6.44 प्रतिशत
त्रिपुरा	1991	798904	762181	1561085	
	1996	844205	803703	1647908	5.56 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	1991	43693013	35761868	79454881	
	1996	55226430	45599875	100826305	26.90 प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	1991	22196700	19195760	41392460	
	1996	23998543	21584511	45583054	10.12 प्रतिशत
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1991	9910	70106	169120	
	1996	120578	90648	211226	24.90 प्रतिशत
चंडीगढ़	1991	212702	160090	372792	
	1996	255580	195019	450599	20.87 प्रतिशत
दादर व नगर हवेली	1991	38117	36892	75009	
	1996	49806	45103	94909	26.53 प्रतिशत
दमन और दीव	1991	29257	28635	57892	
	1996	36527	33675	70202	21.26 प्रतिशत
दिल्ली	1991	3330033	2742223	6073156	
	1996	4597944	3460997	8058941	32.70 प्रतिशत
लक्षद्वीप	1991	16676	14989	31665	
	1996	17690	16421	34111	7.72 प्रतिशत
पांडिचेरी	1991	306620	286685	593305	
	1996	320502	313133	633635	6.80 प्रतिशत

* 1991 में, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से साधारण निर्वाचन नहीं हुए।

विवरण-II

निम्नलिखित के प्रतिनिर्देश से निर्वाचक-नामावलियों का पुनरीक्षण

	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	1991	1992	1993	1994	1995	1996
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	संक्षिप्त पुनरीक्षण	संक्षिप्त पुनरीक्षण	गहन पुनरीक्षण	संक्षिप्त पुनरीक्षण 2. विशेष पुनरीक्षण	गहन पुनरीक्षण	संक्षिप्त पुनरीक्षण
2.	अरुणाचल प्रदेश	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
3.	असम	पुनरीक्षण नहीं किया गया	संक्षिप्त	गहन	पुनरीक्षण नहीं किया गया	पुनरीक्षण नहीं किया गया	संक्षिप्त
4.	बिहार	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
5.	गोवा	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	1. संक्षिप्त 2. विशेष पुनरीक्षण	गहन गहन	संक्षिप्त संक्षिप्त
6.	गुजरात	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
7.	हरियाणा	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
8.	हिमाचल प्रदेश	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
9.	जम्मू-कश्मीर	संक्षिप्त	संक्षिप्त	पुनरीक्षण नहीं किया गया	पुनरीक्षण नहीं किया गया	संक्षिप्त	संक्षिप्त
10.	कर्नाटक	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	1. संक्षिप्त 2. विशेष पुनरीक्षण	गहन	संक्षिप्त
11.	केरल	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
12.	मध्य प्रदेश	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
13.	महाराष्ट्र	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
14.	मणिपुर	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
15.	मेघालय	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
16.	मिजोरम	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
17.	नागालैंड	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
18.	उड़ीसा	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
19.	पंजाब	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
20.	राजस्थान	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
21.	सिक्किम	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	1. संक्षिप्त 2. विशेष पुनरीक्षण	गहन	संक्षिप्त
22.	तमिलनाडु	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
23.	त्रिपुरा	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
24.	उत्तर प्रदेश	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
25.	पश्चिम बंगाल	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त

	1	2	3	4	5	6	7
27.	चंडीगढ़	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
28.	दादरा और नागर हवेली	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
29.	दमण और दीव	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
30.	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	गहन	संक्षिप्त	संक्षिप्त
31.	लक्षद्वीप	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त
32.	पांडिचेरी	संक्षिप्त	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त	गहन	संक्षिप्त

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

3238. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास :

प्रो. रीता वर्मा :

श्री हाराधन राय :

श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी तथा सहायक कम्पनी-वार गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कितनी कोयला खान दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए/दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ग) मारे गए श्रमिकों के आश्रितों तथा दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गयी है;

(घ) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच हेतु कोई जांच समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख). खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार वर्ष 1993, 1994, 1995 तथा 1996 (नवम्बर, 1996 तक) के दौरान कोयला खान में हुई दुर्घटनाओं का कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कंपनी	घातक दुर्घटनाएं		गंभीर दुर्घटनाएं	
	सं.	मृतक	संख्या	गंभीर रूप से घायल
भारत कोकिंग कोल लि.	118	205	384	422
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	70	77	138	153
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	79	138	588	612
महानदी कोलफील्ड्स लि.	21	22	85	91
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	16	18	35	36
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	5	14	1	2
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	71	83	168	195
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	56	58	571	594
गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपो.	5	5	4	6
इंडियन आयरन एंड स्टील कं.	6	6	26	28
जम्मू एवं कश्मीर मिनरल्स	0	0	3	3
नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	5	5	11	11
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	114	136	743	801
टाटा आयरन एंड स्टील कं.	16	16	66	68
जोड़	582	783	2823	3022

(ग)**.** घायलों के मामले में मुआवजे की राशि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है तथा यह श्रमिकों की विकलांगता की मात्रा, उम्र तथा मासिक उपार्जनों के आधार पर की जाती है। मृत्यु के मामले में, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिकल्पित मुआवजे की राशि के अलावा, मृतक के आश्रितों को कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा निम्नलिखित राशि का भुगतान किया जाता है :—

(1) अंतिम संस्कार संबंधी व्यय	—	रु. 500/-
(2) अनुग्रहपूर्वक राशि	—	रु. 10,000/-
(3) जीवन बीमा योजना के अंतर्गत राशि	—	रु. 20,000/-

इसके अलावा, मृतकों के आश्रितों में से एक आश्रित को रोजगार की भी पेशकश की जाती है। वैकल्पिक रूप से रोजगार के बदले विधवा/महिला आश्रित को तब तक 3000/- रु. मासिक पेंशन दी जाती है जब तक कि उसकी 60 वर्ष की उम्र या मृत्यु/पुनर्विवाह, इनमें जो भी पहले हो, हो जाती है।

(घ) से (च). सामान्यतः खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा सभी घातक तथा कुछ गंभीर दुर्घटनाओं के बारे में पूछताछ की जाती है। ऐसे मामलों में, जहां कि भारी संख्या में हताहत अंतर्ग्रस्त हैं, खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अंतर्गत सरकार द्वारा जांच न्यायालय का गठन किया जाता है जो दुर्घटना संबंधी कारणों तथा परिस्थितियों को अभिनिश्चित करता है।

पिछले तीन वर्षों में दिनांक 25.1.1994 को न्यू केंडा में हुई दुर्घटना तथा 26/27.9.95 में गैसलीटांड खान समूह में जलमग्न की हुई दुर्घटना के मामलों में दो जांच न्यायालयों का गठन किया गया है। दोनों ही जांच न्यायालयों को अभी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करनी हैं।

[हिन्दी]

हजारीबाग में विस्फोट

3239. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 अक्तूबर, 1996 को भारत कोकिंग कोल लि. के अंतर्गत हजारीबाग थाना (बिहार) के निकट ईस्ट पारेज कोयला खान के 35 मुहानों में विस्फोट हुआ था;

(ख) क्या खान सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन नहीं करने के कारण उक्त विस्फोट से कई आवासीय गृहों में दरारें पड़ गई थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दरार पड़ गए उक्त आवासीय मकानों में भावी विस्फोट के कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) के अंतर्गत ईस्ट पारेज के 35 पिट नाम की कोई कोयला खान नहीं है। किन्तु, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को.लि.) के अंतर्गत पारेज ईस्ट नामक एक ओपनकास्ट खान है। दिनांक 25 अक्तूबर, 1996 को इस खान में कोई विस्फोट नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). उपरोक्त भाग (क) को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (टिप्स) तथा पेटेंट कानूनों पर बैठक

3240. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि बौद्धिक संपदा अधिकार से संबद्ध सांसदों के मंच के आमंत्रण पर नवबंर 14-15, 1996 को दिल्ली में व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) तथा पेटेंट कानून पर 17 देशों के सांसद, वैज्ञानिक तथा अन्य संबद्ध विशेषज्ञ एक सम्मेलन में भाग लेने आए;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में चर्चित मामलों का क्या ब्यौरा है तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). जी, हां। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई वे पेटेन्ट व्यवस्था, विदेशी निवेश और डब्ल्यू.टी.ओ. में श्रम मानकों जैसे उभरने वाले मुद्दों से संबंधित थे। इस सम्मेलन में एक घोषणा पत्र पारित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विकासशील देशों की सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि सिंगापुर में होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक में नए मुद्दों की शुरुआत के द्वारा डब्ल्यू.टी.ओ. के क्षेत्र को बढ़ाने के किसी प्रयास का विरोध किया जाए। सरकार ने इस सम्मेलन के विचार-विमर्शों को ध्यान में रखा है।

भारतीय कपास निगम

3241. श्री सनत मेहता : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान भारतीय कपास निगम को समर्थन मूल्यों के चलते कुल कितना घाटा उठाना पड़ा; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस निगम द्वारा कपास के निर्यात से कितना घाटा पूरा किया गया?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) चूंकि वर्ष 1995-96 के दौरान भारतीय कपास निगम लि. ने कोई मूल्य समर्थन प्रचालन शुरू नहीं किया इसलिए कोई घाटा नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रूस को निर्यात में गिरावट

3242. श्री जी. वेंकट स्वामी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के प्रथम चार महीनों के दौरान रूस को निर्यात में विशेषकर चाय के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष के प्रथम चार महीनों के अर्थात् अप्रैल-जुलाई 1996 के दौरान भारत से रूसी संघ को हुए कुल निर्यात में गिरावट प्रमुख रूप से निम्न कारणों से आयी रूसी प्राधिकारियों द्वारा ऋण पुनर्भुगतान व्यवस्था के तहत अपर्याप्त और विलम्ब से रुपए की निधि का आवंटन करने, भारत से रूस को सामानों के आयात के लिए रुपए की निधि का आवंटन के हिसाब से पर्याप्त अनुभव वाले रूसी आयातक अभिकरणों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी और रूसी बैंकों द्वारा अपरिवर्तनीय साख पत्रों को जारी करने में विलम्ब, जिन्होंने भारतीय निर्यातकों के लिए एक प्रमुख निरूत्साहक के रूप में कार्य किया।

रूसी संघ को होने वाले चाय के निर्यात में गिरावट ऋण पुनर्भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत रूसी संघ द्वारा भारत से सामान का आयात करने के लिए रूस में रुपया आवंटन प्रणाली से उत्पन्न क्रिया-विधि संबंधी समस्याओं के कारण आयी। रूसी आयातकों को रुबल राशि की समस्या और रूस में प्रचलित उच्च ब्याज दरों के कारण ऋण पुनर्भुगतान व्यवस्था के तहत निर्यात की जा रही भारतीय चाय की उतराई लागत गैर-प्रतिस्पर्धा हो रही है।

(ग) द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों सरकारें नियमित रूप से अन्तःक्रिया संपर्क कर रही है। सन् 1992 में व्यापार और आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर होने और व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग संबंधी द्विपक्षीय अन्तःसरकारी आयोग के गठन के पश्चात् दोनों देशों के बीच अनेक करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। भण्डारगृहों के जरिए खेप निर्यात आधार पर भारत-रूसी व्यापार का विस्तार करने के लिए और रूस में भारतीय बैंकों की अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। दोनों पक्ष व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी व्यापार सूचनाओं के आदान-प्रदान इत्यादि के जरिए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं।

कागज उद्योग

3243. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में कागज उद्योग में उचित प्रगति नहीं हो रही है;

(ख) क्या देश में कागज तथा "पेपर बोर्ड" की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु कागज उद्योग को भारी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में कागज उद्योग को बढ़ावा देने हेतु किस सीमा तक पर्याप्त धनराशि प्रदान किये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) जी, नहीं। देश कागज के उत्पादन के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है।

(ख) और (ग).जी, हां। देश में कागज की प्रति व्यक्ति खपत शताब्दी के अंत तक 3 कि.ग्रा. से बढ़कर 5 कि.ग्रा. हो जाने का अनुमान है। जारी किए गए आशय पत्रों (एल.ओ.आई.) और दायर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आई.ई.एम.) के आधार पर, यह अनुमान है कि इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 19.96 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी।

(घ) मौजूदा नीतिगत व्यवस्था के तहत कागज उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं हैं। यह उद्योग आंशिक रूप से लाइसेंस मुक्त है। उद्यमियों द्वारा निवेश अपने वाणिज्यिक अनुमानों के आधार पर किए जाते हैं।

कोयले का आयात

3244. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न विद्युत गृहों द्वारा आयात किए गए कोयले का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विद्युत गृहों द्वारा कोयले का आयात घरेलू कोयला खदानों के कोयले का उपयोग किए बिना किया गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1995-96

में तमिलनाडु के विद्युत गृहों द्वारा कुल 1.831 मि. टन आयातित कोयला प्राप्त किया गया। वर्ष 1996-97 में इन विद्युत गृहों द्वारा 1.332 मि. टन दूसरा आयातित कोयला प्राप्त किया गया।

(ख) और (ग). वर्तमान निर्यात एवं आयात नीति के अंतर्गत देश में कोयले का स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। कोयले के ऐसे आयात, यदि कोई हों, तो उन्हें अपने वाणिज्यिक अनुमानों का इस्तेमाल करते हुए तथा उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। राष्ट्रीय कोयला कंपनियां तमिलनाडु के विद्युत गृहों की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में है तथा इन विद्युत गृहों की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आवंटन देशीय स्रोतों से जारी रखा जा रहा है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को राजसहायता

3245. श्री भक्त चरण दास : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु इसे आरम्भ किए जाने के समय से ही प्रत्येक राज्य को बैंक ऋण तथा सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी है;

(ख) सितम्बर, 1996 तक इससे कुल कितने परिवार लाभान्वित होंगे;

(ग) क्या गरीबी उन्मूलन के संबंध में कार्यक्रम का प्रभाव असमान था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) के प्रारम्भ से इसके अन्तर्गत दिए गए बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी की राज्य-वार राशियों के आंकड़े उनके पास उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, आईआरडीपी के आरंभ से सितम्बर, 1996 के अंत तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 494.98 लाख परिवारों को कुल 27,348.42 करोड़ रु. प्रदान किए गए जिनमें 16,797.86 करोड़ रु. बैंक ऋण था और 10,550.56 करोड़ रु. सरकारी सब्सिडी थी।

(ग) और (घ). श्री डी.आर. मेहता, भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व उप-गवर्नर, की अध्यक्षता में गठित आईआरडीपी संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने पाया है कि इस कार्यक्रम के शुरू के वर्षों में आईआरडीपी हिताधिकारियों का बड़े पैमाने पर कम वित्त-पोषण के परिणामस्वरूप आस्तियों का अपेक्षित उपयोग (सब-आप्टियल यूटिलाइजेशन) नहीं हो पाया और आय का पर्याप्त सृजन नहीं हो पाया जिसने आम तौर पर उधार और खासकर वसूली की गुणवत्ता पर असमान और प्रतिकूल प्रभाव डाला।

(ङ) मेहता समिति द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे सब्सिडी की विद्यमान अधिकतम सीमा के अन्तर्गत निर्धारित सीमा तक आईआरडीपी के उन हिताधिकारियों को सहायता की अनुपूरक मात्रा प्रदान करें जिन्होंने आईआरडीपी के अन्तर्गत उन्हें दी गई शुरूआती सहायता के बल पर गरीबी रेखा पार नहीं की है। इसके अतिरिक्त, बैंकों से प्रारंभिक ("फ्रंट एण्ड") सब्सिडी प्रणाली में वर्तमान रिसावों को रोकने के लिए आईआरडीपी के अन्तर्गत अंतिम ("बैक एण्ड") सब्सिडी प्रणाली शुरू करने के लिए कहा गया है।

राज्य व्यापार निगम के कारबार संबंधी पूर्वानुमान में कमी

3246. श्री तारीक अनवर : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के चालू वर्ष के लिए कारबार संबंधी पूर्वानुमानों में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). जी, नहीं। चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य व्यापार निगम ने 1964 करोड़ रु. के कारोबार का लक्ष्य रखा है जिसमें से 1514 करोड़ रु. वर्ष 1996-97 के लिए अपने एम.ओ.यू. के अनुसार और 450 करोड़ रु. सरणीकृत आयात के रूप में निर्धारित किए हैं। इसमें वर्ष 1995-96 के दौरान हुए 1685 करोड़ रु. के वास्तविक निष्पादन की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री की रोजगार योजना

3247. श्री अनन्त कुमार :

डा. बलिराम :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत देश के कुल उद्यमियों में से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को राज्यवार ऋण प्रदान किए गए?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : जैसाकि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताया गया है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के लिये ऋण स्वीकृत उद्यमियों की देश में कुल संख्या में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1993-94, 1994-95, 1995-96 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किये गये कुल उद्यमियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 ऋण स्वीकृत कुल उद्यमियों की संख्या	कुल संख्या में से अ.जा./अ.ज.जा. के उद्यमियों की संख्या	1994-95 ऋण स्वीकृत कुल उद्यमियों की संख्या	कुल संख्या में से अ.जा./अ.ज.ज. के उद्यमियों की संख्या	1995-96 ऋण स्वीकृत कुल उद्यमियों की संख्या	कुल संख्या में से अ.जा./ अ.ज.जा. के ऋण स्वीकृत उद्यमियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3466	395	19851	3105	32556	3426
2.	असम	818	128	6404	1452	9852	एन.आर.
3.	बिहार	2051	211	11705	774	17744	एन.आर.
4.	दिल्ली	622	64	702	69	4143	एन.आर.
5.	गोवा	78	1	188	1	499	2
6.	गुजरात	527	51	5707	736	10190	1312
7.	हरियाणा	792	39	4598	468	9333	666
8.	हिमाचल प्रदेश	201	21	1338	276	2578	354
9.	जम्मू और कश्मीर	101	3	1880	95	2586	एन.आर.
10.	कर्नाटक	1919	233	13759	1634	17000	1858
11.	केरल	1595	63	11123	903	14135	एन.आर.
12.	मध्य प्रदेश	2992	276	21840	2963	31566	4127
13.	महाराष्ट्र	4850	384	26551	3176	40392	4450
14.	मणिपुर	214	47	2214	828	1753	एन.आर.
15.	मिजोरम	31	31	223	203	240	240
16.	उड़ीसा	842	97	5474	569	8267	एन.आर.
17.	पंजाब	1030	57	5357	644	15531	1702
18.	राजस्थान	1257	150	7442	1173	10248	1931
19.	तमिलनाडु	2774	134	14519	751	19339	1337
20.	त्रिपुरा	146	18	796	79	1238	177
21.	उत्तर प्रदेश	3995	302	23060	2136	37324	4833
22.	पश्चिम बंगाल	899	23	6636	384	10184	एन.आर.
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	39	एन.आर.	54	3	97	18
24.	अरुणाचल प्रदेश	65	65	168	168	287	एन.आर.
25.	चंडीगढ़	64	6	165	14	171	2
26.	दादर व नगर हवेली	122	20	180	46	156	76
27.	दमन और दीव	13	1	79	11	116	12
28.	नागालैंड	39	39	191	191	267	एन.आर.

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	लक्षद्वीप	शून्य		19	एन.आर.	26	एन.आर.
30.	मघालय	139	136	314	305	566	एन.आर.
31.	पांडिचेरी	162	13	476	65	513	64
32.	सिक्किम	शून्य	-	75	18	169	65

नोट : 1. कुल स्वीकृत मामलों की तुलना में जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आंकड़े बताये गये हैं, राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार दिये गये हैं।

2. एन.आर. : बताये नहीं गये हैं।

3. स्रोत : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्ट।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग

3248. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गये;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ कोई राशि आवंटित की है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस उद्योग में राज्यवार कितने लोग कार्यरत हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार इस उद्योग में कार्यरत लोगों को सहायता उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर एकत्र करना

3249. श्री एन.एस.वी. चित्थन :

श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के द्वारा राजस्व एकत्र करने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या अब तक वसूली की गई करों की राशि लक्ष्य के अनुरूप रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). प्रमुख केन्द्रीय करों द्वारा राजस्व वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्रित करों की राशि निम्नानुसार है :—

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	कर का नाम	लक्ष्य (वर्ष 1996-97 के लिए)	एकत्रित राशि (नवम्बर 1996 तक)
1.	सीमा शुल्क	44435.00	26778.00
2.	केन्द्रीय उ. शुल्क×	46592.00	27955.00
3.	आयकर	17843.00	9329.06
4.	निगम कर	19600.00	7675.33

×- राजस्व विभाग एकमात्र उपकरों को ही नियंत्रित नहीं करता।

(घ) और (ङ). वित्तीय वर्ष के अंत तक लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है।

विदेशी मुद्रा भण्डार

3250. श्री मुखतार अनीस : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 की स्थिति की तुलना में 1 अप्रैल, 1996 तथा 1 अक्तूबर, 1996 को देश में विदेशी मुद्रा का कितना भण्डार था; और

(ख) अप्रैल, सितम्बर, 1996 के दौरान विदेशी ऋणों का कितना भुगतान किया गया, कितना विदेशी ऋण प्राप्त किया गया तथा विदेशी निवेश की कितनी प्राप्ति हुई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) अप्रैल और अक्तूबर, 1996 के शुरू में और पिछले वर्ष की समवर्ती तारीखों को सोने और एस.डी.आर. सहित भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नीचे दिया गया है :—

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (अथ शेष)

(अमरीकी मिलियन डॉलर)

	अप्रैल, 1996	अक्टूबर 1996	अप्रैल, 1995	अक्टूबर 1995
विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	17,044	18,433	20,809	19,064
सोना	4,561	4,410	4,370	4,405
एस.डी.आर.	82	57	7	8
जोड़	21,687	22,900	25,106	23,477

(ख) विदेशी ऋण प्राप्तियों और अप्रैल से सितंबर, 1996 के दौरान की गई मूलधन की वापसी अदायगियों और ब्याज के भुगतानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपए)

(अनंतिम)

	सरकारी लेखा	गैर-सरकारी लेखा
प्राप्तियां	3110.69	335.87
मूलधन की वापसी अदायगियां	3101.28	292.72
ब्याज का भुगतान	2125.00	379.84

इसी अवधि के दौरान, विदेशी निवेश (प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो दोनों) के रूप में भारत को विदेशी पूंजी का अन्तःप्रवाह लगभग 2.8 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

[हिन्दी]

सिनेमा परिसर की स्थापना

3251. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में सिनेमा परिसर की स्थापना हेतु 900 करोड़ रुपये के निवेश के लिए विदेशी कंपनियों सहित 43 कंपनियों को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विदेशी निवेशकों के कारण भारत की सिनेमा कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा 31 जुलाई, 1996 को 44 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है जिनमें लगभग 900 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्ग्रस्त है। इसमें मै. वार्नर ब्रदर्स इन्टरनेशनल थियेटर यू एस ए को दिया गया एक अनुमोदन भी शामिल है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। वर्तमान अनुमोदन केवल एक धारक कंपनी की स्थापना के लिए है। वैयक्तिक परिसरों की स्थापना सरकार के पूर्व एवं विशिष्ट अनुमोदन से संयुक्त उद्यमों के रूप में करनी होगी जिसमें धारक कंपनी 51 प्रतिशत से अधिक इक्विटी नहीं रख सकती है। धारक कंपनी कोई कार्यकलाप सीधे ही आरंभ करने के लिए प्राधिकृत नहीं है और इसे राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करनी होंगी जिनमें चलचित्र अधिनियम के उपबंधों के तहत अनुमति भी शामिल होगी।

[अनुवाद]

इंडिका कार का उत्पादन

3252. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1997 के अन्त तक 1000 सी. सी. की इंडिका नामक यात्री कार के उत्पादन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार के निर्माता ने किसी विदेशी कंपनी से सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) कारों का प्रतिवर्ष कुल अनुमानित उत्पादन कितना होगा;

(ङ) क्या सरकार ने परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(च) यदि हां, तो इस परियोजना को आरम्भ करने में कुल कितनी राशि लगेगी?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) सरकार को 1000 सी.सी. की इंडिका नामक यात्री कार के उत्पादन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (च). प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के कामगारों के लिए आवास

3253. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों विशेष रूप से नागपुर में माडल मिलों के कामगार जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मिल के कामगारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) एन टी सी (एम एन) लि. के अंतर्गत माडल मिल्स, नागपुर की चालें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में बताई गई हैं। मरम्मत कार्य निधियां की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए समय-समय पर किया जाता है।

(ख) कार्यशील पूंजी की कमी के कारण एन टी सी (एम एन) लि. ने नागपुर में माडल मिल्स के कामगारों के लिए आवास प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों को ऋण

3254. श्री भक्त चरण दास : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग क्षेत्र तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान, निगमावार गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों को कुल कितना ऋण दिया गया;

(ख) क्या बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्डों के अनुसरण में गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों को ऋण दे रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या गैर-बैंकिंग वित्तीय निगम इसके परिणाम-स्वरूप संसाधनों के अभाव का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी) को 40 चुने हुए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों के बारे में उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर, 29 मार्च 1996 को स्थिति के अनुसार, बकाया अग्रिम 3382 करोड़ रुपए थे जो 30 अगस्त, 1996 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 3533 करोड़ रु. हो गये। बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय संस्थाएं एनबीएफसी को निर्धारित मानदंडों के अनुसार ऋण प्रदान कर रही हैं और जब कभी किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो उचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ). गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) को कुल जमाराशियां जो मार्च, 1994 के अन्त की स्थिति के अनुसार 46,411.6 करोड़ रुपए थी, बढ़कर मार्च, 1996 के अन्त की स्थिति के अनुसार 60,762.8 करोड़ रुपए (अनन्तिम) हो गई। जमाराशियों में पर्याप्त वृद्धि यह दर्शाती है कि एनबीएफसी को वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी (उपस्कर पट्टा और किराया खरीद कंपनियां) जो ऋण पात्रता और विवेकपूर्ण मानदण्डों संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, द्वारा एकत्रित की जाने वाली जमाराशियों की मात्रा के संबंध में प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इसी प्रकार पंजीकृत ऋण और निवेश कंपनियां, जो ऋण पात्रता संबंधी आवश्यकता और विशिष्ट विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा करती है, को बढ़ी हुई जमाराशियां (अपरिवर्तनीय डिबेंचर बाण्ड जारी कर प्राप्त की गई धन-राशि सहित) को, एन ओ एफ के बदले अपनी शुद्ध धारित निधियों का दो गुना स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। ये परिवर्तन उस तारीख से लागू होंगे जिस तारीख को ये कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करती हैं।

कार निर्माण

3255. श्री अनंत कुमार : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान भारत में विभिन्न निजी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मोटर कार, स्कूटर, मोटर साइकिल, ट्रक तथा अन्य भारी वाहनों का निर्माण करने के लिए विदेशी सहयोगों हेतु हस्ताक्षर किये गये समझौतों की शर्तों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

		विदेशी इक्विटी सहभागिता	परियोजना व्यय (करोड़ रु. में)	वार्षिक क्षमता	एकमुश्त भुगतान	रायल्टी
		1	2	3	4	5
1.	ओवरसिस कन्सेपट आटो लि. मै. कन्सेपट इन्डस्ट्रियल मैनिजमेन्ट लि. के साथ।	37.47%	53.00	2200 स्पोर्टर्स कार/ लक्जरी कोचस	यू.के. £ 2 लाख	शून्य
2.	काइनेटिक होन्डा मोटर्स लि. होन्डा मोटर्स कम्पनी लि. के साथ	शून्य (तकनीकी सहयोग)		6,00,000 दोपहिया	यू.एस. $ 5 लाख	5% देश के लिए 8% निर्यात के लिए

		1	2	3	4	5
3.	हाइनडाई मोटर कम्पनी, कोरिया	100%	i) 2450.00 (प्रथम चरण)	1,00,000	शून्य	शून्य
			ii) 1400.00 (द्वितीय चरण)	2,00,000 कारें		
4.	हीरो साइकिल लि., लुधियाना, बी.एम. डब्ल्यू., जर्मनी के साथ।	51%	270.00	10,000 कारें	डीएम 45 मिलियन	5%
5.	मोहिन्द्रा एण्ड मोहिन्द्रा: फोर्ड मोटर कम्पनी अमरीका के साथ।	50%	2500.00	1,25,000 कारें	शून्य	5%
6.	मैनी-एमरीगोन कार कम्पनी प्रा. लि., अमरीका: मै. एमरीगोन इनकारपोरेटिड यूएसए और एएससी एशियन इक्वीटी लि., यू.के. के साथ।	67%	2500.00	6000/- इलैक्ट्रिक पावर्ड पैसेन्जर कार	यू.एस. 0.8 मिलियन	शून्य

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की चाय कंपनियां

3256. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की चाय कंपनियों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन चाय कंपनियों के चाय बागानों तथा उनके द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई चाय के उत्पादन तथा निर्यात की गई चाय का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) चाय की 6 कंपनियां सरकारी क्षेत्र में हैं तथा 554 चाय कंपनियां गैर सरकारी क्षेत्र में हैं जिनके अपने चाय बागान हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र की चाय कंपनियों के पास 51 बाग तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के पास 35,066 बाग हैं। सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व वाले बागों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। गैर-सरकारी क्षेत्र में 35,006 बागानों की विस्तृत सूची को संकलित करने के लिए जितना प्रयास किया गया तथा इसमें जितना समय लगा उसकी तुलना में इसके परिणाम संभवतः इसके अनुरूप न हो।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में वर्षवार उत्पादित तथा निर्यातित चाय के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व वाले बागानों की एक सूची

I. टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

1. पथिनि टी एस्टेट
2. पशोक टी एस्टेट
3. वाह टुकवार टी एस्टेट
4. लुकसन टी एस्टेट
5. पोतांग टी एस्टेट

II. वैस्ट बंगाल टी डेवलपमेंट कारपोरेशन

6. रजरून
7. पैनडैम
8. रंगमूक
9. मोहुअ
10. हिल्ला
11. सिगेल
12. रंगनोत

एन्ड्यू यूल एंड कं.

13. देसम
14. कोहोवांग
15. बासमतिया
16. हलूमगूरी
17. मरफलानी
18. राजगढ़
19. टिंकांग
20. बासेरनट
21. चुनाभट्टी
22. कारबातिया
23. न्यू दांआर्स
24. मिम

असम टी कारपोरेशन लि.

25. सिन्नामारा
26. साइकोट्टा
27. दोपलिंग
28. नागानिजान
29. राजाबैरी
30. नंघेरीटिंग
31. मेइसामारा
32. रंगामट्टी
33. भोलागुरी
34. अमलूएकी
35. डेजूवैली
36. लोमाई
37. [illegible]भोल
38. [illegible]निगर
39. लूंगसोग

तमिलनाडु टी प्लांटेशन कारपोरेशन

40. चेरामबाडी
41. चेरानगांडे
42. कुन्नूर
43. देवाला
44. कोलापल्ली
45. कोटागिरी
46. नेल्लीयालय
47. ओआब्दुअब
48. नीलगिरी
49. मेरापालम
50. अन्नामलाईज

कर्नाटक फौरेस्ट प्लांटेशन कारपोरेशन

51. कर्नाटक चाय परियोजना

विवरण-I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान उत्पादन तथा निर्यात

वर्ष	उत्पादन (मिलि. कि.ग्रा.)	निर्यात	
		मात्रा (मिलि. किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1992-93	736.00	180.69	1058.70
1993-94	768.05	154.55	1062.04
1994-95	743.33	152.16	986.41
1995-96	762.35	163.65	1191.19

कम मूल्य वर्ग की मुद्रा की कमी

3257. श्री सनत मेहता : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 नवम्बर, 1996 के **"नवभारत टाइम्स" में "इस बाजार में सब धन बाइंस पसेरी है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;**

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कम मूल्य वर्ग की भारतीय मुद्रा की कमी है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप वहां विदेशी मुद्रा विशेषतः नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश की मुद्रा का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने हेतु अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा एक रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के निम्न मूल्यवर्ग के नोटों के सिक्काकरण करने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, नोट प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा इन नोटों की छपाई नहीं की जा रही और इसीलिए इन मूल्यवर्गों के नए नोटों की आपूर्ति नहीं की जा रही। तथापि, उत्तरी बंगाल क्षेत्र की वहां के स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में छोटे मूल्यवर्गों के सिक्कों की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) हमें सिलीगुडी क्षेत्र में नेपाल, भूटान और बंगलादेश की मुद्रा के प्रवाह के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में चाय बागान

3258. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्टूबर, 1996 के "दि इकनामिक टाइम्स" में "मेजोरिटी ऑफ दि टी प्लान्टेसन इन केरल सिक : सेज इन्डस्ट्री" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या देश के अन्य भागों में भी चाय उद्योग अच्छी स्थिति में नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केरल तथा देश के अन्य भागों में चाय बागानों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). चाय एक कृषि आधारित फसल है। सभी कृषि आधारित फसलों की तरह चाय का उत्पादन और उसकी कीमत एक राज्य से दूसरे राज्य में और वर्ष-दर-वर्ष बदलती है जो कि कृषि से संबंधित मौसम और साथ ही साथ मांग-आपूर्ति की स्थिति गुणवत्ता और चाय उत्पादन के प्रकार पर निर्भर करती है। वर्ष, 1996 के पहले इस महीनों में चाय के अनुमानित उत्पादन में 1995 की उसी अवधि की तुलना में काफी वृद्धि परिलक्षित हुई है। तथापि, 1996 में विपरीत कृषि मौसम के कारण, कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण भारत में मामूली गिरावट हुई है। फिर भी, 1996 में सभी नीलामी केन्द्रों पर चाय की कीमत 1995 की संगत अवधि की तुलना में, ज्यादा रही है।

(घ) केरल सहित देश के सभी भागों में चाय रोपण में सुधार लाने के उद्देश्य से चाय बोर्ड पुनर्रोपण, विस्तार रोपण, नए बागानों की स्थापना, विस्तार, क्रियाकलापों में छोटे उत्पादकों को सहायता और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न विकास योजनाएं चला रहा है।

जमानत हेतु लंबित अर्जियां

3259. श्री बी.एल. शर्मा 'प्रेम' :
श्री विजय गोयल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 जनवरी, '94 1 जनवरी 95, 1 जनवरी, 96 तथा आज तक उच्च न्यायालय, जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या हाल ही में समझौतों के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए लोक अदालतें लगाई गई थीं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक सत्र में इन लोक अदालतों में कितने मामले सुलझाए गए; और

(घ) उक्त अदालतों में लंबित मामलों में शीघ्र सुनवाई तथा पूरे देश में सस्ता तथा शीघ्र न्याय दिलाने के लिए मुकदमेबाजी में लोक अदालतों को लोक-प्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली में जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में निम्नलिखित मामले लंबित थे :—

न्यायालय का नाम	निम्नलिखित वर्षों, को लंबित मामलों की संख्या 1.1.94	1.1.95	1.1.96	30.9.96
उच्च न्यायालय	1,38,482	1,46,613	1,48,878 *	1,49,169
जिला/ अधीनस्थ न्यायालय	4,87,659	5,60,444	5,14,061	4,57,276**

(*30.6.1995 तक)

(**30.6.1996 तक)

(ख) जी, हां।

(ग) 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, जहां पर लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं, से उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और उससे यथा संभव शीघ्र निपटने के तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का एक सम्मेलन तारीख 4 दिसंबर, 1993 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी। सम्मेलन में अंगीकृत संकल्पों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को, जिनमें दिल्ली उच्च न्यायालय भी हैं, आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने सूचित किया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

लोक अदालतें, वैकल्पिक विवाद समाधान की पद्धति के रूप में प्रेस और प्रकाशन के अन्य तरीकों के माध्यम से तथा अधिवक्ताओं द्वारा अपने मुवक्किलों को इसकी उपयोगिता, लाभजन्यता तथा लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के बारे में प्रभावित करने से, लोकप्रियता हुई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान, अर्थात 1993, 1994 और 1995 प्रत्येक वर्ष राज्यवार लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या।
(राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य बोर्ड का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या		
		1993	1994	1995
1.	आन्ध्र प्रदेश	19,525	7,767	4,753
2.	असम	1,614	1,285	2,131
3.	बिहार	22	3,859	600
4.	+गोवा		-614- (समेकित आंकड़े)	
5.	गुजरात	13,461	15,926	19,235
6.	+हरियाणा	25,575	23,149	20,353
7.	हिमाचल प्रदेश	5,426	5,628	3,193
8.	जम्मू-कश्मीर		-269- (पिछले तीन वर्षों के संबंध में समेकित आंकड़े)	
9.	कर्नाटक	54,289	15,019	20,447
10.	केरल		-14,922- (पिछले तीन वर्षों के संबंध में समेकित आंकड़े)	
11.	मध्य प्रदेश	59,041	79,899	1,36,389
12.	+महाराष्ट्र	8,799	12,079	10,719
13.	मणिपुर		-712- (समेकित आंकड़े)	
14.	मेघालय	शून्य	शून्य	141
15.	मिजोरम		-70- (पिछले तीन वर्षों के संबंध में समेकित आंकड़े)	
16.	उड़ीसा	64,849	81,603	43,022
17.	+पंजाब	14,279	12,447	2,188
18.	राजस्थान	79,685	70,873	56,772
19.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
20.	तमिलनाडु	8,330	11,346	8,251
21.	त्रिपुरा		बोर्ड द्वारा जानकारी भेजी नहीं गई है।	
22.	+उत्तर प्रदेश	3,18,285	3,10,687	3,08,495
23.	पश्चिमी बंगाल	96	53	316
24.	चंडीगढ़ प्रशासन	शून्य	शून्य	शून्य
25.	दिल्ली	598	949	2,898
26.	++पांडिचेरी		-863- (समेकित आंकड़े)	

+ वित्तीय वर्ष अर्थात 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिए

++ वित्तीय वर्ष अर्थात 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए

ढांचागत सुविधाओं की निगरानी संबंधी प्रकोष्ठ

3260. श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी :

डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत ढांचागत सुविधाओं की निगरानी संबंधी प्रकोष्ठ को समाप्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पहल का क्या औचित्य है; और

(ग) सरकारी खर्च तथा वित्तीय घाटे पर नियंत्रण पाने के लिए अन्य कितने प्रकोष्ठों को समाप्त किया जाना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने सूचित किया है कि विभाग में ढांचागत सुविधाओं की निगरानी संबंधी प्रभाग को समाप्त करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) सरकारी खर्च तथा राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण एक सतत-प्रक्रिया है। अनावश्यक प्रकोष्ठ के रूप में चिन्हित प्रकोष्ठों को समाप्त करने के बारे में कोई विशेष निर्णय संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा लिया जा सकता है।

"पिलकाम" कम्पनी द्वारा आयकर अपवंचन का मामला

3261. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्तूबर, 1996 के "दि इकॉनॉमिक टाइम्स" में "पिलकाम" "आई.टी. इवेजन इश्यू कैचेज सी.ए.जी. इव, रैप्स सी.बी.डी.टी. फॉर रिस्क्यूइंग कम्पनी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के बारे में तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यह सत्यापित करने कि पाकिस्तान-भारत-लंका संयुक्त प्रबंध समिति (पिलकाम) और अन्य पक्षों द्वारा दिए गए विभिन्न करारों पर किए गए भुगतान के संबंध में कर की कटौती स्रोत पर करके राजकोष में जमा करा दिया गया है और मौजूदा दोहरे कराधान से बचने संबंधी करार (डी.टी.ए.ए.) की समीक्षा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). जी, हां। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय प्राधिकारियों को कर संबंधी मामलों पर उचित कदम उठाये जाने हेतु सलाह दी गई है।

जहां तक वर्तमान दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों की पुनरीक्षा किये जाने का संबंध है, इस विशेष मामले के संदर्भ में पुनरीक्षा किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

टाटा ग्रुप कंपनियों के बैंक खाते

3262. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री जी. वेंकट स्वामी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने टाटा सन्स और टाटा ग्रुप की अन्य शीर्ष कंपनियों द्वारा अपनी भारी जमाराशियों का बैंक के नियमों के उल्लंघन में पारस्परिक रूप से उपयोग करने संबंधी साहस एकत्र करने के उपरान्त इन कंपनियों के बैंक खातों की जांच करने का निर्णय लिया है;

(ख) टाटा ग्रुप की कंपनियों द्वारा कहां-कहां प्रमुख रूप से निवेश किया गया;

(ग) टाटा ग्रुप की कंपनियों और इसकी अन्य सहायक कंपनियों ने इस संबंध में क्या तरीके अपनाए; और

(घ) जांच के क्या परिणाम रहे तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या अनुवर्ती कार्रवाई की?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में भारतीय व्यापार

3263. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अमरीका, जर्मनी, जापान, युनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस के साथ निकट व्यापार संबंध स्थापित करने तथा और अधिक लाभकारी आर्थिक कूटनीति हेतु विदेशों में अलग-अलग व्यापार मिशन की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने, और भारी विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा जांच में तेजी लाने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इन देशों में भारतीय मिशनों से संबद्ध वाणिज्यिक स्कंध आर्थिक, वाणिज्यिक और व्यापार मामलों को देख रहे हैं।

आइसक्रीम तथा बेकरी उत्पादों को लघु उद्योग की आरक्षित श्रेणी से हटाना

3264. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आइसक्रीम तथा बेकरी उत्पादों को लघु उद्योग क्षेत्र की आरक्षित श्रेणी से हटाने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दो उत्पादों के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कार्य करने की अनुमति देने का विचार है;

(ग) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के इन दो उत्पादों की निवेश सीमा को बढ़ाने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के लघु उद्योग क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) से (ङ). सरकार को आइसक्रीम, ब्रेड तथा बिस्कुटों जैसी कई खाद्य वस्तुओं के अनारक्षण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन वस्तुओं को अनारक्षित करने अथवा लघु क्षेत्र में इन वस्तुओं के लिए निवेश सीमा बढ़ाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान नीति के अनुसार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित किसी भी मझोले अथवा बड़े उपक्रम को, 75 प्रतिशत के निर्यात दायित्व के अतिरिक्त, आरक्षित वस्तुओं के विनिर्माण की अनुमति नहीं है। तथापि सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र के सभी पहलुओं पर श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

सीमेंट के उत्पादन में कमी

3265. श्री रामशकल : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट का उत्पादन करने वाले कारखानों की संख्या कितनी है तथा इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीमेंट के उत्पादन में कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ईकाइवार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) बड़े सीमेंट संयंत्रों की राज्यवार सूची प्रत्येक राज्य में उनकी स्थापित क्षमता दर्शाते हुए एक अनुबंध संलग्न विवरण में दिया गया है। देश में लगभग 300 छोटे सीमेंट संयंत्र हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 9 मिलियन टन है। तथापि इन छोटे संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा केन्द्र द्वारा नहीं रखा जाता।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बड़े सीमेंट संयंत्रों की राज्यवार संख्या

राज्य	संयंत्रों की संख्या	स्थापित क्षमता (लाख टन)
दिल्ली	1	5.00
हरियाणा	2	5.78
पंजाब	1	10.50
हिमाचल प्रदेश	4	25.00
जम्मू और कश्मीर	1	2.00
राजस्थान	15	128.72
उत्तर प्रदेश	5	30.87
बिहार	7	43.53
उड़ीसा	3	14.97
पश्चिम बंगाल	2	8.70
असम	1	2.00
मेघालय	1	2.00
तमिलनाडु	8	67.95
आन्ध्र प्रदेश	19	117.20
कर्नाटक	9	65.76
केरल	1	4.20
महाराष्ट्र	8	60.11
गुजरात	13	63.45
मध्य प्रदेश	23	232.57
कुल	124	890.31

बिक्री की वृद्धि में कमी

3266. श्री संतोष मोहन देव :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 सितम्बर 1996 के "द इकानामिक्स टाइम्स" में "कारपोरेट इण्डिया टु रिपोर्ट ड्राप इन सेल्स ग्रोथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध में कार्पोरेट सेक्टर में वृद्धि तथा लाभ के दृष्टिकोण से खासी गिरावट देखी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं तथा कार्पोरेट सेक्टर की स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). जी, हां। "इकॉनोमिक्स टाइम्स" ने 23.9.1996 को यह संकेत दिया था कि आईडीबीआई, आईसीआइसीआई और एसबीआई को छोड़कर सन्सेक्स 30 कंपनियों के कारोबार की औसत वृद्धि पिछले वर्ष के 24% की तुलना में 9-10% के बीच रहेगी। तथापि, बाद में सूचित 9 नवम्बर तथा 25 नवम्बर के क्रमशः 66 तथा 232 कंपनियों के परिणाम बिक्री वृद्धि दरों में मामूली कमी का संकेत देते हैं। 1996-97 के पूर्वार्द्ध में निगमित क्षेत्र के लाभ में भी अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर्ज की गयी है।

(ग) सरकार द्वारा अलग-अलग कंपनियों के कार्य-निष्पादन की निगरानी नहीं की जाती। तथापि, खराब कार्यनिष्पादन वाले क्षेत्रों में सामान्य तौर पर औद्योगिक वृद्धि तेज करने हेतु क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियां अपनायी जाती हैं। हाल ही में घोषित व्यस्त मौसम ऋण नीति के माध्यम से उद्योगों को उदार ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण के आश्वासन से विकास को और गति मिलने की आशा है।

एकसमान केन्द्र-राज्य निवेश कानून

3267. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर, 1996 के "द इकानामिक्स टाइम्स" में "यू.के. सीक्स यूनिफार्म सेंटर-स्टेट इन्वेस्टमेंट लॉज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या निवेश वाले सम्भावित क्षेत्रों हेतु विभिन्न कार्यबलों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) दो वर्ष पूर्व तैयार की गई योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) इस योजना में कितने मंत्रालय शामिल हैं; और

(च) अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (च). भारत में विदेशी निवेश राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के अनुसार विनियमित किए जाते हैं जिसके अन्तर्गत 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी रखने वाले उच्च प्राथमिकता वाले 35 उद्योगों में सभी विदेशी निवेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत एक स्वतः प्रक्रिया के माध्यम से अनुमोदित किए जाते हैं। विदेशी इक्विटी वाले उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों अथवा प्राथमिकता वाले 35 उद्योगों से भिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेशों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड/भारत सरकार द्वारा विचार तथा अनुमोदन किया जाता है। तथापि, परियोजनाओं/निवेशों से संबंधित विभिन्न उपयोगिताओं यथा भूमि, विद्युत, जल आदि के लिए राज्य सरकार की स्वीकृतियां आवश्यक हो सकती हैं। अनेक राज्य सरकारों ने ऐसी स्वीकृतियों तथा निवेशक सुविधा तथा सहायता हेतु एकल विंडो प्रणाली स्थापित की है।

देवास करेंसी नोट मुद्रणालय

3268. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भारतीय बैंक नोट प्रेस", देवास ने 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान विभिन्न स्रोतों से विभिन्न प्रकार की कितनी प्रिंटिंग मशीनें खरीदीं;

(ख) उक्त प्रिंटिंग मशीनों की किस्म के ब्यौरा के साथ-साथ अक्तूबर, 1996 तक कितनी मशीनें लगाई गई;

(ग) उक्त मशीनों को आज तक चालू नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त मशीनें कब तक चालू की जाएंगी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक नोट प्रेस, देवास द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार की छपाई मशीनों का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	मशीन का प्रकार	कुल संख्या	क्रय का स्रोत
1993-94	शून्य	शून्य	शून्य
1994-95	सुपर सिमल्टन 212 मशीन	2	मैसर्स डी ला रूई गियोरी, स्विटजरलैंड
	सुपर ओरलोफ इंटेगलियो मशीन	2	मैसर्स डी ला रूई गियोरी, स्विटजरलैंड
	सुपर न्यूमरॉटा 212 मशीन	2	मैसर्स डी ला रूई गियोरी, स्विटजरलैंड
	कट पैक-II इंडिया युनिवर्सल	1	मैसर्स डी ला रूई गियोरी, स्विटजरलैंड
1995-96	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) उक्त मशीनों में से 2 सुपर सिमल्टन 212 मशीनें, 2 सुपर ओरलोफ इंटेगलियों मशीनें तथा 2 सुपर न्यूमरोटा 212 मशीनें 19.10.96 तक पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं।

(ग) लदान के दौरान, कट पैक-II इंडिया यूनिवर्सल मशीन के कुछ भाग क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त हुए थे जिसके कारण उस मशीन की स्थापना में देरी हुई।

(घ) कार्य योजना के अनुसार, उक्त मशीनें फरवरी, 1997 के अंत तक उत्पादन आरम्भ कर देंगी।

तूफान के कारण समुद्री उत्पादों में कमी

3269. श्री वी. धर्म भिक्षम : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में आये भंयकर चक्रवात के कारण 1996-97 के दौरान मछली के निर्यात में कितनी गिरावट आने का अनुमान है; और

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) यह मानते हुए कि प्रश्न एक्वाकल्चर निर्यातों से संबंधित है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) ने अब तक की स्थिति के अनुसार देश में और विशेषकर आंध्र प्रदेश में भारी तूफान के कारण 22.6 करोड़ रु. मूल्य के एक्वाकल्चर उत्पादन की हानि का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त, ढांचागत क्षतियों इत्यादि के कारण 5671 हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है जिसके कारण करीब 59. 26 करोड़ रु. की क्षति हुई है।

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए एम्पीडा अनेक योजनाएं लागू कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी सहायता प्रदान करना, एक्वाकल्चर उत्पादन और तदुपरान्त सम्पूर्ण निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से उद्यमियों और किसानों को उपदान सहायता और प्रशिक्षण शामिल हैं।

[हिन्दी]

निर्वाचन आयोग में राजभाषा

3270. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा नीति तथा राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का निर्वाचन आयोग के कार्यकरण में अनुपालन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां राजभाषा समिति अन्य मंत्रालयों/विभागों की तरह कार्यरत है;

(घ) यदि हां, तो क्या अगले वर्ष के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख). राजभाषा नीति और राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का निर्वाचन आयोग में अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रहा है।

(घ) और (ङ). राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

साधारण बीमा निगम के अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

3271. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम के अधिकारियों तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार तथा अन्य विद्वेष के आरोप लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ग) क्या इन शिकायतों से निबटने के लिए तथा बीमा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी सहायक कंपनियों ने यह सूचित किया है कि उन्हें समय-समय पर इस उद्योग के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ प्रीमियम/निधियों का दुरूपयोग, बीमा की कवर टिप्पणियों का पूर्वदिनांकित करना, अनियमित दावों का भुगतान, स्टाफ लाभ योजनाओं का दुरूपयोग, और जाली यात्रा व्यय/यात्रा बिलों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की शिकायतों में प्रमाणनीय तथ्य होते हैं और इनकी जांच साधरण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियों के संबंधित विभागों द्वारा सतर्कता विभाग से परामर्श करके की जाती है।

छानबीन से प्राप्त हुए निष्कर्षो के आधार पर, अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाती है और उद्योग के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है। यदि आवश्यक हो, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी छानबीन में शामिल किया जाता है और गबन और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हों वहां पर दोषी कर्मचारियों को निलम्बित रखा जाता है। समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षणों जैसे निवारक सतर्कता पूर्ण कदम उठाए जाते हैं।

मादक द्रव्यों की समस्या

3272. **श्री एन. डेनिस :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वापक द्रव्यों से संबंधित समस्याओं के संबंध में पड़ोसी देशों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). जी हां। भारत तथा अन्य सार्क देशों के बीच सार्क स्वापक औषध अपराध प्रबोधन डेस्क के रूप में एक सहयोगशील मशीनरी बनाई गई है। स्थिति की मांग के अनुसार सीधे प्रचालन संबंध स्थापित किए गए हैं।

भारत, पाकिस्तान सरकार के साथ द्विपक्षीय बैठक प्रबंध में सम्मिलित हुआ है जिसके अंतर्गत कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करने तथा स्वापक औषध अवैध व्यापार के संबंध में आसूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नीति स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

भारत और म्यांमार का द्विपक्षीय समझौता हुआ है जिसके अधीन स्वापक औषधों से संबंधित मामलों पर पारस्परिक सहयोग के लिए नीति तथा क्षेत्र दोनों स्तरों पर नियमित बैठकें आयोजित की जाती है।

भारत तथा नेपाल सरकार के बीच प्रचालन स्तर पर भी घनिष्ठ संबंध बनाए गए हैं।

ताइवान के साथ संयुक्त उद्यम

3273. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत तथा ताइवान के बीच संयुक्त उद्यम के कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं; और

(ख) उक्त स्वीकृत प्रस्तावों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कुल कितना निवेश किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). भारत तथा ताईवान के बीच 1.1.95 से 30.9.96 तक की अवधि के दौरान 11.25 करोड़ रुपये के शामिल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के 29 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है।

ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे नामतः विदेशी सहयोगकर्ता का नाम तथा देश, शामिल इक्विटी निवेश, विनिर्माण/क्रियाकलाप की मद को भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा एक मासिक पत्रिका के अनुपूरक के रूप में प्रकाशित किया जाता है तथा इसकी प्रतिलिपियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

दिल्ली में व्यापार मेला

3274. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
कुमारी उमा भारती :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.टी.एफ.ओ. नई दिल्ली में हाल ही में एक व्यापार मेले का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मेले हेतु प्रवेश शुल्क दुगनी कर दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप मेले में आगन्तुक की संख्या कम हो गयी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में प्रवेश शुल्क कम करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। पहले प्रगति मैदान में प्रवेश-शुल्क वयस्कों के लिए 5 रु. और बच्चों के लिए 3 रु. था। हाल ही में आयोजित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1996 के दौरान इसे बढ़ाकर वयस्कों के लिए 10 रु. और बच्चों के लिए 5 रु. किया गया था।

(ग) "इटपो को, अपने स्वंय के वित्तीय आधार पर अपनी बुनियादी सुविधाओं के रख-रखाव के लिए भारत और विदेश में अपने व्यापार संवर्धन कार्यकलाप करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रवेश शुल्क को बढ़ाना आवश्यक समझा गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए विश्व बैंक से सहायता

3275. **श्री आर. साम्बासिवा राव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश के विशेषकर जनजातीय ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति तथा पर्यावरणीय सफ़ाई की परियोजनाओं के लिए कोई ऋण उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत परियोजनाओं तथा विश्व बैंक से प्राप्त राशि में से परियोजनावार धन के अनुमानित आवंटन के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के बारे में ब्यौरा क्या-क्या है;

(घ) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक से प्राप्त राशि द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी किसी परियोजना की स्वीकृति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण

3276. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पृथक-पृथक रूप से कितना ऋण प्रदान किया गया; और

(ख) पंजाब में कृषि के लिए अनुमानित रूप से कितने ऋण की आवश्यकता है और सरकार द्वारा इसके लिए पर्याप्त धन आबंटित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). पंजाब राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पंजाब में पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि और उद्योगों के नाम बकाया अग्रिम निम्नानुसार थे :

(करोड़ रुपए)

	बकाया अग्रिमों की श्रेणी	मार्च 1994	मार्च 1995	मार्च 1996
1.	कृषि	1464	1622	1855
2.	लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग	1288	1515	1892
3.	अन्य (मझौले एवं बड़े उद्योगों सहित)	3642	4640	4986
	जोड़	6394	7777	8733

पंजाब नेशनल बैंक ने यह भी सूचित किया है कि 1996-97 की वार्षिक ऋण योजना में लगाए गए अनुमान के अनुसार, पंजाब में कृषि के लिए ऋण की अनुमानित आवश्यकता 1809 करोड़ रुपए है, जिसे सहभागी बैंकों द्वारा पूरा कर दिए जाने की आशा है।

विदेशी मुद्रा के संबंध में विनियमन

3277. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों तथा आई.ए.एस./आई.वी.एल./आई.एफ.एस. अधिकारियों के निजी तथा सरकारी दौरे हेतु विदेशी मुद्रा भत्ता तथा यात्रा खर्च दिए जाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय के विशेष विनियमनों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : विदेश जाने वाले सरकारी अधिकारी (मंत्रियों सहित) और सरकारी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को विदेशी मुद्रा सरकार द्वारा (अर्थात विदेश मंत्रालय) निर्धारित प्रतिदिन की दर के आधार पर जारी की जाती है जो हर देश में भिन्न-भिन्न है। वे व्यक्तिगत आनुषांगिक खर्चे के लिए प्रतिदिन 50/- अमरीकी डालर की दर से, विदेशी मुद्रा प्राप्त किए जाने के भी पात्र हैं बशर्ते कि यह राशि न्यूनतम 500/- अमरीकी डालर और अधिकतम 1,500/- अमरीकी डालर के अधीन हो।

संसद सदस्यों/राज्य विधायकों, केन्द्र अथवा किसी भी राज्य सरकार के अधिकारी जो विदेश से निमंत्रण प्राप्त होने पर पूर्ण आतिथ्य पर यात्रा करते हैं अर्थात् जहां विदेश यात्रा अथवा विदेश में रहने के लिए कोई राजकीय निधि सहायता शामिल नहीं है, वे आनुषंगिक खर्चों के लिए विदेश में रहने की अवधि के लिए प्रतिदिन 50/- अमरीकी डालर की दर से अधिकतम 30 दिनों तक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

विदेशों में निजी दौरे पर जाते समय वे मूल यात्रा कोटा के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा आहरित करने के अधिकारी होंगे जो 2,000/- अमरीकी डालर प्रतिवर्ष है।

अनिवासी भारतीयों को सुविधाएं

3278. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों को दी जाने वाली सुविधाएं अन्य एशियाई देशों द्वारा विदेशों में रह रहे अपने लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं की तुलना में बराबर है;

(ख) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा किया जाने वाला कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन्य देशों के अनिवासी लोगों द्वारा विदेशों में किए जा रहे निवेश की तुलना में असंतोषजनक हैं;

(ग) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों द्वारा असंतोषजनक निवेश के क्या कारण हैं; और

(घ) अनिवासी भारतीयों द्वारा देश में निवेश किए जाने को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ). सरकार अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश से संबंधित नीति की निरन्तर समीक्षा करता रहती है ताकि उसे प्रतियोगी बनाया जा सके तथा अनिवासी भारतीयों को पर्याप्त प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्रदान की जा सके। इस उद्देश्य से सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। कतिपय चुनिन्दा क्षेत्रों में पूर्ण प्रत्यवर्तन के लाभ सहित 100 प्रतिशत एन.आर.आई. इक्विटी की अनुमति है। सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से एन.आर.आई. निवेश में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा 30.9.96 तक लगभग 24171.62 करोड़ रु. के मूल्य निवेश प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की समीक्षा

3279. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने इसके द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की समीक्षा करवाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे के साथ-साथ इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त निर्णय लेने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग). परियोजना अनुवीक्षण एक अनवरत प्रक्रिया है जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाले गतिरोधों का पता लगाने और तत्संबंधी सुधारात्मक उपाय करने के लिए पूरे वर्ष के दौरान संचालित की जाती है। इस प्रक्रिया का कार्यान्वयन आर्थिक कार्य विभाग, सम्बद्ध मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक भी कार्यान्वयन अभिकरण राज्य सरकारों और भारत सरकार के साथ संयुक्त रूप से परियोजनाओं का अनिवार्यतः अनुवीक्षण और पुनरीक्षा करने के लिए अपने मिशनों को भेजता है। इसके अतिरिक्त, सही कार्य निष्पादन न करने वाली परियोजनाओं से सम्बद्ध समस्याओं का पता लगाने के उद्देश्य से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं और पोर्टफोलियो के वार्षिक आधार पर कार्य निष्पादन की संयुक्त पुनरीक्षा हेतु एक तंत्र है। जहां कहीं परियोजना के कार्य निष्पादन को असंतोषजनक पाया जाता है, आंशिक अथवा पूर्णतया ऋणों/उधारों को निरस्त करने के बारे में निर्णय संबंधित परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों, भारत सरकार और विश्व बैंक के परामर्श से लिया जाता है।

वित्त मंत्री और विश्व बैंक के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक के अनुसरण में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ-साथ विश्व बैंक की सहायता से चल रही अधिसंख्यक परियोजनाओं को कहा गया है कि वे परियोजनाओं का गहन पर्यवेक्षण करने के लिए एक स्थानीय परियोजना अनुवीक्षण प्राधिकरण स्थापित करें। सहायता के उपयोग में सुधार सुनिश्चित करने के लिए इसका पुनरीक्षण संयुक्त रूप से वित्त मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक

3280. डा. असीम बाला :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के बोर्ड में भारत की सदस्यता समाप्त होने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

थाईलैंड के साथ व्यापार

3281. श्री भक्त चरण दास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और थाईलैंड ने 1997 के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 2 बिलियन से अधिक डालर तक करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बैंकाक में एक व्यापार केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) द्विपक्षीय सहयोग के लिए 4-5 नवम्बर, 1993 को नई दिल्ली में आयोजित भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि अधिमानतः 1997 तक के लिए दोनों ओर का व्यापार लक्ष्य 2 मिलियन यू. एस. डालर रखना उपयुक्त होगा।

(ख) भारत और थाइलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं: दोनों देशों के बीच संयुक्त व्यापार समिति की नियमित बैठकों का आयोजन करना, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, एक दूसरे के देश में मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना और व्यापार के मुक्त प्रवाह में आने वाली विभिन्न प्रचालन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकारी स्तर पर लगातार संपर्क।

(ग) और (घ). थाईलैंड में भारतीय मिशन ने बैंकाक व्यापार केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया था। किन्तु, वित्तीय बाधाओं के कारण इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं हो सकी।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कार्य-निष्पादन

3282. श्री अनंत कुमार : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज का कारोबार के रूप में कितना कार्य-निष्पादन रहा है तथा राज्यों को कितनी लाभ/हानि हुई है;

(ख) क्या इन एककों का कार्य-निष्पादन लक्ष्य के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारान) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) एच.एम.टी. के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

— केवल निश्चित आदेश के विरूद्ध उत्पादन।

— बाजारोन्मुखी निर्माण।

— समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आई एस ओ-9000 प्रमाणन।

— महत्वपूर्ण मशीनों को तीन पालियों में चलाना।

— कम मूल्य वाली मदों को हटा देना।

— घड़ी के पुर्जों की मशीनों का रूपान्तरण।

— ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराना।

— घड़ियों की नई श्रृंखलाएं आवधिक रूप से शुरू करना।

— स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के माध्यम से जनशक्ति में कटौती।

— संयुक्त उद्यमों की स्थापना।

— मालसूची तथा विविध देनदारों में कमी करना।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कारोबार		लाभ/हानि	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1993-94	957.00	613.73	5.30	(120.24)
1994-95	950.00	728.73	(28.10)	(79.20)
1995-96	965.00	832.60	0.35	(55.89)
1996-97 (सितम्बर, 1996 तक)	460.72	383.01*	(29.10)	(46.63)

* अनंतिम

ग्रामीण वित्तीय संस्थान

3283. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण वित्तीय संस्थानों के कार्यकरण को पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). बहु एजेंसी दृष्टिकोण के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण का संवितरण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं की ग्रामीण शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। ग्रामीण बचत को उन्नत करने के लिए संस्थागत तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से और स्थानीय क्षेत्र की अर्थक्षम आर्थिक गतिविधियों में ऋण के प्रावधान के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में नए स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इस संस्थागत संरचना को ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

निर्यात में कमी संबंधी कृतिक बल

3284. श्री संदीपान थोरात : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात में कमी आने के कारणों का पता लगाने हेतु 18 अक्तूबर, 1996 को राजस्व तथा वाणिज्य सचिवों के कृतिक बल की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) क्या इस संबंध में कोई ठोस उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (घ). जी, नहीं। 18 अक्तूबर, 1996 को राजस्व और वाणिज्य सचिवों की ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है और प्राप्त सूचना के अनुसार न ही राजस्व और वाणिज्य सचिवों को मिलाकर कोई कृतिक बल गठित किया गया है। तथापि, राजस्व सचिव और वाणिज्य सचिव निर्यात पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और निर्यात निष्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे तत्पश्चात हम इस पर चर्चा करेंगे। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

अपराह्न 2.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत ऑफ्थलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर में वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यम) : मैं श्री मुरासोली मारान की ओर से यह सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारत ऑफ्थलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत ऑफ्थलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1995–96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.–892/96]

(ख) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995–96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापारीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.–893/96]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1995–96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.–894/96]

(घ) (एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और इसकी समनुषंगी इकाईयों के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और इसकी समनुषंगी इकाईयों के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापारीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.–895/96]

(2) (एक) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अंतर्गत कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 896/96]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1994–95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.–897/96]

(4) (एक) इंडो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1995–96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.–898/96]

(5) (एक) इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-899/96]

(6) (एक) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-900/96]

(7) (एक) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, जमशेदपुर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, जमशेदपुर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-901/96]

(8) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.-902/96]

सिक्का निर्माण (मानक वजन और गुणवत्ता के अन्तर की सीमा से युक्त पांच रुपये का सिक्का, जिसमें पचहत्तर प्रतिशत तांबा और पच्चीस प्रतिशत निकल सम्मिलित है) जिन्हें "सतत हरित क्रांति की ओर" विषय पर निर्मित किया गया है।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सिक्का निर्माण (मानक वजन और गुणवत्ता के अंतर की सीमा से युक्त पांच रुपये का सिक्का, जिसमें पचहत्तर प्रतिशत तांबा और पच्चीस प्रतिशत निकल सम्मिलित है तथा जिन्हें "सतत हरित क्रांति की ओर" विषय पर निर्मित किया गया है) नियम, 1996 जो 11 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 519(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-903/96]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (दूसरा संशोधन) नियम, 1996 जो 22 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 486(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 399(अ) जो 3 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 जून, 1994 की अधिसूचना संख्या 126/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 490(अ) जो 23 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 मई, 1995 की अधिसूचना संख्या 104/95-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 527(अ) जो 19 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 अक्तूबर, 1994 की अधिसूचना संख्या 177/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 160(अ) जो 28 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 161(अ) जो 28 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा

को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 189(अ) जो 14 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा इसका एक शुद्धि-पत्र जो 22 मार्च, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 241(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 190(अ) जो 14 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा इसका एक शुद्धि-पत्र जो 22 मार्च, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 242(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 221(अ) जो 19 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 222(अ) जो 19 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधन विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 246(अ) जो 25 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 247(अ) जो 25 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ. 314(अ) जो 24 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 315(अ) जो 24 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का.आ. 377(अ) जो 28 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 378(अ) जो 28 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ. 456(अ) जो 25 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ. 457(अ) जो 25 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ. 538(अ) जो 25 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ. 539(अ) जो 25 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ. 591(अ) जो 27 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ. 592(अ) जो 27 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का.आ. 653(अ) जो 25 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का.आ. 654(अ) जो 25 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) का.आ. 746(अ) जो 28 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) का.आ. 747(अ) जो 28 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 904/96]

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1996 जो 26 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 541(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 542(अ) जो 26 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 अप्रैल, 1996 की अधिसूचना संख्या 5/96-सेवा कर में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 543(अ) जो 26 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट 73 देशों के राजनयिक मिशनों को गैर-जीवन बीमा प्रीमियम के लिए साधारण बीमा कारबार वाले किसी बीमा कर्ता द्वारा प्रदान की गयी कर योग्य सेवा को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सेवा कर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-905/96]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1996 जो 21 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 808(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1996 जो 22 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 810(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-906/96]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी (शेयर प्रमाण पत्रों का निर्गम) संशोधन नियम, 1996 जो 16 अक्तूबर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 476 (अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-907/96]

(6) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नौवां संशोधन) नियम, 1996 जो 20 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 531(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-908/96]

(दो) दिनांक 22 नवम्बर, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 52/17/96-के.उ.शु., जिसका आशय रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, बिहार की धर्मार्थ डिस्पेन्सरी में स्थापित किए जाने वाले एक्स-रे प्लान्ट पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पादन शुल्क की अदायगी से छूट देना है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-909/96]

(7) 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के संबंध में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-910/96]

(8) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 23 की उपधारा (5) और धारा 18 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 1995-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-911/96]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अंतर्गत 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासनिक संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-912/96]

(10) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई का वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई का वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई का वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर सांख्यिकी विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-913/96]

(11) 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन :—

(एक) श्री विशाखा ग्रामीण बैंक, श्री काकुलम

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-914/96]

(दो) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-915/96]

(12) 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन :—

(एक) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दरभंगा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-916/96]

(दो) वर्धा ग्रामीण बैंक, कुम्टा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-917/96]

(तीन) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-918/96]

(चार) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-919/96]

(पांच) चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-920/96]

(छह) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-921/96]

(सात) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-922/96]

(आठ) सीवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीवान

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-923/96]

(नौ) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-924/96]

(दस) कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-925/96]

(ग्यारह) राजगढ़-सेहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेहोर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-926/96]

(बारह) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नान्देड़

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-927/96]

(तेरह) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-928/96]

(चौदह) देवी पाटन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोण्डा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-929/96]

(पन्द्रह) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लौर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-930/96]

(सोलह) बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-931/96]

(सत्रह) बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगुसराय

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-932/96]

(अट्ठारह) गोमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-933/96]

(उन्नीस) नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-934/96]

(बीस) श्रावस्थी ग्रामीण बैंक, बहराईच

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-935/96]

(इक्कीस) अलकनन्दा ग्रामीण बैंक, पौड़ी (गढ़वाल)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-936/96]

(बाईस) जूनागढ़-अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ़

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-937/96]

(तेईस) काशी ग्रामीण बैंक, वाराणसी

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-938/96]

(चौबीस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-939/96]

(पच्चीस) मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरनगर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-940/96]

(छब्बीस) रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मंदसौर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-941/96]

(सत्ताईस) सरयू ग्रामीण बैंक, लखीमपुर खीरी

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-942/96]

(अट्ठाइस) सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छप्परा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-943/96]

(उन्नतीस) रत्नागिरि सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रतनागिरि

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-944/96]

(तीस) शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशियारपुर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-945/96]

(इक्कतीस) ठाणे ग्रामीण बैंक, ठाणे

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-946/96]

(बत्तीस) श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तौड़

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-947/96]

(तेतीस) जमुना ग्रामीण बैंक, आगरा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-948/96]

(चौतीस) अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-949/96]

(पैंतीस) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-950/96]

(छत्तीस) मालप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-951/96]

(सैंतीस) हिंडन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-952/96]

(अड़तीस) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-953/96]

(उनतालीस) फरूखाबाद ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-954/96]

(चालीस) अम्बाला-कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक, अम्बाला

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-955/96]

(इकतालीस) श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्रीगंगानगर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-956/96]

(बयालीस) भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-957/96]

(तैतालीस) छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई (जिला जालौन)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-958/96]

(चवालीस) कोरापट पंचबटी ग्राम्य बैंक, जयपुर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-959/96]

(पैंतालीस) गंगा यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-960/96]

(छियालीस) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-961/96]

(सैंतालीस) छिंदवाड़ा-सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-962/96]

(अड़तालीस) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-963/96]

(उनचास) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-964/96]

(पचास) जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक, जामनगर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-965/96]

(इक्यावन) सूरत-भरूच ग्रामीण बैंक, भरूच

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-966/96]

(बावन) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-967/96]

(तिरपन) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-968/96]

(चौवन) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक, आदिलाबाद

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-969/96]

(पचपन) वल्लालर ग्राम्य बैंक, कुड्डालौर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-970/96]

(छप्पन) सहयाद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-971/96]

(सत्तावन) भण्डारा ग्रामीण बैंक, भण्डारा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-972/96]

(अठावन) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-973/96]

(उनसठ) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-974/96]

(साठ) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-975/96]

(इकसठ) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-976/96]

(बासठ) भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-977/96]

(तिरसठ) विशवेश्वरया ग्रामीण बैंक, मंड्या

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-978/96]

(चौंसठ) मंजीरा ग्रामीण बैंक, संगारेड्डी

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-979/96]

(पैंसठ) पंछी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रांची

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-980/96]

(छियासठ) कल्पतरू ग्रामीण बैंक, टुमकूर

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-981/96]

(सरसठ) मगध ग्रामीण बैंक, गया

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-982/96]

(अड़सठ) नागालैंड रूरल बैंक, कोहिमा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-983/96]

(उनहत्तर) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-984/96]

(सत्तर) विदिशा-भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-985/96]

(इकहत्तर) शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-986/96]

(बहत्तर) यवतमाल ग्रामीण बैंक, यवतमाल।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-987/96]

(तिहत्तर) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-988/96]

(चौहत्तर) बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-989/96]

(पचहत्तर) रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झांसी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-990/96]

(छिहत्तर) चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-991/96]

(सतहत्तर) बुलढाना ग्रामीण बैंक, बुलढाना।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-992/96]

(अटहत्तर) गोलकुण्डा ग्रामीण बैंक, बुलढाना।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-993/96]

(उन्नासी) ढेंकनाल ग्राम्य बैंक, ढेंकनाल।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-994/96]

(अस्सी) कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक, भावनीपटना।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-995/96]

(इक्यासी) श्री अनन्त ग्रामीण बैंक, अनन्तपुर।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-996/96]

(बयासी) बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बीकानेर।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-997/96]

(तिरासी) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-998/96]

(चौरासी) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-999/96]

(पचासी) संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1000/96]

कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कपड़ा मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखा तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1001/96]

(2) (एक) परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिधान निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1002/96]

(3) (एक) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1003/96]

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 19 के अन्तर्गत अधिसूचना आदि

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : मैं श्री बोला बुल्ली रमैया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम,

1992 की धारा 19 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 655(अ), जो 26 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार (कतिपय मामलों में नियमों के लागू होने से छूट) आदेश, 1993 में कतिपय संशोधन करना है, को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1004/96]

(2) (एक) प्लास्टिक एण्ड लिनोलेमस एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक एण्ड लिनोलेमस एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1005/96]

(3) (एक) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1006/96]

सिंगरेनी कालियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) सिंगरेनी कालियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडम के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेनी कालियरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडम का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1007/96]

(ख) (एक) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता तथा उसकी समनुषंगी कम्पनियों के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (खंड I और II)।

(दो) कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता तथा उसकी समनुषंगी कम्पनियों का वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन, (खंड I और II) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1008/96]

नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान विभिन्न आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक)	विवरण संख्या 21	पहला सत्र, 1989	नौवीं लोक सभा
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1009/96]			
(दो)	विवरण संख्या 35	तीसरा सत्र, 1990	
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1010/96]			
(तीन)	विवरण संख्या 35	पहला सत्र, 1991	दसवीं लोक सभा
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1011/96]			
(चार)	विवरण संख्या 29	दूसरा सत्र, 1991	
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1012/96]			
(पांच)	विवरण संख्या 31	तीसरा सत्र, 1992	
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1013/96]			
(छह)	विवरण संख्या 28	चौथा सत्र, 1992	
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1014/96]			

(सात) विवरण संख्या 25 छठा सत्र, 1993 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1015/96]		
(आठ) विवरण संख्या 21 सातवां सत्र, 1993 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1016/96]		
(नौ) विवरण संख्या 20 आठवां सत्र, 1993 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1017/96]		
(दस) विवरण संख्या 18 नौंवा सत्र, 1994 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1018/96]		
(ग्यारह) विवरण संख्या 9 दसवां सत्र, 1994 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1019/96]	दसवीं लोक सभा	
(बारह) विवरण संख्या 13 ग्यारहवां सत्र, 1994 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1020/96]		
(तेरह) विवरण संख्या 11 बारहवां सत्र, 1994 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1021/96]		
(चौदह) विवरण संख्या 9 तेरहवां सत्र, 1995 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1022/96]		
(पन्द्रह) विवरण संख्या 6 चौदहवां सत्र, 1995 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1023/96]		
(सोलह) विवरण संख्या 4 पन्द्रहवां सत्र, 1995 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1024/96]		
(सत्रह) विवरण संख्या 3 सोलहवां सत्र, 1996 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1025/96]		
(अट्ठारह) विवरण संख्या 1 दूसरा सत्र, 1996 [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-1026/96]	ग्यारहवीं लोक सभा	

(खंड 1 और 11)

अपराह्न 2.02 $^1/_2$ बजे

[अनुवाद]

लोक लेखा समिति

विवरण

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

1. धन कर संबंधी 181वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।
2. नव-स्थापित उपक्रमों के संबंध में राहत की अनियमित छूट संबंधी 194वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।
3. विभाग द्वारा अपलिखित राजस्व मांगों संबंधी 220वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।
4. कोट न किए गए इक्विटी शेयरों का गलत मूल्यांकन संबंधी 36वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।
5. भविष्य निधि के अंशदानों की छूट में भूल संबंधी 69वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।
6. कर वसूली के लिए कुर्क की गई अचल सम्पत्तियों के निपटान संबंधी 152वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।
7. एक फिल्म सर्किल के कार्यकरण संबंधी 175वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।
8. बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों संबंधी 20वां प्रतिवेदन (नौंवी लोक सभा)।
9. निर्धारण प्रक्रिया-संक्षिप्त और संवीक्षा निर्धारण संबंधी 13वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।
10. ब्याज कर निर्धारण संबंधी 17वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)
11. निर्धारण से छूट गई आय संबंधी 41वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

अपराह्न 2.03 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 12 दिसम्बर 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित पंचायतों के उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1996 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा द्वारा 12 दिसम्बर 1996 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 10 दिसम्बर 1996 को पारित किए गए दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1996 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 2.03 1/2 बजे

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1996

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : महोदय, मैं सभा पटल पर राज्य सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 1996 को पारित पंचायत-उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1996 रखता हूं।

सभा का कार्य

अपराह्न 14.04 बजे

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि 16 दिसम्बर, 1996 से आरंभ हो रहे सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा :—

(1) वर्ष 1996-97 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान।

(2) उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 1996-97 बजट पर आम चर्चा।

(3) वर्ष 1996-97 के लिए (उत्तर प्रदेश) के संबंध में चर्चा और मतदान।

(4) पंचायतों का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) विधेयक, 1996 राज्य सभा द्वारा यथा पारित, के प्रावधानों पर चर्चा और पारित करना।

(5) आज के पत्रों से आगे ले जाए गए सरकारी कार्य की किसी मद पर चर्चा।

(6) राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा करना और पारित करना :—

(क) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1996

(ख) भारतीय संविदा (संशोधन) विधेयक, 1996

(ग) प्रशिक्षु (संशोधन) विधेयक, 1996

(7) संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996 पर विचार और पारित करना।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विणियों को जोड़ा जाए :—

1. मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिलान्तर्गत महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र पत्थल गांव में बैंकिंग संबंधी कठिनाइयों के त्वरित निराकरण के लिए भारत सरकार द्वारा पत्थल गांव में भारतीय स्टेट बैंक की अविलम्ब स्थापना की आवश्यकता।

2. भारत के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आज मलेरिया, आंत्र-शोध तथा अन्य नाना प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई सक्षम चिकित्सालय का प्रबंध नहीं है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को इन खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए भारत के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के मध्य स्थल मध्य प्रदेश के जसपुर में आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह एक सक्षम औषधालय के निर्माण की आवश्यकता है।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में समस्तीपुर में गन्ना किसानों एवं मजदूरों के हित मं समस्तीपुर चीनी मिल के बन्द करने के सरकार के निर्णय पर पुनः विचार कर चालू कराने के विषय को शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाएं :—

(1) पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हो रहा असाधारण विलम्ब जिससे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। इस महीने प्रकाशित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के लिए छठे द्विपक्षीय वेतन समझौते का विस्तार।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए :—

1. मध्य प्रदेश के एक तिहाई भाग छत्तीसगढ़ अंचल में भयंकर सुखे से जनजीवन त्रस्त, पीने के पानी की भारी कठिनाई व पशुधन की हानि के कारण सैकड़ों गांवों से लोगों का पलायन व भुख से मृत्यु।

2. पश्चिम रेलवे के रतलाम अजमेर खंड पर नीमच रतलाम के मध्यमार्ग के गेज परिवर्तन का काम धीमा होने से

आम नागरिकों, व्यापारियों को कठिनाई व रेल को भारी राजस्व हानि।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए :—

1. राजस्थान के अधिकांश गांवों में जहां करोड़ों रुपए खर्च करके टेलीफोन लगाए गए थे वे बंद पड़े हैं। काफी प्रयत्नों के बावजूद भी वे ठीक नहीं हो रहे हैं। उनको एक द्रुतगामी अभियान चलाकर ठीक करवाया जाए।

2. केन्द्रीय डाकतार विभाग ने गांवों में नए डाकघर खोलने प्रारंभ करने बंद कर दिए हैं। एक-एक डाकघर में बीसियों मीलों का क्षेत्र हो गया है व नई नीति के तहत डाकघर खुलना दुष्वार हो गया है एवं डाकघरों में नई भर्ती भी बंद कर दी गई है। कृपा करके इनको प्राथमिकता देकर खोलना प्रारंभ करवाएं।

प्रो. रासा सिंह रावत : (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें :—

1. सम्पूर्ण देश में अपराधी मनोवृत्ति को समाप्त करने तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु नशाबंदी, शक्ति से लागू किए जाने की आवश्यकता है।

2. अजमेर के टेलीफोन एक्सचेंज में पुरानी तथा घिसीपिटी क्रासवार प्रणाली को पूर्णतया समाप्त कर उसके स्थान पर अधिक क्षमता वाले नए इलेक्ट्रानिक प्रणाली से युक्त एक्सचेंज को स्थापित कर दूरसंचार व्यवस्था को प्रभावी, सक्षम, द्रुतगामी एवं आधुनिकतम बनाए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए :—

(1) असंतोषजनक कार्यदशाओं के संबंध में, पुरानी और खराब मशीनों तथा आकाशवाणी केन्द्र से लद्दाखी भाषा और संस्कृति को विकृत करने वाले निम्न स्तर के कार्यक्रमों के प्रसारण के संबंध में चर्चा किए जाने की आवश्यकता।

(2) कारगिल में आकाशवाणी का नया केन्द्र जो पिछले एक वर्ष से चालू करने के लिए तैयार है, को चालू न करने पर इस सम्माननीय सभा में चर्चा किए जाने की आवश्यकता।

अपराह्न 14.09 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सिंगापुर में विश्व व्यापार संगठन का मंत्रि-स्तरीय सम्मेलन

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से सिंगापुर में हाल में हुए मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संबंध में हमारे शिष्टमंडल को दी गई जानकारी से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन महत्वपूर्ण श्रम मानकों से निपटने का सक्षम निकाय है। सम्मेलन ने श्रम मानकों को लागू करने, प्रतिबंधित व्यापार उपायों के इस्तेमाल को नामंजूर कर दिया है। इस बात पर बल दिया गया है कि विकासशील देशों के तुलनात्मक लाभों पर किसी भी तरह से प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए।

तथापि, सम्मेलन ने श्रम मंत्रियों को अपना समर्थन देना जारी रखने का वचन दिया है जो इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में ले जा रहे हैं। इस प्रकार घोषणा में भारत का दृष्टिकोण पूरी तरह से प्रतिबिम्बित हो गया है और हमारी दृष्टि में विश्व व्यापार संगठन इस मामले में और कुछ नहीं करेगा।

निवेश के संबंध में बहुपक्षीय समझौते पर विकसित देशों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का आरंभिक प्रस्ताव यह था कि हमें एक शिक्षण प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और बहुपक्षीय समझौता तैयार करने के संबंध में वार्ता करने के लिए एक कार्यकारी दल की स्थापना करनी चाहिए। सौभाग्य से हमारे देश और कुछ अन्य देशों के प्रतिरोध से सम्मेलन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त, बहुत से अन्य विकासशील देशों को राजी किए जाने के परिणामस्वरूप सम्मेलन ने वर्तमान 'ट्रिम्स' समझौते का उल्लेख करते हुए कहा है कि वर्तमान ट्रिम्स समझौते के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत निवेश और प्रतिस्पर्धा से संबंधित मामलों का अध्ययन करने के लिए दो कार्यकरी दलों की स्थापना की जाए। भारत ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया है। तथापि, अन्य विकासशील देश कार्यदलों की स्थापना करने के लिए तैयार थे। भारत के अतिरिक्त कोई भी अन्य देश इसका पूरी तरह विरोध करने को इच्छुक नहीं था। कार्यदलों की स्थापना करने के विचार का विरोध करते समय भी भारत ने दो मुख्य बातों पर विशेष ध्यान दिया।

पहली बात यह है कि सम्मेलन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कार्यदलों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में इस प्रश्न के संबंध में पूर्व निर्णय नहीं लिया जाएगा कि क्या वार्ता शुरू भी की जाएगी। दूसरी बात यह है कि यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली जाएगी कि भविष्य की वार्ताओं के बारे में कोई भी निर्णय विश्व व्यापार संगठन

के सदस्यों के स्पष्ट सहमति निर्णय लिए जाने के बाद लिया जाएगा। सम्मेलन ने ये दो बातें स्वीकार की हैं।

मंत्रियों ने 'अंकटाड' के अन्तर्गत चल रहे कार्य का भी स्वागत किया है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि वे 'अंकटाड' और विश्व व्यापार संगठन के बीच चल रहे सहयोग का समर्थन करते हैं। एक ओर जहां भारत के निवेश के संबंध में किसी भी बहुपक्षीय समझौते के शर्तों को नामंजूर करने हेतु सदस्य देशों को राजी किया है वहीं भारत संशोधित फार्मूले से भी अप्रसन्न है। घोषणा के तुरन्त बाद भारत के वाणिज्य मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत की अप्रसन्नता प्रकट की है।

सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में एक समझौता हुआ था। कुछ देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है। श्रम मानदण्डों, व्यापार और निवेश पर कोई समझौते नहीं हुए हैं। घोषणा में इनका केवल उल्लेख किया गया है।

वाणिज्य मंत्री के कल भारत लौट आने की संभावना है। मैं सरकार की ओर से कहना चाहता हूं कि वह सोमवार को पूर्ण वक्तव्य देंगे। मेरे पास जो जानकारी थी वह मैंने आपको दे दी है। मैं समझता हूं कि व्यापार और निवेश के संबंध में शर्तों के दो कार्यकारी दलों के बारे में कुछ अप्रसन्नता के अलावा हमारे शिष्टमंडल अपनी बात पर कायम रहा है। उसने सदस्य देशों को भारत की स्थिति स्वीकार करने के लिए भरपूर प्रयास किया है।

अन्य छोटे मुद्दों पर भारत की स्थिति घोषणा में परिलक्षित हुई है, क्या मेरी जानकारी...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि स्थिति स्पष्ट हो गई है।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : मेरा अनुरोध है कि हमें इस पर सोमवार को वाद-विवाद करना चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : ठीक है, हम सोमवार को चर्चा कर सकते हैं। लेकिन दो बातें हैं।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, हम घोषणा की एक प्रति चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि भारत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण स्पष्ट है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : समाचार पत्रों में जो कुछ कहा गया है यह उससे भिन्न है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। समाचार पत्रों में जो कुछ कहा गया है यह उससे भिन्न है।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : मेरा कहना यह है कि समाचार पत्रों में छपी खबरें बिलकुल भिन्न हैं। मैं आज दोपहर बाद वापस जा रहा हूं। मेरे पास अधिक समय नहीं है। मैं समझता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कमोवेश सही है। यद्यपि शीर्षक कुछ चौंका देने वाले हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर काफी सही है। मैं कोई दावा नहीं करना चाहता हूं। हमें सोमवार को वाणिज्य मंत्री के आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही खबरें भिन्न हो सकती हैं। लेकिन दो बातें एकदम स्पष्ट हैं। हमारे शिष्टमंडल ने कल भी एक विशेष दृष्टिकोण अपनाया और कुछ घोषणाएं कीं। मैं उन्हें उद्धृत भी कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। मैं नहीं समझता हूं कि आपको समाचार पत्रों में छपी खबर को उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है हमें उसके अनुसार चलना होगा।

श्री रूप चन्द पाल : महोदय, मैं उद्धृत नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इसका उल्लेख कर रहा हूं। यदि विकासशील देश भी अपना दृष्टिकोण बदल रहे हैं तो भारत सरकार अपने मूल दृष्टिकोण पर कायम रह सकती है क्योंकि ये सभी बातें अच्छी तरह से ज्ञात हैं। विश्व व्यापार संघ की यह शर्त असंगत है। भारत सरकार का दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है। इन बातों पर चर्चा नहीं होनी है। विश्व व्यापार संघ का इन सब बातों से कोई संबंध नहीं है। अतः इस प्रकार की शर्त रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अब संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य धनाढ्य राष्ट्रों के दबाव के सामने घुटने टेकने का सवाल नहीं है। हम माननीय सदस्य की बात से संतुष्ट नहीं हैं। हम पूरे वक्तव्य का पाठ प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। हमें मंत्री जी के वापस आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह सोचनीय बात है और पूरा राष्ट्र इस बारे में चिन्तित है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो बातें कहीं, उससे ऐसा स्पष्ट हो गया है कि हस्ताक्षर हो चुके हैं और हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर हो चुके हैं जिसके लिए उनका मैनडेट नहीं था। जैसा मैंने आज सुबह सदन में कहा था कि प्रधान मंत्री जी से जब हमारी बात हुई थी, पार्लियामैंटेरियन फोरम ऑन इंटलैकचुअल प्रॉपर्टी की ओर से जो सर्वदलीय, उसमें कोई भी दल नहीं है, ऐसा कहने की बात नहीं है, उसकी ओर से जब बात हुई थी, वित्त मंत्री जी से भी इसके बारे में बात हुई थी विशेषकर कॉमर्स मिनिस्टर और इंडस्ट्री मिनिस्टर से बात हुई थी, तब यह बात स्पष्ट की गयी थी कि

किसी भी सूरत में, अभी आपने बता दिया कि काबलियत के साथ घुसने की बात शुरू हो गयी है, यह होने नहीं देंगे। यह कहने के पीछे कारण था। कारण यह बात थी कि जब पुटां वेल एस्ते हुआ,य अध्यक्ष जी, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि उन दिनों आप सरकार में थे, जितनी भी सरकारें रहीं उसमें आप थे, 1983 से 1987 तक भारत ने अमरीका के सारे दबावों को ठुकराया था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं। उन्होंने इस व्यापार के मामले में और अमरीका की अन्य क्षेत्रों में हर देश में घुसने की जो साजिश थी उसको समझ कर अमरीकियों की बातों को नहीं माना। जब राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने इंदिरा गांधी की उस नीति को चलाया था।

1987 में श्री वी.पी. सिंह भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल को लेकर पुटा वेल एस्ते पहुंचे थे। वहां जब अमरीकियों का आग्रह रहा, मैं अमरीकी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी सब लोग इस मामले में कोई महत्व नहीं रखते, वही बातें तय करते हैं और वही सब बातों को चलाते हैं और सारी दुनिया उनके सामने झुक जाती है। वहां जब अमरीकियों ने यह बात चलाई कि 'ट्रिप्स एण्ड ट्रिम्स', मैं सदन का समय नहीं लूंगा लेकिन मंत्री जी जिस तरह से आज ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं, मैं इस बात को स्पष्ट करना बहुत जरूरी समझता हूं। जब वहां 'ट्रिप्स एंड ट्रिम्स' की बात की गयी तो भारत के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसका विरोध किया। अनेक राष्ट्रों को अपने साथ लेकर इसका विरोध किया और एक ऐसा माहौल बना जिसमें अमरीकियों ने महसूस किया कि यह बात आगे नहीं चलेगी। तब उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि 'गैट' यानी व्यापार के मामलों में बातचीत चले। बाकी जो इंटलैकचुअल प्रापर्टी और इन्वेस्टमैंट मेजर्स के मामले हैं, उन पर हम एक पैरलल ट्रैक चलायें यानी अनौपचारिक बात हो। वह अनौपचारिक बात जो मंत्री जी ने यहां पर बताई कि नॉटविदस्टैंडिंग होल्डिंग आन टू अवर पोजीशन, ये सारी बातें काबलियत के तौर पर होती हैं। लेकिन जिससे टकराव है, जो आज अपनी नीतियों को दूसरों पर लादने का काम कर रहा है, उसके लिए यह सब शब्दों का मायाजाल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज जिस दस्तावेज पर आपने दस्तखत किए, वहां आपने वहीं सब चीज कबूल की जो पुटां वेल एस्ते में कबूल की थी जहां कहा गया था कि गैट में केवल व्यापार पर बातचीत होगी और बाकी पैरलल ट्रैक पर होगी। आज यहां पर इन्होंने उस बात को उससे भी ज्यादा खतरनाक ढंग से कबूल किया। कबूल यह किया कि स्टडी ग्रुप। क्या है स्टडी ग्रुप? स्टडी ग्रुप सैमिनार नहीं है। जहां लोग चाहें, चले जाएं कि एक डिक्लेरेशन करना है, इसके लिए वर्किंग ग्रुप बने। यह वर्किंग ग्रुप नहीं है, यह स्टडी ग्रुप नहीं है, यह डब्ल्यूटीओ की एक विशेष जमात को एक साथ बिठाकर उनके जरिए काम करना शुरू हुआ है।

क्या वित्त मंत्री इस बात से इनकार करेंगे कि जो स्टडी ग्रुप के फैसले होते हैं या काम होते हैं इस पर डब्ल्यू.टी.ओ. की जनरल कौंसिल निगरानी नहीं रखे, वह क्यों समय बर्बाद करेगी। करोड़ों रुपये की तनख्वाह पाने वाले लोग वहां बैठे हैं, वे क्यों स्टडी ग्रुप में बैठकर समय बर्बाद करें, अगर उनको यह चीज दुनिया में लादनी न हो। यह तय था कि हम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन परसों सब कुछ हो गया। ये लोग यहां से फैसला करके गए थे कि नहीं होगा। प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था कि नहीं होगा, लेकिन फिर क्या हुआ। यह कहना कि सिंगापुर ने कहा, मलेशिया ने कहा कि अब नहीं होगा, तो क्या भारत सिंगापुर और मलेशिया की पूंछ बनकर दुनिया में जाएगा। हम लोगों की क्या यह औकात हो गई है कि हम उनकी पूंछ बने।

अध्यक्ष जी, मलेशिया बड़ा चालाक राष्ट्र है। मलेशिया के प्रधान मंत्री अमेरिका को गाली देते हैं और उन्हीं के व्यापार मंत्री अमेरिका के पिछलग्गू बनते हैं। उसके पीछे जो राजनीति है, जिसको मैं सदन में नहीं उठाऊंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपको इस तरह से अन्य देशों का उल्लेख करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लेकिन मुझे शर्म आती है कि भारत 95 करोड़ की आबादी वाला देश क्या 32 लाख की आबादी वाले सिंगापुर का नेतृत्व मानेगा। सिंगापुर की, मलेशिया की अपनी-अपनी समस्याएं हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने इसी राजधानी में 1995 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मंत्रियों का सम्मेलन किया था। हमारे देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने उसका उद्घाटन किया था, उनके भाषण को पढ़ें। आपने खुद उस सम्मेलन में विचार रखे थे और आपने जो नेतृत्व दिया था उसकी सारे विश्व ने तारीफ की थी कि जब हम लोगों पर दबाव आ रहे हैं, हम खड़े होकर सामना कर रहे हैं। जिस डिक्लरेशन का ड्राफ्ट तैयार करने में आपका योगदान था, उसका एक वाक्य मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि आज कैसे उसका उल्लंघन हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीज, मैं समझता हूं कि आप सोमवार को यह सब कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं समय नहीं ले रहा हूं, लेकिन कोई गलत बात नहीं जानी चाहिए। कल सिंगापुर और अमेरिका के अखबारों में यह नहीं आना चाहिए कि हम लोग दब गए। मेरे पास

ट्रांसबॉर्डर/इक्स्ट्राटेरन्स मैशर्स है। आपका लिखा डिक्लरेशन है उसमें पैरा नं. 3 में आपने कहा था :—

[अनुवाद]

"हमें इस बात पर बल देना चाहिए कि विकसित देशों द्वारा तीसरी दुनियां के देशों पर आर्थिक राजनीतिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से अपनाए गए कड़े आर्थिक उपायों का एकपक्षीय रूप से लागू होना हमें स्वीकार्य नहीं है। इसी तरह से यदि कोई देश सीमांतर रूप से किसी अन्य देश की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए अपने कानूनों को लागू करने की कोशिश करता है तो वह हमें स्वीकार्य नहीं है।"

[हिन्दी]

अगर वित्त मंत्री को टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मंजूर है, जिसको मि. अय्यर ने लिखा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद हम सोमवार को पूर्ण चर्चा करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि भारत ने कहीं भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ये हमें विश्वास में नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं मानता हूं आपको इस पर पहल करनी चाहिए। यह मामला एक राष्ट्रीय कंसेंसस का मामला बनना चाहिए, यह कोई पार्टी का मामला नहीं है। मैं जानता हूं यह सरकार वही नीतियों को चला रही है जो आपने बनाकर दी थी। लेकिन माराकेश में अभी आपने ट्रीम्स की बात कही कि ट्रीम्स में फिर स्लेच होने के बाद भी जितने लोग सरकार में हैं, दो-तीन को छोड़कर, सभी ने इसका विरोध किया था। माराकेश की गवाही देकर हमें बोल रहे हो कि इसमें कुछ नया नहीं हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसलिए एक तो इस पर नेशनल कंसेंसस हो, अगर हस्ताक्षर आज सुबह हुआ।...**(व्यवधान)**

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) **:** हस्ताक्षर हुए या नहीं, या बिना हस्ताक्षर के हमें जवाब दे दिया, पहले यह बताएं?

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) **:** मंत्री महोदय बताएं कि हस्ताक्षर हुआ या नहीं...**(व्यवधान)** हां या न में जवाब दें।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : यह बात साफ हो कि हस्ताक्षर हुआ या नहीं, हुआ तो किस पर हस्ताक्षर हुआ या बिना हस्ताक्षर के ही यह बता रहे हैं।

क्या बिना हस्ताक्षर किए हुए आ गए हैं, यह बात सदन में साफ हो। लोक सभा को अंधकार में रखना अन्याय होगा। दुनिया में हमारी बदनामी होगी...**(व्यवधान)** यह बात साफ होनी चाहिए। बहुत गम्भीर मामला है। इतना गम्भीर मामला है कि इसको आपने श्रम मंत्री के रूप में कहा कि हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे या किस स्थिति में हो रहा है, सारी बातें साफ हों। इस पर आज बहस कराइए, सोमवार को बहस क्यों होगी। आज बहस हो, यह हम आपसे मांग कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, यह तो पुछवाइए कि हस्ताक्षर किये हैं या नहीं?...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास दस्तावेज नहीं हैं। हमें दस्तावज प्राप्त करने चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं अपनी बात कह कर समाप्त करूंगा। इन लोगों ने हस्ताक्षर किया है, यहां कुछ भी कहें, चिदम्बरम साहब बहुत बड़े वकील हैं। ये हारने वाले मुकदमें को हम जीतेंगे बताने की स्थिति में हमेशा रहते हैं। हम उनकी तारीफ करते हैं, इतनी शक्ति और काबलियत उनकी वकालत में है। लेकिन आज जो उन्होंने वकालत की है, वह गलत तथ्यों के ऊपर वकालत की है और उस वकालत को हम नहीं मानते हैं।

अध्यक्ष जी, यह राष्ट्रीय मामला है, देश की सोवरैनिटी का मामला है और इस मामले में जब सदन यहां पर बैठा है और देश को सिंगापुर में गिरवी रखने की बात हो जाती है, तो हमें मंजूर नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता हूं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आज सुबह सदन में नहीं था।

भारत सरकार एक नीति से बंधकर सिंगापुर गई थी। वह नीति सदन में चर्चित थी। उस नीति को देश का विश्वास प्राप्त था। इस बात की शंका जरूर थी कि वहां भारत पर दबाव पड़ेंगे और व्यापार का मामला केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। उसमें ऐसे मुद्दे भी लाए जायेंगे, जैसे सोशियल इश्यूज, इन्वैस्टमैंट और लेबर, जिनका व्यापार से सीधा संबंध नहीं है। लेकिन हम यह विश्वास करके चलते थे कि जिस तरह सी.टी.बी.टी. के सवाल पर सारे देश के समर्थन के कारण सरकार दृढ़ता से खड़ी रही, तो इस मामले पर भी सरकार हिम्मत के साथ खड़ी रहेगी। जो सदन को विश्वास में लेकर कहा जा चुका है और देश के सामने जो बातें उद्घोषित की गई हैं, उन बातों के अनुसार

सरकार आचरण करेगी। अब ऐसा लगता है कि सरकार पर दबाव पड़ा है। ऐसा भी लगता है कि सरकार दबाव में आई है और यह दबाव में आने की प्रक्रिया दो-तीन दिन तक चलती रही है। सदन बैठा हुआ था। मंत्री महोदय अगर चाहते, तो सदन में आ सकते थे। सदन का विश्वास प्राप्त कर सकते थे। चर्चा कर सकते थे कि हमारे सामने यह कठिनाई पैदा हो गई है, सदन हमें क्या दिशा निर्देश देता है। लेकिन हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

'इंडिया फाल्स इन लाइन ऑन लेबर नार्मस, डब्ल्यू.टी.ओ. इनवेस्टमैंट स्टडी-'

[हिन्दी]

यह **इकोनोमिक टाइम्स** अखबार में शीर्षक है। मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, उससे इस बात की पुष्टि हुई है कि कुछ बातों पर सरकार दृढ़ता से खड़ी रही, मगर कुछ बातें सरकार ने मान लीं। हमें दस्तावेज चाहिए। पूरे दस्तावेज चाहिए। हमें उस दस्तावेज पर चर्चा करनी है और हम सरकार को भी कहेंगे कि आपने सिंगापुर में जो नीति रखी है, उस नीति की सदन द्वारा पुष्टि करायें। यह एक तरह से अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है। इस अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर न केवल सदन में बहस होनी चाहिए, लेकिन सरकार को सदन की पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। जो कुछ समाचार आया है, वह चिन्ताजनक है और हमारे विश्वास को हिलाने वाला है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी. पाटिल (लातूर) : महोदय, सभा सुबह स्थगित हो गई थी। बाहर लोगों को एक अति महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि विश्व व्यापार संगठन से संबंधित समझौते के संबंध में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में यह सभा, आप और अन्य सदस्य क्या महसूस कर रहे हैं। इस जानकारी से कोई भी वंचित नहीं रह सकता है।

तथापि माननीय मंत्री ने हमें स्पष्ट कर दिया है कि भारत ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है। चूंकि यह मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण है इसलिए यह जानना उपयोगी होगा कि वास्तव में हुआ क्या है। समझौते के बारे में पूर्ण ब्यौरा प्राप्त करना और जिस ढंग से समझौते पर वार्ता हुई और उस पर हस्ताक्षर हुए यह जानना उपयोगी होगा। इस जानकारी के बिना इस मामले पर विस्तार से चर्चा करना उपयोगी नहीं होगा।

भारत निश्चित रूप से अपनी संप्रभुता अक्षुण्ण बनाए रखेगा। भारतीय संविधान में जो कुछ कहा गया है, पूरे संविधान, उसमें निहित निर्देशक सिद्धांत एवं कर्तव्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने का भारत पूरा प्रयास करेगा। भारत उन नीतियों को भी अक्षुण्ण बनाए रखेगा जो सरकार ने अन्य पक्षों और इस सभा के साथ परामर्श करके बनाई है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें बहुत संभल कर चलना होगा। यदि हम संभल कर नहीं चलेंगे तो हमें अपने हितों और संविधान में जो कहा गया है उसकी रक्षा करने और अपनी नीतियों के अनुसार हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने में हमें बहुत कठिनाई हो सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें इस पर पूर्ण रूप से चर्चा करनी चाहिए, हमें इस पर जिम्मेदारीपूर्वक और अच्छी तरह से चर्चा करनी चाहिए ताकि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री जी को दूसरे सदन में भी जाना है। वहां पर भी सदस्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया अपनी बात संक्षिप्त रखिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, सामाजिक उपबंध और श्रम मामलों और अन्य मामलों को सभा के कार्य में सम्मिलित करने के संबंध में सहमति है। इस संबंध में आज के समाचार पत्रों को देखने के बाद एक भ्रांति उत्पन्न हो गई थी कि हमारा शिष्टमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव के आगे कुछ शर्तों और उपबंधों को स्वीकार करते हुए सहमत हो गया है। हम इसका विरोध करते हैं और हम यह भी चाहते हैं कि हमें घोषणा का पूर्ण पाठ उपलब्ध कराया जाए और इस पर सोमवार को ही पूर्ण वाद-विवाद होना चाहिए क्योंकि सारे देश के लिए यह चिन्ता का गम्भीर मुद्दा है। जैसाकि इस संबंध में आम सहमति है, हम चाहते हैं कि इस घोषणा की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने के बाद सोमवार को विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, प्रधानमंत्री ने हरारे में एक कड़ा वक्तव्य दिया है। मैं सकझता हूं कि जो भी सूचना उपलब्ध कराई गई है वह प्रधानमंत्री द्वारा हरारे में दिए गए वक्तव्य के अनुरूप नहीं है।

महोदय, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा से सभा को पूरे देश के विचार जानने का अवसर मिलेगा। अतएवं शीघ्र से शीघ्र इस विषय पर चर्चा होनो चाहिए और यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि सभा के परामर्श के बिना और इसे विश्वास में लिए बिना कुछ नहीं किया जाएगा।

श्री पृथ्वीराज डी. चौहान (कराड़) : महोदय, वक्तव्य और संबंधित अन्य कागजात हमें कब मुहैया कराए जाएंगे?

अध्यक्ष महोदय : ये सोमवार को उपलब्ध होंगे।

श्री पृथ्वीराज डी. चौहान : तब हम इस पर चर्चा कब करेंगे.

अध्यक्ष महोदय : सोमवार को ही।

श्री पृथ्वीराज डी. चौहान : महोदय यदि वक्तव्य और अन्य कागजात हमें सोमवार को मिलते हैं तो हमें अध्ययन करने के लिए समुचित समय नहीं मिलेगा।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वे कल आ रहे हैं तो कल रात को पहुंचा दें।....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी. चौहान : महोदय, यह हमें सोमवार से पहले उपलब्ध कराया जाना चाहिए....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : महोदय, सिगनेचर हुए या नहीं हुए, यह बताइए और हुए तो किस चीज पर हुए?

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा। उस समय जब चर्चा हो रही होगी....**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, हमें दोनों चीजें चाहिए, वक्तव्य के साथ-साथ समझौते, घोषणा की प्रतियां....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सामान्यतया, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जब घोषणा की जाती है तो हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रों को इस पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं होती है। इस सम्मेलन द्वारा यह कहते हुए कि "यह घोषणा है" अपनाया जाता है। इसको अपना लिया गया है।

श्री रमेन्द्र कुमार : घोषणा को कब अपनाया गया है, इसका अर्थ है कि इसको भारत की सहमति से अपनाया गया है। आप और क्या जानना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो गया। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आप इस विषय की बहुत जानकारी रखते हैं इसलिए संकेतों को भी पकड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए आपने बिना उनसे पूछे कहा कि डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो गया। जहां मंत्री महोदय सिंगापुर की जानकारी दे रहे थे तो उनके हाव-भाव से ऐसा लग रहा था कि डिक्लेरेशन अडॉप्ट करते समय किसी तरह का आत्म-समर्पण भारत ने नहीं किया। लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी, उस जानकारी में उन्होंने कहा कि वर्किंग ग्रुप के गठन को भारत ने स्वीकार किया है। इस संकेत को आप पकड़ सकते हैं। अध्यक्ष जी, जब भी किसी मांग को कंसीड कराना होता है तो उसका पहला पड़ाव होता है- वर्किंग ग्रुप का गठन। उस वर्किंग ग्रुप के गठन को भारत ने स्वीकार कर लिया है। इसके मायने यह है कि अब लॉबिंग होगी और अंत में कंसेंसस के नाम पर इस डिमांड को भारत स्वीकार करेगा। जो बात जॉर्ज साहब कह रहे थे कि हमारा विरोध इस बात पर है और आप भी इस कॉज के चैम्पियन रहे हैं कि हम किसी भी स्ट्डी-ग्रुप के गठन को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने स्ट्डी ग्रुप को स्वीकार करने का काम किया है, इसलिए हम यह जानना चाहते हैं और जैसा वाजपेयी जी ने कहा कि हमें डिक्लेरेशन की कॉपी चाहिए और हमारा विरोध इस बात पर है कि मंत्री महोदय ने खड़े होकर कहा कि डिक्लेरेशन की कॉपी उपलब्ध नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या नई दिल्ली ने डिक्लेरेशन को पढ़े बिना ही अपनी सहमति दे दी। यदि कॉपी मौजूद है तो आप उसे क्यों छिपा रहे हैं। अगर नई दिल्ली ने टैक्स्ट पढ़ा नहीं तो यहां से क्लीयरेंस कैसे मिली? क्योंकि जब यहां से आपके मंत्री गये थे तो यह ब्रीफ लेकर नहीं गये थे। उनका ब्रीफ यह था कि वह किसी भी तरह के स्ट्डी ग्रुप को स्वीकार नहीं करेंगे, इस आइटम को एजेंडा में नहीं आने देंगे।

सिंगापुर के प्रधान मंत्री ने भी एक दिन पहले कहा कि वे हस्ताक्षर नहीं करेंगे लेकिन सिंगापुर के प्रधान मंत्री बदल गये। अगर मलेशिया बदल जाएगा, सिंगापुर बदल जाएगा तो क्या भारत भी उनकी लाइन में लगकर बदल जाएगा। भारत, 90 करोड़ का देश, अपनी अलग पहचान रखता है। मलेशिया और सिंगापुर से अलग लाइन लेने की इसमें सामर्थ्य है। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि इस आइटम को आपने एजेंडा में आना स्वीकार कैसे किया। नई दिल्ली के पास डिक्लेरेशन मौजूद है लेकिन संसद से, सदन से छिपाने की यह साजिश है। वह डिक्लेरेशन उनको यहां सदन में पेश करना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि आपने और कहां-कहां आत्म-समर्पण किया है।

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : अध्यक्ष जी, मैं सुषमा जी की आवाज में दो चीजें और जोड़ना चाहता हूं। अभी बतलाया गया कि इन्फोर्मेशन टेक्नालॉजी पर भारत ने दस्तखत नहीं किये। ऐसे लग रहा है जैसे उसने बहुत गलत काम किया है। इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई बात पहले नहीं हुई थी तथा यह उसके एजेंडा में नहीं था और डब्ल्यू.टी.ओ. का खास मकसद यह है कि जब सब देश उसके साथ हों तब कोई चीज लाई जाए। यह 29 देश अपने आप नया एजेंडा लाकर सबसे दस्तखत कराना शुरू कर दें तो यह एक और मिसाल है जिसके जरिये नयी चीजें की जा रही हैं। यह यहां से कह कर गये थे कि कोई नयी बात हम लोग नहीं आने देंगे, लेकिन स्ट्डी ग्रुप का बनना क्या नयी बात नहीं है। इसके बारे में पहले तो कोई बात नहीं हुई थी। इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी नयी बात है। बजाए इसके कि हम यह कहें कि ये नयी-नयी चीजें एजेंडा में क्यों आ रही है, हम कह रहे हैं कि हमने दस्तखत नहीं किये। यह चीज बार-बार हो रही हैं। आज सवेरे हम लोगों ने जब पढ़ा तो उससे एक अजीबो-गरीब स्थिति व्यवस्था की उत्पन्न हुई कि जो चीज यहां कही जाए वही चीज विदेश में कही जाए। मलेशिया तथा और छोटे-छोटे देश इतनी तैयारी करके आते हैं लेकिन हमारी तैयारी इतनी कम रहती है कि अगर एक देश भी अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाए तो जो हम यहां बोलकर गये थे उसको छोड़कर एक नया रुख

अख्तियार कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि डिक्लेरेशन पर हम लोगों की सहमति हो गयी है क्योंकि मंत्री जी इसको अस्वीकार नहीं कर रहे हैं और अब इस मामले पर सोमवार को बहस होगी और ज्यादा डीटेल्ज में बात होगी लेकिन मैं जो नई बात कहना चाहता हूं, उसको लेकर...

अध्यक्ष महोदय : अब तीन बजने वाले हैं। हमें अभी गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा करनी है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और मंत्रियों के उत्तर का कार्य भी शेष है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। श्रीमती सुषमा जी द्वारा उठाई गई बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। विचार-विमर्श होना चाहिए था, कागजात उपलब्ध होने चाहिए थे और हमें दिए जाने चाहिए थे। मेरा आग्रह है कि इस चर्चा का ताल्लुक बाकी विकसित राष्ट्रों के प्रति हमारी नीति से है अतएव जब इस पर लोक सभा में चर्चा हो तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी बेहद जरूरी है। चर्चा के समय उन्हें सभा में मौजूद रहना चाहिए केवल वे ही सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और सारी दुनिया को जानना चाहिए कि हम इस मुद्दे पर चिन्तित हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवतुपुजा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय हमें साझा एशियाई समुदाय गठित करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि हम अकेले नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। लोक सभा से जाने वाला संदेश काफी सख्त होगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि घोषणा और वक्तव्य की प्रतियां हमें शीघ्रअतिशीघ्र मिलनी चाहिए ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो सके।

श्री प्रमथेश मुखर्जी (बरहामपुर) (प. बंगाल) : महोदय, एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक बार स्वीकार की गई घोषणा शायद सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों पर बाध्यकारी होती है। यदि ऐसा है अथवा यदि यह अन्तर्राष्ट्रीय परिपाटी है तो सभा में इस पर चर्चा कराए जाने की क्या उपयोगिता है? यह मेरा विनम्र सुझाव है।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभा में दिए गए वक्तव्य से एक बात स्पष्ट नहीं होती है कि घोषणा पर वहां हस्ताक्षर किए गए हैं अथवा नहीं। वक्तव्य से यह एकदम स्पष्ट नहीं होता है। दूसरे, हस्ताक्षर से पूर्व वहां पर क्या विचार विमर्श हुआ? क्या घोषणा पर हस्ताक्षर इस पर चर्चा होने के बाद सभा की सहमति लेकर करेंगे? समझौते पर हस्ताक्षर होने के उपरान्त इस पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं हैं। अतएवं यह आवश्यक है कि समझौते की प्रतियां सभा को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सभी सदस्यों को इसका अध्ययन करना चाहिए तभी इस पर कोई चर्चा हो सकती है। इस सभा की सहमति लेने के बाद ही सरकार को इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने चाहिए। मेरा यही कहना है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझता हूं और जहां तक इस घोषणा का संबंध है तो इसे स्वीकार कर लिया गया है और यह एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि श्रम संबंधी मामले और श्रम मानदण्ड गठित करने के मामले केवल अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्षेत्राधिकार में आते हैं और डब्ल्यू.टी.ए. का इनसे कुछ लेना-देना नहीं है। इस घोषणा का यह भाग एकदम स्पष्ट है। यह काफी अच्छी बात है और यही हमारा रवैया रहा है। अब जहां तक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रश्न है तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है। मंत्री महोदय क्या यही सही स्थिति है?

श्री पी. चिदम्बरम : हमने इस पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हां, हमने इस पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है। केवल निवेश और प्रतिस्पर्धा संबंधी मामलों पर कार्यदल गठित किए गए हैं। सरकार ने आरम्भ में इसका पुरजोर विरोध किया था लेकिन जब यह कठिन लगने लगा तो भारत ने दो शर्तें रखीं। भारत द्वारा रखी गई दोनों शर्तों को सम्मेलन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मंत्री महोदय क्या सही स्थिति यही है? आपने इस संबंध में जो कुछ कहा उससे मैं यही समझा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : इस संबंध में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर आपकी जानकारी एकदम सही है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन सभा की अनुमति से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि घोषणा की प्रतियां सदस्यों को सोमवार को प्रातःकाल में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नियम 193 के अधीन इस मामले पर चर्चा उस दिन 4.00 बजे शुरू होगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालंदा) : सरकार के प्रस्ताव के साथ वक्तव्य की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य 4.00 बजे दिया जाएगा। मैं समझता हूं यह ठीक रहेगा।

श्री पृथ्वीराज डी. चौहान (कराड़) : यह सरकार द्वारा सिंगापुर में दिया गया वक्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह वह वक्तव्य है जो यहां दिया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय एक विस्तृत वक्तव्य देंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह उस समय पर निर्भर करेगा जो आप चर्चा के लिए निर्धारित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब 4.00 बजे हैं लेकिन घोषणा की प्रतियां 11.00 बजे तक उपलब्ध करा देनी चाहिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : ये केवल घोषणा की प्रतियां मात्र नहीं होनी चाहिए। कुछ प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं जिनका हम

विरोध करते हैं, इस प्रस्ताव पर हमारे सभी वक्तव्य सभा के पटल पर रखे जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : अन्यथा, यदि कुछ स्वीकार किया जाता है तो इसका का कोई अर्थ नहीं रहता है। हमें या तो स्वीकार करना है अथवा नहीं। इससे संबंधित हमारा वक्तव्य सभा के पटल पर रखा जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : सभी दस्तावेज सभा के पटल पर रखे जाने चाहिए।

अपराह्न 2.46 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

झरिया और रानीगंज कोयला खानों में और उनके आस-पास आग लगने और भूमि धंसाव होने से उत्पन्न समस्याओं के बारे में।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं कोयला मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री महोदय का ध्यान तत्काल लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और उनसे इस पर वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं :—

> "झरिया, रानीगंज और आसनसोल कोयला खानों के आसपास तेजी से हो रहे धसाव और अग्निकांडों से पैदा हुई स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम"

[हिन्दी]

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य बसुदेव आचार्य को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने इस मसले पर सदन का ध्यान आकर्षित किया।

झरिया तथा रानीगंज कोलफील्ड्स के आसपास, झरिया, रानीगंज तथा कुछ अन्य कस्बे उन स्तम्भों वाली खानों पर बसे हैं, जहां खनन कार्य लगभग पांच से छः दशक पूर्व किया गया था। पूर्व में अवैज्ञानिक तरीके से कार्य किये जाने के कारण, इन स्तम्भधारी खानों की स्थिरता संदिग्ध है।

पुरानी भूमिगत खानों के विद्यमान होने के कारण कस्बों तथा आवासीय क्षेत्रों को होने वाले खतरे के मुद्दे सहित कोयला खानों में सुरक्षा का गहन अध्ययन किये जाने हेतु कोयला विभाग द्वारा गुगनानी समिति का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सभा में व्यवस्था होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : फालतू बातें न करें। कृपया अपने स्थान पर बैट जायें।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : अगस्त, 1979 में अपनी रिपोर्ट में समिति ने उल्लेख किया कि झरिया तथा रानीगंज कोलफील्ड्स में धंसाव की समस्या विशाल तथा विविध, दोनों ही प्रकार की है। झरिया तथा रानीगंज कोलफील्ड्स में ऐसे कई कस्बे, गांव, नदी/जोहड़ बैल्ट क्षेत्र, सड़कें, रेलवे लाइनें इत्यादि हैं, जो छोटे-छोटे कोयले के खंभों/स्ट्रकों पर बने हैं। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में आग भी सक्रिय है, जो सतही ढांचों के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। इन क्षेत्रों के नीचे खानों के स्थिरीकरण की व्यवहार्यता न केवल कठिन और खतरनाक है बल्कि इसकी प्रभावकारिता भी संदिग्ध है।

झरिया कोलफील्ड्स में आगें लगनी बहुत समय पहले शुरू हो गई थी तथा इसकी सूचना कई वर्ष पूर्व 1916 में मिली थी। इतने वर्षों में, इन आगों का विस्तार बहुत गहन हो गया है जिसके कारण इनको नियंत्रित करना अत्यधिक कठिन हो गया है।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् किये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 17 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में लगी 70 आगों की सूचना मिली थी। इन 70 आगों से निपटने हेतु, 114.59 करोड़ रुपए की लागत से 22 परियोजनाएं आरंभ की गई थीं। संयुक्त प्रयासों तथा 73 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय पर, इनमें से 10 आगों को बुझाया जा सका तथा शेष आगों पर न्यूनाधिक रूप में नियंत्रण पा लिया गया है।

झरिया कोलफील्ड्स की आगों का समस्या का एक दीर्घावधि हल ढूंढे जाने के उद्देश्य से, विश्व बैंक की 12 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता से झरिया खान अग्नि नियंत्रण तकनीकी सहायता परियोजना के अंतर्गत एक विस्तृत नैदानिक अध्ययन आरंभ किया गया। अध्ययन से यह बात सामने आई है कि झरिया आगों से निपटने के उद्देश्य से, संशोधित अनुमान के अनुसार लगभग 22,300 परिवारों को स्थानान्तरित तथा पुनर्वासित किया जाना है तथा 225 मिलियिन अमरीकी डॉलर की कीमत के उपकरण नियोजित किये जाने होंगे। इसको कार्यान्वित किये जाने हेतु विश्व बैंक की विशेषज्ञ समिति के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

अधिकतर झरिया शहर अस्थिर खंभों वाले क्षेत्र पर बसा हुआ है तथा इन क्षेत्रों में धंसाव की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में आवास की अनियंत्रित वृद्धि के कारण, आगों से निपटने हेतु प्रभावी उपाय किया जाना अत्यधिक कठिन हो गया है। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बार-बार धंसाव के खतरे के विरूद्ध चेतावनी दी गई है तथा उनसे सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित होने का अनुरोध किया गया है।

दिनांक 27.10.1996 को झरिया के चौथाई कुली में अवस्थित 219 मकानों में दरारें आ गईं। इन सभी मकानों का निर्माण भारत कोकिंग कोल लि. की भूमि पर अनधिकृत रूप से किया गया था।

वर्ष 1922 से धंसाव संबंधी प्रश्न पर कई समितियों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। वर्ष 1990 में कोल इंडिया लि. द्वारा गठित एक शीर्षस्थ प्रबोधन समिति ने रानीगंज कोलफील्ड के 49 अस्थिर स्थलो (11.8 वर्ग कि.मी. में से 4.8 वर्ग कि.मी. आवासीय क्षेत्र है) का सर्वेक्षण किया। इन 49 स्थलों में से 38 स्थल आवास के लिए असुरक्षित हैं। इन स्थानों के निवासियों को वहां से हटाने तथा उन्हें पुनर्वासित करने में लगभग 4000 करोड़ रु. (1992 की कीमत के स्तर पर) की राशि का व्यय का अनुमान किया गया है।

कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 की धारा 7 के अनुसार, कोयला खान के राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि, यदि कोई दायित्व हो, तो उसके दौरान कानूनी दायित्व/उल्लंघन के लिए न तो भारत सरकार और न ही कोल इंडिया लि. (या इसकी सहायक कंपनियां) जिम्मेदार हैं।

इन उल्लिखित संदर्भगत वैधानिक प्रावधानों के बावजूद भूमिगत खानों में आग तथा धंसाव संबंधी समस्या को मानवीय पहलुओं से नकारा नहीं जाना चाहिए। इन समस्याओं से सुव्यवस्थित रूप से निपटने के लिए बिहार तथा पश्चम बंगाल सरकार द्वारा सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किए जाने की मांग की गई क्योंकि हम कार्रवाई में आगों तथा धंसाव नियंत्रण के अतिरिक्त, बड़ी संख्या में लोगों के पुनर्वास संबंधी मामले अंतर्ग्रस्त हैं, जिनके लिए सभी स्तरों पर पर्याप्त रूप से वित्तीय तथा भौतिक संसाधनों को जुटाये जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा रानीगंज तथा झरिया कोलफील्ड्स में धंसाव तथा आग संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति, जिसमें संबद्ध केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं, का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। संबंद्ध मंत्रालयों तथा बिहार तथा प. बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए नामांकनों को प्राप्त किए जाने के बाद समिति उक्त मामले पर विचार-विमर्श शुरू करेगी।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, रानीगंज तथा झरिया कोयला क्षेत्रों के धंसने की घटना की चर्चा बहुत बार इस सभा में हो चुकी है तथा इस सभा के सदस्यों तथा उस क्षेत्र के लोक प्रतिनिधियों तथा विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अनेकों सुझाव दिये हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने रानीगंज कोयला खानों, जो हमारे देश की सबसे पुरानी कोयला खान है, में व्याप्त गंभीर स्थिति की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बहुत सारे पत्र लिखे थे। यह खान क्यों धंस रही है? उसमें भूमिगत आग क्यों है? यह एक हाल ही की घटना नहीं है। जब 27 अक्तूबर, 1996 को अकेले झरिया कस्बे में शाम को एकाएक 500 से भी अधिक आवासीय इकाइयों में दरारें पड़ गई थीं तो मैंने ध्यानाकृष्ण प्रस्ताव दिया था। बहुस सारा भाग धंस गया था। जो कुछ माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी कहा है वह सच नहीं है। उस क्षेत्र में किसी आदमी के पास एक ही मकान है उसमें भी दरार पड़ गई है।

अतः यह कहना ठीक नहीं है कि समस्त क्षेत्र भारत कोकिंग कोल कम्पनी का है।

महोदय, मैंने व्यक्तिगत तौर पर उस जगह का दौरा किया था, मैं प्रत्येक के घर गया था और प्रभावित लोगों से मिला था। मैंने देखा है कि लोग काफी लम्बे समय से वहां रह रहे हैं और उनके पूर्वज गत सौ वर्षों से वहां हैं। यदि भूमि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की है तो वहां पेट्रोल पम्प कैसे हो सकता है? धंसने के कारण पेट्रोल पम्प बंद करना पड़ा है। यदि वह भूमि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की है तो उस भूमि पर पेट्रोल पम्प की मंजूरी कैसे दी गई?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, 3.00 बजे प्राइवेट मैम्बर्स बिजिनेस शुरू होना है और अभी मिनिस्टर ने जवाब भी देना है, इसलिए आप सीधे प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे कुछ टाइम तो दीजिये। पौने तीन बजे तो कालिंग अटेंशन मोशन लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीधे सवाल पूछ लीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य : आप प्राइवेट मैम्बर्स बिजिनेस को सवा तीन बजे तक एक्सटैंड कर दीजिए। मेरे बाद अभी एक और मैम्बर ने बोलना है। उन्हें भी आपको समय देना पड़ेगा। एक कोलियरी उनके क्षेत्र में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनसे भी ऐसी रिक्वैस्ट करेंगे। अगर हाउस नहीं मानेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीधे सवाल पूछ लीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं अपनी बात दो-तीन मिनटों में समाप्त नहीं कर सकता। एक अन्य माननीय सदस्य श्री हाराधन राय और है जो कुछ प्रश्न उठायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें भी समय दे दिया जायेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह सच नहीं है। धंसन जो उस क्षेत्र में हो रही है वह उन कोयला खानों के कारण है जहां से राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयला निकाला गया था। ताप विद्युत सम्बन्धी स्थायी समिति ने बड़े स्पष्ट तथा साफ तौर पर अपने प्रतिवेदन में बताया था :

> "यदि राष्ट्रीयकरण-पूर्व अवधि में राष्ट्रीयकरण पूर्व कोयला उत्खनन के कारण कोयला खान क्षेत्र में धंसान होती है तो जिम्मेवारी कोयला कम्पनी की है।"

दसवीं लोक सभा के अपने 21 वे प्रतिवेदन में ताप विद्युत सम्बंधी स्थायी समिति ने कोयला मंत्रालय की कोयला मांगों तथा अनुदानों सम्बंधी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही को नोट किया था :

> "कि जो क्षेत्र कोयला कम्पनियों के पट्टे के क्षेत्र में आते हैं उनके लिए उचित सुधारात्मक तथा संरक्षणात्मक कदम उठाने को जिम्मेवारी केवल कोयला कम्पनियों की होगी हालांकि धंसन राष्ट्रीयकरण पूर्व उत्खनन गतिविधियों तथा अवैध उत्खनन के कारण हुई है।"

इसने सिफारिश की थी :

> "कि कोयला खान सुरक्षा तथा संरक्षण अधिनियम का कोयला कम्पनियों द्वारा इस प्रयोजनार्थ पूर्णतः सदुपयोग किया जाना चाहिये।"

समिति नोट करती है :

> "कि समिति की पूर्व सिफारिशों तथा धंसन की समस्या की गंभीरता के बावजूद संबंधित राज्य सरकारों के साथ संस्थानिक प्रबंध को अंतिम रूप देने के लिए कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है।"

समिति ने राज्य सरकार के साथ शीघ्रतम संस्थानिक प्रबंध करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः आप कृपया प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसलिए बहुत पहले 1989 में मंत्री द्वारा वक्तव्य में मुवनानी समिति के बारे में जिसने भी सिफारिश की थी, उल्लेख किया गया है कि कोयला मंत्रालय द्वारा उपचारात्मक कदम उठाये जायें। कदम नहीं उठाये गये और जिसके कारण धसन हो रही है।

माननीय कोयला मंत्री ने कहा था कि हाल ही में सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि यह समिति कब गठित की गई थी और यह भी पूछना चाहूंगा कि इस समिति की क्या शर्तें हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, उन्होंने झरिया कस्बे में धंसन के कारण प्रभावित लोगों की सहायता तथा पुनर्वास के लिए कोयला कम्पनी, पी.सी.सी.एल. से केवल 15 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। यह राशि पुनर्वास के लिए अपर्याप्त है।

महोदय, समिति का गठन ही पर्याप्त नहीं है।...**(व्यवधान)**

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : अब तीन बज गये हैं। हमें और गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेना है ...**(व्यवधान)**

श्री पी.सी. चाक्को (मुकुन्दपुरम) : महोदय, हम इस विषय को 6 बजे के बाद जारी रख सकते हैं...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार का विचार उन सारे लोगों को पुनर्वास करने का है जो झरिया कस्बे तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र में धंसाव के कारण प्रभावित हुये हैं। यदि सरकार का विचार धंसाव के कारण प्रभावित लोगों को पुनर्वास करने का है तो धंसाव के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है? झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र में इस धंसन पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा भविष्य में उठाये जाने वाले कदम कौन-कौन से हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : तीन बज गए हैं। अगर हाउस इजाजत दे, तो इसके लिए 10 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाए? क्योंकि मंत्री जी को अभी इसका जवाब भी देना है।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति जी, सदन ऐसी अनुमति तब देगा जब इसको पांच मिनट में समाप्त कर दिया जाए क्योंकि अभी 3.05 तो बज गए हैं और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। यह तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए उनके प्रश्न और इनके उत्तर यदि 3.05 पर समाप्त होंगे, तभी उचित होगा अन्यथा ये और सदस्यों का भी समय ले लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पांच मिनट में तो नहीं हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य में अन्य विषय बीच में नहीं आने चाहिये। अन्य विषय महत्वपूर्ण हैं। साथ ही, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य प्रत्येक सदस्य का विशेषाधिकार है। हर समय इसमें अवरोध होता रहा है और यह इस सभा में एक आम रिवाज होता जा रहा है। इसे रोका जाना चाहिए ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हां।

श्री हाराधन राय कृपया अपने प्रश्न रखिये। कृपया जल्दी करें।

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : सर, मंत्री जी ने जो कहा है, वह ठीक नहीं है। राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। जब हम उसकी सम्पत्ति लेते हैं, तो हमें उसकी सारी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मंत्री जी को शायद मालूम नहीं है पार्लियामेंट की पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति और संसद की स्टैंडिंग कमेटियां हैं, जिनके हम लोग मैम्बर हैं, उनमें कोल सैक्रेट्री ने स्वीकार किया था कि सारा खर्चा हम लोग वहन करेंगे। इसलिए मंत्री महोदया को शायद मालूम नहीं है कि यह पहले ही पुराने समय में फैसला हो चुका है। जो पुरानी खदान हैं, जो अभी भी चल रही हैं, उनमें अभी भी धंसान हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : राय जी प्रश्न पूछिए।

श्री हाराधन राय : सर, बंगाल में रानीगंज कोल बेल्ट में करीब-करीब 600 फायर और 5694 धंसान हैं और झरिया में 1732 फायर और 3497 धंसान हैं। मंत्री जी ने कहा कि कमेटी बनाई गई है। मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जी की बात को यहां गलत तरीके से बताया जाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जी ने बार-बार प्रधान मंत्री और कोयला मंत्री जी को कहा है कि पार्लियामेंट में एक कानून बनाकर, इसको लागू करो क्योंकि यह कोई मामूली चीज नहीं है। यह कोई राज्य की या किसी एक क्षेत्र के लोगों की चीज नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए यह स्टेट्यूटरी आबलीगेशन है। इसके लिए केन्द्र सरकार को पार्लियामेंट में कानून बनाना चाहिए। इनके रीहैबिलिटेशन की बात है। जमीन के रीक्लेमेशन की बात है। एफारेस्टेशन की बात है। इनके लिए सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिये।

हमने सरकार को बार-बार बोला है। मंत्री जी को मालूम है इसलिए हमको पूछना है कि इस काम के लिए स्टेट्यूटरी कानून लाने के लिए आपने कौन से कदम उठाये हैं। इन्होंने बताया कि रानीगंज कोल बेल्ट चार हजार करोड़ रुपये की जरूरत है लेकिन मेरे पास जो किताब है उसमें करीब साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की बात है जो कि रिहैबिलिटेशन प्रोविजन के लिए है। क्या इसके बारे में आपने स्वीकार किया है?

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बासुदेव आचार्य और हाराधन राय को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे यह जानकारी दी लेकिन इन्होंने जो पूछा है कि बी.बी.सी.एल. की जमीन पर पैट्रोल पम्प कैसे बना, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर वहां पैट्रोल पम्प बना है तो हम इसकी जांच करवा लेंगे। सब्सीडियरीज की जिम्मेदारी कोल इंडिया की है और स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी ने भी कहा है कि सबसीडियरीज जो भी होते हैं, इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपने अभी बताया कि 23 अक्टूबर को एक घटना घटी है उस दुर्घटना में जो भी लोग ग्रसित हुए हैं उनके लिए हमने 15 लाख रुपये दिये हैं। सचमुच में सरकार इस समस्या का समाधान भी चाहती है परन्तु हाई लैवल पर एक कमेटी बनाने का निर्णय अभी तुरंत नहीं किया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रतिनिधि भी रहेंगे। इसकी रिपोर्ट आने पर हम उचित कार्यवाही करेंगे। साथ ही प्रस्तावित समिति की संरचना, हम समिति की अध्यक्षता सचिव कोल इंडिया तथा उसमें श्रम मंत्रालय, योजना आयोग, पश्चिम बंगाल तथा बिहार की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड, खान सुरक्षा महानिदेशक, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, के.खा.आ.डि.सं.लि., अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ई.को.लि. तथा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भा.को.को.लि., सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समिति के विचारार्थ विषय, अन्य बातों के अलावा, रानीगंज तथा झरिया कोल्डफील्ड्स में धंसाव, आग प्रवृत्त क्षेत्रों की समीक्षा किया जाना, उन क्षेत्रों में नए आवास बनने से रोकने के लिए अध्ययन किया जाना, तथा उपाय सुझाना और संस्थागत व्यवस्था किया जाना, विद्यमान आवासों की समस्या से निपटने हेतु उपाय सुझाना तथा उसका अध्ययन किया जाना, आवासीय धंसाव तथा आग प्रवृत्त क्षेत्रों में धंसाव को रोकने के लिए उपाय सुझाना तथा उनके लिए निधियां उपलब्ध कराना। उन क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना जहां से प्रभावित जनसंख्या को हटाया जाना तथा उसका पुनर्वास किया जाना आवश्यक है तथा जहां धंसाव को रोका नहीं जा सकता, उन आवासीय क्षेत्रों से प्रभावित जनसंख्या को हटाए जाने तथा पुनर्वासित करने हेतु तन्त्र सुझाया जाना इत्यादि है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह रिपोर्ट कब तक आ जायेगी।

श्रीमती कांति सिंह : जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम दे देंगे। वैस्ट बंगाल के मैम्बर जितनी जल्दी दे देंगे या कमेटी जितनी जल्दी बन जायेगी उतनी जल्दी हम रिपोर्ट दे देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : आप कोई टाइम तो दे दीजिए।

श्रीमती कांति सिंह : हमने उन सरकारों से मांग की है। यदि वह दे देते हैं तो हम करेंगे। हमने सी.एम.पी.डी.आई.एल. को निर्देश दिया है कि वहां जाकर सर्वे करें।

अपराह्न 3.09 बजे

[हिन्दी]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1996-97

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मैं वर्ष 1996-97 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1026/96]

अपराह्न 3.09 ½ बजे

[हिन्दी]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे तथा तीसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा क्रमशः 4 और 11 दिसम्बर 1996 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे और तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा क्रमशः 4 और 11 दिसम्बर 1996 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे और तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[अनुवाद]

श्री पिनकी मिश्र (पुरी) : महोदय, आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि पर मंत्री जी के जबाव के बारे में क्या ख्याल है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को रिप्लाई देना है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसका रिप्लाई है।

श्री पिनाकी मिश्र : फूड मिनिस्ट्री का रिप्लाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्राईवेट मैम्बर्स बिल का टाइम हो गया है। यह किसी और दिन आ सकता है। हम इससे ज्यादा प्राईवेट मैम्बर्स का समय नहीं ले सकते।

(व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्र : क्या यह आज नहीं लिया जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय : सोमवार को हो जाएगा।

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : सोमवार को राज्य सभा में भी बहस होनी है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कोई टाइम का ऐडजस्टमैंट हो जाएगा। अभी प्राईवेट मैम्बर्स बिल चलने दीजिए।

श्री पिनाकी मिश्र : हम सिर्फ क्लैरीफिकेशन चाहते हैं क्योंकि आज बिजिनेस में प्रश्न काल के बाद मंत्री जी का रिप्लाई रखा गया था।...**(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : हम सबको राइस पर बोलना है। देश में हाहाकार मचा हुआ है।...**(व्यवधान)** गेहूं इतना मंहगा हो गया है, आटा इतना मंहगा हो गया है। श्री डी.पी. यादव को पता नहीं है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह हाउस का फैसला है। यदि हाउस ऐग्री करे तो प्राईवेट मैम्बर्स बिल के टाइम को पीछे कर सकते हैं। मुझे खेद है कि मैं डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता।

श्री पिनाकी मिश्र : क्या इसे फिर आप सोमवार को करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : हां, सोमवार को देख लेंगे।

अपराह्न 3.12 बजे

नई कृषि नीति के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, हम 21वीं सदी की दहलीज पर खड़े हैं। उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि और बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना आज की मुख्य चिंता है। हमारी जनसंख्या चुनौती पूर्ण ढंग से बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही हमारा कृषि उत्पादन बड़ा कम हो रहा है। हमारा गेहूं का उत्पादन बहुत कम हो गया है तथा अब हम गेहूं अन्य देशों से आयात कर रहे हैं।

जैसा कि सभी जानते हैं, कृषि लाभदायक पेशा नहीं है। तो, कृषि को लाभदायक पेशा बनाने के लिए कतिपय कदम उठाये जाने चाहिये। तभी किसान कृषि पर ध्यान केन्द्रित करेंगे और इस पेशे में रूचि लेंगे। केवल तभी हम ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे और हम इस क्षेत्र में ज्यादा उत्पादकता दे सकेंगे।

जहां तक कीमतों का सवाल है, किसान अनेकों समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो एक प्रभावी मूल्य रणनीति सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा कृषक समाज पूर्णतः असंतुष्ट हो जायेगा और वह कृषि में कोई रूचि नहीं लेगा। इसके परिणामस्वरूप, कृषि का कुल उत्पादन गिर जायेगा। भूमि सिलिंग कानूनों के लिए नई नीति लागू की जानी चाहिये। जैसाकि मेरे माननीय साथी श्री अनिल बसु ने ठीक ही कहा है कि भूमि सुधार केवल दो राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल और केरल में ही कार्यान्वित हुये हैं। जहां तक दूसरे राज्यों का संबंध है ये सुधार

केवल कागजों में हैं। ये हकीकत में नहीं है। लेकिन राज्यों में भूमि सुधार के लागू न होने के कारण तथा इस कानून के कारण हमारा कृषि क्षेत्र अनेकों कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तो यह आवश्यक है कि हमारे भूमि कानून तथा भूमि सुधार समीचीन रूप से लागू किये जायें ताकि कृषक समाज को लाभ हो सके।

सन् 2000 तक हमें 235 से 240 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता है। जैसाकि मैंने पहले बताया है कि अब गेहूं, चावल तथा अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों का उत्पादन बहुत कम हो रहा है। तो उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास किये जाने चाहिये।

एक अति महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं वह कृषि है-जो इन्ट्री 14 से- राज्य सूची में है। लेकिन केन्द्र ने इसमें कृषि विकास से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों के नाम पर अनेकों विषय विशेषकर राज्य विषय से दिये हैं। कृषि राज्य का विषय है। बार-बार केन्द्र सरकार ने इस विषय में घुसपैठ की है और इसने अति महत्वपूर्ण नीतियां तथा कार्यक्रम लिये थे। उदाहरणार्थ अब अनेकों प्रभावी सिंचाई तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें हैं। राज्य सरकारें कृषि विकास के अंतर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की सूची के विस्तार को लेकर चिंतित रही हैं। चूंकि कृषि एक राज्य का विषय है, केन्द्र को इस क्षेत्र में घुसपैठ करने से बचना चाहिये। यह एक राज्य का विषय है और इसे इसी तरह जारी रखना चाहिये ताकि प्रभावी कृषि का विकास हो सके।

आजादी से ही कृषि क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार होता आ रहा है। सौतेले रवैये के कारण इस क्षेत्र में बिलकुल भी विस्तार नहीं हो रहा है तथा इसमें अधिक उत्पादकता नहीं देखी जा सकती है। किसानों को अपना उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण हैं : (1) खाद्य पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध और निर्बंधन (2) विदेशों से कृषि उत्पादों को लेकर घरेलू बाजार में लाना (3) व्यापार तथा गति पर निर्बंधन (4) मूल्य तथा समर्थन मूल्य निर्धारित करने में अपर्याप्तता। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। मैं केरल राज्य का रहने वाला हूं जहां हम मसाले, रबड़ तथा अन्य कृषि उत्पाद पैदा कर रहे हैं। हमारे किसान हमेशा उचित मूल्यों के बारे में शिकायत कर रहे हैं। हालांकि कृषि लागत तथा मूल्य संबंधी आयोग (सी.ए.सी.पी.) बार-बार मूल्यों पर निर्णय ले रहा है, फिर भी किसानों को उचित मूल्य कभी नहीं मिले हैं। मसाले पैदा करने वाले किसान हमेशा उचित मूल्यों के बारे में शिकायत करते रहे हैं। खेती लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मजदूरी भी बढ़ रही है। जब श्रम अव्यय बढ़ रहा है, और जब कृषि कार्यों में प्रत्येक चीज की लागत बढ़ रही है तो इन दो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित मूल्य भी मिलने चाहियें। दुर्भाग्यवश, हमारे किसान उत्पादन की लागत की तुलना में उचित मूल्य पाने से वंचित हो रहे हैं। सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है। सी.ए.सी.पी. खेती की वास्तविक लागत पर विचार नहीं कर रही है। वह खेती की लागत को लेकर चिंतित नहीं है। मजदूरी अभाव के साथ ही खेती की लागत पर विचार करते हुए मूल्य अथवा समर्थन मूल्य निर्धारित करने होंगे। इस संबंध में कोई वास्तविक अध्ययन नहीं किया है। अन्ततोगत्वा किसान भुक्तभोगी है तथा उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण वे खेती से दूर हो रहे हैं और कोई रोजगार तलाश रहे हैं। वे अपनी जमीनें बेच रहे हैं अथवा उन्हें किसी अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। यही हमारे देश में हो रहा है। तो, सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है।

हाल ही के बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने रबड़ पर 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत आयात शुल्क कम कर दिया है। प्राकृतिक रबड़ में हमारा देश आत्मनिर्भर है। जहां तक रबड़ बोर्ड के आंकड़ों का संबंध है, हम रबड़ में आत्मनिर्भर हैं। आज के दिन रबड़ की मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि आयात शुल्क 25 से 20 क्यों घटाया गया है। इसका रबड़ उत्पादकों पर मानसिक प्रभाव पड़ रहा है और वे रबड़ का मूल्य कम करने के लिए बाध्य हो गये हैं। अब रबड़ बाजार में क्या हो रहा है? मैं ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां रबड़ वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर होता है। पिछले माह रबड़ उत्पादकों को 60 से 65 रुपये के बीच मूल्य मिल रहा था लेकिन इस वर्ष के बजट के पश्चात् मूल्य 35 से 40 रुपये पर आ गया है।

अन्ततोगत्वा रबड़ उत्पाद करने वाले भुक्तभोगी हैं। सरकार ने खेती की लागत का आंकलन करके इसके लिए कोई मूल्य निर्धारित नहीं किये हैं और इसके कारण किसानों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि गेहूं का मूल्य तथा समर्थन मूल्य तथा चावल का समर्थन मूल्य बार-बार निर्धारित किये जाने चाहिये ताकि इससे किसानों को लाभ मिल सके।

महोदय, एक या दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका उल्लेख मैं यहां करना चाहता हूं। पहली बात कृषि क्षेत्र में निवेश से सम्बन्धित है। यदि हम आंकड़ों का अध्ययन करें तो यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में किये जाने वाले सार्वजनिक और निजी निवेश में कमी आ रही है। हम देखते हैं कि उदारीकरण के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में अधिक निवेश किया जा रहा है। परन्तु कृषि क्षेत्र पूरी तरह से उपेक्षित है। कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश किया जाना चाहिए। केवल तभी हम कृषि संबंधी गतिविधियों में विकास कर पायेंगे और हम अपने उत्पादन में वृद्धि कर पायेंगे। हम औद्योगिक विकास में प्रत्यक्ष विकास देख सकते हैं। परन्तु उसकी तुलना में कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि नहीं हुई है। इस पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए।

अनुसंधान और विकास के परिणाम खेतों तक नहीं पहुंचते हैं। यद्यपि भारत सरकार और कृषि मंत्रालय द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तथा अनुसंधान और विकास कार्य किए जा रहे हैं परन्तु इसके सच्चे लाभार्थी जो गांवों में हैं उन्हें अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, मैं सिर्फ दो या तीन मिनट का समय लूंगा।

निजी निवेश के सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। सहकारी समितियों की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। सहकारी समितियों के सम्बन्ध में नये सिरे से समीक्षा किया जाना अति आवश्यक है। सहकारी समितियों का अविलम्ब पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता है जो कि निवेश करने वाली एजेंसियों, विशेषकर हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों में जहां निजी निवेश बहुत ही कम है, में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमें सहकारी समितियों की गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा और इसमें सुधार लाना होगा ताकि वे हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों में और निजी निवेश कर सकें।

महोदय, विश्व में प्रत्येक चौथा किसान भारतीय है। परन्तु हम हमेशा से कृषक समुदाय की उपेक्षा करते रहे हैं। हमें उन्हें बढ़ावा देना होगा। केवल तभी हमारी उत्पादकता बढ़ सकती है। इसमें कुछ आशंकायें हैं। यहां मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है कि गैट समझौते के पश्चात् स्थिति बदल गयी है। मैं उनकी अवधारणा से सहमत नहीं हूं। गैट समझौता लागू हो जाने के पश्चात् हमारे भारतीय किसान इससे अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। अब विश्व बाजार हमारे लिए खुले हैं। यदि हम विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो इसकी काफी गुंजाईश है। हमें विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा हेतु भारतीय किसानों को तैयार करना है और हमें इसके लिए उन्हें तैयार करना होगा। अतः हमारे भारतीय उत्पाद विदेशों में जा रहे हैं। भारतीय चावल विदेशों में भेजा जा रहा है। हमारे बागवानी के उत्पाद विदेशों में जा रहे हैं और वहां उनकी अच्छी बिक्री हो रही है। वहां के बाजार में हमारी पहुंच है। यह गैट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब मैं दूसरे वक्ता को बुला रहा हूं।

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बदली हुई परिस्थिति में सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र की समीक्षा करनी होगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें एक नया दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। एक व्यापक कृषि नीति तैयार की जानी चाहिए जो कि अति आवश्यक है। मैं अपने माननीय मित्र श्री अनिल बसु द्वारा उठाये गए क्रांतिकारी कदम का स्वागत करता हूं।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं मेरे माननीय मित्र श्री अनिल बसु द्वारा प्रस्तुत संकल्प की सराहना करता हूं। इस समय हमारे देश की जनसंख्या 94 करोड़ है। इसमें से 70 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि व्यवसाय में संलग्न है और इस 70 प्रतिशत में से 60 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं।

इस 60 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत भूमिहीन कृषि मजदूर हैं। स्थिति यह है। अब मैं कृषि व्यवस्था की बात करता हूं। आज तक भारत में गत हजारों वर्षों से चली आ रही कृषि संबंधी पुरानी पद्धति ही अपनाई जा रही है। निश्चित रूप से इस पद्धति को और तीन या चार दशकों तक अपनाया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान में हम कृषि संबंधी मशीनीकृत व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। यदि हमारी कृषि संबंधी व्यवस्था मशीनीकृत हो जाती है तो मैं समझता हूं कि करोड़ों व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। अतः वर्तमान में यह पुरानी व्यवस्था ही बरकरार रहनी चाहिए।

कृषि व्यवसाय में भूमिहीनता एक प्रकार की बीमारी है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अतिरिक्त भूमि सीमांकन के असंतुलित बंटवारे के कारण कम से कम 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भूमिहीन हैं। अतः हमें उचित ढंग से भूमि सुधार करना होगा। साथ ही हमें अपनी अधिकतम भूमि सीमा संबंधी अधिनियम की समीक्षा करनी होगी क्योंकि आज भी, जहां तक मुझे ज्ञात है, मैं जानता हूं कि भूमि सीमांकन अधिनियम के अन्तर्गत एक व्यक्ति केवल आठ से दस हेक्टेयर भूमि ही रख सकता है परन्तु वर्तमान में कोई भी व्यक्ति दो हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं रख सकता है। अतः मैं कहता हूं कि भूमि सीमांकन अधिनियम की समीक्षा की जानी चाहिए और भूमि सुधार संबंधी व्यापक उपाय किए जाने चाहिए।

महोदय, सम्पूर्ण देश में वनों की कटाई हो रही है। मैं जानता हूं कि केवल 50 पूर्व भारत में 27 प्रतिशत वन क्षेत्र था परन्तु वर्तमान में यह केवल 12 से 13 प्रतिशत रह गया है। जबकि असम में पहले 33 प्रतिशत वन क्षेत्र था वर्तमान में यह कम होकर केवल 17 से 18 प्रतिशत रह गया है। अतः इस प्रकार की स्थिति में हम पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त नहीं रख सकते हैं। अतएव वनों की कटाई कर आप कृषि योग्य भूमि नहीं तैयार कर सकते हैं। हमें सामाजिक वानिकी और अन्य उपायों द्वारा वनरोपण को बढ़ावा देना चाहिए।

महोदय, हमारी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब यह लगभग 94 करोड़ है और मैं समझता हूं कि सन 2000 तक यह 100 करोड़ को पार कर जाएगी। इस परिस्थिति में हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है–मुझे 'परिवार नियोजन' नहीं बल्कि 'परिवार कल्याण' कहना चाहिए–आम आदमी में भी परिवार की सीमा सम्बन्धी जागरूकता होनी चाहिए और यह जागरूकता निश्चित रूप से परिवार कल्याण के लिए और हमारी जनसंख्या विकास दर को कम करने के लिए भी होनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि कृषि द्वारा उद्योगों की कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है और इसके बदले उद्योग में कृषि की अतिरिक्त श्रम शक्ति का उपयोग किया जाता है।

इसी तरह से कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान में हम उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि उद्योग पूंजी प्रधान न होकर श्रम प्रधान हो ताकि कृषि की अतिरिक्त श्रम शक्ति का उद्योग में उपयोग किया जा सके।

महोदय, हमने अपने खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति को अपनाया है। निःसंदेह हमें इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। लेकिन साथ ही अनुसंधान और विकास कार्य किए जा रहे हैं और हमें इसका फल भी प्राप्त हुआ है। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि देश में अधिक से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि उत्पादन में वृद्धि हेतु देश में जिलेवार कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

अपराह्न 3.31 बजे

(कर्नल राव राम सिंह पीठासीन हुए)

जहां तक नई कृषि नीति का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें बहु फसल प्रणाली अथवा फसल आवर्तन प्रणाली को अपनाना चाहिए और यदि हम इस प्रणाली को अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि एक उचित सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उचित सिंचाई व्यवस्था के बिना हम बहुफसल अथवा फसल आवर्तन प्रणाली को नहीं अपना सकते हैं।

असम में हम केवल दो ही फसलों की पैदावार कर सकते हैं जबकि अन्य विकसित देशों में वे प्रतिवर्ष चार से पांच फसल की पैदावार करते हैं। परन्तु सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हम असम में केवल दो ही फसल उगा सकते हैं। अतः हमें एक उचित सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए।

साथ ही हमें उचित विपणन व्यवस्था भी करनी चाहिए। अन्यथा उत्पादों को लाभ की दर पर नहीं बेचा जा सकता है। निश्चित रूप से भारत सरकार ने कतिपय खाद्यान्नों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की है। परन्तु यह चावल और गेहूं के लिए पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए उचित जल-भूतल परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन के भी माध्यम से विपणन सहकारी समितियों के लिए बुनियादी सुविधायें होनी चाहिए। परिवहन प्रणाली की इस व्यवस्था के बिना विपणन सहकारी समितियां नहीं चल सकती हैं।

महोदय, मैं कृषि की वर्तमान स्थिति के बारे में पहले ही कह चुका हूं। मैं कृषि के यांत्रिकरण अथवा सामूहिक कृषि में विश्वास नहीं करता हूं। भारत में अलग-अलग भूमि की जोत होनी चाहिए। हमारे जैसे विशाल उप महाद्वीप में हम इस स्तर पर सामूहिक कृषि अथवा कृषि का यांत्रिकरण करना नहीं चाहते हैं।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कृषि की क्रय शक्ति में वृद्धि होनी चाहिए। हमें उन्हें क्रय शक्ति प्रदान करना चाहिए और यदि हमें उन्हें क्रय शक्ति प्रदान करना है तो हमें अपने उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए। यदि हमें अपने उत्पादन में वृद्धि करना है तो यह आवश्यक है कि हम कृषि संबंधी एक नई व्यवस्था, कृषि संबंधी एक नई नीति को अपनायें जिसका अर्थ है कि हम बहु फसल अथवा फसल आवर्तन पद्धति को अपनायें। इस उद्देश्य हेतु हम एक सम्पूर्ण और उचित सिंचाई व्यवस्था तथा विपणन सहकारी समिति की व्यवस्था चाहते हैं। सड़क, रेल तथा जल परिवहन आदि के रूप में इन विपणन सहकारी समितियों के लिए एक बेहतर बुनियादी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त हमारे पास कृषि समुदाय हेतु कुछ कल्याणकारी योजनायें भी होनी चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं से मेरा अभिप्राय फसल बीमा योजना, वृद्धावस्था पेंशन, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग की सुविधा, रेल परिवहन आदि से है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है तो मुझे विश्वास है कि कृषि समुदाय की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। यदि कृषि संबंधी क्रय शक्ति में वृद्धि होती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृषि क्षेत्र द्वारा उद्योग की कच्चे माल की आपूर्ति करने में सम्पन्नता प्राप्त होगी और परिणामस्वरूप उद्योग का विकास होगा। जब उद्योग का विकास होगा तो मुझे विश्वास है कि हमारे देश का विकास होगा और इस प्रकार भारत औद्योगिक रूप से विकसित हो पाएगा। यदि भारत औद्योगिक रूप से विकसित होगा तो यह विश्व के अन्य विकसित देशों के साथ कदम मिलाकर चल पाएगा। परन्तु मूल बात यह है कि सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। यदि हम कृषि क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो मुझे विश्वास है कि इस नई कृषि नीति को अपनाया जाना चाहिए।

महोदय, अब मैं असम के बारे में बोल रहा हूं क्योंकि मैं असम का प्रतिनिधित्व करता हूं। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, आज तक केवल पांच प्रतिशत भूमि की ही सिंचाई की गयी है जबकि कम से कम 50 प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जानी चाहिए थी। यदि ऐसी ही बात है तो किस प्रकार कोई प्रान्त अथवा राज्य कृषि के क्षेत्र में विकास कर सकता है? अतः सर्वप्रथम मैं उचित सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देता हूं। सिंचाई की उचित व्यवस्था के बिना कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। अतएवं सिंचाई की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए और साथ ही भूमि सुधार संबंधी उचित उपाए किए जाने चाहिए और वर्तमान भूमि सीमांकन अधिनियम की समीक्षा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : सभापति महोदय, यहां पर कृषि नीति के संबंध में डिस्कशन आया है, उसके संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

संकल्प में कहा गया है :

> "यह सभा भारत की कृषि व्यवस्था और किसानों के हितों की रक्षा हेतु तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु सरकार

से एक नई कृषि संबंधी नीति तैयार करने का अनुरोध करतो है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान बुनियादी रूप से एक कृषि प्रधान देश है और यह देश कई लाख गांवों से बना हुआ है। यहां की आर्थिक व्यवस्था का ढांचा कृषि पर आधारित है जबकि यूरोप के मुल्कों का ढांचा शहरीकरण और औद्योगीकरण पर आधारित है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गांवों के विकास, कृषि और सत्ता के विकेन्द्रीयकरण को दिमाग में रखकर इस मुल्क की आजादी की लड़ाई इस देश के लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मदद से लड़ी थी। आज हम सब उसी को आधार मानकर चल रहे हैं। लेकिन, सभापति महोदय, आज गांवों में किसानों के लिये यह सौदा घाटे का सौदा बन गया है। गांव में गरीब लोग भी रहते हैं, किसान भी रहते हैं लेकिने आज लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं।

इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अगर कृषि को हम मुनाफे का धंधा बनाएं और हमारे मुल्क के गांवों के विकास के लिए इंटीग्रेटेड योजना बनाएं तो हमारे मुल्क का विकास अपने ढंग से हो सकता है। आज भारी संख्या में लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि हमारी कृषि की नीति ऐसी नहीं है जो आकर्षक हो और जिसके प्रति जनता में रुचि हो और वह खेत-खलिहानों में काम करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हों। आज गांवों में जो इनफ्रास्ट्रक्चरल डैवलपमेंट चाहिए, उसका भारी अभाव है। पंजाब और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों को तथा वहां की सरकारों को हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने आजादी के बाद अपने प्रांतों का भी विकास किया और ऐग्रीकल्चर का इतना भारी विकास किया कि आज हिन्दुस्तान में जितना गल्ला पैदा हो रहा है उसका 50 प्रतिशत गल्ला केवल हरियाणा और पंजाब में पैदा हो रहा है क्योंकि वहां के मुख्य मंत्री गांवों के रहने वाले थे और किसान परिवारों में पैदा हुए थे। इसलिए वह गांवों को समझते थे और कृषि को समझते थे और उसी हिसाब से उन्होंने अपने प्रांतों में जो नीतियां बनाईं, उसके कारण आज हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले प्रदेश पंजाब और हरियाणा बन गए हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा से भी अच्छी उपजाऊ भूमि उत्तर प्रदेश की है। उससे भी उपजाऊ भूमि बिहार की है, उड़ीसा की है, बंगाल की है लेकिन इन प्रांतों में कृषि का विकास अच्छे ढंग से नहीं हुआ। कृषि के विकास के लिए आज के युग में सबसे जरूरी चीज बिजली है। पूरे देश के जितने भी संसद सदस्य हैं, यहां संसद में खड़े होते हैं तो बिजली की बात सब करते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा था कि 38,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। आठवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष चल रहा है लेकिन इस योजना के अंत तक 17,000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन भी नहीं हो पाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर नेशनल ग्रोथ कैसे होगी? नेशनल ग्रोथ के ऑबजैक्टिव को हम कैसे हासिल करेंगे? आज उत्तर प्रदेश और बिहार में 30-40 फुट पर पानी मिल जाता है। ट्यूबवैल लग सकते हैं और उन ट्यूबवैलों को बिजली के माध्यम से चलाकर खेतों में पानी पहुंचाया जा सकता है लेकिन पिछले छः वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक मेगावॉट बिजली की योजना भी मंजूर नहीं हुई, पिछले छः वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी नहर की परियोजना स्वीकृत नहीं हुई। यही हाल बिहार का भी है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि कृषि का विकास होना चाहिए, लेकिन कृषि का विकास कैसे होगा? अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि इनफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का होना अति आवश्यक है। पानी गांवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाए, गांवों में बिजली का इंतजाम किया जाए, गांवों में कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों को नयी तकनीक का ज्ञान दिया जाए जिससे वह अपना उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ा सकें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले साल गेंहूं का उत्पादन 31 लाख टन कम हुआ और प्रोक्योरमेंट 41 लाख टन कम हुआ। आदरणीय कृषि मंत्री जी यहां मौजूद हैं। हमारे जैसे देश में अनाज का उत्पादन कम नहीं होना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश और बिहार की जमीन को देखें। सबसे ज्यादा नदियां और सबसे ज्यादा पानी वहां उपलब्ध है। बिहार में 30-40 फुट पर पानी उपलब्ध हो जाता है और आप ट्यूबवैल लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा नदियां और सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन उत्तर प्रदेश की है, लेकिन पंजाब ही सबसे आगे क्यों? हरियाणा ही सबसे आगे क्यों? क्योंकि इन दो प्रांतों में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जो चीज है वह उपलब्ध नहीं है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का मसविदा बनने जा रहा है और आज हमारे देश को अगर अनाज के मामले में आत्मनिर्भर रखना है, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, अगर कृषि का विकास करना है तो जो बुनियादी चीज है वह बिजली है। बिजली का उत्पादन 9वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। चूंकि सरकार प्लानिंग कमीशन के माध्यम से 9वीं पंचवर्षीय योजना में नई नीतियां और नई प्राथमिकताएं तय कर रही है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो थ्रस्ट एरिया हो, जो प्रायोरिटी एरिया हो, वह बिजली का होना चाहिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने 38 हजार मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य घोषित किया है। श्री राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री थे, उस जमाने में 22 हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य पूरा हुआ। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना में 38 हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा गया। राजीव गांधी की सरकार चुनाव में हार गई और दूसरी सरकार यहां पदारूढ़ हुई। 1990-91 वर्ष तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी और न ही कोई बिजली का उत्पादन एक मेगावाट या एक हजार मेगावाट ही हुआ। जब 1991 में सरकार बनी तो मैंने कहा कि 38 हजार मेगावाट का बिजली उत्पादन लक्ष्य रखा जाए। अगर हमें नेशनल ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। लेकिन आज 8वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है। 31 मार्च को 8वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो

जायेगी। लेकिन केवल 17 हजार मेगावाट का भी लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पायेंगे। पूरे राष्ट्र के पैमाने पर अगर 17 हजार मेगावाट का बिजली का लक्ष्य है तो फिर हम कैसे अपनी प्राथमिकताओं को पूरा कर पायेंगे। आज अमरीका में सात लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है जबकि अमरीका की आबादी 25 करोड़ है। आज जापान में साढ़े तीन लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि वहां की आबादी 12 करोड़ है और 92 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान में केवल 70 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहां की आबादी जिस ढंग से बढ़ रही है और अगर यही आबादी बढ़ने का रेश्यो रहा...**(व्यवधान)** इसकी जिम्मेदारी तो सबकी है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कल जो सरकार में थे और जिनकी हुकूमत थी, जिम्मेदारी तो उनकी है।

श्री कल्पनाथ राय : यह कह कर आप जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते हैं।....**(व्यवधान)**

लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : इसी संदर्भ में पिछली दफा कृषि मंत्री जी ने बोला था कि वह बिजली के मिनिस्टर नहीं हैं और आप कृषि में बिजली पर इतना जोर दे रहे हैं।

सभापति महोदय (कर्नल राव राम सिंह) : ऑनरेबल मैम्बर्स डिसकशन के लिए जो टाइम निर्धारित हुआ था वह अब खत्म होने वाला है, लेकिन बोलने वालों की मेरे पास काफी लम्बी लिस्ट है। अगर हाउस की सहमति हो तो इस टाइम को एक घंटे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं?

[अनुवाद]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : मेरे नाम में एक अन्य संकल्प भी सूचीबद्ध है। यह आज पुरःस्थापित किया जाना है और हमारे पास केवल दो घंटे का समय है। यदि आप एक घंटे का समय और बढ़ाते हैं तो हमें केवल इस पर साठ मिनट ही चर्चा करनी होगी अन्यथा मेरा अवसर चूक जाएगा।

सभापति महोदय : समय 4.00 बजे म.प. पर समाप्त होता है। यदि हम इसे एक घंटा बढ़ाते हैं तो इसका अर्थ है कि समय पांच बजे समाप्त होगा और 5.00 से 5.30 बजे के बीच हमारे पास आधे घंटे का समय और होगा।

श्री मानवेन्द्र शाह (टेहरी-गढ़वाल) : उत्तराखंड संबंधी संकल्प भी महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : केवल एक ही संकल्प पुरःस्थापित किया जा सकता है।

श्री मानवेन्द्र शाह : कृपया समय न बढ़ायें। हम निर्धारित समय का ही अनुपालन करें।

सभापति महोदय : मैं समय बढ़ाने वाला कोई नहीं हूं। मुझे इस सम्बन्ध में सभा की राय जाननी होगी।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, आप आधे घंटे का समय बढ़ा दें।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : आप हाउस का समय एक घंटा बढ़ा दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि कृषि एक अति महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम एक घंटे का समय बढ़ा दें तो यह उचित होगा।

श्री मानवेन्द्र शाह : महोदय, क्या आप इस समय चल रहे वाद-विवाद का समय बढ़ा रहे हैं अथवा सभा की बैठक का समय बढ़ा रहे हैं?

सभापति महोदय : जी नहीं, हम कृषि संबंधी नीति पर चर्चा हेतु समय बढ़ा रहे हैं।

अतः सभा की राय से हम इस विषय पर चार से पांच बजे तक एक घंटे का समय बढ़ा रहे हैं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : महोदय, सभा की राय से इसका समय 60 मिनट के लिए बढ़ाये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इस समयावधि में माननीय मंत्री महोदय को उत्तर दे देना चाहिए और श्री अनिल बसु को भी एक अवसर दिया जाना चाहिए। अतः मेरा अनुरोध है कि आप कृपया वक्ताओं को उनके लिए निर्धारित समय तक ही बोलने की अनुमति दीजिए। अन्यथा मैं अपना संकल्प जो कि अति महत्वपूर्ण है प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा।

सभापति महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। अतः मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया 18 मिनट तक ही बोलें और तत्पश्चात माननीय मंत्री जी उत्तर देने हेतु कुछ समय लेंगे।

ठीक है, श्री कल्पनाथ राय आप अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ, आप कह रहे हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली का उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ, अगर मैं ठीक हूं तो शायद उस समय आप ही पावर मिनिस्टर थे।

श्री कल्पनाथ राय : मैंने सबसे हाइएस्ट काम किया है, सबसे ज्यादा काम किया है जो रिकार्ड पर है।

सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस रिजोल्यूशन पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया और आप सभी साथियों ने मेरी बात ध्यान से सुनी...**(व्यवधान)** उत्तर प्रदेश की सरकार इस काम को करती है और आप मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुल्क में अगर हमने कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें सबसे उच्च प्राथमिकता बिजली के उत्पादन को देनी होगी क्योंकि उसी के माध्यम से ट्यूबवैल सिस्टम औपरेट होता है और नहरों के जरिए हम किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध करा सकते हैं क्योंकि इसमें बिजली की आवश्यकता होती है। मेरा निवेदन है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार कम से कम 60 हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखे ताकि हमारा बैकलॉग पूरा हो सके और देश की आवश्यकता के अनुरूप हम बिजली का उत्पादन कर सकें।

सदन में माननीय कृषि मंत्री जी मौजूद हैं। सरकार ने एक बार नहीं सैंकड़ों बार कहा है कि हर जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाएंगे। क्या मंत्री जी सदन को यह जानकारी देंगे कि उत्तर प्रदेश के 68 जिलों में से कितने जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं और किन जिलों में अभी तक स्थापित नहीं हो पाए हैं। आपने इस संबंध में जो नीति निर्धारित की है, उसके अंतर्गत नये कृषि विज्ञान केन्द्र खुल नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि या तो कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का काम, पूरी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले अथवा प्रदेश सरकार को सौंप दे। यदि आधी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की और आधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को रहेगी तो हम कृषि विज्ञान केन्द्रों के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में कृषि मंत्री जी हर प्रदेश के मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट की अलग-अलग मीटिंग बुलाएं, अपने अधिकारियों को भी उसमें शामिल करें, इस विषय पर उनकी बातें सुनें, अपनी बात भी उनके सामने रखें और यह विचार करें कि हर जिले में कैसे कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने हैं, कैसे उनकी मॉनिटरिंग करनी है, कैसे रिव्यू करना है। इसके बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, अब आपका टाइम खत्म हो चुका है।

श्री कल्पनाथ राय : अंत में, मैं एक बात और कहकर खत्म करूंगा। मेरी मांग है कि खेत में पैदा होने वाली चीजों के लाभप्रद दाम किसान को मिलने चाहिए। आज अपनी उपज का लाभप्रद मूल्य न मिलने के कारण किसान खेती का धंधा छोड़कर दूसरे कामों की तरफ भाग रहा है। आज एक पान बेचने वाला व्यक्ति स्वयं को खेत में काम करने वाले किसान के मुकाबले अच्छा महसूस करता है। अगर खेत में पैदा होने वाली चीजों के वाजिब दाम, लाभप्रद मूल्य किसान को नहीं मिलेगा तो वह खेती का धंधा छोड़कर दूसरे कामों की तरफ आकर्षित होगा ही।

सभापति महोदय, इसीलिए सरकार को दाम बांधो नीति को लागू करना चाहिए। जो सामान कारखाने में बनता है और जो सामान खेतों में पैदा होता है, उन दोनों के दामों में संतुलन स्थापित किया जाए। हमारे कृषि मंत्री जी इसके जानकार हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि दाम बांधो नीति सरकार की तरफ से आनी चाहिए ताकि देश के करोड़ों किसानों को लाभप्रद मूल्य मिल सके और कारखाने तथा खेतों में पैदा होने वाले सामान में संतुलन स्थापित हो सके और मुल्क के करोड़ों लोगों को इस खेती के धंधे में लगाया जा सके।

सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : मैं अपने सहयोगी श्री अनिल बसु द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प के समर्थन में बोलना चाहता हूं। सभी व्यक्ति इस बात से सहमत होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जनसंख्या का अधिकांश भाग जो गांवों में रह रहा है कृषि समुदाय से है। स्वाभाविक है कि कृषि संबंधी नीति के महत्व पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है। यह बात अति महत्वपूर्ण है कि कृषि संबंधी एक नई नीति अपनायी जानी चाहिए ताकि न केवल कृषि में विकास हो बल्कि उत्पादन में भी इस प्रकार वृद्धि हो कि सम्पूर्ण जनसंख्या को खाद्यान्न मिल सके।

सभा इस बात को जानती है कि सन् 2000 तक भारत में करीब 2400 लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। परन्तु हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में प्रतिवर्ष गिरावट आती जा रही है जबकि इस समय उत्पादन 190 मिलियन टन के करीब है। अच्छी मानसून वर्षा के बावजूद प्रत्येक वर्ष उत्पादन में कमी आती जा रही है। यदि यह स्थिति रही तो भारत में सन् 2000 तक 2400 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो पाएगा। यह लगभग 2000 मिलियन टन के करीब होगा। स्वाभाविक है कि हमें 40 मिलियन टन की कमी का सामना करना पड़ेगा। अतः हमें अधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में भी वृद्धि करनी होगी।

परन्तु यह देखा गया है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र की अत्यधिक उपेक्षा के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन की संभावना नहीं दिख रही है। अतः मूल रूप से हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता शक्ति में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश व्यक्ति किसान हैं। जब तक किसानों के वर्गीकरण का उल्लेख न किया जाए व्यावहारिक रूप से हम 'किसान' शब्द से कोई अर्थ नहीं लगा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों के लिए अत्यधिक गुंजाइश है और कुछ वर्ग के लोगों के पास

अत्यधिक भूमि है। व्यावहारिक रूप से प्रतिदिन अत्यधिक भूमि का कटाव हो रहा है। लोग भूमिहीन होते जा रहे हैं। वे अधिकांश कृषि मजदूर और गरीब किसान हैं। प्रति दिन उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। परन्तु इस संबंध में कोई नियम नहीं है। कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु कोई व्यापक कानून नहीं है। ये हमारे देश की उत्पादक शक्ति हैं। उन्हें कोई राहत प्रदान नहीं की गयी है क्योंकि आज भी भूमि कुछेक लोगों के हाथों में ही सीमित है। जो लोग उत्पादन करते हैं उनके पास भूमि नहीं है, लेकिन जिनका कृषि उत्पादन में कोई योगदान है उनके पास भूमि है। इस स्थिति से हमारे देश में उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही है और साथ ही इससे उत्पादकता में भी नुकसान हो रहा है। अतः निश्चित रूप से आवश्यकता इस बात की है कि भूमि सुधार को पूरा किया जाए जो केवल विकास के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि यह पूरे देश के हित में है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है, यह किसानों के एक वर्ग का प्रश्न नहीं है या ग्रामीण जनसंख्या का प्रश्न नहीं है। यह पूरे देश के विकास का प्रश्न है। यदि भूमि सुधार किया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग वास्तव में भूमि जोतते हैं केवल उनके पास भूमि होगी। इसके साथ उनकी क्रय शक्ति और आर्थिक स्तर में भी वृद्धि होगी। वे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने में बहुत सहयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में यह पूरी तरह से उपेक्षित है। यद्यपि देश में हरित क्रांति हुई है, उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि हुई है फिर भी यह पूरे देश में लोगों के लिए अनाज उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त नहीं है।

पिछले शासन की उदारीकरण की नीति को देख चुके हैं कि इससे देश में किस तरह एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है। किसान केवल अनाज का ही उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि वे कपास गन्ना इत्यादि जैसी नकदी फसलें भी उगा रहे हैं। लेकिन गन्ना उत्पादकों की दशा क्या है? कपास उत्पादक किसानों की दशा क्या है? उन्हें हानि हो रही है, उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। व्यावहारिक रूप से कीमतों में हर रोज उतार-चढ़ाव होता है और कीमतों में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप किसानों को अपनी आदान लागत भी नहीं मिल पा रही है। कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण अधिक मुनाफा कमा रहे हैं जबकि उत्पादकों को नुकसान हो रहा है।

अपराह्न 4.00 बजे

साथ ही, हमें आवश्यक रूप से कृषि में सुधार करना होगा। किसानों को कृषि ऋण नीति आवश्यक है। किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है। हमारे सहकारी बैंकों को वास्तव में धोखा दिया जा रहा है। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की बैंककारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दे रहीं हैं। निजी बैंक कृषकों को सहायता नहीं देंगे। वे न तो उन्हें प्रोत्साहन अथवा सहायता नहीं देंगे। निजी बैंक सामान्य किसानों को सहायता तो नहीं ही प्रदान करेगा बल्कि यह केवल जमींदारों की सहायता करेगा। और यह सहकारी बैंक क्षेत्र की साख कम करेगा जो सामान्य किसान को उस क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए काफी सहायता कर रहा है।

हमने यह देखा है कि कृषि के विकास के लिए कुछ आधारभूत विकास आवश्यक है। मैं असम का हूं। वास्तव में लगभग 32 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र है; वास्तव में केवल 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है हालांकि काफी गुंजाइश है। यहां केवल भू जल ही नहीं है बल्कि भूमि गत जल भी पर्याप्त है। लेकिन भूमि की सिंचाई के लिए कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया गया है। बाढ़ तो वहां है ही, सूखा भी है। बाढ़ तथा सूखा किसानों को व्यावहारिक तौर पर अवरूद्ध कर रहा है। यह देश के उत्तरोत्तर पिछड़ेपन को लगातार बढ़ा रहा है। परंतु इस पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि बाढ़ तथा सूखे होते हैं तो न केवल भूमि तथा किसान ही प्रभावित होते हैं बल्कि पूरा देश प्रभावित होता है। संपूर्ण जल संसाधन का सिंचाई के लिए पूरी तरह उपयोग नहीं किया जाता है। यह हमारे लिए सहायक नहीं है। यह न केवल हमारे लिए समस्या पैदा कर रहा है बल्कि यह एक खतरनाक परिस्थिति पैदा कर रहा है। यह स्थिति पूरे देश के लिए और विशेषकर असम के उस क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी नहीं वरन् दुख का कारण बनेगा।

महोदय, सिंचाई महत्वपूर्ण है। सिंचाई की अवहेलना की जाती है तथा साथ ही साथ विद्युत की भी अवहेलना होती है। यदि ब्रह्मपुत्र के बाढ़ को नियंत्रित किया जाय तो न केवल विद्युत पैदा की जाएगी बल्कि सिंचाई भी अच्छी तरह हो सकेगी।' साथ ही, कुछ भूमि भी उपलब्ध होगी जिसे लोगों द्वारा कृषि योग्य बनाकर उपयोग में लाया जा सकेगा।

हमारे देश में भूमि सुधार पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों के दौरान सरकार ने इस मसले को नहीं उठाया है इसलिए हमारे संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। यह हमारे देश के प्रगति तथा हमारे कृषि के विकास में बाधक समस्या पैदा कर रहा है।

अतः मेरा अनुरोध है कि हम इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एक नयी कृषि नीति तैयार करें। कुछ लोगों का कहना है कि यदि हम निर्यात पर ध्यान दें तो सब कुछ ठीक हो जायेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पहले से ही कुछ लोगों का कब्जा है। हम अभी निर्यात करने की स्थिति में नहीं हैं। यदि हम अधिक निर्यात करते हैं तो यह हमारे लोगों तथा हमारी कृषि के हितों के विरूद्ध होगा। अतः मैं यह कहूंगा कि आत्म निर्भरता प्राप्त करने हेतु अधिक सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करें तो हमारे कृषि कार्यों में नवीनता आयेगी तथा यह हमारी सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायक होगी...(व्यवधान) अतः स्वभाविक रूप से, भूमि संबंधी अधिक सुधार, अधिक सार्वजनिक निवेश तथा किसानों विशेषकर गरीब किसानों के लिए अधिक उपयोगी तथा लाभकारी कृषि नीति होनी चाहिए। इससे गरीब किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा यह कृषि क्षेत्र के विकास में सहायक होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आएगी जो देश के विकास में सहायक होगी। यह कृषि उत्पादकता के विकास में भी सहायक होगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री अनिल बसु द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का पुरजोर समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें वे भारतीय कृषि, भारतीय कृषकों के हितों की रक्षा करना तथा उत्पादकता बढ़ाने की नई नीति के बारे में संकल्प लाए हैं। यह संकल्प वास्तव में अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो रीढ़ की हड्डी, प्राण या आत्मा कहना चाहिए, वह केवल कृषि है। कृषि ही वह व्यवस्था या आधार है जो देश के लगभग 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करती है। उनका सारा गुजारा खेती पर निर्भर करता है। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के 50 वर्षों बाद भी यद्यपि अन्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए और इसके लिए हमें किसानों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। सारा देश 'जय जवान जय किसान' कहकर उनके प्रति आभार व्यक्त भी करता है। हमको यह गाना भी सुनने को मिलता है 'मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती'। इससे पता लगता है कि हमारे देश के किसानों ने अपने खून का पसीना करके इस धरती की गोद से इतना अन्न पैदा किया है कि भारत को अन्न में आत्मनिर्भर बना दिया है और हम अन्न का निर्यात भी करने लग गए हैं। लेकिन आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि खाद्यान्न का संकट आ गया है और यहां पर मूल्य वृद्धि पर चर्चा करानी पड़ी। सरकार को विदेशों से फिर आयात के लिए कहना पड़ा। इससे मालूम पड़ता है कि कहीं न कहीं हमारी कृषि नीति में गड़बड़ है। इसलिए कृषि नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि नीति बननी चाहिए।

पूर्व कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ भी एक नीति की चर्चा करते-करते उसका प्रारूप लाए और सदन के सामने भी रखा। लेकिन चर्चा होकर जो राष्ट्रीय नीति निर्धारित होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई। कृषि मंत्री यहां पर विराजमान हैं। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि यह जो चर्चा है, इसके संदर्भ में वे नई कृषि नीति अवश्य लाएंगे और यह कृषि नीति छोटे, मझले और मध्यम वर्ग के किसानों के हितों का भी ध्यान रखने वाली हो। अब तक खेती की जितनी नीति थी, वह कुलक किसानों के, बड़े-बड़े किसानों के हितों की रक्षा करने वाली थी। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र जैसे अजमेर और मेवाड़ जो राजस्थान की रणस्थली है, वहां पहाड़ों के बीच में छोटे-छोटे खेत हैं, जोतें बंटी हुई हैं। परिणाम यह होता है कि कभी अतिवृष्टि के कारण, कभी अनावृष्टि के कारण, कभी वर्षा का ज्यादा गैप हो जाने से मानसून की अनिश्चितता के कारण उसका असर खेती पर पड़ता है। सारी खेती मानसून पर निर्भर करती है। यदि मानसून अच्छा तो खेती अच्छी, पैदावार अच्छी, उपज अच्छी और किसान खुशहाल। यदि मानसून समय पर नहीं आया और उसमें ज्यादा गैप पड़ गया या अनावृष्टि का अकाल पड़ गया तो सारी फसलें चौपट हो जाती हैं। किसान की व्यवस्था चरमरा जाती हैं। मेरे मित्रों ने जो बातें कहीं हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात की ओर मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सोइल कन्जरवेशन-भूमि संरक्षण-के जो कार्यक्रम हैं, इन पर सरकार पैसा तो बहुत खर्च कर रही है, लेकिन पैसा सही स्थान पर सही अर्थों में लाभ पहुंचाने वाला बने। भूमि संरक्षण सही अर्थों में हो, मेड़बंदी हो और जो खेती के लायक जमीन है, उस जमीन का कटाव रुके तथा साथ-साथ उस भूमि की रक्षा हो सके। जल संग्रहण-वाटर मैनेजमेंट-वर्षा का पानी बह कर चला जाता है, अगर सोइल कन्जरवेशन का काम होगा, वाटर मैनेजमेंट का सही काम होगा, छोटे-छोटे एनिकट बनायेंगे, छोटे-छोटे बांध बनायेंगे, छोटी सिंचाई योजनायें बनायेंगे, छोटे तालाब बनायेंगे, तो वर्षा का पानी इकट्ठा होगा, परिणामस्वरूप कुओं में पानी होगा और उस पानी को किसान सिंचाई के काम में ले सकता है। वह पानी चाहे पुरानी परम्परा से, बैलों से चरखा द्वारा पानी निकाल कर खेती की सिंचाई करे। इसके अलावा अगर बिजली उपलब्ध हो जाएगी, तो बिजली के माध्यम से या डीजल पम्प लगाकर सिंचाई कर सकता है। लेकिन सरकार को वाटर मैनेजमेंट, भूमि संरक्षण की ओर विशेष रूप से प्रोत्साहित होना चाहिए। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कृषि संबंधित जितने विषय है, चाहे बिजली हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, जल-संसाधन हो, रसायन मंत्रालय से संबंधित मामला हो या किसान के खेतों में काम आने वाली चीजें हों, इन सब के लिए एक कोआर्डिनेशन कमेटी सरकार को बनाना चाहिए, ताकि खेती से संबंधित समस्या का निदान तुरन्त हो सके। नहीं तो एक मंत्रालय से फाइल दूसरे मंत्रालय चली जाती है। "ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा जो पूरी हो मन की। एक दूसरे से न मिल सके, यही विडम्बना है जीवन की।" सही समन्वय होना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं। देश में कृषि विश्वविद्यालय बहुत स्थापित हो गए हैं और कृषि विज्ञान केन्द्र भी आपने हर जिले में खोल दिए हैं और जहां नहीं खोले हैं, वहां पर खोलने वाले हैं। अनुसंधान शालायें भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कृषि वैज्ञानिक भी धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने उन्नत बीज, उन्नत पौध, रोपाई, नई-नई टैकनीक वगैरह की खोज की है, लेकिन उनका ज्ञान किसानों तक पहुंचना चाहिए। किसानों तक भी उनकी समझी जाने वाली भाषा में, तभी किसानों को लाभ हो सकता है। अब किसान फव्वारा पद्धति को भी समझने लगा है, लेकिन कम से कम पानी के द्वारा सिंचाई कैसे हो, इस बारे में भी किसान को प्रशिक्षण मिलना चाहिए और किसानों का ज्ञान संवर्धन करते रहना चाहिए।

हमारा किसान गांवों में रहता है। गांवों में अशिक्षा है। वे निरक्षरता के शिकार हैं, अंधविश्वासों के शिकार हैं, किसानों का दृष्टिकोण थोड़ा प्रगतिशील बनें, नई-नई तकनीकों को काम में लाने वाला बनें, तो इसके लिए किसान को साक्षर करना भी आवश्यक है। इसके साथ ही

गांवों के अन्दर स्वास्थ्य की सुविधायें जुटाना भी आवश्यक है। जब सारी चीजें होंगी, तो किसान निश्चिन्त होकर खेती को ओर ध्यान दे सकेगा। आप दिल्ली के निवासी हैं और यहां दिल्ली के आस-पास गुड़गांव और रिवाड़ी की तरफ खेती के योग्य जमीन बड़े-बड़े उद्योगों द्वारा ली जा रही हैं। वहां पर बड़े-बड़े कल-कारखाने स्थापित हो रहे हैं। उनसे प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है। बेचारा किसान पैसे के लालच में आकर जमीन को बेच देता है, जो जमीन वर्षों तक उपज देती हैं और लोगों का भरण-पोषण करती हैं। मंत्री जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस औद्योगीकरण के कारण देश का उत्पादन तो घट नहीं रहा है? यह भी सही है कि अब किसान थोड़ा मनी-माइन्डेड हो गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि सारे देश का चिन्तन इस तरफ जा रहा है कि कैसे अधिक से अधिक धन कमाया जाए। अब किसान कैश-क्राप भी पैदा करने लग गया है। अगर किसान कैश क्राप पैदा करेगा, तो कितना खाद्यान्न होगा? उत्पादन कम होगा और उत्पादन कम होगा, तो कमी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जहां तक हो सके कृषि योग्य भूमि को, उपजाऊ भूमि को हरगिज इन लोगों को न देने दिया जाए। इसके साथ ही लैंड सीलिंग एक्ट और लैंड रिफार्म्स एक्ट लागू होना चाहिए। नहीं तो किसान रात-दिन मुकदमेबाजी का शिकार रहता है।

हिन्दुस्तान का किसान ऋण में पैदा होता है, उसी में ही पलता है और उसी में खत्म हो जाता है तो सहकारिता और कृषि का भी चोली-दामन का संबंध है। कृषि ऋण दात्री सहकारी समितियां, ग्रामीण ऋण दात्री सहकारी समितियां और सिंचाई भूमि विकास बैंक, इन सबको सशक्त और प्रभावी बनाया जाना चाहिए कि वह गांवों में किसान को फसल के समय में छोटे-छोटे ऋण उपलब्ध करा सकें। उर्वरक तथा बीज खरीदने के लिए भूमि का सुधार करने के लिए, कुंआ खोदने के लिए और कुंए पर डीजल वगैरह की मशीन या बिजली की मशीन वगैरह लेने के लिए और किसानों को बिजली देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय, सबसिडी के ऊपर चारों ओर हल्ला हो रहा है कि सबसिडी पर रोक लगाएं, राज्य सहायता कम करो। माननीय सभापति जी, मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि चाहे अमेरिका जैसा देश हो वहां भी किसानों को सबसिडी, राज्य सहायता प्रदान की जाती है। इसलिए किसानों को सस्ती बिजली मुहैया कराई जाए, चाहे सरकार को राज्य सहायता कितनी ही प्रदान करनी पड़े लेकिन किसान को बिजली समय पर मिले। महोदय, रात के समय में आठ घंटे बिजली देंगे, किसान रात को कड़ाके की ठंड में खेत में सिंचाई का काम कैसे करेगा। क्या उसको ठंड नहीं लगती है। हालांकि हिन्दुस्तान का किसान, "शीत कांपता जिसके भय से, आतप ठंडा पड़ जाता है", ऐसा जो किसान है वह बड़ी हिम्मत के साथ अपनी खेती करके देश का अन्नदाता बना हुआ है। उसके अंदर देश के भंडार भरे रखने की सामर्थ्य है लेकिन हमें उसका ध्यान रखना चाहिए।

महोदय, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं।...**(व्यवधान)** वर्ल्ड बैंक, मल्टी नेशनल्स, डब्ल्यू.टी.ओ. में दस्तखत हुए हैं। ये जो सारे समझौते हुए हैं, गेट और डंकल, ये जो सारे हैं, हिन्दुस्तान के बीजों के बारे में कई जगह चर्चा चल रही है कि इन बीजों को पेटेंट करा रहे हैं, बैंगन, टमाटर आदि चीजों को करा रहे हैं। हिन्दुस्तान का किसान जो रोप लगाता था, रोप करके वह अच्छे-अच्छे जो उन्नत किस्म के बीज हैं उनको लगाता है, अब कहीं उन बीजों को दूसरे देश न लगा दें और कहीं हमारा किसान पीछे न रह जाए। अब उर्वरकों के ऊपर मिलने वाली सबसिडी बंद न हो जाए। बिजली के ऊपर मिलने वाली सबसिडी या ट्रेक्टर वगैरह के ऊपर जो आपने प्रदान की है वह बंद न हो जाए, उन सब पर उनको निरंतर सब प्रकार की सबसिडी मिलती रहनी चाहिए और जो सपोर्टिंग प्राइस की घोषणा है वह फसल बुवाई से पहले ही होनी चाहिए। वह ऐसा सपोर्टिंग प्राइस हो कि किसान को उसकी पैदावार का, उसकी लागत का, उसने जो खेती की है उसकी पूरी वसूली उसको मिल सके और थोड़ा मुनाफा भी हो, क्योंकि जब व्यापारी दुकान पर बैठता है, अपनी दुकान खोलता है तो किसान को भी सपोर्टिंग प्राइस बाजार में तो 500 रुपए का मिल रहा है और किसान को आप 300 रुपए या पौने 400 रुपए दे रहे है तो उसको फिर घाटा होगा। उसका परिणाम यह होगा कि अगली दफा वह गेहूं, चावल वगैरह नहीं बोएगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि नयी कृषि नीति लाएं और उसके अंतर्गत किसानों को सब प्रकार की सबसिडी बदस्तूर रहे, कयिम रहे। हमारे यहां पर जो नाना प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौते विश्व बैंक के दबाव में हो रहे हैं उससे किसानों के हितों को आघात नहीं पहुंचना चाहिए।...**(व्यवधान)**

महोदय, कृषि में ऋण और निवेश की मात्रा नहीं घटनी चाहिए, और जगह तो इनवेस्टमेंट बढ़ रहा है, और जगह लोनिंग भी बढ़ रही है लेकिन खेती के मामले में ऋण और निवेश की मात्रा कम हो रही है। मान्यवर, देश की आबादी बढ़ती चली जा रही है उस बढ़ती हुई आबादी को "बढ़े मुंह और घटते खलिहान," मंत्री जी मेरी बात समझ गए होंगे कि खलिहान घटते जा रहे हैं और मुंह बढ़ते जा रहे हैं। आबादी बढ़ती जा रही है तो बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें उन्नत खेती को ओर निरंतर ध्यान देना आवश्यक है और खेती में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। फसल बीमा योजना लागू की जानी चाहिए और उसके साथ वर्षा के पानी का भरपूर सदुपयोग हो। लघु सिंचाई योजनाओं की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुए सरकार से अपेक्षा करूंगा कि सरकार किसानों में समृद्धि लाने के लिए, खेती आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए, कृषि प्रसंस्कृत उद्योगों को और अधिक बढ़ाने के लिए, इन सारी चीजों का ध्यान रखें और सिंचाई, उर्वरक, बीज, खाद आदि इन सबकी तरफ समुचित ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, मैं मेरे मित्र श्री अनिल बसु द्वारा एक नई कृषि नीति हेतु लाये गये इस संकल्प का समर्थन करता हूं। आप जानते हैं कि गत पांच वर्षों के दौरान हम इस देश के अधिकांश लोग तथा किसान सभी पूर्व सरकार के माननीय मंत्री श्री संतोष मोहन देव द्वारा तैयार किए गए इस तथाकथित नई कृषि नीति का विरोध करते रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री संतोष मोहन देव।

श्री हन्नान मोल्लाह : जी हां,

अध्यक्ष महोदय : उनका दल

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, उस समय आप भी सरकार में शामिल्न थे।

श्री हन्नान मोल्लाह : इस नीति की मुख्य विशेषता कमोबेश यह थी कि यह बड़े जमींदारों, धनी व्यापारियों तथा ग्रामीण **कुलकों** के हितों के लिए तैयार की गयी थी। दूसरी बात यह है कि इस नीति के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर देश की भूमि तथा सस्ते श्रम का दोहन करने का मौका प्रदान करना था। तीसरी बात यह है कि प्राथमिकताएं बदल दी गयी हैं। पहले खाद्यान्नों के संबंध में आत्म निर्भरता प्राप्त करना प्राथमिकता थी। लेकिन उनकी प्राथमिकता खाद्यान्न वाले फसल के बदले नकदी फसल हो गई। गरीब लोग खाद्यान्नों के प्रति चिंतित हैं लेकिन धनी किसान उन फसलों में रूचि रखते हैं जिन्हें बेचा जा सके तथा जिसके निर्यात से भारी मुनाफा कमाया जा सके।

चौथी बात यह है कि आत्म निर्भरता की बजाए निर्यातोन्मुख नीति तैयार की गयी है। पांचवीं बात यह है कि सिंचाई तथा वित्त से संबंधित सभी सहायता मुख्य रूप से अमीर किसानों को दिया गया। अन्य बात यह है कि गरीब किसानों, कृषि मजदूरों तथा बंटाईदारों की घोर उपेक्षा की गयी थी, वे लोग पूरी तरह से उपेक्षित थे। वे मजबूरी में बिकने के लिए बाध्य हुए। वे कोई राजसहायता या उर्वरक या ऋण नहीं प्राप्त कर रहे हैं।

दूसरी उपेक्षा यह थी कि गत नीति में कृषि मजदूरों का कोई उल्लेख नहीं था। आप जानते हैं कि बिना कृषि मजदूरों के कोई कृषि उत्पाद नहीं हो सकता है। आज 8 करोड़ कृषि मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं है जो कि कृषि के मुख्य आधार हैं। सरकार द्वारा गत नीति में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

सभापति महोदय : पश्चिम बंगाल में बंटाईदारों को किस प्रकार संरक्षण दिया जाता है।

श्री हन्नान मोल्लाह : यह विश्व में सबसे अच्छी नीति है।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : कृपया उसके बारे में हमें बताएं।

श्री हन्नान मोल्लाह : मेरे पास समय नहीं है। मैं आपको केन्द्रीय कक्ष में इसके बारे में बताऊंगा, वहां इस संबंध में जो मैं आपको बता सकता हूं वह मैं यहां अभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मेरा यह दावा है कि यह विश्व की सबसे अच्छी नीति है।

हमारे मित्र राजस्थान के बारे में बोल रहे थे। भूमि सुधार राज्य का विषय है। भूमि सुधार में उनकी रूचि नहीं है। पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर कहीं भी भूमि सुधार नहीं हुआ है। भूमि सुधार के बारे में कही गई सभी बातें मात्र भ्रम है।

कुछ भी हो वे भूमि सुधार के संबंध में कानून बना रहे हैं लेकिन वे जानते हैं कि यदि भूमि सुधार हुआ तो जमींदारों को भूमिहीनों को जमीन देनी पड़ेगी, इसलिए वे इसके खिलाफ हैं। **कुलक** तथा बड़े जमींदारों की लॉबी भूमि सुधार के खिलाफ है। दूसरी चीज राजसहायता में कमी करने की। कुल मिलाकर यही गत कृषि नीति की संरचना है।

कुछ लाभ सामान्य लोगों को जहां तहां मिले होंगे लेकिन कुल मिलाकर गत कृषि नीति की मुख्य बातें यहीं हैं इसीके कारण हमने इस नीति का विरोध किया था।

गत चार या पांच वर्षों के दौरान उक्त नीति को क्रियान्वित किया गया है। तीन परिणाम बहुत स्पष्ट हैं। एक कृषि में निवेश में कमी हुई है। सभी प्रकार की योजनाओं तथा घोषणाओं पर चर्चा के बावजूद कृषि निवेश में गत वर्षों के दौरान गिरावट आयी है।

गत कृषि नीति का दूसरा परिणाम खाद्यान्नों में आयी कमी है। कल हमने इस पर चर्चा की थी। तीसरा परिणाम यह है कि कुल मिलाकर क्षेत्र कृषि में वृद्धि बहुत ही कम रही है।

इस नई नीति से पहले उत्पादन काफी अधिक हो रहा है। अतः ये उसी नीति के मूल परिणाम हैं। इसीलिए हमने उस कृषि नीति का विरोध किया था। हमारी मांग है कि एक नई कृषि नीति बनाई जाए। यह सब कृषि नीति के कारण हो हो रहा है। मैं कल एक रैली को संबोधित करने गया था जिसमें मध्य प्रदेश से सैंकड़ों लोग आए थे। वे मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे थे क्योंकि इस निर्णय के तहत सरकार ने चम्बल घाटी के 600 किलोमीटर लम्बे और 181 किलोमीटर चौड़े भू-भाग को अभ्यारण्यों में परिवर्तित करने का निश्चय किया है। एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्स मैक्सवैल को चम्बल घाटी की दो लाख एकड़ जमीन दी गई है। यह कम्पनी अब इस घाटी की सफाई करके उसमें अपनी इच्छानुसार उन उत्पादों का उत्पादन करेंगी जिसे वह चाहेगी। अब मध्य प्रदेश में 37 अभ्यारण्य बनाये जाने वाले हैं जिसके कारण उस इलाके के लाखों लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। हम जानवरों की रक्षा के खिलाफ नहीं है। आपको जानवरों की रक्षा करनी चाहिए परन्तु वह गरीब लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाकर नहीं की जानी चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि उन प्रस्तावित 37 अभ्यारण्यों के निर्माण के लिए यदि इन लोगों को अपनी जमीन खाली करनी पड़े तो इसका क्या परिणाम होगा। सैंकड़ों लोग इस निर्णय का विरोध करने के लिए आए थे। मैं समझता

हूं कि उन्होंने कृषि मंत्री को इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन भी दिया है। इस प्रकार हम कोका कोला और अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगे घुटने टेक रहे हैं। और इस देश में अब नई कम्पनियां प्रवेश कर रही हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस संबंध में एक नई कृषि नीति बनाई जाए।

महोदय, चौदह दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनायी है। हमने नई कृषि नीति के बारे में एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। यह कृषि नीति बनानी पड़ेगी। अतः सरकार द्वारा इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। एक सरकारी नीति बननी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय किस प्रकार संयुक्त मोर्चा द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर कृषि नीति बनाने जा रहा है।

महोदय, इसमें यह कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में कोई सुधार नहीं किए गए हैं। हमारा कहना है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है विगत में जो कुछ भी कार्य किए गए हैं वे सभी भूमि सुधार के लिए किए गए हैं। अब क्या होगा? 'कुलक' वर्ग के प्रतिनिधि सभी जगह उपस्थित हैं। यह वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली है उनके विरूद्ध कुछ नहीं किया जा सकता है। जमींदारों पर लगाया नहीं जा सकता है। कर के दायरे को अधिक व्यापक बनाने के लिए हमारी मांग हमेशा ही रही है। आखिर कृषि पर कर क्यों नहीं लगाया जाता? जब सरकार उनके लिए हर प्रकार से व्यवस्था उपलब्ध कराती है तो वे देश के लिए कर क्यों नहीं दे सकते? परन्तु आप कृषि कर नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ कोई-न-कोई तर्क देकर आप इस संबंध में कुछ नहीं करेंगे। जमींदारों की लाबी अत्यधिक शक्तिशाली है। वे इसका विरोध करेंगे। इस लाबी के प्रतिनिधियों को प्रत्येक सरकार में स्थान मिलता है और वे इसका विरोध करते है। वे कृषि श्रम अधिनियम को पारित होने नहीं देंगे।

सभापति महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह क्या आप कृषि कर लागू करने के पक्ष में बोल रहे हैं?

श्री हन्नान मोल्लाह : जी हां निश्चितरूप से। परन्तु कृषि कर निर्धन और मध्यम वर्ग के किसानों की बजाय धनवान किसानों, 'कुलक' कृषि उद्योगपतियों और बड़े किसानों पर लगाना चाहिए। आखिर वे कर का भुगतान क्यों नहीं करें? वे कृषि से धन अर्जित कर रहे हैं और निर्धन भी नहीं हैं।

महोदय, इसका भी उल्लेख किया गया है कि आर्थिक सुधार और पुनरूत्पादन की कोई भी नीति निरन्तर और व्यापक कृषि विकास के बिना सफल नहीं हो सकती है। हम यह जानते हैं कि जमींदारों की लाबी कृषि श्रम अधिनियम पारित होने नहीं देगी। हम पिछले पंद्रह वर्षों से इसे लागू करने की मांग करते आ रहे हैं। इस कानून का प्रारूप पांच बार तैयार किया गया और वर्तमान सरकार ने भी इसे तैयार किया है। परन्तु यह अब तक पारित नहीं हो पाया है। प्रधान मंत्री ने इसे वर्तमान सत्र में पारित करने का वादा किया था परन्तु इसे वर्तमान सत्र में भी नहीं लाया गया है। हम यह जानते हैं कि 'कुलक' लाबियां इस विधेयक जो कि निर्धन लोगों के हित में है, के पारित होने का विरोध कर रही हैं ताकि वे अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति कर सकें। इसी तरह के प्रयास चल रहे हैं।

महोदय, इस नीति के तहत कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का निदेश दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सब किस तरह से किया जा रहा है। यह भी उल्लिखित है कि किसानों की आय बढ़ाने के मार्ग में सभी नियंत्रणों और विनियमों की तत्काल समीक्षा की जाएगी और अनावश्यक पाए जाने पर इन्हें रद्द कर दिया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस नीति की जांच करने और तदनुसार इसे तैयार करने के लिए कोई तंत्र भी गठित किया है।

> कृषि उत्पादों को लाने और ले जाने तथा इन उत्पादों के प्रसंस्करण पर नियंत्रण समाप्त किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को उनके कृषि उत्पादन पर उचित और लाभकारी मूल्य मिल सकें सभी उपाय किये जायेंगे।

यह मांग लम्बे समय से चली आ रही है। किसानों को अपने उत्पादों पर अच्छे मूल्य मिलने चाहिए। वे देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। कृषि के बिना हमारे देश में कुछ भी नहीं है परन्तु उन्हें अपने उत्पादों पर लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। महोदय, मैं पश्चिम बंगाल का हूं वहां लगभग साठ लाख जूट उत्पादक अत्यधिक परेशान हैं। जूट की कीमतें घट गई हैं। उन्हें अपने उत्पादों पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहे हैं और इसलिए वे इसकी मूल्य वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इसी तरह से कपास के मामले में ही देखिए। मैं राजस्थान गया था। वहां मैंने देखा कि व्यापक धरना और रास्ता रोको आंदोलन चलाए जा रहे थे क्योंकि कपास का कोई खरीददार नहीं था और उसे गोदामों में भरा जा रहा था। क्या कपास निगम सो रहा है जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए इसका कोई लाभकारी मूल्य निर्धारित करने उसी दर पर सरकार अथवा अन्य एजेंसी द्वारा इसका क्रय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस संबंध में सरकार की क्या नीति है? इस पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें।

> ग्रामीण ढांचे को बढाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण ढांचे का विस्तार करने और ग्रामीण कृषि की सहायता के लिए सरकार की क्या योजना है? मंत्री महोदय इसके बारे में बताएं। देश में 100 सर्वाधिक पिछड़े और निर्धनतम जिलों में ढांचागत विकास के लिए एक विशेष योजना चलायी जाएगी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन जिलों की पहचान कर ली गई है और क्या इस संबंध में मंत्रालय को कोई निर्देश दिया गया है। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि क्या इस संबंध में कार्य आरम्भ हो गया है अथवा नहीं।

> ग्रामीण ऋण प्रणाली का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि पांच वर्षों के भीतर ही कृषि और कृषि उद्योगों विशेषतः

> छोटे और सीमांत किसानों को ऋण की राशि दोगुनी की जा सके।

इस संबंध में ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को किस तरह से तैयार किया जाएगा? बैंक और वित्तीय संस्थान छोटे और निर्धन किसानों की बजाय सम्पन्न किसानों को ऋण देने के लिए तैयार रहते हैं। वे किसी आपदा में मदद नहीं करते हैं। इस संबंध में सरकार की क्या नीति है और वह कृषि के लिए विशेषतः छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण की राशि को दोगुनी किस तरह से करेगी?

> जल के बंटवारे और जल प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जायेगी ताकि देशभर में बार-बार आने वाली बाढ़ और सूखे से किसानों को बचाया जा सके।

हमने इस सभा में बाढ़ और सूखे के बारे में चर्चा की है। हमने देश को बाढ़ और सूखे से बचाने के लिए एक मास्टर योजना की मांग की है। जल प्रबंधन और जल के बंटवारे के बारे में सरकार की क्या नीति है?

> किसानों को आदानों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को व्यावसायिक दृष्टि से उन्नत किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें किसानों के स्वामित्व वाली सहकारिताओं में बदल दिया जाएगा।

मैं सहकारिता के बारे में सरकार द्वारा तैयार की गई नीति के बारे में जानना चाहता हूं।

> कृषि अनुसंधान और विस्तार संगठनों का समग्रतया पुनर्गठन किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, जैसे पशुधन के लिए जैव प्रौद्योगिकी और कृषि प्रसंस्करण के लिए प्रशीतन ग्रह, बनाए जाएंगे।

इस संबंध में सरकार की क्या नीति है? आज ही वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद/(सीएसआईआर) के/वैज्ञानिकों ने इसके कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। वहां हम उन्हें संबोधित करने गए थे। वे वैज्ञानिक हैं इसलिए उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे कृषि उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता करें परन्तु वे तो सड़कों पर आंदोलनरत हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसके अनुसंधान और विकास कार्य के लिए कोई नीति तैयार की है; यदि हां, तो वह किस प्रकार से इस प्रौद्योगिकी को लाएगी।

> कृषि श्रमिकों के लिए संसद द्वारा एक व्यापक कानून बनाया जाएगा ताकि उन्हें न्यूनतम मजदूरी, उपयुक्त कार्य स्थितियां, फसल बीमा और अन्य अधिकारों की गारण्टी दी जा सके।

हम कृषि श्रमिकों के लिए व्यापक केन्द्रीय कानून की मांग पहले से करते रहे हैं। सरकार ने इस सभा के समक्ष कृषि श्रमिकों के लिए व्यापक केन्द्रीय कानून लाने का वचन दिया है। सरकार द्वारा इस संबंध में घोषणा की जानी चाहिए।

> विधिक और प्रशासकीय खामियों को दूर करते हुए राज्यों को भूमि सुधारों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्यों से पट्टे के अधिकार के रिकार्ड सहित भूमि संबंधी रिकार्ड के संबंध में कानून बनाने के लिए कहा जाएगा। राज्यों के सहयोग से सिंचाई और कृषि विस्तार के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाएगी।

माननीय मंत्री कृपया यह बताएं कि सरकार संयुक्त मोर्चा द्वारा जारी किए गए इन मार्ग निदेशों को सरकारी नीति में किस प्रकार से लाएगी और वह इन्हें किस तरह से कार्यान्वित करेगी। कृपया बताएं कि सरकार निर्धन किसानों और कृषि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को किस तरह से सुनिश्चित करेगी। कृपया माननीय मंत्री यह भी बताएं कि वे पुरानी किसान विरोधी कृषि नीति के स्थान पर समुचित नई कृषि नीति किस तरह से तैयार करेंगे। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री अपने वक्तव्य के दौरान उन सभी मुद्दों पर भी प्रकाश डालें और मैं आशा करता हूं कि उनके भाषण से हमें इस देश के लिए नई कृषि नीति की रूपरेखा का पता चलेगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण भाषण देने वाले वक्ताओं की सूची में नौ सदस्यों के नाम हैं और सभी सदस्यों के भाषण के बाद माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे जबकि हमारे पास समय बहुत कम है। यदि आप सभी सहमत हों तो हम प्रत्येक सदस्य के भाषण के लिए पांच-पांच मिनट नियत करेंगे। अब तक प्रत्येक सदस्य के लिए दस मिनट की अवधि नियत की गई थी जबकि सभी माननीय सदस्य 15-15 मिनट तक बोलते रहे। यदि आप सभी सहमत हों तो हम कम समय निर्धारित करेंगे। अन्य कुछ सदस्यों को शायद बोलने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : इसलिए मैं इस वाद-विवाद में भाषण देने वाले सभी वक्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया वस्तुनिष्ठ एवं संक्षिप्त भाषण दें।

[हिन्दी]

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) **:** सभापति महोदय, हमारे साथी अनिल बसु द्वारा नयी कृषि नीति पर जो प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा गांवों और किसानों में बसती है। लेकिन आज हमारे देश की आत्मा दुखी है, देश की आत्मा गरीबी और भूख के कारण रो रही है। जो किसान अन्नदाता कहलाता है, आज वही दर-दर का भिखारी है। जो खेत में हल चलाता है, जो अन्न पैदा करता है, छः महीने बाद उसके घर में अन्न का दाना नहीं होता। उसकी गरीबी और भूख का कारण, उसकी बदहाली का कारण उसके किये गए कर्मों का कारण नहीं हैं

बल्कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज देश का किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है, बदहाल है और दुखी है।

सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन उनकी कृषि नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सरकारों का किसानों के प्रति नजरिये में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज संयुक्त मोर्चे की सरकार दम भरती है कि किसानों की सरकार है और स्वयं प्रधाम मंत्री जी कहते हैं कि वह गरीब किसान के बेटे हैं, लेकिन उनके कार्यों से नहीं लगता है कि यह किसानों की सरकार है। संयुक्त मोर्चे की सरकार ने अभी तक ऐसा कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे हम कह सकें कि यह गरीब किसानों की सरकार है और गरीब किसानों के लिए काम कर रही है। हमारे कृषि मंत्री जी भी ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जो गरीब किसान, मजदूरों की पार्टी है और उन्हीं के संगठन के बल पर ही वे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कृषि मंत्री जी ने अभी तक एक भी काम किसानों के हित में नहीं किया।

सभापति महोदय : अभी उनको मौका दीजिए। अभी मौका हो कम मिला है।

श्री गंगा चरण राजपूत : हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता दिल्ली और बंबई की सड़कों से होकर नहीं गुजरता है। देश की खुशहाली का रास्ता देश के पौने छः लाख गांवों के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है।

आज देश की कुल आबादी का 80 फीसदी किसान देश के पौने छः लाख गांवों में बसता है जबकि देश की कुल 80 फीसदी आबादी किसानों की है तो सरकार के कुल बजट का 80 फीसदी किसानों पर खर्च भी होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार कुल बजट का 80 फीसदी किसानों के ऊपर खर्च नहीं करती है। सरकार खर्च करती है देश के उन महानगरों को दुल्हन की तरह सजाने के लिए, जिनमें देश के मुट्ठी भर लोग ही बसते हैं, जो किसानों का शोषण करते हैं।

अपराह्न 4.41 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ऐसी नीतियां बनाती है और वह इसलिए बनाती है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे गांवों की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए नहीं हैं। वे शहरों की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और उनकी जो मानसिकता है वह शहरों को दुल्हन की तरह सजाने की मानसिकता है, शहरों को खुशहाल बनाने की मानसिकता है। गांवों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है न गांवों की समस्याओं की ओर उनका ध्यान जाता है, वे गांवों से वाकिफ नहीं हैं। सरकार ऐसी नीतियां बनाती हैं कि हमारे खेतों में जो हरी-भरी फसलें खड़ी होती हैं वे फसलें पानी के अभाव में सूख जाती हैं, उनको पानी नहीं मिल पाता है। पकने के बाद वे मुरझा जाती हैं। लेकिन बड़े-बड़े महानगरों के पार्कों में जो कोमल घास लगाई जाती है वह घास न सूखने पाये इसलिए उनमें फव्वारे लगाये जाते हैं, वहां क्यारियों में रंग-बिरंगे गुलाब के पौधे लगाये जाते हैं और वे पौधे मरने न पायें इसलिए वहां पर फव्वारे लगाये जाते हैं। लेकिन किसानों की फसलों के लिए सरकार पानी मुहैया नहीं करा पाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज जरूरत है कि जो हमारे पौने छः लाख गांव हैं उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। जब तक उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं किया जायेगा, जिसकी कि किसान को आवश्यकता है जैसे-बिजली, गांव में पक्की सड़कें, सिंचाई के साधन, नहरें, ट्यूबवैल, छोटे-छोटे चैक डैम तालाब बनाये जाएं। किसान को हम थोड़ा बहुत सब्सिडी दे देते हैं। लेकिन किसान को बिजली नहीं मिल पाती है। किसानों को फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है। किसान की फसल को बाजार तक ले जाने के लिए पक्की सड़कें नहीं हैं। किसान को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। यदि किसान बीमार हो जाता है, उसके बूढ़े मां-बाप बीमार हो जाते हैं तो उसके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक हम किसान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम नहीं करेंगे तब तक गांव और किसान को खुशहाल नहीं बना सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज देश में 35 करोड़ हैक्टेअर भूमि बंजर है, जिसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। आज देश में जो बेरोजगार नौजवानों की संख्या 10 करोड़ से ऊपर पहुंचने वाली है। यदि इन बेरोजगार नौजवानों में यह भूमि वितरित कर दी जाए और उस भूमि के समतलीकरण के लिए कृषि योग्य बनाने के लिए सरकार पैसा खर्च करे और इस 35 करोड़ हैक्टेअर भूमि को बेरोजगार नौजवानों में पांच हैक्टेअर प्रति व्यक्ति के हिसाब से दे दे तो देश के सात करोड़ नौजवानों को हम रोजगार मुहैया करा सकते हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो इस 35 करोड़ हैक्टेअर भूमि में फसल पैदा होगी, यदि सरकार उस भूमि में समय से खाद, बिजली और पानी मुहैया कराये तो हमारे देश का किसान जो हमारे देश के ऊपर भारी विदेशी कर्जा है वह पांच साल के अंदर ही किसान के द्वारा चुकाया जा सकता है।

श्री कल्पनाथ राय : कितना कर्जा है?

श्री गंगा चरण राजपूत : एक व्यक्ति के ऊपर लगभग 6000 रुपए कर्जा है। राय साहब शायद मेरा इन्टरव्यू ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान के बेटे हैं और इस पार्लियामेंट में 53 प्रतिशत मैम्बर्स किसान परिवारों से चुनकर आए हैं लेकिन अफसोस की बात है कि आज यहां किसानों के बारे में एक प्राइवेट मैम्बर्स रिजोल्यूशन के जरिए चर्चा हो रही है लेकिन किसानों की समस्याओं को लेकर, उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इस सदन में चर्चा कम होती है। आज स्थिति यह है कि अगर किसान ऋण लेता है तो उसे स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ती है, अगर वह समय से अपने ऋण की किश्त नहीं दे पाता तो तहसील के अधिकारी उसे हवालात में बंद कर देते हैं लेकिन दूसरी तरफ, देश का

कोई पूंजीपति, जिसकी ओर अरबों-खरबों रुपए का कर्जा बाकी है, अगर वह कर्जा वापस नहीं करता है तो सरकार उसे हवालात में बंद नहीं करती-क्या यही गरीब किसानों की सरकार है? एक किसाम जब ट्रैक्टर के लिए ऋण लेता है तो उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है लेकिन जब कोई पूंजीपति अपनी फैक्टरी लगाने के लिए सरकार से कर्ज लेता है तो उसे अपनी प्रौपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ती-यह बड़े अफसोस की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में किसानों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? इसलिए अगर मैं इस सरकार को पूंजीपतियों की सरकार कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चेहरा भले ही बदल जाए लेकिन सरकार की नीयत में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अगर यह किसानों की सरकार है तो फिर किसानों को भी वैसी ही सुविधाएं देनी चाहिए, जो देश के पूंजीपतियों को सरकार की ओर से दी जाती हैं।

हमारा देश कृषि प्रधान हैं। यहां की 80 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसे देश में किसान की जब ऐसी दुर्दशा है तो हम देश को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। अगर किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो मजदूर को अच्छी मजदूरी कैसे मिल सकती है? अगर किसान की जेब खाली होगी, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं होगी तो एक व्यापारी का व्यापार भी नहीं चलेगा। इसलिए सब कुछ किसान पर निर्भर है। यदि किसान की जेब में पैसा होगा तो मजदूर को अच्छी मजदूरी मिलेगी और व्यापारी का व्यापार भी अच्छा चलेगा। आज जरूरत इस बात की है कि देश के किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाए जिससे यहां का व्यापारी भी खुशहाल हो सके और मजदूर भी खुशहाल हो सके।

अब मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार नई कृषि नीति सदन में लाए और कृषि को उद्योग का दर्जा दे जिससे कि किसानों को वे सभी सुविधाएं मिल सकें जो इस देश के पूंजीपतियों को मिलती हैं जैसे पूंजीपतियों को चौबीसों घंटे बिजली मिलती है, पानी मिलता है, सड़कें उपलब्ध कराई जाती हैं, स्कूल अस्पताल आदि की व्यवस्था की जाती है। ये सारी सुविधाएं किसानों को भी उपलब्ध करानी चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव है कि जब एक उद्योगपति कपड़ा तैयार करता है तो उसके दाम वह स्वयं तय करता है, कोई उद्योगपति जूता बनाता है तो उसके दाम स्वयं तय करता है लेकिन देश में किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अपनी फसल की कीमत तय नहीं करता। किसान फसल पैदा करता है लेकिन उसकी कीमत व्यापारी तय करता है। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे किसान को उसकी उपज की कीमत तय करने का अधिकार हो या किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। आज कृषि के काम आने वाले यंत्रों का मूल्य बढ़ रहा है, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर और सिंचाई के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन कृषि उपज के दाम नहीं बढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : राजपूत जी, अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री गंगा चरण राजपूत : बिलकुल कर रहा हूं। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि किसानों का जो कृषि उपज का लागत मूल्य बढ़ रहा है, उसके अनुसार उसकी उपज को भी सही कीमत सरकार अदा करे तथा सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज किसान कर्जे के बोझ से दब गया है। वह कर्जा अदा नहीं कर पा रहा है। उसस कर्जा वसूलने के लिए उसे बार-बार जेलों में डाला जा रहा है, फिर भी वह कर्जा जमा नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि ऐसे किसानों के कर्जे का ब्याज माफ किया जाएं और सिर्फ मूल ही वसूल किया जाए तथा अगले वर्ष किसानों को बहुत कम ब्याज की दर पर कर्जा उपलब्ध करवाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : थैंक्यू। बैठिए।

श्री गंगा चरण राजपूत : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि निरक्षरता का जो प्रतिशत है वह सबसे अधिक गांवों का है। आज एक प्रतिशत लोग भी गांवों में ग्रेज्युएट नहीं है। आज पूरे देश के किसानों की पृष्ठभूमि से कोई भी आई.ए.एस. या आई.पी.एस. नहीं है। क्योंकि पालिसी यही लोग बनाते हैं इसलिए जब तक किसानों के बेटे आई.ए.एस. और आई.पी.एस. नहीं बनेंगे तब तक किसानों के हित की नीति बनने वाली नहीं है। किसानों का दर्द कौन जानेगा, जो किसान का बेटा होगा, जो झोपड़ी में पैदा होगा, जो खेत में हल चलाता है, जो गाय-भैंस चराता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिए।

श्री गंगा चरण राजपूत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। सरकार प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले और हमारे बुंदेलखंड में, तो कृषि मंत्री जी जानते होंगे कि वह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हमारे यहां एक बहुत बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। यदि उसमें एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की कृपा करेंगे, तो मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक अहम मसले पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने साथियों से भी, खास कर श्री शुकदेव पासवान जी से क्षमा चाहूंगा कि मैंने उनके स्थान पर बोलने के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय से अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया और मेरे अनुरोध को उन्होंने मान लिया क्योंकि मुझे जल्दी जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग यहां पर कृषि नीति पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने मित्र श्री अनिल बसु साहब के प्रति विशेष तौर से अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कि इस प्रस्ताव को यहां प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप तो कह रहे थे कि आपको जल्दी जाना है, लेकिन आप तो पैसेंजर ट्रेन को गति से चल रहे हैं। जरा जल्दी बोलिए।

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेन शुरू में तो कम गति पर ही आरंभ होती है, लेकिन धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ती है।

संयुक्त मोर्चे की सरकार और इसके नेता आदरणीय देवगौडा जी और कृषि मंत्री आदरणीय चतुरानन मिश्र जी स्वयं किसान हैं और जैसा कि अभी-अभी हमारे भाई गंगा चरण राजपूत ने कहा और आंकड़े दिए कि इस बार इस संसद में शायद पहली बार देश के किसानों के बेटे 54 से 55 प्रतिशत की संख्या में जीत कर आए हैं। संभवतः इस संसद में, देश के इतिहास में पहली बार इतना प्रतिनिधित्व किसानों को मिला है। देश की सर्वोच्च विधायिका यह संसद ही है और आज हम निश्चित रूप से चर्चा करके कृषि नीति के बारे में कुछ ठोस मार्ग मंत्री जी के सहयोग से भारत के किसानों के लिए प्रशस्त करेंगे। भारतवर्ष में 70 प्रतिशत लोग खेती और खलिहानों पर निर्भर करते हैं।

मैं समझता हूं कि इस देश की आबादी का 70 प्रतिशत भाग खेत और खलिहान पर निर्भर करता है, कृषि पर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर इस देश के बजट की अधिक से अधिक रकम खेत और खलिहान पर निर्भर करने वाली जनता पर खर्च होना चाहिए। जैसा कि संयुक्त मोर्चे की सरकार ने अपने बजट का 60 प्रतिशत भाग इस पर खर्च करने की शुरूआत की है। उसमें रूरल डैवलपमैंट भी है, सिंचाई भी है और कृषि भी है। यह एक बहुत अच्छी शुरूआत है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि अगर हम कृषि पर विशेष तौर पर ध्यान देने का काम करेंगे तो हमारे देश में जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है, हम लोग जो आर्थिक बोझ से दबे जा रहे हैं, विदेशी मुद्रा का कर्ज हमारे ऊपर जो रोज बढ़ रहा है, एक आदमी पर जो छह हजार का कर्ज है। यही नहीं जो आने वाला बच्चा है, जो मां के पेट में है, उवह भी कर्ज से दबा हुआ है। अगर हम कृषि पर ध्यान देने का काम करेंगे, हमारी जो एग्रीकल्चर पालिसी है, उसको शुद्ध करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस कर्ज से उभर सकते हैं। इस देश को कर्ज से उभारने का यही उपाय है। सरकार को चाहिए कि इन बातों पर ध्यान देने और अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने की योजना बनानी चाहिए। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक मैं नहीं समझता कि 70 फीसदी आबादी वाले लोग जो खेत और खलिहान में निर्भर करते हैं, उनकी रोजी और रोटी ठीक से चल सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : जो समय बढ़ाया गया था, वह पूरा हो गया है। पिछले हाउस में फैसला हो चुका है कि चार घंटे से ज्यादा किसी रैजोल्यूशन या प्राइवेट मैम्बर बिल पर बहस नहीं होगी। अगर एक घंटे के लिए बढ़ाना हो तो मैं अभी मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वे इंटरविन करें। उसके बाद वह जवाब दें क्योंकि बाकी बिल और रैजोल्यूशन रह जाते हैं। वे सब भी महत्वपूर्ण होते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक घंटा बढ़ाया तो फिर वह अगले सैशन में जायेगा। आप फैसला कीजिए कि क्या करना है? किसी भी हालत में यह चार घंटे से ज्यादा यह नहीं बढ़ पायेगा।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : एक-दो मिनट से क्या होगा? पहले पांच मिनट की बात तय हुई थी लेकिन उसमें भी पूरा नहीं होता। आप बताइये कि क्या करना है? आधा घंटा बढ़ाना है या एक घंटा बढ़ाना है।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : इनके कहने से कैसे बढ़ जायेगा?...**(व्यवधान)**

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) **:** यह रैजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो जाये चाहे कितनी भी देर आप बढ़ायें।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कैसे हो जायेगा। साढ़े पांच बजे आधे घंटे की चर्चा है। उससे पहले भी हो सकता है, अगर मिनिस्टर साहब जवाब दे दें और मूवर भी जवाब दे दे।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय, कृपया उन्हें यह संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कीजिए।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कैसे होगा? इसको कन्कलूड होने के बाद होगा।

(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत : यह रैजोल्यूशन महत्वपूर्ण है। इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम एक घंटा बढ़ाते हैं।

[अनुवाद]

अब, मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : महोदय, क्या मैं आज अपना संकल्प रख पाऊंगा? मैं इस मामले में आपका आश्वासन चाहता हूं ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए तो कर रहा हूं।

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। पहले आप मुझे बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोलिये।

श्री राम कृपाल यादव : मैं एक-दो प्वाइंट में अपनी बात समापत करता हूं। भारत वर्ष में तीन स्तर पर जल उत्पन्न होता है। पहला भूतल से, दूसरा वर्षा से और तीसरा भूमि के नीचे से। जब तक एक यूनिट नहीं बनाया जायेगा और इसको वितरित करने की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक मैं समझता हूं कि हमारी सिंचाई समुचित नहीं हो पायेगी। जब तक आप इसको एक यूनिट मानकर नहीं चलेंगे तब तक मैं समझता हूं कि कोई भी देश कृषि में तरक्की नहीं कर सकता।

अपराह्न 5.00 बजे

दूसरी बात यह है कि इसे आकर्षक बनाना पड़ेगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। जब तक इसमें आकर्षण नहीं बढ़ेगा, नौजवान भागीदार नहीं होंगे तब तक यह आगे नहीं बढ़ सकती। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री यादव, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप ज्यादती कर रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : इन्हीं शब्दों के साथ मैं संयुक्त मोर्चे की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।...**(व्यवधान)** उन्होंने किसानों के प्रति जो काम शुरू किया है, आगे भी इसी तरह का काम करेंगे ताकि इस देश के किसान आगे बढ़ सकें और कृषि में आकर्षण हो।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, धन्यवाद।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कई बार धन्यवाद कह चुका हूं। आप बैठिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं इसी अनुरोध के साथ आपके प्रति, मंत्री जी के प्रति और सदन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष कुमार गंगवार : कृपया मुझे एक और मिनट तक बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, अब कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : मैं माननीय सदस्य श्री अनिल बसु का बहुत आभारी हूं कि वे इतने महत्वपूर्ण विषय को इस सदन में लाए हैं। मैं उन तमाम माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने ऐसे सुझाव दिए हैं जो कारगर भी हैं। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि कृषि नीति के संबंध में सदन के सभी दल के लोगों की करीब-करीब एक तरह की ही सोच है कि कृषि की तरक्की की जाए। इसमें लगभग सभी दलों में एकमत है। सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है कि हमारे बी.जे.पी. के मित्र भी कह रहे हैं कि लैंड सीलिंग को सख्ती से लागू कीजिए। जब देश में इस तरह की बातें उठ रही हैं कि सीलिंग कानून तो हटा दिया जाए तब यदि सदन ऐसा विचार रखता है तो उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यदि आप एकमत हैं तो हम जरूर आपके साथ हैं और किसी भी हालत में लैंड सीलिंग को नहीं तोड़ेंगे, उसे रखेंगे।

जो प्रस्ताव वे लाए हैं, वह कृषि नीति के संबंध में हैं। इस सदन ने और दूसरे सदन ने 1995 में ही उसे डिस्कस किया था। उसमें काफी सुझाव आए थे। उन सुझावों के आलोक में हमने तैयारी की है कि इसे नया बनाकर आपके सामने रखेंगे।...**(व्यवधान)**

श्री गंगा चरण राजपूत : क्या शहर में सीलिंग लागू करेंगे?

श्री चतुरानन मिश्र : शहर हमारा विषय नहीं है। जो हमारा विषय नहीं है वह आप पूछते हैं। आप हमारे विषय के बारे में पूछेंगे तभी हम जवाब देंगे।

मैं अपने मित्र श्री बसु और श्री हन्नान मोल्लाह का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पहली नीति भले ही कमजोर हो सकती है लेकिन उसमें भी यह था कि स्माल और मार्जिनल फार्मर्स को तरजीह दी जाए।

[अनुवाद]

> "मद संख्या 2 : भारतीय कृषि मूलतः छोटे और सीमान्त किसानों के प्रयासों पर आश्रित है। तत्पश्चात इस नीति को इस तरह से लागू किया जाएगा ताकि वे अपनी ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में लग सकें।"

[हिन्दी]

यह पहले भी था।...**(व्यवधान)** हमने कहा कि कांग्रेस के लोग, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, उनमें भी यह बात थी। इसलिए हमने कहा कि यदि आप सब मिलकर चाहते हैं तो यह अच्छी बात होगी।

सरकार के जितने भी संबंधित विभाग हैं, उनकी भी राय आ चुकी है। प्लानिंग कमिशन की राय अभी नहीं आई है, आ जाएगी। इसके बाद हम स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस बुलाएंगे क्योंकि यह स्टेट सबजैक्ट है। उनसे राय लेने के बाद एग्रीकल्चर पॉलिसी को

फाईनलाइज करेंगे। शायद हाउस हमको अनुमति देगा कि आप इसे करें। जब हम इसे कर ही रहे हैं तो आप प्रस्ताव ले आए हैं। दोनों एक ही विचार के हैं। यदि आप चाहें तो हम प्रस्ताव पास कर सकते हैं। हमको एतराज नहीं है। लेकिन यदि आप समझते हैं कि सरकार कर ही रही है इसलिए इसे पास नहीं करना चाहिए तो यह आपकी खुशी है।...**(व्यवधान)**

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) **:** आप आश्वासन दे दें तो वे विदड़ा कर लेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : यह आपकी खुशी है।...**(व्यवधान)**

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं।...**(व्यवधान)** मंत्री जी से एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यदि बिल रह जाएगा तो मुझे गिला नहीं करना।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से यह समाप्त नहीं होगा।

श्री चतुरानन मिश्र : एक सवाल माननीय ने गैट का उठाया है कि गैट के आने के बाद किसानों के परम्परागत अधिकारों की सुरक्षा का क्या होगा? इस बारे में दो राय प्रकट की गई हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम लोगों को गैट से ज्यादा फायदा होगा और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, विपरीत होगा। मैं इस बात पर नहीं जाता हूं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि फार्मर्स के राइट्स का प्रोटैक्शन होना चाहिए, इस पर हम लोग एक हैं। हमने बिल ड्राफ्ट कर लिया है और अगले सप्ताह हमारा मंत्रालय उसको लॉ मिनिस्ट्री भेज देगा। मैं आपकी इस चिन्ता को दूर कर रहा हूं कि किसी भी तरह से हम विदेशियों के हाथ में अपने किसानों को असुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। दूसरा काम इस सिलसिले में जो हम कर रहे हैं, वह यह है कि आज का युग नए विज्ञान का युग है। इसमें साइंस का महत्व बहुत बढ़ गया है और इसमें भी एग्रीकल्चर साइंस का महत्व बहुत बढ़ गया है। ऐसा अन्दाजा लगाया जा रहा है, अगली कुछ दशाब्दियों में बायो-टैक्नोलोजी, जैनेटिक इंजीनियरिंग इतने प्रमुख हो जायेंगे कि विदेश व्यापार का 60-70 प्रतिशत वे ही लोग करेंगे। इसका मुकाबला करने के लिए हमने यह तय किया है कि हमारे जो रिसर्च इंस्टीचूशन्स हैं, वहां जो काम होता है और जो हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च युनिवर्सिटीज हैं या कालेजेज हैं, उनका स्तर कैसे ऊंचा किया जाए। इस बारे में हम जल्द से जल्द विद्वानों से सम्पर्क करके एक एक कमेटी बनायेंगे और 16 तारीख को हमारे विभाग की कन्सलटेटिव कमेटी हो रही है। माननीय सदस्यों से हम ठोस विचार लेंगे। दूसरे एक ही विषय के लिए अनुसंधान में जो अलग-अलग खर्च करते हैं, उसको को-आर्डिनेट कर देंगे, ताकि कम पैसे में ज्यादा अनुसंधान किया जा सके। हो सकता है, इसके लिए हम कुछ पैसा भी मांगें। पैसा इसलिए कि अनुसंधान कैसे बढ़ाया जाए।

किसान समाज में परिवर्तन हो रहा है। आज दसवीं कक्षा या 10+2 तक शिक्षा प्राप्त लोग बड़ी तादाद में खेती की तरफ आ रहे हैं। वे मैकेनाइज्ड खेती चाहते हैं। उनको हल जोतने के लिए कहेंगे, तो नहीं जोतेंगे, लेकिन ट्रैक्टर चलाने के लिए कहेंगे या पावर टिल्लर चलाने के लिए कहेंगे, तो करेंगे। जो नया वर्ग आ रहा है, उसको तैयार करने के लिए हम समझते हैं कि सैकेण्डरी से ही कुछ न कुछ कृषि के संबंध में शिक्षा देंगे, ताकि वे आगे चलकर मैदान में कूद सकें। मैं इसके प्रयास में लगा हूं।

सबसे बड़ा काम, जिसको आप लोगों ने चर्चा भी की है, यह है कि अन्न के मामले में यह राष्ट्र परिपूर्ण है और इतना अन्न देश में पैदा हो कि हम विदेश भी भेज सकें। मैं पिछली सरकार की आलोचना में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे यहां जो उत्पादकता है, उसकी तुलना अगर हम जापान से करें, तो चौथाई है। पंजाब, हरियाणा की बिहार और बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से तुलना करेंगे, तो वह आधी ही बैठती है या थोड़ी सी इससे कम।

श्री कल्पनाथ राय : चाइना।

श्री चतुरानन मिश्र : चाइना को छोड़िए। मैं जापान की कह रहा हूं, आप चाइना की कह रहे हैं। तुम ज्यादा जानते हो चाइना को। मैं अपना हिसाब बता रहा हूं, अपने मुल्क में क्या हो रहा है, इसके बारे में बता रहा हूं। पंजाब और हरियाणा का आधा अगर उधर हो जाए, तो हम आसानी से अन्न का इन्तजाम कर लेंगे।

वह एरिया 70 प्रतिशत है। पंजाब, हरियाणा, जहां ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है वह 30 प्रतिशत है। हमारा 70 प्रतिशत बाकी है उसके लिए हम कार्यक्रम बना रहे हैं। राजपूत जी को जो चिन्ता है कि हमने कोई भी कदम नहीं उठाया है उसकी हम चर्चा करेंगे।...**(व्यवधान)**

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) **:** यह 20 और 30 प्रतिशत वाला जो पंजाब, हरियाणा है उसको आप पीछे तो नहीं कर देंगे, 70 प्रतिशत को उठाने के लिए।...**(व्यवधान)** उनको भी साथ उठाया जाए, साथ रखा जाए।...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : आपको हम कई बार कह चुके हैं, हम फिर दोहरा देते हैं कि बिना पंजाब और हरियाणा की उपेक्षा किए हुए उनकी सारी सुविधाओं को बरकरार रखते हुए यह जो 70 प्रतिशत बाकी है इसको हम ऊंचे स्तर में ले जाने के लिए सारे प्रयास करेंगे। हमारा यह दृष्टिकोण होगा कि यह अगर 70 प्रतिशत हमको अन्न दे दें, अगर हम बंगाल वालों को कहते हैं कि बहुत तरक्की कर रहे हैं तो हमारा प्रक्योरमेंट कर दें, बिहार वाले कर दें तो हम इस तरफ से लेकर नार्थ ईस्ट को खिला देंगे, तब हमको हरियाणा से लेकर के उतना रेल का भाड़ा नहीं चुकाना पड़ेगा, तब हम वहीं से उड़ीसा से लेकर के साउथ को भी दे देंगे और हम उनको चौपर फुडग्रेन देंगे और नार्थ ईस्ट में भी चौपर फुडग्रेंस देंगे। हरियाणा को हम एक्सपोर्ट के लिए सुरक्षित कर लेंगे तो हमारा काम बहुत आसानी से चल सकेगा। यह हमारी

स्ट्रेटजी है, इसको हमने आपके सामने रखा है। हमने जो शुरू किया है वह हम आपको बता रहे हैं।

पहला कदम हम यह कर रहे हैं जो तमाम किसानों के लिए है कि उनके प्रत्येक पंचायत की भूमि की सायल टेस्टिंग करवा रहे हैं। हमने बिहार में यह काम शुरू कर दिया है। उड़ीसा में हमारी टीम चली गई है। मध्य प्रदेश के एक इलाके इंदौर में शुरू कर किया है। बंगाल में हम स्वयं गए हुए थे और वहां जो सबसे बड़ा जिला मिदनापुर है उसके लिए हमने कहा कि हम सेंट्रली करा देते हैं, बाकी वे लोग स्वयं करेंगे।...**(व्यवधान)** आपने कहा कि छोटे एरिया के लिए नहीं किया। हमारा सबसे पहला काम होगा, हम आपको यह बता दें कि अगर यह सायल टेस्टिंग हो जाती है तो हमारे गरीब लोग बुझ जाएंगे कि कितना खाद लगाएं, कौन सी खाद लगाएं, नहीं तो खेत ऊसर जाएगा और हम कौन सी उपज लगाएं, कौन सी उपज अच्छी होगी, ये सारे सायल हैल्थ कार्ड हमने छपवा दिए हैं। उनके घर-घर हमारे वैज्ञानिक जाएंगे। गांवों में टेस्टिंग होकर उनको वहीं पर दे देंगे कि यह आपके खेत का रिजल्ट है। यह काम हमने शुरू किया है।

महोदय, हमने माननीय सदस्यों को पहले ही सूचित किया है कि हम हरेक जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलना चाहते हैं। देश के सबसे पिछड़े हुए 100 जिलों की सूची हमने दो महीने पहले प्लानिंग कमीशन को दे दी है कि आप हमको अनुमति दीजिए। हम एडवांस मांग रहे हैं, हम अपना खर्चा उसी रुपए में चला लेंगे। हमने कहा कि आप हमको 36 करोड़ रुपया एडवांस दीजिए, यह अगले एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी इस समय अगर हम 100 जिलों को इस बजट में कवर कर लेते हैं तो अगला बजट जब होगा तो उसमें हम सारे देश को कवर कर लेंगे। एक-एक कृषि विज्ञान केन्द्र हम सबको देंगे। हमारी बात डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन से हुई थी। उन्होंने कहा कि फाइनेंस में गया है, ज्यों ही मिल जाता है,...**(व्यवधान)** आप हमें पहले पूरा करने दीजिए। ...**(व्यवधान)** हमने यह तय किया है कि हरेक जिले में, हमने पूरे राष्ट्र का हिसाब लगाया है कि कितनी किस-किस बीज की जरूरत होगी। हमारे पास दो कार्पोरेशंस हैं। उनका हम हरेक जिले में एक डिपो खुलवा देंगे और प्रत्येक ब्लाक में हमारा अगला कदम होगा कि वह डीलर रहे और जो बीज है वह मौके पर ही प्राप्त होगा कि जहां चाहे वहां पर ले लें। वह हाई यिल्डिंग सीड्स रहेगा। उससे उपज बढ़ जाती है तो हमारे छोटे किसान की भी उपज बढ़ जाएगी। इसके लिए हमने प्लान बनाया है। हम आपको बता दें हमारे प्रो. रासा सिंह जी ने सब्सिडी के बारे में कहा।

कल हमारे पास सब्सिडी के बारे में वर्ल्ड बैंक की टीम आई। वर्ल्ड बैंक सब्सिडी के बारे में बहुत चिंतित है। हमने उनको एक आल्टरनेटिव परपोजल दे दिया है। वे फरवरी-मार्च में आकर तय करेंगे। हम बिना मूल्यों को बढ़ाए हुए सब्सिडी कम करने के पक्ष में हैं। आपने आज के अखबार में इसे देखा होगा। आपमें से कई सदस्यों को भ्रम है-मुझे यह कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि माननीय सदस्यों को भ्रम नहीं हो सकता है भ्रम तो सरकार को हो सकता है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि सब्सिडी किसानों को नहीं मिल रही है। इस बारे में मैं दो मिनट और कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि बिजली में सब्सिडी दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली का पी.एल.एफ. बहुत नीचा है, बिजली की चोरी बहुत होती है। अगर हम दस वर्ष में केवल पांच प्रतिशत बिजली की चोरी घटा दें तो किसानों को जितनी सब्सिडी देते हैं वह पैसा अपने आप मिल जाएगा। सब्सिडी देते हैं चोर को और कहते हैं कि किसानों को दे रहे हैं। हमारे देश में यूरिया का दाम उस यूरिया से जो हम विदेशों से मंगाते हैं तीन से चार हजार रुपये प्रति टन कम है। हमको तो आप नहीं देते हैं विदेश वालों को सब्सिडाइज कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि किसानों को देते हैं।

आप लोगों ने चीनी की बात कही कि 800 करोड़ रुपये की सब्सिडी लगती है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र चीनी के केन्द्र हैं। महाराष्ट्र में कारपोरेशन इसकी रिकवरी करती हैं। वहां 10-11 प्रतिशत रिकवरी है और उत्तर प्रदेश में 9 से 10 के बीच में रिकवरी है। यह प्राइवेट सेक्टर में हैं। हमने वर्ल्ड बैंक वालों को कहा कि प्राइवेट सेक्टर वाले तो आपके दोस्त हैं, वे मुनाफा खा गये हैं, उनकी मशीनें खराब पड़ी रहती हैं जिससे रिकवरी कम होती है और इस कारण दाम बढ़ जाते हैं। उनके यहां चीनी का दाम चार रुपये पड़ता है और अगर हम रिकवरी को दुरूस्त कर लें तो चीनी के दाम बढ़ाए बगैर हम सब्सिडी को कम कर सकते हैं। मगर चीनी उद्योग का प्राइवेट सेक्टर बीमार बना हुआ है और यह उसकी ही जिम्मेदारी है। अब प्राइवेट सेक्टर ही सरकार को मजबूर कर रहा है कि वह नियंत्रण को न हटाए। वर्तमान सरकार से जो पहले सरकार थी उसने एक नीति निर्धारित की थी कि हम नियंत्रण को हटा देंगे और उसने ऐसा किया भी। यह सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही थी। लेकिन ज्यों ही वे लोग सुनते हैं कि नियंत्रण को हटाया जा रहा है तो बाजार में हंगामा मच जाता है कि गेहूं नहीं है, गेहूं नहीं है, तो हमको फिर वही कानून लागू करने पड़ते हैं। हमने वर्ल्ड बैंक को कहा कि भारत सरकार मार्केट के लिए फ्रैंडली हुई है।

[अनुवाद]

भारत सरकार बाजार के मामले में नर्म रवैया अपना रही है जबकि बाजार भारत सरकार के प्रति ऐसा रवैया नहीं अपना रही है।

[हिन्दी]

ये लोग ही सरकार को मजबूर कर दते हैं। इसी तरह से मैं प्रत्येक सब्सिडी के बारे में बता सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अनिल बसु कितना समय लेंगे, यह मुझे मालूम नहीं है। मैं उन्हें करटेल करना नहीं चाहता हूं, मैं पांच बजकर पच्चीस मिनट पर इसे समाप्त करना चाहूंगा।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने फसल बीमा के बारे में आपको पहले सूचित कर दिया है, जिसमें पंचायत को आधार बनाया जाएगा और उसमें छोटे और मझोले किसानों को लिया जाएगा। इस स्कीम को हमने वित्त-मंत्रालय को भेज दिया है। आपने मार्किट के बारे में कहा है जिसमें बिचौलियों का लाभ बहुत ज्यादा है।

जूट के बारे में इस सदन में एक कमेटी बन चुकी है। माननीय सदस्य उसके सदस्य हैं। उसकी जितनी जल्दी रिपोर्ट आएगी, उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। कॉटन के लिए उस हाउस में एक कमेटी बन गई है। मिडिलमैन प्राटि को रिड्यूज करके और जो सुझाव आएंगे, वे हम कर देंगे। वह हम आपके हाथ में दे रहे हैं। किसान महिलाओं की जो समस्याएं हैं, उनके लिए महिलाओं की कमेटी बन गई है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हम इसे करेंगे।

आपने चर्चा की कि बहुत सी डिग्रेडिड जमीन पड़ी हुई है। आप उस पर चर्चा कीजिए। अगर आप एकमत हो जाएं तो हम कोई फैसला कर सकते हैं। हमारे पास 19 मिलियन हैक्टेयर ऐसी डीग्रेडिड जमीन पड़ी हुई है। अगर सभी पार्टियां और विशेषकर वामपंथी पार्टियां राजी हो जाएं और हमको अनुमति दें तो रास्ता निकल सकता है। इससे करीब 20-25 परसैंट लोगों को रोजगार मिलेगा। हम उनको मालकियत नहीं देंगे और न ही प्रोपराइटरशिप किसी दूसरे को देने के पक्ष में है। वे हम सिर्फ गरीबों को देंगे। आप इस पर एकमत होकर विचार करेंगे तो हम इसे करने के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं होगा और हम उसे कर देंगे।

कोआपरेटिव के बारे में यहां चर्चा हुई। कोआपरेटिव के तमाम लोगों की एक कमेटी बना दी है। हमने उसमें करीब-करीब सभी दलों के लोगों को रखा है। उनका एक सुझाव आ गया है और एक सुझाव आने वाला है। हम कोआपरेटिव एक्ट में परिवर्तन जल्द से जल्द कर देंगे। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए बैंक वालों से कहा है। हमने वर्ल्ड बैंक वालों से भी कहा है। आप हमें इस बारे में आइडिया दीजिए। हमारे पास इसकी निश्चित फीगर्स नहीं है। इस क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। अभी इस बारे में कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। अगली योजना इस बारे में कुछ होगा। करीब 60 हजार करोड़ रुपया खेती और गांवों के मद में लगा देंगे यानी इसे डबल कर देंगे। अभी इस पर जो चर्चा कर रहे हैं, वह डबल कर देंगे ताकि वह उनके पास पहुंच जाए। ...**(व्यवधान)** अगर बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं तो किसानों पर भी टैक्स लगेगा ...**(व्यवधान)** आप बराबरी का दर्जा देने के लिए कह रहे हैं तो हमारी भी बात सुनिए। उद्योगों पर जो टैक्स लगता है, वह उन पर भी लगेगा।

माननीय सदस्य हन्नान मोल्लाह साहब ने कहा कि आप इस पर इनकम टैक्स लगाइए। यह स्टेट सबजैक्टस है। वैस्ट बंगाल इसे शुरू करवा कर दिखा दें। इससे सारे देश को रास्ता मिल जाएगा। आप इसे कीजिए। यह स्टेट सबजैक्ट है। हम इसे कैसे एनक्रोच कर सकते हैं? ...**(व्यवधान)** मैंने अभी कहा लेकिन आपने नहीं सुना। हमने 3-3 कमेटियां बना दी हैं। आप कुछ तय कीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन एक बात याद रखिए हम किसी चीज के इतने दाम नहीं बढ़ाना चाहते कि लोग भूखे मरने लगें। अगर दुर्भाग्य से ऐसा हो गया तो आप कॉलिंग अटैंशन ले आएंगे। गरीब लोगों का हिसाब-किताब देखकर हम काम करते हैं। हम रूई के दाम बढ़ा देंगे तो हैंडलूम वीवर्स मर जाएंगे। हम बिजली के दाम इतने बढ़ा देंगे तो लैंडलैस लोग मारे जाएंगे। एक संतुलन रखकर हम जितनी सबसिडी दे सकते हैं, उतनी देने के लिए तैयार हैं।

हम इस रैजोल्यूशन के खिलाफ नहीं है।

श्री रमेश चैन्नित्तला : एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

[अनुवाद]

श्री चतुरानन मिश्र : कृषि आधारित उद्योग मेरा विषय नहीं है। मैं इसके पक्ष में हूं ऐसा किया जाना चाहिए परन्तु समस्या समय की है और उद्योग एक मिनट में खोला नहीं जा सकता है।

[हिन्दी]

अगर आप चाहते हैं तो रैजोल्यूशन पास भी कर सकते हैं। हम लोगों पर भरोसा है तो छोड़ भी सकते हैं। आप जैसा चाहें, हम सदन के ऊपर छोड़ देते हैं। हम इस पर डिविजन नहीं चाहते। आपने एकमत से कहा है। हम एकमत से करने के लिए तैयार हैं। हमने आपसे समय मांगा है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स कांफ्रेंस की राय ले लें तो इसे कर देंगे। इस लिहाज से माननीय सदस्य इसे वापस ले लें तो भी धन्यवाद। वह अगर इसे रखेंगे तब भी धन्यवाद।

श्री संतोष कुमार गंगवार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहीं। उससे ऐसा लगा कि बहुत भारी परिवर्तन हो जाएगा। देश में 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। राष्ट्रीय आय में कृषि का औसत 40 वर्षों में 60 परसैंट से घटकर 30 परसैंट हो गया है।

और कृषि में भी 70 प्रतिशत लोग ही लगे हुये हैं तथा इनका वास्तविक कृषि क्षेत्र 4 प्रतिशत घट गया है। मेरे पास आंकड़े हैं और यह बता रहे हैं कि केन्द्रीय योजना में बजट की तुलना में 1991-92 में कृषि और सहकारिता का आबंटन 2.6 प्रतिशत था और 1996-97 में यह कम होकर 1.69 प्रतिशत रह गया है अर्थात् निरन्तर कम हो रहा है। कृषि अनुसंधान के लिये परिव्यय एक प्रतिशत होना चाहिये जबकि आठवीं योजना में मात्र 0.32 प्रतिशत रहा है। इसलिये मेरा मंत्री से आग्रह है कि इन बातों की ओर ध्यान दें।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने कह तो दिया कि 60 करोड़ का सोच रहे हैं और यह पहले ही बता दिया था।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संकल्प पर चर्चा में भाग लिया है। मैं माननीय कृषि मंत्री का भी आभारी हूं जिन्होंने नई कृषि नीति को तैयार करने के बारे में संयुक्त मोर्चा सरकार की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने यह भी कहा कि वे मेरे संकल्प से पूरी तरह से सहमत थे और सभा में इसे स्वीकृत किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सरकार भी इस सभा के समक्ष नई कृषि नीति लाने वाली है जोकि वर्तमान में तैयार की जा रही है। मेरे संकल्प पर समर्थन प्रकट करने के लिए मैं सरकार के साथ-साथ इस सभा के सभी वर्गों का हृदय से धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैंने इस संकल्प को इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि मैं पिछले दो-तीन वर्षों से कृषि क्षेत्र में निवेश में आई गिरावट के बारे में अत्यधिक चिंतित हूं। कृषि के विकास और खाद्यान्नों के उत्पादन में भी गिरावट आई है। ऐसी स्थिति पिछली सरकार की नई आर्थिक नीति के कारण उत्पन्न हुई। पिछले सरकार की समग्र नीति कृषि विकास का लाभ समृद्ध किसानों और व्यापारियों को पहुंचाना था। पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत नई कृषि नीति नई आर्थिक नीति का ही परिणाम था। उस समय यह सोचा गया कि व्यापारी वर्ग कीमतों की ओर ध्यान देंगे। उनका विचार था कि कृषि उत्पादों की कीमतें अधिक होंगी और कृषि क्षेत्र भी लाभकारी होगा। उन्होंने यह भी सोचा था कि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र अधिक पूंजी लगायेगा और उत्पादन भी बढेगा। उस समय यही सोचा गया था।

इसी उद्देश्य से श्री पी.वी. नरसिंह राव की सरकार ने कृषि विकास और सिंचाई, विद्युत, ढांचागत विकास, विपणन आदि जैसे सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक पूंजी लगाने के बारे में सरकार की भूमिका समाप्त कर दी थी। गत दो-तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास क्षेत्र में कम राशि आवंटित की गई। इसलिए यह हमारे देश के लिए चिंताजनक हो गया है। यदि हम कृषि उत्पादन में गिरावट को रोक नहीं पाएंगे और कृषि उत्पादन बढ़ा नहीं पाएंगे तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था के समक्ष समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या 90 करोड़ से भी अधिक है। हमें अपनी जनता के लिए खाद्यान्नों का प्रबंध करना है, हमे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है और अपनी जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इसलिए यदि कृषि क्षेत्र उपेक्षित है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निजी क्षेत्र की है, यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो अर्थव्यवस्था का यह अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र संभल नहीं पाएगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। इसलिए मैंने अपना संकल्प रखा है। अत मैं सभा के सभी वर्गों का हृदय से धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे संकल्प का पूरा-पूरा समर्थन किया है।

मेरे अच्छे मित्र श्री रमेश चेन्नित्तला की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में यह कहा गया है :—

> "नई आर्थिक नीतियों को अपनाने के परिणामस्वरूप देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता घटती जा रही है। कृषि क्षेत्र में निवेश कम होता जा रहा था उर्वरकों की खपत में अनुमानित मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही थी और सरकार की चुस्त मूल्य निर्धारण नीति के चलते उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके परिणामस्वरूप भूमि उत्पादकता और उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।"

यह योजना आयोग की मध्यावधि समीक्षा है। इसमें आगे कहा गया है :—

वर्ष 1995-96 में सर्वाधिक 186 मिलियन टन का कृषि उत्पादन रिकार्ड किया गया । इसके बाद देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता कम होती गई। वर्ष 1992 प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता घटकर 468 ग्राम प्रति दिन हो गई और इसके बाद 1993 में इसकी उपलब्धता घटकर 460 ग्राम प्रतिदिन हो गई।"

महोदय, हालांकि कुछ वर्षों से खाद्यान्न उत्पादन में थोडी वृद्धि हुई है तथापि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता घटती जा रही है। इस प्रकार यह पिछली सरकार की योजना आयोग द्वारा की गई मध्यावधि समीक्षा के कुछ अंश हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं भी उनके अधिकांश भाषण का समर्थन करता हूं। किन्तु उनके भाषण में कुछ भाग से मैं सहमत नहीं हूं। इस प्रकार 10 अथवा 11 क्षेत्रों पर और महत्व दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बसु जी कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अनिल बसु : महोदय, इस प्रकार हमारे 15 मिनट व्यर्थ गए है। अतः हम लोगों को 15 मिनट और दिए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके लिए दस मिनट थे। मुझे इसकी जानकारी है। किन्तु दूसरा प्रस्ताव भी पुरःस्थापित किया जाना है।

श्री अनिल बसु : महोदय, मैं श्री द्रोण को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ताकि वह अपना प्रस्ताव पुरःस्थापित कर सकें।

महोदय दस महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। निवेश में कमी को रोका जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने भूमि सुधारों के बारे में पहले ही कह दिया है। यह दिल्ली में 27 दिसम्बर 1995 को सम्पन्न हुई राजस्व मन्त्रियों के सम्मेलन की भी घोषणा है। उन्होंने कुछ नीतियां बनाई थी और उन्हें सारे देश में लागू किया जाना है। जब कभी भी हम भूमि सुधारों की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं—यह प्रधानमंत्री भी कहते हैं—

कि यह राज्य का विषय है। यदि यह राज्य का विषय है तब भी हम कुछ कर सकते हैं। हमने पंचायतों के बारे में संवैधानिक संशोधन किया है तथा पंचायतों के चुनाव कराने तथा निचले स्तर पर पंचायती निकायों को बनाने के लिए राज्यों को विवश किया है अतः भूमि सुधार के बारे में हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? यह देश की अर्थव्यवस्था के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम यह कहकर कि यह राज्य का विषय है इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। राजस्व मंत्रियों के समेम्लन में भी इस बारे में निर्णय लिया गया था। उन्होंने कुछ नीतियां बनाई हैं जिन्हें सारे देश में लागू किया जाना है किन्तु तीन राज्यों—पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा—को छोड़कर किसी राज्य ने भी उस नीति को लागू नहीं किया है। इतने सारे विकल्प क्यों है? अतः 27.12.95 को राजस्व मन्त्रियों के निर्णय को सारे देश में क्यों लागू किया जाना चाहिए।

गैर खाद्यान्न फसलों जैसे तम्बाकू कपास-मिर्च-मसालों आदि के मूल्यों में अब उतार चढ़ाव आ रहे है। गत दो-तीन वर्षों के दौरान कुछ उतार चढ़ाव आये हैं। इसीलिए गरीब किसानों को अत्यधिक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। अब हमारे देश की हालात यह है कि स्वतन्त्रता के 50 वर्षों के पश्चात भी ग्रामीण नुकसान में रहता है; कृषक हमेशा नुकसान में रहता है। जब वह अपनी पैदावार बेचता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है। जब वह किसी वस्तु का उत्पादन करता है तब भी वह नुकसान में रहता है। जब वह अपनी वस्तुएं बेचता है तो उसमें बहुत से बिचोलिए सम्मिलित होते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के बीच में बहुत सारी एजन्सियां होती हैं। उत्पादकों को अपने उत्पादन का वास्तविक मूल्य और वास्तविक दाम नहीं मिलता है। उपभोक्ताओं को भी कृषि क्षेत्र के उत्पादन का लाभ नहीं मिलता है । सारा लाभ बिचोलिय ले जाते हैं। उत्पादकों को दिए मूल्य और उपभोक्ताओं द्वारा दिए मूल्य में काफी अन्तर है। अतः हमारे देश में ग्रामीण हमेशा नुकसान में रहता है। चाहे वो किसी वस्तु को खरीदे या बेचे। विपणन सूचना होनी चाहिए। फसल बिना बहुत जरूरी है। फसल बिना क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह मात्र सहकारी अथवा बैंकों के माध्यम से ऋण देने के क्षेत्र में ही नहीं किये जाने चाहिए अपितु यह उन क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए जहां लोगों ने स्वयं अपना निवेश किया है। उन्हें भी फसल बीमा की सुविधा होनी चाहिए।

आज 50 प्रतिशत ऋण सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया जाता है। शेष 50 प्रतिशत उधार देने वालों द्वारा दिया जाता है। अतः इस शेष ऋण को भी पूरा किया जाना चाहिए।

बागवानी और पशुपालन दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जिससे लघु और सीमान्त कृषकों तथा गरीब वर्गों के कृषकों को लाभ हो सकता है। बागवानी क्षेत्र के लिए आबंटन को बढ़ाकर एक हजार करोड़ रु. किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपका क्या प्रस्ताव है?

श्री अनिल बसु : इस आबंटन का अधिकाश भाग वड़े व्यवसायिक घरों को जा रहा है। पूर्वी एशियाई देशों में बागवानी से गरीब किसानों को लाभ हुआ है। यहां भी बागवानी क्षेत्र के लिए उसी प्रकार की नीति अपनाई जानी चाहिए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास और विस्तार कार्य के लिए बजट आबंटन को कम किया गया है और उसे समुचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसा कि मंत्री महोदय ने पहले ही कहा है जैव प्रौद्योगिकी और जीन क्षेत्र...

उपाध्यक्ष महोदय : बसु जी आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आप अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं या नहीं?

श्री अनिल बसु : मैं एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। अन्त में मैं इस सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा जो कुछ भी कहा गया है उसे सदन के समक्ष कहना चाहता हूं। रोम घोषणा में यह कहा गया है :

> "खाद्यान्नों में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद बच्चों तथा महिलाओं में कुपोषठा की समस्याएं व्याप्त हैं। क्योंकि वे अज्ञानता गरीबी, अपर्याप्त भोजन बीमारियों और समय से पहले मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं "

देश में खाद्यान्नों के उत्पादन की पद्धति के बारे में भी इस पत्र में कहा गया है। गरीब वर्गों के लिए दालें प्रोटीन का मूल स्रोत माना गया है। इनके उत्पादन में भी गिरावट आई है। दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1961 में 69 ग्रा. थी जो 1995 में कम होकर 37 ग्रा. हो गई। गरीबों और ग्रामीणों को प्रोटीन के लिए एकमात्र उपलब्ध स्रोत दालें हैं जिससे उपभोग घटकर 23 ग्रा. हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : बसु जी, मुझे आधे घन्टे की चर्चा भी करवानी है। अब आपका क्या प्रस्ताव है?

श्री अनिल बुस : महोदय, अतः देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई कृषि नीति की तुरन्त आवश्यकता है। ताकि देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो, कृषि क्षेत्र में सुधार हो और कृषक लाभान्वित हो सके। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह भारतीय कृषि और कृषकों के हितों की रक्षा के लिए तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक नई कृषि नीति बनाए। सदन के सभी वर्गों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है तथा मंत्री महोदय ने भी वादा किया है कि वे भी इस संकल्प का समर्थन करते हैं और वह सदन के समक्ष नई कृषि नीति प्रस्तुत करेंगे। उन्हें मंत्री मण्डल की बैठक में इस पर निर्णय करना होगा। तत्पश्चात उन्हें इसे सदन के समक्ष लाना होगा तथा हमें इस पर चर्चा का एक मौका देना होगा। मंत्री महोदय ने सभी मुद्दों को नोट कर लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि संकल्प को न केवल सरकार द्वारा स्वीकार क्या है वरन सभा के सभी पक्षों द्वारा इसका समर्थन किया गया है। इसलिए मैं सकंल्प को स्वीकार करने के लिए जोर न देकर इसे वापिस ले रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस बात से सहमत है कि श्री अनिल बसु द्वारा रखे गए संकल्प को वापिस ले लिया जाए?

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

अपराह्न 5.38 बजे

अवैध आप्रवासियों के बारे में संकल्प

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

> "कि यह सभा 1975 से देश में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध आप्रवासन पर गहरी चिंता व्यक्त करती है और यह सिफारिश करती है कि उन सभी अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें उनके मूल देश को विवासित करने हेतु ठोस कदम उठाये जायें।"

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इस कारण दिया है कि हमारे बड़े देश में इस समय विदेशों से आये हुए लोगों के कारण बहुत बड़ी समस्याओं का निर्माण हो रहा है। हमारा देश पहले ही लगभग 95 करोड़ की आबादी का है और ऐसे देश में जहां अपने ही लोगों को हम रोजगार के साधन नहीं दे सकते, अपने लोगों के जीवन-स्तर को उपर नहीं उठा सकते, उस देश में लगभग ढाई करोड़ लोग दूसरे देशों से अवैध रूप से आकर यहां रहेंगे तो उसके दूरगामी परिणाम हमारे देश के लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने, उनको रोजगार प्रदान करने, देश की सुरक्षा की चिंता करने और देश में अन्यान्य कारण से जो विदेशी अवैध रूप से आ जाते हैं और उनके कारण देश की सुरक्षा के लिए जो संकट उत्पन्न होता है उस कारण मैं पूरे सदन में यह प्रस्ताव कर रहा हूं और सब सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इसमें बिना राजनीति और दलगत भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में चिंतन करते हुए और दलीय राजनीति के हितों को परे रखते हुए इस पर सदन में अपने विचार व्यक्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय : द्रोण जी, आप बाद में कांटीन्यू कीजिए।

श्री आई.डी. स्वामी (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अब 6.00 बजने वाले हैं, आधे घंटे की शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी होनी है लेकिन मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण रिजौल्यूशन आज के एजेंडा में है जो उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल के निर्माण से संबंधित है। मेरी अर्ज है कि यह डिस्कशन तो आगे जाना ही जाना है, अगर मेरा रिजौल्यूशन भी मूव करने की आप अनुमति दे दें तो उस पर भी आगे चलकर सदन में बहस हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक टाइम में एक रिजौल्यूशन ही मूव हो सकता है, वो नहीं हो सकते।

श्री आई.डी. स्वामी : अगर हाउस चाहे तो दूसरा भी हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम हाफ-एन-ऑवर डिस्कशन पर आ चुके हैं।

श्री आई.डी. स्वामी : मेरी अर्ज है कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने उत्तरांचल के संबंध में स्पष्ट घोषण की थी। मेरा रिजौल्यूशन उसी से संबंधित है ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, आप बैठिए। दो रिजौल्यूशन एक साथ मूव नहीं हो सकते।

श्री आई.डी. स्वामी : अगर हाउस चाहे तो हो सकते हैं। ऐसा प्रिसिडैंट भी रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हाफ-एन-ऑवर डिस्कशन को होने दीजिए।

अपराह्न 5.41 बजे

आधे घंटे की चर्चा

जनजातीय लोगों के लिए कल्याणकारी योजना

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, जिस दिन यह प्रश्न सदन में उठा था, माननीय मंत्री जी ने बड़ा लम्बा-चौड़ा जवाब देकर सदन को संतुष्ट करने का प्रयास किया था। उसके बाद एक विवाद उठ खड़ा हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनेक सदस्य उत्तेजित भी हो गए और अपने-अपने प्रश्नों के उत्तर लेने को कोशिश करने लगे। उसी क्रम में, आज मैं इस चर्चा को उठाते हुए कुछ सवाल आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। मंत्री जी, जिस विषय को हम यहां उठा रहे हैं, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संदर्भ में, उस पर आप विस्तार से उत्तर देकर सदन को संतुष्ट करेंगे। आपने कुछ शब्दों में यह स्वीकार किया था कि पूरे राष्ट्र के पैमाने पर जो राशि केन्द्र से राज्यों को भेजी जाती है, कहीं उसका मिस-यूटिलाइजेशन होता है, कहीं उसका डाइवर्जन होता है और कहीं-कहीं पूरे का पूरा गबन भी होता है। यह मुद्दा शायद उस दिन भी आपके मस्तिष्क में नहीं आया होगा। आज प्राथमिकता के रूप में ट्राइबल डैवलपमेंट के लिए जो पैसा आप निर्धारित करते हैं, बड़ी योजनाएं रेखांकित करते हैं लेकिन जब मैं कल्पना करता हूं तो पाता हूं कि भारत सरकार की कार्य-पद्धति आंकड़ों पर आधारित होती है और उसका अध्ययन कार्य

सैटेलाइट से किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या देहात में रहने वाले गरीब की भूख का पता भी आप सैटेलाइट से लगा सकते हैं, उसके पेट के घेरे का अंदाज सैटेलाइट से लगा सकते हैं कि वह कितना भूखा है-आप सैटेलाइट से उसका पता नहीं लगा सकते। भारत सरकार की सबसे बड़ी कमी यही है कि वह आंकड़ों पर आधारित रहती है, प्रतिवेदनों पर आधारित रहती है, सैटेलाइट पर आधारित रहती है और सर्वे पर आधारित रहती है परन्तु धरती पर जो मूल तत्व हैं, जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से पैसा व्यय किया जाना है, उसके लिए आपको कोई मापदंड, कोई कंट्रोल नहीं रह जाता।

आज पूरे देश की 8 प्रतिशत जनसंख्या जनजाति लोगों की है, जिसमे 50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आठवीं पंचवर्षीय योजना आते आते जनजाति लोगों के विकास के लिए निर्धारित राशि कई गुना बढ़ाई गई है लेकिन उसके बावजूद इन गरीब जनजातीय लोगों की मौलिक हालत, उनका जीवन-स्तर, उनका रहन और खाने-पीने का स्तर, जीवन शैली, कल्चर और पूरे परिवेश में सम्पूर्ण रूप से प्रतिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता।

मूल प्रश्न पर आने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने इस संबंध में जितनी योजनाएं बनाई हैं, विशेषकर जनजातीय लोगों के विकास के लिए, जैसे मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले बच्चों को सरकार की तरफ से पूरी 100 फीसदी सहायता दी जाती है, हन्ड्रेड परसेंट ग्रांट/सैन्ट्रल एसिस्टैंस दी जाती है, उनके लिए बुक बैंक की स्कीम है जिसमें 50 प्रतिशत अंशदान केन्द्रीय सरकार करती है और 50 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकारें करती हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के सब विभाग मिलकर ट्राइबल सब-प्लान बनाते हैं, जिसे कार्यान्वित किया जाता है। ट्राइबल सब-प्लान में राज्य सरकारें भी अपना पूंजी-निवेश करती हैं और उसका 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र वहन करता है। इसके साथ-साथ इनके लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, जैसे आदिवासी छोटे बच्चों के लिए होस्टल का निर्माण आदि जितनी बड़ी योजनाएं हैं, जिनका विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में किया गया है, नेशनल शैड्यूल्ड ट्राइब्स डैवलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से कृषि विकास का कार्य किया जाता है, बागवानी विकास का कार्य किया जाता है, पशुपालन मछली-पालन आदि सभी योजनाएं केन्द्र में तैयार की जाती हैं, राज्य के स्तर पर ट्राइबल सब-प्लान की योजना बनाने के लिए आप यहां से धन उपलब्ध कराते हैं, किसी योजना के लिए आप 50 प्रतिशत राशि देते हैं और किसी योजना में पूरी सहायता आप देते हैं।

महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में ट्राइबल सबप्लान के नाम पर जो आपकी केन्द्रीय सहायता थी उसमें 1250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और उसमें से 330 करोड़ 1996-97 में देने थे। मैं एक राज्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं समझता हूं वैसी ही स्थिति सारे देश के अंदर अन्य राज्यों में होगी। मैं बिहार के विशेषरूप से दक्षिणी भाग जिसमें बिहार के 20 जिले आते हैं और जिनमें ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, जनजाति के लोग रहते हैं और गरीब लोग रहते हैं, उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसी परिस्थिति देश के सभी राज्यों में होगी। मैं यह उल्लेख इस परिवेश में कर रहा हूं जैसा कि सभी जानते हैं कि बिहार के इस संदर्भ में क्या हालात हैं और जैसी स्थिति आज बिहार में है, वैसी ही स्थिति मैं समझता हूं कि पूरे देश में होगी। बिहार के फायनेंश्यल स्ट्रक्चर से भी आप लोग अवगत हैं। बिहार के लिए गत वर्ष 2600 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई जिसमें से राज्य सरकार मात्र 750 करोड़ रुपए खर्च कर पाई।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में इसी तरह से आप केन्द्रीय योजना तय करके भेजते हैं और ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए कि 2600 करोड़ रुपए में से जब मात्र 750 करोड़ रुपए ही सरकार ने पूरे बिहार में खर्च किए, तो आप मुझे बताइए कि आपकी राशि का कितने प्रतिशत उन बीस जिलों में रह रहे आदिवासियों के बीच में गया होगा? क्योंकि प्लान हैड का पैसा तो उन जिलों में पहुंचता नहीं है और उनके अपने इंटरनल रिसोर्स हैं नहीं, तो फिर किस प्रकार से उन क्षेत्रों में आपकी योजना कार्यान्वित की जा सकेगी? मैं इस बात का जवाब लेना चाहूंगा। जो राज्य, प्लान एक्सपेंसेस पूरा नहीं कर पाते हैं, जो राशि आप निर्धारित करते हैं, वे उसको व्यय नहीं कर पाते हैं, जो सेंट्रल एलाकेशन आप करते हैं, वे उसको खर्च नहीं कर पाते हैं, तो किस प्रकार से आप उसको वहां पर खर्च करेंगे और जो राष्ट्रीय आंकड़ों के साथ आप उनको जोड़ना चाहते हैं, तो उसको आप राष्ट्रीय आंकड़ों के साथ कैसे जोड़ेंगे? यह बात मैं आपसे जानना चाहता हूं?

आपके सेंट्रल प्लान का कितना धन खर्च हुआ? आप मुझे यह भी बताइए की जब ऐसी स्थिति है, तो किस प्रकार से आपकी योजना उस क्षेत्र में कार्यान्वित की जा सकेगी? जो राज्य प्लान एक्सपेंडीचर पूरा नहीं कर पाते हैं, निर्धारित एलोकेशन को खर्च नहीं कर पाते हैं, तो आप उस क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय आंकड़ों के साथ कैसे जोडेंगे और कैसे यह कहेंगे कि इतने आदिवासियों को इस धन से लाभ हुआ या इतनी बढ़ोत्तरी हुई या इतना विकास हुआ? मैं यह सवाल आपसे जानना चाहता हूं? यह जो मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूं यह मूल प्रश्न प्रश्न नहीं है। यह तो बीच की पृष्ठभूमि है। यह मैं इस नजरिया से बता रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं ताकि उस क्षेत्र के बारे में मैं आपका नजरिया जान सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्न पूछने से पहले मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बिहार के बारे में जो चर्चा मैंने की है और सदन में यह बात हमेशा उठती रही है कि आदिवासी क्षेत्र में पैसे गए थे और एक-दो रुपए नहीं गए थे, केन्द्र के प्लान हैड से, ट्राबल सबप्लान के तहत आई.आर.डी.पी. के विकास के लिए, कुए खुदाई के लिए, चार के विकास के लिए, पशुपालन के विकास के लिए, मछली पालन के विकास के लिए, कुक्कुट परियोजना के लिए, भैंस खरीदने के लिए,

गाय खरीदने के लिए, चारा खरीदने के लिए, हजारों करोड़ रुपए केन्द्र सरकार ने अनुदान के रूप में राज्य सरकार को दिए। जो मैं आपसे मूल प्रश्न पूछना चाह रहा हूं वह आज पूरे देश के परिवेश में बिहार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज बिहार प्रान्त में उन आदिवासियों के लिए, उन 20 जिलों में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की अवैध निकासी कर ली गई। क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो एक हजार करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई, उसमें केन्द्र सरकार का कोई पैसा नहीं था? कुक्कुट पालन के नाम पर, मछली पालन के नाम पर, नई-नई नस्ल की भैंस खरीदने के नाम पर, चारा खरीदने के नाम पर, पशुओं के लिए दवाई खरीदने के नाम पर, एक-एक मुर्गी पर 40-40 किलो दाना एक-एक दिन में खाना बताया गया और एक-एक मुर्गी पर एक-एक दिन में पांच-पांच हजार रुपए खर्च करने बताए गए हैं।.

महोदय, वे आदिवासी लोग मुर्गी पालन करते हैं, वे आदिवासी लोग मछली पालन करते हैं। वे लोग देहातों में ये काम करते हैं, लेकिन वे कोई चारा खेत में नहीं उपजाते हैं। हजारों करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई। केन्द्र सरकार ऐसी परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है? आज पूरे देश की यह स्थिति है। नई नस्ल की भैंस खरीदने के नाम पर जिस तरह से फर्जी निकासी की गई और आपका उस पर जिस तरह से कोई नियंत्रण नहीं रहा। हालांकि आपने उस दिन कबूल किया कि यदि मैं अपनी बात रखूंगा, तो सारा देश, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, स्तब्ध रह जाएगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जिस भावना के साथ, जिस इच्छा के साथ हम इस सदन में बैठकर विचार-विमर्श कर रहे हैं, जो प्रश्न मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, बिहार जैसा प्रान्त, जिसके 20 जिलों में आदिवासी रहते हैं और ऐसी ही स्थिति पूरे देश में हो सकती है, तो आपके पास कौन सी व्यवस्था है कि हजारों हजार करोड़ों रुपयों की अवैध रूप से निकासी कर ली गई, उसको रोका जा सके? आई.आर.डी.पी. के नाम पर, आदिवासियों के विकास के नाम पर, कृषि विकास के नाम पर और छोटे ऋण देने के नाम पर सब लोगों से पैसे लिए हैं।

उस पैसे को अवैध रूप से निकाला गया। वनवासियों का, जनजातियों का कहीं विकास नहीं हुआ है और उस पैसे का गबन हुआ है। मैं तीन बिन्दुओं के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहला, केन्द्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है, उस पर आप किस प्रकार से अंकुश लगाते हैं और देखते हैं। किस प्रकार से आप उस पर पैसे का खर्च सही ढंग से करें, इसका आप किस प्रकार से निर्णय लेते हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो पैसा जनजाति के विकास के लिए जाना चाहिए था, मैं समझ सकता हूं कि वह पैसा दूसरे मद में खर्च हो जाये। सड़क का पैसा स्कूल में खर्च हो जाये। सड़क का पैसा करवट के निर्माण में हो जाये लेकिन उस निर्माण का पैसा, उस विकास का पैसा, होस्टल के निर्माण का पैसा, उस छात्रवृत्ति का पैसा अगर गबन कर लिया जाये तो भारत सरकार ऐसे परिवेश में क्या करती है? यह मैं जानना चाहता हूं क्योंकि आपका उसमें योगदान है। तीसरा प्रश्न यह है की भारत सरकार इन योजनाओं को, अगर ऐसी घटनायें घटी हैं, कई राज्यों में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। मेरे पास आंकड़े नहीं है लेकिन बिहार के बारे में स्पष्ट रूप से मैं जानता हूं। हजारों-करोड़ों रुपये जो पशु-पालन के नाम पर, जनजाति के विकास के नाम पर ट्राइबल सब प्लान में गया था, दक्षिण बिहार में गया था। उस हजार रुपये का जो गबन किया गया है, उसे रिक्वरी करने के लिए केन्द्र सरकार कौन से कदम उठाती है। मैं इन तीन प्रश्नों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जिस समय यह प्रश्न सदन में चर्चा में था, मंत्री जी ने बहुत सी बातें स्पष्ट रूप से कही थी जिससे बहुत सी बातें उजागर होती हैं। देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गये और अनुसूचित जनजाति के लिए हम जो करना चाहते थे, वह नहीं कर पाये। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जहां कहीं भी अनुसूचित क्षेत्रों की मांग की जाती है कि वहां से कोई प्रतिभायें आगे आयें, युवा आयें तो वह सभी खाली रह जाती हैं और लगता यह है कि जो सुविधायें, सहायता देने का काम हम करते रहे उसमें काफी मात्रा में कागजी काम रहा। मंत्री जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया, जो लोग सत्ता में रहे हैं, यह बात उन पर ज्यादा लागू होती है। मैं चाहता हूं कि आज यह काम न्यायालय कर रहा है। मंत्री जी इस सदन में इस काम को करें तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत वाह-वाही मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विशेष लम्बी बात न कहकर मंत्री जी से यह चाहता हूं कि वे दो-तीन बिन्दुओं पर अपने विचार निश्चित रूप से दें। वैसे मेरे भाई श्री रूडी जी ने इसमें सारी बातें कह दी हैं। परन्तु मैं चाहता हूं कि वे स्पष्ट जानकारी दें। पहला बिन्दु यह है कि कौन से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने उपयोग नहीं किया और जहां पर दुरूपयोग के स्पष्ट कारण नजर मे आये तो वहां केन्द्र के द्वारा क्या कार्यवाही की गयी क्योंकि चार योजनाओं में फिफ्टी-फिफ्टी परसेंट है। छः योजनाओं में पूरी सहायता आपके द्वारा दी गयी। इसके मौनटरिंग की केन्द्र द्वारा क्या व्यवस्था होती है? खाली आप प्रदेश के कहने पर ही सारा काम करते हैं। उसके बाद आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं कि प्रदेश जो कर रहा है वह ठीक कर रहा है। यूटीलाईजेशन हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो भी सही है। इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। तीसरा, मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में संभवतः अनुसूचित जाति के लोग भी काफी मात्रा में हैं। जो धन दिया गया है, उस धन की मात्रा बहुत कम है। क्या मंत्री जी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आवश्यकता कम है। उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर धन प्रयोग हुआ है उसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए जिससे उसके हिसाब से कार्यवाही हो सके।

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, मूल प्रश्न के संदर्भ में अभी यहां पर जो बातें रखी गयी हैं, उनके साथ मैं कुछ

और जोड़ना चाहूंगा। जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा होता है। जैसा कि मूल प्रस्ताव कर्ता ने कहा कि इसकी निगरानी को क्या व्यवस्था है। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। उन्होंने बिहार के बारे में कहा और संतोष जी ने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा। यदि ट्राइबल सब प्लान का पैसा उन आदिवासियों के लिए जहां खर्च होना चाहिए चाहे दवाई पर हो, शिक्षा पर हो, कहीं और खर्च करें जैसे भोपाल में भारत भवन जैसे भवन में कला और संस्कृति के नाम पर खर्च किया जाये तो आदिवासियों का कभी हित नहीं हो सकता। इसलिए मैं पूरा जोर देकर कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसकी निगरानी की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखकर मूल प्रश्न में उपस्थित करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों मैं मध्य प्रदेश के दौरे पर गया। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला जहां पर 95 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं वहा पर पिछले दिनों आदिवासियों के नाम पर केन्द्र सरकार द्वारा सिंचाई योजनाओं के नाम पर, तालाब के नाम पर कहीं अंशदान और कहीं शतप्रतिशत पैसा दिया गया।

लेकिन जहां पर तालाब बनना चाहिए था वहां पर तालाब है ही नहीं। पता नहीं वह तालाब वहां पर खोदा या नहीं। यदि इस तरह से आदिवासी के नाम पर दिया जाने वाला पैसा उन पर खर्च नहीं होगा तो मुश्किल होगा। इसलिए आज झाबुआ जिले के 95 प्रतिशत आविासी आजादी के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी घर छोड़कर छः महीने तक बाहर रोजगार के लिए भटकते रहते हैं। यदि यही व्यवस्था रही तो ठीक नहीं होगा। इन सब बातों के संदर्भ में क्या आप कोई ऐसी नीति तैयार करेंगे या कोई ऐसी योजना रखते हैं कि आप जो पैसा देते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो पैसा देता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो पैसा देता है या दूसरे मंत्रालय जो पैसा देते हैं, उस पैसे का सही उपयोग हो। क्या आप साथ बैठकर विचार करेंगे कि जितना पैसा आपने किसी राज्य को दिया है, उस राज्य ने उसका उपयोग ठीक से किया है या नहीं? अन्यथा मैंने झाबुआ के के बारे में कहा, ठीक वैसी ही हालत बस्तर में हो रही है। जहां समानान्तर सरकार चल रही है, आपके अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी वहां पर चिकित्सा नहीं है, सड़कें नहीं हैं, सिचाई की योजनाएं नहीं है। आश्रमों के लिए धनराशि दी गई, वहां अव्यवस्था है।

मैं अंत में एक और प्रश्न करना चाहूंगा। ...**(व्यवधान)**

जो स्वैच्छिक संगठन हैं, जिनको आप पैसा देते हैं, उनको पैसा देने का मानदंड क्या है। पिछले दिनों वर्ष 1994-95 और 1995-96 में स्वैच्छिक संगठनों को कितना पैसा दिया है? क्या सारे संगठन रजिस्टर्ड हैं? उनको पैसा देने का आधार क्या है? बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार आदिवासियों के विकास के लिए धनराशि तो मु हैया करा देती है लेकिन राज्यों ने उसका उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है या नहीं, इस बात की जांच कराने के लिए क्या सरकार सी.ए.जी. द्वारा, सी.बी.आई. द्वारा अथवा आयोग गठित करके पिछले पांच सालों में जितना ट्राईबल्स ऑफ प्लान या अन्य योजनाओं के अंतर्गत आपने जो पैसा दिया है, वह पूरा उनके विकास के लिए खर्च हुआ है या नहीं? ...**(व्यवधान)**

चौथी पंचवर्षीय योजना में 79.85 करोड़ रुपये आदिवासियों के विकास के लिए खर्च होते थे और आठवीं पंचवर्षीय योजना में उसे बढ़ाकर 18,119 करोड़ रुपये कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ट्राईबल्स के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्यों नहीं सफल हो पाया। जैसे आपका पार्थसारथी जो ट्राईबल रिसर्च सैंटर के उटक मंडलों के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा

[अनुवाद]

उपयोजना धारणा असफल नहीं हुई वरन इसको लागू नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

इन सारे कार्यक्रमों की प्रभावी कियान्विती कराने के लिए केन्द्र सरकार क्या कदम उठाने जा रही है और क्या फास्ट टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाकर इसकी समीक्षा करवाएगी?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपके अनैक्सचर सैकिंड 'ई' में लिखा है कि कुछ वौलंट्री ओर्गनाईजेशन्स को 1994-95 और 1995-96 में 10 करोड़ से ऊपर की रकम दी गई। वे कौन-कौन सी वौलंट्री ओर्गनाईजेन्स हैं, यदि उनके नाम अब आपके पास न हों तो बाद में सप्लाई कर दीजिए। कई ऐसी होती हैं जो बोगस होती हैं, सिर्फ दफ्तर का एक बोर्ड लगा होता है और कुछ नहीं होता।

अब आप जवाब दीजिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मैं मंत्री जी के एक सवाल का स्पष्टीकरण कर दूं। बिहार के मामले में सी.ए.जी. की जो रिपोर्ट है, मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा है कि मेरे पास कोई प्रमाण है या नहीं। सी.ए.जी. ने बिहार में पशुपालन घोटाले के बारे में पूरी रिपोर्ट दे दी है, जो पूरी आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है। आपने स्पष्ट रूप से पूछा इसलिए मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)** मैं फौडर स्कैम पर कह रहा हूं।

अपराह्न 6.00 बजे

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : श्री रूडी, श्री गंगवार, डा. लक्ष्मी नारायण पांडे, और प्रो. रावत, इन माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, उसमें एक फिक्रमंदी झलकती है कि जो धनराशि अनुसूचित जाति एवम् जनजातियों के विकास के लिए केन्द्र से दी जाती है, उसका सही उपयोग नहीं होता और उसको दूसरी तरफ भी

डाइवर्ट किया जाता है। श्री रूडो ने एक राज्य के बारे में गबन शब्द तक का प्रयोग भी किया। उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं एक मंत्री के रूप में और एक साधारण शहरी के रूप में यह तसलीम करता हूं कि अनुसूचित जनजातियों के प्रति समाज और सरकारों का रवैया संतोषजनक नहीं है। मिसाल के तौर पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं, अगर हम उसकी तह में जाएं तो असलियत कुछ और होती है। जब से मैंने इस मंत्रालय की जिम्मेदारी को सम्भाला है, मैंने बहुत ही नजदीक से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधियों से जो दोनों सदनों में हैं, उनसे मुलाकात की है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर जगह कहीं न कहीं इस तरह से रूकावट डाली जाती है जिससे इन लोगों को इन्साफ हासिल करने में भी रूकावट हो। जैसे पदोन्नति का मामला है। मैं सदन में कहना चाहता हूं कि मेरे पास यह भी शिकायतें आई कि अगर विदेश मंत्रालय में बाहर की पोस्टिंग करनी है तो इन जातियों के योग्य उम्मीदवारों को कई बरसों से आज तक नजरअंदाज किया जाता है। इसी तरह बैंकों के मामले में या वित्त के अन्य क्षेत्रों में अगर अच्छी पोस्ट पर बाहर जाना है तो उसमें भी इन जातियों का प्रतिशत नाममात्र का ही है। ये चीजें मेरे ध्यान में लाई गई हैं। यह बात ठीक है और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हम सब लोग एक झटके से इसे ठीक कर सकेंगे, ऐसा मैं भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं यहां इस पवित्र सदन में खड़े होकर कहना चाहता हूं कि अभी भी बहुत सी कमियां हैं, जिनको हमने देखा है, इसीलिए विकास की मात्रा में कमी है। इसलिए आपने जो कहा है मैं उसको गलत नहीं मानता।

हमने हाल ही में यह फैसला किया है जो राज्य पूरी राशि खर्च नहीं करता उसे डिसइंसेंटिव दिया जाएगा। इस कारण हमने इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव का फैसला किया है। जैसे बिहार राज्य में केन्द्र की तरफ से 1748 लाख रुपये दिए गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ 274 लाख रुपये ही खर्च किए। अब हमने उनको 274 लाख रुपये ही दिए। इस तरह से जो 15-16 करोड़ रुपया नहीं गया, उसका जिम्मेवार कौन है, निश्चित ही वही है जिन्होंने खर्च नहीं किया।

लेकिन हमने भी उसको रोक लिया। फिर संसदीय समिति और हमने भी सोचा कि अगर किसी राज्य ने पैसा खर्च नहीं किया और केन्द्र ने रुपया रोक लिया, डिसइन्सैन्टिव कर दिया, तो उससे नुकसान अनुसूचित जाति और जन-जाति का हो गया। इस बात पर दोबारा विचार किया गया। हमारी जो पहले स्कीम थी, जो राज्य पैसा नहीं लेते हैं, उस पैसे को अगले साल कम करके दूसरों में बांट दिया जाए। इस पर भी माननीय सदस्यों ने, संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि यह गलत है। हमने संसदीय समिति का सुझाव मान लिया कि हम आगे से पैसा नहीं काटेंगे, लेकिन जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो राज्य धनराशि खर्च नहीं करते हैं, उसके लिए ब्युरोक्रेसी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पोलिटिकल विल भी जिम्मेदार है। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं। विभिन्न राज्यों के माननीय सदस्यगण यहां पर उपस्थित हैं, यह उन्होंने सोचना है। विभिन्न शक्लों में विकास के लिए हम राज्यों को पैसा दे रहे हैं। मैं आपको एक बात और सूचित करना चाहता हूं, पिछले फंक्शन में जब सब को बुलाया गया था, उसमें एक सुझाव आया था। आपकी मेहरबानी से कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जाति और जन-जाति के विकास के लिए जितनी भी स्कीमें हैं, एक छोटी सी किताब तैयार कर दी है। वह हर सदस्य को मिल जाएगी।

प्रो. रासा सिंह रावत : अभी आई नहीं है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मुझे वह आज ही दिखाई गई है। जब मैं सदन में आने के लिए चला था, तब दिखाई गई थी। हफ्ते के अन्दर-अन्दर मैं बाई-पोस्ट सभी सदस्यों को, जो मांगे या न मांगे, भेज दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, एक बात और है। जो केन्द्रीय सहायता जाती है, स्टेट जितना खर्च करती हैं, उतना ही देते हैं और वह मैचिंग ग्रान्ट की सूरत में होता है। इससे उनका डबल नुकसान होता है। स्टेट अपने खर्च को बचाकर सेन्टर की एड में दिखा देती है। इस बारे में भी आप कोई रास्ता निकालिए।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : हमारा प्रतिशत 49 होता है, वे उसको 100 बनाकर दिखाते हैं, अपना हिस्सा नहीं डालते हैं। ऐसी बातें हमारे सामने आई हैं। सरकार के तौर पर दो चीजें हैं, जिनको अलहदा-अलहदा में माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि विकास हो। एक बात यह है कि गलती हो, चाहे अपनी गलती हो, लीपापोती करें और उस पर पर्दा डालें। मैं पर्दा डालने वाले हिस्से को आप सदस्यों के सामने रख रहा हूं। मैंने आपको अभी बिहार का आंकड़ा दिया है। बिहार के मुद्दे पर हम कहना चाहते हैं कि हमने बिहार सरकार से स्पैसिफिक इन्फार्मेशन मांगी है, बहुत से बिन्दुओं पर, लेकिन एक भी बिन्दु पर हमें अभी तक उत्तर नहीं मिला है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : कब मांगी है?

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : प्रैशर डालेंगे, जब जवाब आ जाएगा, तो मैं बताऊंगा। दूसरा प्रश्न, जिस पर आप माननीय सदस्यगण ज्यादा जोर दे रहे हैं, वह मुद्दा है मॉनिटरिंग का। महोदय, आपका भी इस बारे में जोर है। इस बारे में माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट के पास मौनिटरिंग के लिए कोई जोरदार तरीका नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत : कोई मैकेनिज्म होना चाहिए।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : क्यों नहीं है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको एन.जी.ओज. के बारे में भी बताऊंगा। हमारे पास जो स्कीमें हैं, उनमें हम किसी-किसी में 100 परसेंट देते हैं और किसी स्कीम में 50-50 अनुपात से जाता है। जो ग्रान्ट्स कान्स्टीच्युशनल प्रोवीजन है, आर्टिकल 275(ii) के मुताबिक देते हैं।

अभी हम ये मानते हैं कि ट्राइबल एरिया के लिए भी स्कीम बने। उसमें पांच प्रतिशत इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, मगर 95 प्रतिशत तो उनको सीधे, जिनको टारगेट ग्रुप कहते हैं, उनके विकास के लिए हो। अभी पिछली मीटिंग में, जब आप भी वहां तशरीफ लाए थे जब मैंने मीटिंग बुलाई थी। उसमें भी यही आ रहा था कि सड़क बना दी। उस पर कह दिया कि यह ट्राइबल के लिए है लेकिन 95 प्रतिशत दूसरे प्रयोग कर रहे हैं, यह गलत है।

महोदय, हमारा जोर पांच प्रतिशत इनफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चे का है। वह टारगेट ग्रुप उनके विकास के लिए सीधे होना चाहिए। मैं फिर आपको यह कहना चाहता हूं कि असली बात जो आप कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की बात गंगवार साहब ने कही और मोनिटरिंग की बात पांडेय जी ने बहुत जोर देकर कही। असली बात मोनिटरिंग की है। आखिर हम गणतंत्र में हैं। हम कुछ चीजें जो राज्यों के जिम्मे हैं उसमें सेंटर से दखल नहीं दे सकते लेकिन अब हमने थोड़ा सा तरीका शुरू किया है उससे हम सब बड़े-बड़े जो सीनियर आफिसर्स हैं उनको स्टेट की राजधानियों में 20 तारीख के बाद भेज रहे हैं। मैं कुछ स्टेट्स में खुद जाऊंगा ताकि जो-जो पैसा हमने यहां से भेजा है उनका विशेष तौर पर जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति है उनके लिए जो-जो हमने स्कीम्स बनाई हैं उनके लिए कितना दुरूपयोग या सदुपयोग हुआ है, इसको देखूंगा। मैं उसका खुद जाकर निरीक्षण करूंगा। आपने जो दुरूपयोग की बात कही, मैं नहीं कहना चाहता, हम किसी का क्यों जिक्र करें इस बात को छोड़ो। ...**(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, यह मंत्री जी का जवाब ठीक नहीं है। इस पर अगर स्पष्ट वक्तव्य आ जाए तो उसको सदन और पूरा देश जाने। ...**(व्यवधान)**

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : आपने जो कहा, या मैंने उसे रद्द किया हो या लीपा-पोती की हो तो आप कहें। मैंने तो उसके बारे में कह दिया। आपने बिहार का कहा, आपने जो कहा वह मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि गलत हैं। मैंने कहा कि कुछ रिपोर्ट मंगाई है वह रिपोर्ट आ जाएगी। ...**(व्यवधान)**

श्री सुरेश आर. जादव (परभनी) **:** वह रिपोर्ट कब आएगी? ...**(व्यवधान)**

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : पहले ही बहुत देर हो गई है। ...**(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रूडी : मंत्री जी कह रहे हैं बहुत देर हो चुकी है। ...**(व्यवधान)** यह सदन जानना चाहेगा। ...**(व्यवधान)**

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं इस बारे मे बाद में बता दूंगा, मुझे एक बार खुद बात करने दो, क्योंकि बहुत देर हो गई है। ...**(व्यवधान)** अगर मैं आज यह कह दूं कि वे इतने दिनों में जवाब दें, लेकन वे जवाब न दें तो मेरी पोजिशन क्या रहेगी। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतना कह दीजिए कि जल्दी हो जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) **:** यह मामला कमजोर वर्गों से संबंधित है। सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए तथा शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : अब मैं आपकी दो-तीन चीजों में गाइडेंस चाहता हूं। पदोन्नति के मामले में जो लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं, कुछ प्रबंध किए हैं। मैं पहले सदस्यों से बाहर डिसकशन करूंगा फिर मैं यहां भी बताऊंगा, अगर उसको आप अप्रूव करेंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का मामला किसी पार्टी का नहीं है उसको मैं देश के एक बहुत अहम हिस्से का मामला मानता हूं। इसलिए आपने मुझे इन छह महीनों में देखा होगा कि मैं अकेले कुछ नहीं करता। ...**(व्यवधान)** पदोन्नति के मुद्दों पर बहुत दिल की जलन है, मगर आज तक पदोन्नति रोकने वालों को सजा देने का कोई प्रबंध नहीं है। मैं आपसे डिसकशन करूंगा। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक काम कर लीजिए। इस सबजेक्ट पर, शेडयूल्ड कास्ट, शेडयूल्ड ट्राइब्ज का बहुत वाइड सबजेक्ट है, केवल पदोन्नति नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। ...**(व्यवधान)** इस पर शार्ट ड्यूरेशन डिसकशन हाउस में कर लीजिए।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं तैयार हूं। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बिजनेस एडवायजरी कमेटी देख लेगी।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं चाहता हूं कि हमारे देश को पता चले कि लोग जो तुष्टीकरण कह रहे हैं, इन जमातों को बहुत कुछ दिया जा रहा है।

अगर यह हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इसके लिए मैं तैयार हूं।

मॉनीटिरिंग के बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूं। यूटिलाइजेशन सर्विस के लिए हम एक प्रोफोर्मा तैयार कर रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जिनको 17 करोड़ रुपया दिया गया और उन्होंने अंत में 16 करोड़ 99 लाख 900 रुपया खर्चा दिखा दिया। अब प्रोफोर्मा बनाकर उसमें सुधार कर रहे हैं। अगर उससे भी सुधार नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा।

एन.जी.ओ. के बारे में आपने कहा तो मैं इस मुद्दे को आपके सामने और भी जोरों से रखना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत एन.जी.ओज. अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन 10 प्रतिशत ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक जगह हमने रेड करवाई। वह अनुसूचित जाति के नाम एन.जी.ओ. चल रही थी। लेकिन देखकर हैरानी हुई कि वहां न कोई बिल्डिंग थी न रजिस्टर, एक छोटे से कारखाने में एक जगह पर बोर्ड लगा हुआ था।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब उन्होंने 90 प्रतिशत की बात कही तो यह संतोषजनक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिशतता के बारे में मतभेद हो सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री बलवंत सिंह रम्मूवालिया : जब हमने पता किया तो 36 या 40 बहनों की यहां से हम तनख्वाह दे रहे थे और केवल पांच लड़कियां जोकि ऊंची जाति की थी वहां काम कर रही थीं। कोई रजिस्टर भी रिकार्ड के लिए वहां नहीं था। वे भी आपस में रिश्तेदार थीं। इस तरह की चीजों को हमें रोकना है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में कोई भी अनुसूक्ति जाति या जनजाति का सदस्य मौजूद नहीं है, इसलिए यह आज बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने इस पर शॉर्ट डयूरेशन डिस्कशन के लिए मान लिया है। आधे घंटे में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं दो तीन चीजें एन.जी.ओज के बारे में कहना चाहता हूं। मैं अपने विभाग में एक 11 सदस्यीय या 15 सदस्यीय सुपरवाइजरी ग्रुप तैयार कर रहा हूं। उसमें माननीय सदस्यगण होंगे, देश की प्रमुख हस्तियां होंगी, अखबार के चार-पांच प्रमुख लोग होंगे, रिटायर जज होंगे और कुछ आई.ए.एस. अधिकारी जो इस महकमें में रहे हों, वे होंगे। हम जितनी भी एन.जी.ओज. हैं उनकी लिस्ट उनको देंगे। मैं आपको बताऊं कि एक एन.जी.ओज ने चार साल पहले पांच करोड़ रुपया लिया और अब एक करोड़ रुपया मांग रहे हैं। हमें तो पब्लिक का एक करोड़ रुपया देते दिल दुखता है। हम तो जो ग्रुप बनाएंगे, उससे राय मांगेगे। उनकी जो राय होगी, वैसा हम कर देंगे।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो पैसा गया, उसका उपयोग हुआ था नहीं हुआ, इसका क्या आप कोई आयोग बनाकर या सी.बी.आई. या सी.ए.जी. के जांच करवाएंगे ...**(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रूडी : बिहार का पशु-पालन घोटाला जो आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित था, उसके बारे में बताएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह एक अलग इश्यू है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, उससे आदिवासी प्रभावित हुए हैं, हम तो प्रभावित नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह पूरे मामले का एक हिस्सा है।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह (सिवनी) : उपाध्यक्ष जी, आदिवासी योजना की जो प्लॉनिंग कमेटी है उसमें तो मध्य प्रदेश के मेम्बर का कोई स्थान ही नहीं है। वह तो 100 प्रतिशत सेंटर से सहायता लेकर चलती है। ...**(व्यवधान)**

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मैं दोनों मुद्दों का जवाब देता हूं। मुझे संसद और सरकार की ताकत पर पूरा भरोसा है और उसके द्वारा करवायी जाने वाली इनक्वायरी पर भी पूरा भरोसा है। जब इस पर ये भरोसा उठ जाएगा तो मैं उधर चला जाऊंगा।

श्री प्रहलाद सिंह : मध्य प्रदेश में आदिवासी उपयोजना की जो कमेटी बनी है, उसमें कोई सांसद मैम्बर नहीं है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार, 16 दिसम्बर, 1996 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.21 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 16 दिसम्बर, 1996/26 अग्रहायण, 1918(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।